Friday, 8 December, 1961

द्वितीय माला, खण्ड ६०—अंक ११

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. 74
17.1.62

लोक-सभा वाद-विवाद

(पन्द्रहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ६० में अंक ११ से अंक १६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

Preservation
Fumigated
On 3.12.83
Parliament Library

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ६०--अंक ११ से १६--२ से ८ दिसम्बर, १९६१/११ से १७ अग्रहायण, १८८३ (शक)]

पृष्ठ

अंक ११--शनिवार, २ दिसम्बर, १९६१/११ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४९१, ४९२, ४९४ से ४९६, ४९८, ४९९, ५०१ से ५०५, ५०९, ५१०, ५१३, ५१६, ५१९, ५२१ से ५२४ और ५२६ . . . १२५९--८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४९३, ४९७, ५००, ५०६ से ५०८, ५११, ५१२, ५१४, ५१५, ५१८, ५२० और ५२५ . . . १२८५--९०

अतारांकित प्रश्न संख्या १००१ से १०८१ . . . १२९०--१३२३

स्थगन प्रस्ताव--

निशानों में पुलिस द्वारा की गई कथित ज्यादतियां . . . १३२३-२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाना

हिन्दुस्तान मोटर्स को विशेष रेलगाड़ी का दिया जाना . . . १३२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १३२५-२६

राज्य सभा से सन्देश . . . १३२६

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक पटल पर रखे गये . . . १३२६

सदस्य की गिरफ्तारी . . . १३२७

भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के कृत्यों और गतिविधियों के बारे में एक वक्तव्य . . . १३२७

सभा का कार्य . . . १३२७-२८

विधेयक पुरस्थापित

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . . . १३२८

गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) संशोधन विधेयक १९६१ . . . १३२८

दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक १९६१ . . . १३२९

वर्ष १९६१-६२ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) . . . १३२९--३४

बड़ी रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव . . . १३३४--४१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित--

(१) हिंदू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक, १९६१ (नई धारा २३क का रखा जाना) [श्री अजित सिंह सरहदी का] . . . १३४१

विषय	पृष्ठ
(२) चलचित्र उद्योग कर्मचारी (कार्य की दशा में सुधार) विधेयक १९६१ [श्री गोरे का] . .	१३४१
(३) नारियल जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक, १९६१ (धारा १०, २०, २१ और २६ का संशोधन) [श्री सं० चं० सामन्त का]	१३४२
(४) अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१, [श्री अ० त्रि० शर्मा का] . . .	१३४२
(५) असैनिक उड्डयन (लाइसेंस देना) विधेयक, १९६१ [श्री अमजद अली का]	१३४२
धार्मिक पूजा स्थानों का प्रत्यावर्तन विधेयक, १९६१ [श्री प्रकाशवीर शास्त्री का] अस्वीकृत	१३४३–४७
विचार करने का प्रस्ताव . .	१३४३––४७
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १४ का संशोधन) [श्री तंगामणि का] वापस ले लिया गया	१३४७–५०
विचार करने का प्रस्ताव	१३४७––५०
दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक, १९५९ (धारा ४८८ का संशोधन) [श्री अजित सिंह सरहदी का] .	१३५०–५३
विचार करने का प्रस्ताव	१३५०––५३
पटसन का मूल्य विधेयक, १९५९ [श्री झूलन सिंह का] .	१३५३–५४
कार्य मंत्रणा समिति––	
सड़सठवां प्रतिवेदन . .	१३५४
दैनिक संक्षेपिका . .	१३५५––६३
अंक १२––सोमवार, ४ दिसम्बर, १९६१/१३ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ५२७, ५२९ से ५३१, ५३३ से ५३६ और ५३८ से ५४७	१३६५––८९
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ५२८, ५३२, ५३७ और ५४८ से ५६७ . .	१३९०––१४००
अतारांकित प्रश्न संख्या १०८२ से ११९२ . .	१४००––५०
स्थगन प्रस्ताव––	
१. जामा मस्जिद क्षेत्र में बम विस्फोट .	१४५०–५२
२. लन्दन हवाई अड्डे पर भारतीयों को उतरने की अनुमति देने से तथाकथित इन्कार	१४५२

विषय	पृष्ठ
३. चौद्वार में उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स का बन्द होना .	१४५२–५३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
ब्रिटेन का राष्ट्रमंडल आप्रवास विधेयक . .	१४५३––५५
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१४५५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . .	१४५५
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति––	
छब्बीसवां प्रतिवेदन . .	१४५५
विधेयक पुरस्थापित––	
(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६१ .	१४५६
(२) विश्व भारती (संशोधन) विधेयक, १९६१ .	१४५६
कार्य मंत्रणा समिति––	
सड़सठवां प्रतिवेदन . . .	१४५६
चीनियों द्वारा अतिक्रमण के बारे में चर्चा .	१४५७––८२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ .	१४८३––८६
कोयला खान भविष्य निधि योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा	१४८६––८८
दैनिक संक्षेपिका	१४८९––९६
अंक १३––मंगलवार, ५ दिसम्बर, १९६१/१४ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५७०, ५७२, ५८८, ५७४ से ५७८, ५९४, ५७९ और ५८० . . .	१४९७––१५२२
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७१, ५७३, ५८१ से ५८७, ५८९ से ५९३ और ५९५ से ६१६	१५२३––३८
अतारांकित प्रश्न संख्या ११९३ से १३१७, १३१९ और १३२१ से १३२९	१५३९––९७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
राजहरा और नन्दिनी खानों के दस हजार मजदूरों की कथित छंटनी . .	१५९७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१५९८––१६००
तारांकित प्रश्न संख्या १४७ के उत्तर में शुद्धि . . .	१६००–०१
सरकारी उपक्रमों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव के संबंध में .	१६०१
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६१––पारित .	१६०१–०२
चीनियों द्वारा अतिक्रमण के बारे में चर्चा . . .	१६०२––०९

विषय	पृष्ठ
संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९६१ . .	१६०९—२३
खंड २, ३ और १	१६२२–२३
पारित करने का प्रस्ताव	१६२३
सभा का कार्य	१६२४
कलिंग एयरलान्इस के बारे में चर्चा	१६२४—२९
दनिक संक्षेपिका	१६३०—३९

अंक १४—बुधवार, ६ दिसम्बर, १९६१/१५ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१७, ६१९ से ६२३, ६२३–ख, ६२४, ६२५, ६२५–क, ६२६, ६३० से ६३३ और ६३३–क . .	१६४१—६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६२३–क, ६२७ से ६२९, ६३४, ६३५, ६३५–क, ६३५–ख, ६३६ से ६३८, ६३८–क, ६३९ से ६४१, ६४१–क, ६४१–ख, ६४२, ६४२–क, ६४३ से ६४५, ६४५–क और ६४५–ख	१६६५—७६
अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १४१७, १४१९ से १४२५, १४२५–क से १४२५–य और १४२५–कक से १४२५–णण . .	१६७६—१७३७
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१७३७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
केरल कृषक संबंध अधिनियम की क्रियान्विति .	१७३७–३८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७३८–३९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
इक्यानवैवां प्रतिवेदन . . .	१७३९
प्राक्कलन समिति—	
एकसौ अड़तालीसवां प्रतिवेदन	१७४०
लोक लेखा समिति—	
उन्तालीसवां प्रस्ताव	१७४०
अनुपस्थिति की अनुमति . .	१७४०
सभा का कार्य . . .	१७४०–४१
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ .	१७४१—४५
नियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६१—पुरस्थापित और पारित .	१७४५–४६

विषय	पृष्ठ
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६१--	
विचार करने का प्रस्ताव	१७४६--५०
खंड २ और १ . . .	१७५०
पारित करने का प्रस्ताव	१७५०
विश्वभारती (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	१७५१--६०
खंड २ से १६ और १	१७५९-६०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१७६०
दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक--	
पारित करने का प्रस्ताव	१७६०--६४
खंड २ से ४ और १	६७६३-६४
पारित करने का प्रस्ताव	१७६४
लाख पर निर्यात शुल्क के बारे में	१७५४--६७
दैनिक संक्षेपिका .	१७६८--७७
अंक १५--गुरुवार, ७ दिसम्बर, १९६१/१६ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४६, ६४८, ६५१ से ६५८, ६५८-क, ६५९ से ६६२ और ६६५ .	१७७९--१८०२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४७, ६४९, ६५०, ६६२-क, ६६३, ६६४, ६६६, ६६६-क, ६६७ से ६७२, ६७२-क, ६७२-ख और ६७३	१८०२--०९
अतारांकित प्रश्न संख्या १४२६ से १५६५ और १५६५-क	१८१०--७०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों को काम में न लाना	१८७०-७१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१८७२-७३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
कार्यवाही सारांश . .	१८७३
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति --	
कार्यवाही सारांश .	१८७३
याचिका समिति--	
कार्यवाही सारांश	१८७३
राज्य सभा से सन्देश	१८७३

विषय	पृष्ठ
याचिका समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन	१८७४
प्राक्कलन समिति—	
एक-सौ चवालीसवां और एक-सौ छियालीसवां प्रतिवेदन	१८७४
याचिका का उपस्थापन . .	१८७४
तारांकित प्रश्न संख्या २४६ के उत्तर में शुद्धि	१८७४
संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासन-व्यवस्था के बारे में वक्तव्य	१८७५–७६
धार्मिक न्यास विधेयक	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित करने का समय बढ़ाना	१८७६
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	१८७६—१६०२
सभा का कार्य	१६०२
दैनिक संक्षेपिका	१६०३—११
अंक १६—शुक्रवार, ८ दिसम्बर, १६६१/१७ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७४, ६७५, ६८१, ७१६, ६७६, ६८०, ६८२, ७८३, ६८५ से ६८६, ६६१ और ६६७	१६१३—३७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७७, ६७८, ६७६, ६८४, ६६२ से ६६६, ६६८ से ७००, ७००—क, ७०१ से ७१८ और ७२० से ७२२ .	१६३८—५२
अतारांकित प्रश्न संख्या १५६६ से १७०३ और १७०५ से १७१५ .	१६५२—२०१४
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) पूर्व जर्मनी में भारत के कुछ राज्य क्षेत्रों को चीन का भाग दिखाने वाले नक्शों का प्रकाशन . . .	२०१४–१५
(२) दिल्ली पुलिस द्वारा ६५ प्रतिशत अपराध के मामलों के दर्ज न किये जाने की सूचना .	२०१५
(३) दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता और उसके उपनगरों को बिजली का न दिया जाना	२०१५–१६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) अगरतला में अग्निकांड से कथित मृत्यु तथा सम्पत्ति की हानि	२०१६
(२) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल	२०१६–१७

पृष्ठ

(३) कोयम्बटूर में इंजीनियरिंग के कारखानों को कोयला संभरण में कमी २०१७–१८

सूचना का विषय—

समान्य चुनाव . . . २०१८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०१८–२१

राजखरसवां बड़ाजामदह लाइन को दोहरा करने के बारे में वक्तव्य २०२१

आश्वासनों सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश २०२२

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—

(१) कार्यवाही सारांश . २०२२

(२) तेरहवां प्रतिवेदन . २०२२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . २०२२

प्राक्कलन समिति—

एक-सौ तैंतालीसवां, एक सौ पैंतालीसवां और एक सौ सैंतालीसवां प्रतिवेदन . . २०२२–२३

तारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के उत्तर में शुद्धि . . २०२३

व्यापार मंत्रियों की बैठक में सम्मिलित होने के लिये जैनेवा यात्रा के बारे में वक्तव्य २०२३

कैनेडा की एक फर्म के द्वारा मोटर के पुर्जों के संभरण सम्बन्धी सचिवों की एक विशेष समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य . . २०२३

बड़ी-बड़ी रेल दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव २०२३—३२

सभा का कार्य . . २०३२

लौह अयस्क की खानें श्रमिक कल्याण उप-कर विधेयक २०३३–३५

खंड २ से ८ और १ . २०३५

पारित करने का प्रस्ताव

श्री ल० ना० मिश्र २०३५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति इक्यानब्वेवां प्रतिवेदन . . . २०३५–३६

गोआ, दमन और दीव से पुर्तगालियों को हटाने के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . . . २०३६—३८

लोक सभा के सदस्यों की वेश भूषा के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . २०३८—४२

विषय	पृष्ठ
अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में संकल्प .	२०४२—५४
ईसाई धर्म प्रचारकों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२०५५—६०
दैनिक संक्षेपिका . .	२०६१—७२
पन्द्रहवें सत्र की कार्यवाही संक्षेप	२०७३—७५

नोटः मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS III—1651(AI)LS—11-1-62—125.

लोक-सभा

शुक्रवार, ८ दिसम्बर, १९६१
१७ अग्रहायण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सैन्ट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर

+
†*६७४. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैण्ट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर में २७ लाख रुपये की रकम का गबन हुआ था ;

(ख) क्या यह समाचार 'अमृत बाजार पत्रिका', कलकत्ता में ३, १७, १८ और २१ मई, १९६१ को छापा गया था ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या विशेष पुलिस संस्थान ने आवश्यक जांच की है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार को ऐसी किसी रिपोर्ट का पता नहीं है ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि इस पदाधिकारी से, जो इस रिसर्च इंस्टीट्यूट से सम्बद्ध था, स्पेशल पुलिस द्वारा जांच किये जाने के कारण इस्तीफा देने को कहा गया ?

†श्री हुमायून् कबिर : पदाधिकारी बाज दफ़ा इस्तीफा दे देते हैं । मैंने इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दे दिया है कि कोई विश्वासघात नहीं हुआ । निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलेगा कि

---

†मूल अंग्रेजी में

1651 (Ai) LSD—1.

यह प्रश्न कितना अनर्थक है । अब तक इस संस्था का कुल व्यय ८ लाख रुपये हुआ है और विश्वासघात २७ लाख रुपये का कहा जाता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि संस्था में जो कुछ हुआ उसके बाद इस पदाधिकारी को, जिसने इस्तीफा दे दिया है, पुनः भारत सरकार में साइंटिफिक आफिसर के रूप में लाया जा रहा है ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : माननीय सदस्य मुझे जानकारी दे रहे हैं। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री तंगामणि**: क्या सरकार ने 'अमृत बाजार पत्रिका' में प्रकाशित कोई रिपोर्ट पढ़ी है और क्या संस्था में गबन के बारे में पुलिस की विशेष शाखा ने कोई जांच की ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : दो विभिन्न प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न के बारे में मैंने अपने प्रेस ब्यूरो से ३, १७, १८, और २१ मई, १६६१ के 'अमृत बाजार पत्रिका' के विभिन्न संस्करणों की विशेष जांच करने को कहा है । इनकी जांच की गयी और यह पाया गया कि 'पत्रिका' में ऐसी कोई बात नहीं है । उस पत्र का जून, १६६१ तक दुर्गापुर में कोई प्रतिनिधि नहीं था ।

प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि क्या विशेष पुलिस ने कोई जांच की। कुछ जांच की गयी थी ।

†**श्री तंगामणि**: यदि जांच की गयी तो कितनी धन राशि अन्तर्ग्रस्त थी ? यदि यह २८ लाख रुपये नहीं थी तो क्या २.७ लाख रुपये थी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : कोई भी गबन नहीं हुआ । कुछ अनियमिततायें थीं और भविष्य में ऐसी अनियमितताओं के न होने देने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या कदम उठाये जा रहे हैं और क्या वर्तमान डायरेक्टर को हटाने का एक प्रमुख कारण यह अनियमितता भी है।

†**श्री हुमायून् कबिर** : वर्तमान डायरेक्टर संभवतः इस्तीफा दे रहे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी**: और उनको अन्य बड़ा पद दिया जा रहा है ।

केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति

*६७५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति की ४ व ५ दिसम्बर, १६६१ को बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस में क्या निश्चय किये गये या सिफारिशें की गईं; और

(ग) उन निश्चयों अथवा सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सिफारिशों की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८१**]

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को सुझावों के लिये सिफारिशें भेज दी गई हैं । उनके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : प्रश्न संख्या ६८१ का भी उत्तर साथ ही दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, हां ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : प्रश्न संख्या ७१६ का भी उत्तर साथ ही दिया जाये जो कि मद्य-निषेध के बारे में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, हां ।

मद्य-निषेध

+

†*६८१. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों को तृतीय योजना काल में भारत भर में पूर्ण मद्य-निषेध के लिये कोई लक्ष्य-तिथि निर्धारित करने की आवश्यकता पर विचार करने के लिये कहा गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अभी तक किस राज्य ने इस बारे में अपनी राय व्यक्त की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). ४ और ५ सितम्बर, १६६१ को हुई अपनी बैठक में केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति द्वारा एक यह सिफारिश की गयी थी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के पूरी होने के पूर्व भारत में पूर्ण मद्य-निषेध हो जाना चाहिये । इन सिफारिशों को राज्य सरकारों को उनको प्रस्तावों के लिये परिचालित कर दिया गया है । उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं ।

मद्य-निषेध

+

†*७१६. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री अगाड़ी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि यदि राज्य सरकारें मदिरा पान पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगा दें और इस से होने वाले नुकसान

†मूल अंग्रेजी में

का आधा भाग केन्द्र से सहन करने के लिये कहें तो राज्य सरकारों की राजस्व हानियों को पूरा करने के लिये कुल कितने धन की आवश्यकता होगी ;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने मदिरा पान पर प्रतिबन्ध लगाया है और यह सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो वह राज्य कौन कौन से हैं तथा उन्होंने कितनी सहायता मांगी है और उनके लिये कितनी रकम स्वीकार की गई है ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) राजस्व की पूर्वाशित हानि का आधा भाग पूरा करने के लिये वित्तीय आवश्यकता, राज्य सरकारों के मद्य-निषेध के निर्धारित कार्यक्रम पर निर्भर होगी । इस मामले में उनको पत्र लिख दिये गये हैं और उनके विस्तृत प्रस्ताव प्रतीक्षित हैं ।

(ख) और (ग). मैसूर सरकार ने जुलाई, १९६१ से मैसूर तालुक (शहर समेत) में और मंडिया जिले में मद्य-निषेध लागू किया है और केन्द्रीय सहायता मांगी है । उनकी प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस कमेटी ने जो सब से महत्वपूर्ण सिफारिश की है वह यह है कि अगले पांच वर्षों में पूर्ण मद्य निषेध कर दिया जाए । क्या शासन के ध्यान में यह बात आई है कि जब से यह सिफारिश की गई है तब से कुछ राज्यों में शराब की दुकानों में बढ़ोतरी हो गई है ? मैं आपको उत्तर प्रदेश में गढ़वाल जिले की मिसाल बता सकता हूं जहां पहले शराब की तीन दूकानें थीं और अब इनकी संख्या सात बढ़ा दी गई है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों को ऐसी हिदायतें की जा रही हैं कि पूर्ण मद्य-निषेध न किया जाए तो कम से कम शराब की दूकानों को बढ़ाया तो न जाए ?

†**श्री दातार :** बाज दफा ऐसी शिकायतें आती हैं । परन्तु केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्ण मद्य-निषेध हो जाना चाहिए और राज्य सरकारें इस मामले पर विचार कर रही हैं कि इस कार्य-क्रम को किस प्रकार लागू किया जाये ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकारों को यह आश्वासन दिया जगया है कि अगर ये पूर्ण मद्य-निषेध करें तो उसका आधा खर्चा केन्द्रीय सरकार वहन करेगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह लिखा है कि आधे खर्चे के बजाय पूरा खर्चा जब तक वहन न किया जाए तब तक इसके लिए वह तैयार नहीं है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी सूचना है ?

†**श्री दातार :** कुछ राज्य सरकारों के साथ पत्र-व्यवहार हो रहा है । कुछ, आधी राशि से, जिसका आश्वासन दिया गया है, अधिक सहायता मांग रही हैं ।

†**श्री वेंकटा सुब्बैया :** क्या आन्ध्र प्रदेश के तलंगाना क्षेत्र में मद्य-निषेध लागू करने के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कोई वित्तीय सहायता मांगी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : सभी राज्यों को वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया गया है ?

†**श्री त्यागी** : क्या कई वर्षों तक मद्य-निषेध सम्बन्धी अनुभव प्राप्त करके, सरकार को यह पता लगा है कि केवल कानून बना देने से व्यक्तियों के आचार और स्वभाव को नहीं बदला जा सकता जब तक कि आत्म-निग्रह के लिये व्यापक प्रचार न किया जाये ?

†**श्री दातार** : वह ठीक है । उस बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया है और सभी राज्यों में शिक्षाप्रद प्रचार किया जा रहा है । तदनुसार कुछ राज्यों का, जैसे मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्य, सभी क्षेत्रों में मद्य-निषेध को लोक प्रिय बनाने के बारे में एक विशेष सम्मेलन करने का विचार है ।

श्री प्रकाश वीरशास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन प्रान्तों अथवा स्थानों में मद्य-निषेध लागू किया गया है उन में सरकार को सब से अधिक सफलता किस प्रान्त अथवा स्थान में प्राप्त हुई है ?

†**श्री दातार** : विशेषतः पश्चिम में तथा दक्षिण के कुछ राज्य हैं जहां पूर्ण मद्य-निषेध है और वहां अच्छा कार्य हो रहा है ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या मद्य-निषेध योजना की उन्नति में योजना आयोग की इस सिफारिश को क्रियान्वित किया जा रहा है कि शराब की कोई नई दूकान न खोली जाये और अब तक रजिस्टर्ड शराब की दूकानों को शराब का संभरण शनैः शनैः कम किया जाये ; क्या सरकार क्लबों में, जहां पदाधिकारी जाते हैं और शराब पीते हैं, शराब का संभरण न करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि क्लबों को मद्य-निषेध की परिभाषा में रखा जाये, तो मैं समझता हूं कि अधिकांश मद्य-निषेध योजनायें सफल हो जायेंगी । मेरे माननीय सदस्य जो मेरे समीप बैठे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं ।

†**श्री दातार** : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं दिल्ली क्षेत्र के बारे में इसका उत्तर दे चुका हूं । हम और प्रतिबन्ध करने के बारे में इस दिशा में कुछ कदम उठा रहे हैं ।

†**श्री जयपालसिंह** : मैं समझता हूं कि इस बारे में 'मद्य-निषेध' शब्द शराब खेंचने की भट्टियों और जिसको हम नशीली चीजें कहते हैं, के बारे में है । क्या मंत्री महोदय ने अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिम जातियों की नवीनतम रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें मद्य-निषेध के दायरे से आदिवासियों को निकाले की स्पष्ट सिफारिश की गयी है अर्थात् उबले हुए चावल के बारे में जो कई क्षेत्रों में आदिवासियों का प्रमुख भोजन है ?

†**श्री दातार** : रिपोर्ट मिल गयी है और इस पर उन राज्य सरकारों द्वारा, जहां ऐसे आदिम जातीय क्षेत्र हैं, और केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ण रूप से विचार किया जायेगा।

†**श्री जयपालसिंह** : उनका कहना है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में अर्थात् पांचवीं योजना के अन्त तक पूर्ण मद्य निषेध हो जायेगा । म समझता हूं कि 'पूर्ण' शब्द में ये सिफारिशें ृथक रखी गयी हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय**: बहुत अच्छा । उन्होंने भी यही कहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्रीनारायण दास :** मेरे प्रश्न का उत्तर तो दे दिया गया है परन्तु मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने को अनुमति नहीं मिली है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हां, वह प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति की सिफारिशें विभिन्न राज्य सरकारों को भेजते समय, क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी थी कि वे कब तक सिफारिशों का उत्तर भेज दें ?

†**श्री दातार :** हमने राज्य सरकारों से अपना निर्धारित कार्यक्रम तैयार कर हमें भेजने को कहा है ताकि केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति की अगली बैठक में इन पर विचार किया जा सके । उनका उत्तर प्रतीक्षित है ।

†**श्री हेम बरूग्रा :** ग्रासाम के ग्रादिवासी क्षेत्रों में इस मद्य-निषेध की नीति के कारण ग्रादिवासी लोगों को अनावश्यक तौर से तंग किया जाता है । ये मादक पेय उन के धार्मिक उत्सवों के भी अंग हैं । उन्हें अपनी पूजा में मदिरा का प्रयोग करना पड़ता है । परन्तु उन्हें व्यर्थ में तंग किया जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । माननीय सदस्य केवल प्रश्न कर सकते हैं और उत्तर निकलवा सकते हैं । वे निरन्तर तर्क नहीं कर सकते हैं ।

वह यह जानना चाहते हैं कि क्या ग्रासाम के ग्रादिवासी क्षेत्रों में मद्य-निषेध लागू करते समय वहां के ग्रादिवासियों के धार्मिक उत्सवों से संबंधित रीति रिवाजों का विचार किया जाता है ?

†**श्री दातार :** जब मद्य-निषेध जांच समिति नियुक्त की गई थी और उसने अपनी सिफारिशें की थी तब उन पर विचार किया गया था ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** ग्रादिवासी क्षेत्रों में, विशेषकर ग्रासाम और मनीपुर में---झारखण्ड के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, संभवतः माननीय श्री जयपालसिंह उसके बारे में जानते होंगे ---एक प्रकार का पेय है, जो मादक है और उसे जू के नाम से पुकारा जाता है । ये लोग जू का प्रयोग अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए करते हैं । क्या यह विचार किया गया है कि जू को मादक पेयों के पर्यालोकन से निकाल दिया जाए ?

†**श्री दातार :** इस प्रश्न पर मद्य-निषेध जांच समिति ने विस्तारपूर्वक विचार किया था और जू तथा ऐसी अन्य चीजों का ध्यान रखते हुए कुछ सिफारिशें की थीं ।

†**श्री सम्पत :** क्या उन राज्यों को कोई प्रतकर देने की योजना है जिन्होंने बहुत पहले ही मद्य-निषेध लागू कर दिया था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह उन राज्यों के लिये प्रेरणा है जो मद्य-निषेध प्रारंभ कर रहे हैं । उनका प्रश्न यह है कि क्या उन राज्यों को, जो मद्य-निषेध लागू कर चुके हैं . . . . . .

†**श्री सम्पत :** और हानि उठा रहे हैं . . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** कोई राज-सहायता दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दातार : यह उन के द्वारा उठाये जाने वाले कदमों पर निर्भर है । यह प्रस्ताव समस्त राज्यों के लिए सामान्य है ।

†एक माननीय सदस्य : मैं एक स्पष्टीकरण . . . .

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । स्पष्टीकरण की कोई जरूरत नहीं है।

यह कोई नया मामला नहीं है । मैं नीति संबंधी निर्णयों पर प्रश्न करने की अनुमति नहीं दूंगा । यदि प्रत्येक माननीय सदस्य यह कहेंगे कि "क्या आप इसको छूट देंगे ?" तो इसका कोई अन्त नहीं होगा । यह राज्य सरकारों का कार्य है । मैं उसके संबंध में सामान्य प्रकृति के अनेक प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं ।

पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

†*६७६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बारमेड़ जैसे क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि का क्या कारण है ; और

(ख) क्या यह सच है कि इस जिले में भारी संख्या में पाकिस्तानी घुस आये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) १९६१ की जनगणना के अंतर्कालीन आंकड़ों के अनुसार बारमेड़ जिले की जनसंख्या ६,४८,७३४ हो गई है जब कि १९५१ में ४,७९,८१३ थी । इस प्रकार लगभग १.६९ लाख की वृद्धि हुई है । परन्तु १९६१ के आंकड़ों में उन क्षेत्रों की ४५,००० अनुमानित जनसंख्या भी सम्मिलित है जो १९५५ में दूसरे जिले से बारमेड़ जिले में मिलाये गए थे । इसलिए बारमेर जिले की जनसंख्या में राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) जी नहीं; १९५२ से १९६१ (३१ अक्तूबर) तक इस प्रकार घुस आए व्यक्तियों की संख्या केवल १,०५४ है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस समाचार की ओर आकर्षित हुआ है कि केवल दो महीने पूर्व इस जिले में ५०० व्यक्तियों के एक दल ने इस जिले में अवैध प्रवेश किया था ? यह समाचार अखबारों में प्रकाशित हुआ था ।

†**श्री दातार** : मैं ने यह खबर नहीं देखी है परन्तु मैं समझता हूं यह असंभव नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जब गणना के आकड़ों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अतिरिक्त सरकार को इस रेगिस्तानी क्षेत्र में अवैध प्रवेश के संबंध में अपने केन्द्रीय अभिकरणों के द्वारा क्या सूचना दी गई है ?

†**श्री दातार** : जब भी कभी कोई अवैध प्रवेश की घटना होती है तो राज्य सरकार को उसकी सूचना मिल जाती है । वे संबंधित व्यक्तियों को प्राभियोजित कर के दंडित करते हैं और वे बाहर भेज दिये जाते हैं ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लोग पाकिस्तान से हिन्दुस्तान की तरफ आते हैं राजस्थान की एरिया में, वह किसी एक फिर्के के हैं या मुख्तलिफ फिर्कों के हैं और

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या यह भी हकीकत है कि वह ऐसे लोग हैं जिनको बन्जारा कहा जाता है जो कभी यहां जाते हैं और कभी वहां जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो इसे रोकने के लिये हुकूमत क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री दातार** : मैं इसके संबंध में कोई निर्दिष्ट सूचना नहीं दे सकता हूं कि आने वाले लोग कौन हैं।

†**श्री अ० मु० तारिक** : प्रश्न यह है कि वे एक जाति के हैं अथवा विभिन्न जातियों के ? यह मैं इस लिए पूछ रहा हूं कि "पाकिस्तानी" कहने से यह मालूम पड़ता है कि वे सब मुसलमान होंगे। परन्तु उन में गैर-मुसलमान भी हैं। इसीलिए मैं यह पूछ रहा हूं कि वे क जाति के हैं अथवा विभिन्न जातियों के ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या राजस्थान में गैर-मुसलमान पाकिस्तानी भी हैं ? मैं पूर्व की बात नहीं करता वहां की स्थिति भिन्न हो सकती है परन्तु पश्चिम की क्या स्थिति है ?

†**श्री अन्सार हरवानी** : पश्चिम में भी गैर-मुसलमान हैं।

†**श्री दातार** : पाकिस्तान का एक सीमान्त राजस्थान से मिला हुआ भी है और कभी कभी अवैध प्रवेश होते हैं और तुरन्त ही कार्यवाही की जारी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि वे शरणार्थी मुसलमान हैं या हिन्दू या दोनों।

†**श्री दातार** : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को सिन्धी मुसलिम कहा जाता है उन की तादाद सन् १६५१ के सेन्सस में क्या थी और सन् १६६१ में वह तादाद इस बार्डर पर क्या है ?

†**श्री दातार** : मैं एक जाति विशेष से संबंधित इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन के पास इस समय आंकड़े नहीं है। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं तो पृथक प्रश्न की सूचना दे सकते हैं।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : माननीय मंत्री जी ने जोधपुर के निकट बाड़मेर के क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी दी है। क्या मैं जान सकता हूं कि जैसलमैर राज्य के उस भाग में जो पाकिस्तान से लगा हुआ है सन् १६६१ की जनगणना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ?

†**श्री दातार** : सरकार जांच करायेगी।

†**श्री अन्सार हरवानी** : मैं उन बंजारा जातियों की संख्या जानना चाहता हूं जो इस क्षेत्र में घुस आई है और उनकी संख्या भी जो यहां से पाकिस्तान चली गई है।

†**श्री दातार** : यदि माननीय सदस्य ने जातिवार सूचना मांगी होती तो मैं उसे एकत्रित कर लेता।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय सदस्य को यह ज्ञात है कि सीमान्त पर इस क्षेत्र में अधिकांश में सिन्धी मुसलमान बसे हुए हैं। वहां हमेशा सिन्धी मुसलमान ही आये हैं। यहां

†मूल अंग्रेजी में

यह बताया जा रहा है कि वे बंजारे हैं। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। उस क्षेत्र में अधिकांश में सिन्धी मुसलमान बसे हुये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह क्या चाहते हैं ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : बंगाल की स्थिति भिन्न है जहां कि पाकिस्तान की ओर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हमारे यहां की आर्थिक स्थिति खराब नहीं है। इस घुसपैठ का कारण क्या है? मैं यह तो समझ सकता हूं कि लोग रोजगार के लिये आ सकते हैं।

†**श्री दातार** : मैं यह बता देना चाहता हूं कि उनकी संख्या बहुत कम है, दस वर्षों में लगभग एक हजार। उन्हें प्राभियोजित किया गया है तथा अधिकांश को दंडित किया गया है और बहुत से वापस भी भेज दिए गए हैं।

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक

+

†*६८०. { **श्री मो० ब० ठाकुर** :
श्री चिंतामणि पाणिग्रही :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री विश्वनाथ राय : }

क्या **शिक्षा** मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९६८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शेष राज्य सरकारों की ओर से प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों तथा उन सरकारी कर्मचारियों के जिनको कि अध्यापकों के समान वेतन मिलता है, महंगाई भत्तों को समान बनाने के लिये, ताकि उन में भिन्नता दूर हो जाये, राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में उत्तर प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में और क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) चार राज्य सरकारों को पत्र भेजा गया था जिन में से तीन राज्य सरकारों से उत्तर मिल गया है।

(ख) प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : राज्य तथा केन्द्र के प्राथमिक स्कूल के अध्यापक के पारिश्रमिकों में कितना अन्तर होता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रत्येक राज्य में अलग अलग हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : यदि संबंधित राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के प्रस्तावों को स्वीकार कर लेंगी तो केन्द्रीय सरकार उनको कितनी रकम देगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अनुमान है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ४८ करोड़ पये की आवश्यकता होगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में प्राथमिक स्कूल अध्यापकों को दिया गया मंहगाई भत्ता चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियो को दिए जाने वाले भत्ते से कम हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है कि इनको न्यूनतम मंहगाई भत्ता मिल सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अधिकांश राज्यों ने महंगाई भत्ता एक समान कर दिया है तथा अब कोई अन्तर नहीं रह गया है। यह समस्या अभी भी तीन या चार राज्यों में वैसी ही है। हम ने उन राज्यों को इसको समान करने के लिये लिखा है।

†**श्री तंगामणि** : ऐसा किन राज्यों ने अभी नहीं किया है और क्या यह सच है कि उड़ीसा के प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के संबंध में मंत्री महोदय द्वारा सभा में दिया गया वायदा पूरा हो गया है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उड़ीसा में इसको लागू कर दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह राज्य कौन कौन से हैं?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : तीन राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल बिहार आसाम सरकार से उत्तर नहीं मिला है। इन राज्यों में समस्या है।

†**श्री त्यागी** : विभिन्न राज्यों में प्राथमिक स्कूल अध्यापकों की औसत वेतन क्या है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रत्येक राज्य में आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : न्यूनतम तथा अधिकतम बताये जा सकते हैं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मूल वेतन लगभग ४० से ५० रुपये है। अप्रशिक्षित के लिए ४० रुपये तथा प्रशिक्षित के लिये ५० रुपये।

†**श्री त्यागी** : कुल सब मिला कर।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : महंगाई भत्ते से अलग।

†**श्री त्यागी** : इतना निर्धारित है अथवा उनको वास्तव में मिल रहा है? इस समय उनका वेतन क्रम क्या है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : केन्द्रीय सरकार वेतन क्रम निर्धारित नहीं करती है। वेतन क्रमों का निर्धारण राज्य सरकारें करती हैं। हम ने राज्य सरकारों से कहा था कि किसी भी अध्यापक को ४० रुपये अथवा ५० रुपये से कम नहीं मिलना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि अधिकांश राज्य सरकारों ने वेतन क्रम एक समान कर दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों तथा अध्यापकों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में केवल अन्तर है। तीन राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों ने महंगाई भता भी एक समान कर दिया है। तीन राज्यों में अभी भी यह समस्या है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: पीछे केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने दिल्ली के एक शिक्षा सम्मेलन में भाषण देते हुये कहा था कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को जितना वेतन मिलता है उससे कहीं अधिक वेतन सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले चपरासियों को मिलता है। यदि यह सत्य है तो क्या उन्होंने राज्य सरकारों को इस प्रकार के कोई निर्देश दिये हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस भेद को समाप्त कर दिया जाये ?

डा० का० ला० श्रीमाली: जी हां, निर्देश दिये हैं। केवल तीन राज्यों का प्रश्न रह गया है जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया है। यह सच है कि इन राज्यों में भेद है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि वह भेद मिट जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सिफारिशों को लागू नहीं किया है और कुछ आपत्तियां प्रस्तुत की हैं। उनकी आपत्तियां क्या हैं और क्या उत्तर प्रदेश की अध्यापक संस्थाओं ने इनको लागू न करने के बारे में सीधी कार्यवाही करने की सूचना दी है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई आपत्ति नहीं की है। वह मंहगाई भत्ते को एक समान करने को उत्सुक है। केवल अतिरिक्त रकम की उपलब्धता का प्रश्न है तथा शिक्षा मंत्रालय योजना आयोग से इस सम्बन्ध में बात चीत कर रहा है।

†**श्री ब्रजराज सिंह:** इस बात को देखते हुए कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत पिछड़ा हुआ है और यह बात मानते हुये कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजे हैं जिन पर, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, विचार किया जा रहा है, इस मसले पर कोई निर्णय लेने में देरी क्यों हो रही है, जल्दी ही क्यों नहीं अध्यापकों के इस मंहगाई भत्ते को बराबर किया जाता ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली:** देरी नहीं हुई है। अभी हाल ही में प्रस्ताव आये हैं, और प्लानिंग कमीशन से मशविरा हो रहा है इस मामले में, और मैं समझता हूं कि शीघ्र ही कुछ न कुछ निर्णय ले लिया जायेगा। अध्यापकों की मांग से सब लोगों की पूरी पूरी सहानुभूति है।

कोयला उद्योग के लिये पोलैंड का सहयोग

\+
†*६८२. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री न० म० देव : }

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने बिहार में सूदमडीह कोयला खानों के विकास के लिये पोलैंड की एक फर्म के साथ करार किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पोलैंड की फर्म परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी ;

(ग) यदि हां, तो परियोजना रिपोर्ट कब तक दे दी जावेगी ; और

(घ) खान का कार्य कब शुरू होगा ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). जी हां।

(ग) प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन मार्च, १९६२ में मिल जाने की आशा है।

(घ) परियोजना प्रतिवेदन मिल जाने पर तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर खानों में उत्पादन आरम्भ होने की संभावित तिथि मालूम हो सकेगी।

†**श्री स० चं० सामन्त :** इस 'पोलिश फर्म' का सहयोग मिलने से पहिले, बिहार सरकार अथवा गैर-सरकारी दलों को विकास कार्य के लिये निमंत्रित किया गया था।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं नहीं समझता कि बिहार सरकार प्रविधिक दृष्टि से इस कार्य को हाथ में ले सकने के लिये सक्षम है क्योंकि यह एक विशेषोपयुक्त कार्य है। सरकार ने मामले पर साव-

---

†मूल अंग्रेजी में

धानी से विचार कर लिया है तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने यह निर्णय किया है कि विदेशी सहयोग ठीक रहे गा। पोलैंड के लोगों को गहरे 'शैफ्टों' की खुदाई का पर्याप्त अनुभव है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने संसार के अन्य किसी देश से भी सहयोग का समझौता किया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यदि प्रश्न अन्य विदेशों से सहयोग प्राप्त करने का है तो उसका उत्तर "हां" है। प्रत्येक खान के बारे में समझौते की मदें अलग अलग हैं। इसलिये मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता हूं कि अन्य सहयोगियों के साथ ऐसा समझौता हुआ है।

†**श्री श्रीनारायण दास :** सहयोग के समझौते की महत्वपूर्ण मदें क्या हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** निश्चित समय तक प्रारम्भिक प्रतिवेदन दे देना है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या सूदमडीह के कोयले को धोने के लिये सूदमडीह में कोयला धोनें का कारखाना बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इसकी जांच की जा रही है। कोयला धोने का कारखाना स्थापित करने की भी संभावना है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** कोयला किस किस्म का है तथा सूदमडीह कोयला खान में कितनी परतें खोज के लिये उपलब्ध होंगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** धातुकार्मिक किस्म है। झरिया की खानों के समान ही परतें हैं। माननीय सदस्य निःसंदेह यह जानते होंगे कि परतें एक दूसरे के ऊपर होती हैं। इस खान में यह एक गहरी परत है जिसकी खोज होनी है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या 'शैफ्ट' बनाने और परियोजना का विकास करने का कोई और प्रस्ताव है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** खान चालू हो जाने पर वार्षिक उत्पादन क्या होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह:** ब्योरेवार परियोजना प्रतिवेदन पर अधिकांशतः आधारित है। परन्तु आशा यह है कि इस खान से न्यूनतम लगभग २० लाख टन कोयले का उत्पादन होगा। जांच आदि के बाद संभव है यह अधिक हो जाये।

सफेद चिकनी मिट्टी के निक्षेप

†*६८३. {**श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० चं० माझी :
श्री नेक राम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त :}

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में बीरभूम में सफेद चिकनी मिट्टी के निक्षेप पाये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इनका कोई वाणिज्यिक महत्व है ; और

(ग) उसको काम में लाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) और (ख) जी हां ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया है कि कुछ व्यक्ति, जिनके पास पट्टे हैं, इस क्षेत्र में चिकनी मिट्टी के निक्षेपों की खोज कर रहे हैं। राज्य सरकार खोज करने के लाइसेंस तथा खनन पट्टे गैर-सरकारी व्यक्तियों को देने के लिये उनके आवेदनपत्रों पर विचार कर रही है ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या इस सफेद मिट्टी का उपयोग करने के बारे में कोई विश्लेषण किया गया है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** पट्टे दे दिये हैं। कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों ने काम आरम्भ कर दिया है। जब तक मिट्टी अच्छे किस्म की नहीं होगी तब तक इन निक्षेपों की उपयोगिता का पता नहीं लगाया जा सकता ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** इस समय इस क्षेत्र में छोटे उद्योग में लगे हुये व्यक्ति स मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूं कि इस मिट्टी का और किस प्रकार उपयोग किये जाने की आशा है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** और भी जांच की जा रही है। १९६०-६१ में मखदूमनगर, साल्को, सरसाल तथा अन्य स्थानों पर नई खानों का भी पता लगा है। जांच हो रही है और खोज करना इसी पर आधारित हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि यह जो सफेद मिट्टी मिली है यह किस किस काम में आ सकती है ? क्या यह मिट्टी अच्छे किस्म के चाय पीने के बर्तन आदि बनाने के काम में आ सकती है ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : चाइना क्ले का इस्तेमाल कितनी ही चीजों के बनाने में होता है। इससे सिरैमिक्स की चीजें बनाई जाती हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह: क्या यह फाइन वर्क के लिये और टी सेट आदि बनाने के काम में आ सकती है ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा: अब प्रश्न यह पूछा गया था कि यह चाईना क्ले कितनी और कहां कहां मिलता है। अब यह बात कि चाइना क्ले मिट्टी के बर्तन बनाने के काम आयेगी या नहीं अगर यह इत्तिला मांगी जायेगी तो बाद में हम दे सकते हैं।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** इस का इस्तेमाल अधिकांशत: चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने तथा ऊसमसह ईंटें बनाने के लिए होगा। यह मिट्टी इतनी अच्छी किस्म की नहीं है जिसका इस्तेमाल अच्छे किस्म के चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किया जाये । मिट्टी धोने के अन्य कारखाने भी हैं। नवेली परियोजना के अंग के रूप में एक काम कर रहा है जहां पर धुली मिट्टी बहुत अच्छी किस्म की होगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

खम्भात तथा अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों से गैस

†०९८५. { **श्री मो० ब० ठाकुर :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंकलेश्वर और खंभात तेल क्षेत्रों में वर्तमान तथा भावी योजनाबद्ध उत्पादन से सम्बद्ध (एसोसियेटेड) तथा असम्बद्ध (नान-एसोसियेटेड) गैस कितनी मात्रा में प्राप्त होगी;

(ख) इस सम्बद्ध (एसोसियेटेड) तथा असम्बद्ध (नान-एसोसियेटेड) प्राकृतिक गैस के उपयोग के सम्बन्ध में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का क्या प्रस्ताव है; और

(ग) इन तेल क्षेत्रों में कितनी गैस उपयोग में लाई जाने से पहले ही बेकार चली जायेगी ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) उत्पादन परीक्षण किये जा रहे हैं तथा इन परीक्षणों के बाद ब्यौरे बनाये जायेंगे ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तेल क्षेत्रों में दबाव कार्यों के लिये कुछ गैस का इस्तेमाल किया जायेगा । शेष गैस उद्योगों अथवा तापीय विद्युत् केन्द्रों को बेच दी जायेगी ।

(ग) असंबद्ध गैस का उत्पादन तब तक नहीं होगा जब तक उसका इस्तेमाल नहीं हो सके । तेल के साथ साथ कूवों का परीक्षण करने से उत्पादित संबद्ध गैस की थोड़ी सी मात्रा जला दी जायेगी ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर :** गैस का मूल्य क्या होगा तथा उससे वार्षिक आय क्या होगी ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** अभी मूल्य तथा उत्पादन लागत बताना संभव नहीं है ।

†**श्री म० बो० ठाकुर :** इस गैस का भांडार बनाने का क्या प्रबन्ध है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** गैस का भांडार बनाने की समस्या बड़ी उलझन वाली है । हम इस की संभावना की जांच कर रहे हैं कि तेल के उत्पादन के साथ साथ उत्पादित गैस को गहरी जगह पर दुबारा पम्प से भर दिया जाये । मेरा अनुमान है कि हम ऐसा कर सकेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अपने कार्यक्रमों को चौथी योजना तक ले जाने का विचार कर रहा है तथा यदि हां, तो क्या खम्भात और अंकलेश्वर में गैस का इस्तेमाल करने के कार्यक्रम में विलम्ब हो जायेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय:** जी हां, तेल के साथ साथ स्वयमेव क्या अलग से उत्पादित प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं । आशा है कि हमारी ये योजनायें तीसरी योजना के अन्त तक समाप्त हो जायेंगी ।

†**श्री च० द० पांडे :** क्या सरकार का विचार गैस को खाना बनाने के लिए घरों में उसी प्रकार देने का विचार है जिस प्रकार बर्मा शैल महाराष्ट्र राज्य में दे रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी हां । हम आसाम और बरौनी में इस का वितरण करने की योजना बना रहे हैं । खम्भात और अंकलेश्वर में भी हमारा ऐसा ही करने का विचार है ।

†**श्री याज्ञिक :** क्या गत कुछ महीनों में खम्भात में गैस मिलने की आशा कम हो गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री के० दे० मालवीय : मैं प्रश्न नहीं समझा ।

†श्री याज्ञिक : अब ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि जितनी गैस मिलने की आशा थी उतनी नहीं मिल रही है । क्या हमारी आशा गैस कम मिलने की हो गई है ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि गैस कितनी मात्रा में मिलेगी अथवा नहीं ।

†श्री के० दे० मालवीय : मूलतः यह अनुमान था कि तेल तथा गैस पर्याप्त मात्रा में मिल जायेगी । अब ऐसा मालूम होता है कि खम्भात में तेल से अधिक गैस मिलेगी । क्योंकि कुछ कूवों से शत प्रतिशत गैस निकल रही है ।

†श्री स० चं० सामन्त: इस क्षेत्र के गैस के बाहर निकलने के कारण कितने कूवों में छिद्रण बन्द कर दिया गया है ?

†श्री के० दे० मालवीय: जब कूवें से गैस तेजी से निकलने के कारण दबाव बढ़ जाता है तब हम भू-छिद्रण बन्द कर देते हैं । जब यह मालूम हो जाता है कि हमें केवल प्राकृतिक गैस ही मिलेगी तब हम छिद्रण बन्द कर देते हैं क्योंकि अभी हमें ऐसी गैस प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है ।

†श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री ने बताया कि आसाम में कुछ गैस घरेलू काम के लिये दे दी जायेगी; मैं जानना चाहता हूं कि क्या नूनमती में प्राप्त गैस भी घरेलू कामों के लिए दे दी जायेगी ?

†श्री के० दे० मालवीय : स्थानीय सरकार योजनायें बना रही है । मैं ब्यौरे नहीं बता सकता ।

†श्री त० ब० विट्ठलराव : अन्य प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि ४३ कूवें गहरे खोदे गये हैं, जिन में से २२ कूवें तेल के थे, ७ कुवें गैस के थे, ६ कुवें सूखे थे तथा ८ का परीक्षण किया जा रहा है ।

†श्री के० दे० मालवीय : किस क्षेत्र के ।

†श्री त० ब० विट्ठलराव : गुजरात में । परन्तु माननीय मंत्री ने अभी बताया कि खम्भात में सभी कूवें शत प्रतिशत गैस के हैं ।

†श्री के० दे० मालवीय : संभवतया माननीय मित्र ने जो आंकड़े बताये हैं वह खम्भात के बारे में हैं । मैं ने जब कहा था कि २२ कूवें तेल के हैं तो मेरा यही तात्पर्य था कि उनमें गैस का उत्पादन नहीं होगा । कुछ कूवों में प्राकृतिक गैस अधिक मात्रा में उपलब्ध है जो संभवतया आधे दर्जन से अधिक है । इस प्रकार दोनों प्रकार के कूवों की संख्या में अन्तर है ।

†श्री सोनावने : गैस का घरेलू उपयोग करने के लिए वितरण कब होगा तथा क्या इस का मूल्य सौफ्ट कोक से कम होगा ?

†श्री के० दे० मालवीय : कहां पर ?

†श्री सोनावने : अंकलेश्वर से ।

†श्री के० दे० मालवीय : अंकलेश्वर की गैस का उपयोग दो से चार वर्षों में होगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार का विचार नहरकटिया में गैस प्रभाजन संयंत्र बनाने के लिए ई० एन० आई० से मिलने वाले १०००.० लाख डालर के ऋण में से कुछ धन व्यय किया जायेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** गैस प्रभाजन संयंत्र बनाने की योजना है । संभवतया यह नहर-कटिया से सम्बन्धित नहीं है ।

शस्त्रों संबंधी नियम

†*६८६. { **श्री हेमराज :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १४ अगस्त, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बीच भारतीय शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाने में क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** नियमों का मसौदा तैयार किया जा चुका है और राज्य सरकारों को उन के मत के लिये भेजा गया है । नियमों के प्राप्त हो जाने के पश्चात् शीघ्र ही शीघ्र उन को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

†**श्री हेमराज :** शस्त्र अधिनियम तीन या चार वर्ष पहले पारित किया गया था । परन्तु नियमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । नियमों को अन्तिम रूप देने के लिये कितना अधिक समय लगेगा ?

†**श्री दातार :** अधिनियम संसद् के द्वारा दिसम्बर, १६५६ में पारित किया गया था । उस के तुरन्त पश्चात् नियमों का मसौदा तैयार किया गया था और हमने वे विभिन्न राज्य सरकारों को भेज दिये हैं । अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं ।

†**श्री हेमराज :** क्या राज्य सरकाल को शीघ्र उत्तर देने के लिये कहा गया है ?

†**श्री दातार :** जी हां, कई बार ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** हम जो अधिनियम पारित करते हैं, नियम उन के अंगभूत हिस्से होते हैं । मैं नहीं समझ सकता कि जब नियम नहीं हैं तो अधिनियम कैसे रह सकता है ।

†**श्री दातार :** १६२० के नियम अभी लागू हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** एक नये अधिनियम के लिये नये नियमों की जरूरत है । एक नया अधिनियम अपने नियमों के बिना कैसे हो सकता है और यह पुराने नियमों के अधीन कैसे काम चला सकता है ?

†**श्री दातार :** जब तक पुराने नियमों के स्थान पर नये नियम न रख दिये जायें, वे लागू रहते हैं ।

†**श्री तंगामणि :** अधिनियम १६५८ में पारित किया गया था । वे नियम बनाने के लिये कितना और समय लेने का इरादा रखते हैं । तीन से अधिक वर्ष बीत चुके हैं । मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष भी यह प्रश्न उठाया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दातार : अधिनियम दो वर्ष पहले ही पारित किया गया था। परन्तु हम उन से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे जल्दी से जल्दी नियमों के बारे में अपने मत भेज दें।

†श्री आचार : किन राज्यों ने उत्तर दे दिये हैं और किन राज्यों ने नहीं दिये हैं? क्या मैसूर ने उत्तर भेज दिया है?

†श्री दातार : उत्तर नहीं भेजा।

†श्री हेमराज : वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत हम ने लाइसेंस देने के बारे में अफसरों की शक्तियों को बढ़ा दिया है। पुराने नियमों के अन्तर्गत वे अफसर लाइसेंस देने के बारे में बहुत कड़े थे। और वे लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को वर्तमान अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार काम करने के लिये हिदायतें देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

†श्री दातार : हम ने राज्य सरकारों को सूचित कर दिया है कि उन को सुरक्षा की सामान्य शर्तों के अन्दर, शस्त्र रखने के लिये लाइसेन्स देने के बारे में नियमों का उदारतापूर्वक पालन करना चाहिये।

†श्री ब्रजराज सिंह : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। मंत्री जी मानते हैं कि अधिनियम दो वर्ष पहले पारित किया गया था। उस अधिनियम के अन्तर्गत, हम ने लोगों को लाइसेंस देने के बारे में शर्तें नर्म कर दी थीं। पुराने नियमों में कुछ ऐसी बातें हैं जिन के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करने के प्रार्थी का कुछ दर्जा होना चाहिये। वे नियम अभी लागू हैं। जब तक वे नियम रद्द न कर दिये जायें नया अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता।

नियम बनाना भारत सरकार की शक्ति के अन्दर है। राज्य सरकारों का इन से कोई संबंध नहीं होता। उन के मत पूछे जा सकते हैं। परन्तु भारत सरकार को नियम बनाने होते हैं। नियम बनाये बिना नया अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता। जनता को कठिनाई हो रही है।

†श्री दातार : माननीय सदस्य ने उत्तर नहीं सुना। हम ने नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है और वह राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

†श्री ब्रजराज सिंह : हम मसौदा नहीं, वास्तविक नियम चाहते हैं।

†श्री दातार : राज्य-सरकारों के मत आने के पश्चात् उन को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

†श्री ब्रजराज सिंह : बात यह है—

†अध्यक्ष महोदय : मैं ने औचित्य प्रश्न सुना है। केन्द्रीय सरकार नियमों और विनियमों को कार्यान्वित करने का अभिकरण नहीं है। इस काम के लिये राज्य-सरकारों के अभिकरण का उपयोग करना होगा। इसलिये उन को उन के मत पूछने के नियमों का मसौदा भेज दिया गया है, ताकि उन से पूछा जाये कि क्या उन को कार्यान्वित करने में उन्हें कोई व्यावहारिक कठिनाई अनुभव होती है। केन्द्रीय सरकार केवल नियम बना सकती है। उन की कार्यान्विति राज्यों का काम है। यदि कोई कठिनाई आती है तो राज्य-सरकारों को उस का निबटारा करना होगा। इसलिये नियमों का मसौदा विभिन्न राज्यों को उन के मत के लिये भेजा गया है।

इस मामले में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। राज्यों ने अपने उत्तर नहीं भेजे हैं। मा० सदस्य मा० मंत्री को कह सकते हैं कि वे उन को शीघ्र उत्तर भेजने के लिये अनुस्मारक भेजें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या उत्तर प्राप्ति के लिये कोई अवधि-सीमा निश्चित नहीं की गई। हम ने १९५८ में अधिनियम पारित किया था। अब १९६१ है और १९६२ आ रहा है। यदि इतना विलम्ब हो गया तो अधिनियम का क्या उपयोग है ? यह १९५८ में पारित किया गया था।

†**श्री दातार** : अधिनियम दिसम्बर १९५९ में पारित किया गया था। जनवरी, १९६० में हम ने नियमों का मसौदा भेजा था और उन के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब तक नये नियम न बनाये जायें, पुराने नियम जारी रहेंगे।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : बात यह है कि नये अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस देने के बारे में शर्तें नर्म कर दी गई हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मा० सदस्यों ने यह आग्रह क्यों नहीं किया कि अधिनियम के साथ ही नियम बनाये जाते। (**अन्तर्बाधायें**)

राज्यों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए नियम बनाने पड़ते हैं। विभिन्न राज्यों से मत इकट्ठे करने हैं।

मा० सदस्य यह अनुभव करते हैं कि नये नियमों में लाइसेंस देने के बारे में शर्तें नर्म हैं, जो लागू नहीं की गयीं और तब तक के लिये पुराने नियम जारी हैं। यदि नये नियम न होने के कारण पुराने नियम जारी रहते हैं तो इस का यह अर्थ होगा कि कितने ही वर्षों तक अधिनियम कार्यान्वित नहीं होगा और कई वर्षों तक अधिनियम बेकार रहेगा। इसलिये वे शीघ्र ही नये नियम बनाये जाने के लिये उत्सुक हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : पुराने अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस देने वाले अफसरों को व्यापक स्वविवेक प्राप्त है। नये अधिनियम में इस स्वविवेक को हटाने का उपबन्ध है। निर्वाचन समीप आ रहे हैं और अफसर अपने लोगों को लाइसेंस देने के लिये अपने स्वविवेक का उपयोग कर रहे हैं। अधिनियम अमल में नहीं लाया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य यह नहीं कहते कि जब वे निर्वाचन में खड़े हों तो उन की जेबों में रिवाल्वर होने चाहियें, तो यह कहने का क्या लाभ है ?

†**श्री दातार** : मैं राज्य सरकारों से शीघ्र उत्तर भेजने की प्रार्थना करूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं निर्वाचनें की बात करने के लिये प्रत्येक अवसर का प्रयोग करने की इस प्रवृत्ति का विरोध करता हूं। यदि अधिकतर लोगों को रिवाल्वर दिये जायें तो मा० सदस्य निर्वाचन के लिये खड़े नहीं हो सकेंगे। जितनी रफलें कम हों, उतना ही उत्तम है।

†**सरदार हुक्म सिंह** : अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि क्या नये अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाने में कुछ विलंब हुआ है। संभवतः इस मामले में भी, इस बात का ध्यान रखा गया था।

हम ने अवधि-सीमा निर्धारित की है कि नियम बनाने में छः महीनों से अधिक विलम्ब नहीं होना चाहिये। उस मामले में भी छः महीने का विलम्ब भी असाधारण होता है और इस का स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिये। मुझे इस विशिष्ट अधिनियम का पता नहीं, परन्तु मैं पता करूंगा। मैं ने ध्यान दिया है और मैं बाद में संसद् को बताऊंगा कि यह विलम्ब क्यों हुआ है, और क्या पुराने अधिनियम के नियमों ने कुछ कठिनाई पैदा की है। हम स्थिति का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय मंत्रियों को सामान्य सुझाव दूंगा कि जब कभी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन नियम बनाने पड़ेंगे, तो यह वांछनीय है कि राज्य-सरकारों का भी परामर्श लिया जाना चाहिये। परन्तु अधिनियम पारित किये जाने के पश्चात् अवधि-सीमा होनी चाहिये, छः महीने भी। अन्यथा यह बेकार हो जायेगा। यदि नियम बनाये जाते हैं, राज्य-सरकारों को भेजे जाते हैं, और उस के बाद इस अवधि के अन्दर उन को अन्तिम रूप दिया जाये तो इस से लाभ होगा। नियमों के बारे में कोई लाभ नहीं क्योंकि समय समय पर नियम बनाने के लिये मा० मंत्रियों को सभा के सामने आने की जरूरत नहीं। वे नियम बना कर सभा पटल पर रख सकते हैं। नियमों के अन्तर्गत इतना लचीलापन होता है। यदि व्यवहार में कुछ नियम कठिन अनुभव होते हैं, तो उन को अमल में आने दो। इस के पश्चात् समय समय पर उन में परिवर्तन किया जा सकता है। समिति का सभापति भी छः महीने से परे समय-सीमा को न बढ़ाने का आग्रह करेगा।

†**सरदार हुक्म सिंह** : हम ने तीन महीने की सीमा का सुझाव दिया था, किन्तु मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति की कि कुछ अवसरों पर तीन महीनों में उन को अन्तिम रूप देना व्यावहारिक या संभव नहीं होगा। इसलिये हम ने अब सीमा रख दी है और सरकार ने उसे मान लिया है कि किसी भी हालत में यह छः महीनों से नहीं बढ़नी चाहिये।

†**श्री त्यागी** : क्योंकि आप ने इस के बारे में संव्यवस्था कर दी है, इस लिये सरकार को समाज्ञा के तौर पर इस का पालन करना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने उन से प्रार्थना कर दी है।

उत्तर प्रदेश--बिहार सीमा

*६८७. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगा तथा घाघरा नदियों के बहाव के कारण बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों के बीच जो सीमा संबंधी विवाद हो गया है उस को सुलझाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये और अब मामला किस स्थिति में है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : दोनों राज्य-सरकारों के मुख्य-मंत्रियों ने प्रधान मंत्री से अनुरोध किया है कि वे गंगा और घाघरा नदियों के साथ २ पक्की सीमा निर्धारित करने के लिये एक मध्यस्थ नियुक्त कर दें। राज्य सरकारें मध्यस्थ को निर्णय के लिये सौंपे जाने वाली समस्याओं को अन्तिम रूप दे रही हैं। इस के बाद अगली कार्यवाही की जायेगी।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री के पास इस प्रकार की प्रार्थना बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने कब भेजी थी और क्या प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में किसी मध्यस्थ को नियुक्त करने का कार्य किया है और अगर नहीं किया है, तो कब तक उसकी नियुक्ति हो जायेगी ?

†**श्री दातार** : यह प्रश्न विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन था। अन्त में दो मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री से मिले। फिर, मध्यस्थ की नियुक्ति होने से पहले, झगड़े वाली बातों का निर्णय होना था और इसी कारण हमने निर्देश पदों के बारे में राज्य-सरकारों का मत जानने के लिए दो राज्य-सरकारों को लिखा था।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा-विवाद के झगड़े का मूल आधार क्या है ? कौन-कौन सी बातें मतभेद की हैं जिनका सुलझाना कठिन हो गया है ?

†**श्री दातार :** निदेश-पद निश्चित होते ही सारी बात स्पष्ट हो जायगी ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** मैं दो सरकारों के बीच विवादास्पद बातें जानना चाहता हूं ।

†**श्री दातार :** विवादास्पद बातें निम्न हैं :—

घाघरा और गंगा नदियों के बहाव में परिवर्तन जिसके कारण किनारे के कुछ गांव दूसरी ओर चले गये हैं । अतः दोनों सरकारें एक निश्चित सीमा-रेखा रखने के लिए इच्छुक हैं ।'

†**श्री कमल सिंह :** जो नदी दोनों में से किसी भी सरकार के उचित क्षेत्राधिकार में नहीं है उसको दोनों ओर के बड़े बड़े क्षेत्र हैं और मामले के अन्तिम रूप से निश्चित होने तक प्रवृत्ति यह है कि क्षेत्र के असैनिक प्रशासन पर कोई भी सरकार उचित ध्यान नहीं देती ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सभी सीमान्त विवादों में यह झगड़ा है ।

†**श्री कमल सिंह :** अन्तिम निश्चय होने तक सरकार इन क्षेत्रों के विकास के लिए क्या करना चाहती है ?

†**श्री दातार :** इस सीमा-रेखा का निश्चय करने के लिए दोनों सरकारों के पास कुछ सामग्री है । जब वे स्वयं विभिन्न स्तरों पर इसका निश्चय नहीं कर सके, तो प्रधान मंत्री से प्रार्थना की गई । उन्होंने कहा कि यदि दोनों सरकारें निदेश-पद निश्चित कर लें, तो वह मध्यस्थ नियुक्त कर देंगे । मामला अब इस अवस्था में है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का प्रश्न और है । यही कठिनाई आन्ध्र और मद्रास के बारे में उठी थी । झगड़ा रहते हुए, वहां के गांवों के की ओर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया । स्वभाविक है कि गांव जिधर भी रहते हैं, उधर ही गांवों की देखभाल होनी चाहिये ।

†**श्री दातार :** मैं समझ गया । मुझे विश्वास है कि दोनों सरकारें सारे गांवों की ओर पूरा ध्यान दे रही हैं । इन गांवों में विवादास्पद गांव भी शामिल हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह इतना न करें । दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं देती । यही होता है ।

†**श्री दातार :** मामला शीघ्र सुलझाने में इस बात का ध्यान रखा जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री उन्हें पत्र लिख सकते हैं ।

†**श्री त्यागी :** क्या विवादास्पद पट्टी कृषि-भूमि है या उसमें कुछ गांव भी हैं ? यदि इसमें कुछ ग्रामीण जनसंख्या भी है, तो क्या अन्तिम निश्चय से पहले उनकी अनुमति ली जायेगी या उन पर निश्चय लाद दिया जायेगा ?

†**श्री दातार :** मध्यस्थ इन सब प्रश्नों पर विचार करेंगे । जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है, मध्यस्थ उस पर भी विचार करेगा । यह केवल भूमि ही नहीं है अपितु इसमें गांव भी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी : क्या इसमें गांव की भूमि है या गांव की आबादी भी है ?

†अध्यक्ष महोदय : उनका क्या अर्थ है ? उन्होंने कहा है कि गांव भी शामिल हैं। गांव का अर्थ है झोंपड़ियां, और यदि वहां झोंपड़ियां हैं तो व्यक्ति भी हैं।

†श्री नरसिंहन् : क्या सरकार प्रभावित आबादी के बारे में बता सकती है ?

†श्री दातार : यह संभव नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

तेल की पाइप-लाइनें

†*६८८. { +श्री कोडियान :
श्री साधन गुप्त : }

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये समस्त देश में पाइप-लाइनों का जाल बनाने की योजना पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). अगस्त, १९६१ में इटली के ई० एन० आई० के साथ भारत सरकार के हुए करार की शर्तों में ई० एन० आई० ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव दिया है। बरौनी से दिल्ली और बरौनी से कलकत्ता तक दो पाइप-लाइनों के बारे में टेन्डर के कागजात तैयार करने का भी प्रस्ताव दिया है। सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। परियोजना रिपोर्ट आने के बाद और आगे निश्चय किया जायेगा।

नूनमती और सिलीगुरी के बीच एक उत्पाद पाइप-लाइन बनाने के प्रारम्भिक परियोजना-अध्ययन तैयार करने के लिये अमरीका के मेसर्स बेबरल कारपोरेशन से भी प्रस्ताव मिला है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

†श्री कोडियान : इन पाइप-लाइनों के डालने पर लगभग कितना व्यय होगा ?

†श्री के० दे० मालवीय : अभी परियोजना रिपोर्ट तो आने दीजिये।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रख कर कि कलकत्ता-बरौनी-दिल्ली की यह उत्पाद पाइप-लाइन ई० एन० आई० के सहयोग से बनेगी, मैं जानना चाहता हूं कि यह सहयोग टेक्निकल होगा या वित्तीय ?

†श्री के० दे० मालवीय : इटली की फर्म टेक्निकल सहायता देगी और उन्होंने हमें जो ऋण दिया है वह इस पाइप-लाइन को बनाने पर व्यय होगा ।

†श्री हेम बरुआ : मैंने "सहयोग" शब्द इस दृष्टि से किया था कि ई० एन० आई० १० करोड़ डालर का हमें ऋण दे रही है। मैं जानना चाहता था कि क्या इसका कोई भाग पाइप-लाइन के निर्माण पर व्यय होगा ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं भी यही कहता हूँ। यदि सरकार परियोजना रिपोर्ट स्वीकार कर लेती है, तो इस ऋण का उपयोग किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऋण और सहयोग भिन्न-भिन्न बातें हैं।

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह सहयोग नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : यह कितने इंच की पाइप होगी और क्या यह एग्जेमिन किया गया है कि इसके जरिये आयल प्रोडक्ट्स को ले जाना ज्यादा इकोनोमिकल होगा बनिस्वत रेल के ?

श्री के० दे० मालवीय : पाइप-लाइन से जब पैट्रोलियम प्राडक्ट्स को भेजा जाता है तो वह रेलवे से ज्यादा इकोनामिकल होता ही है।

अध्यक्ष महोदय : पाइप कितने इंच का होगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हम परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : पाइप-लाइनों द्वारा तेल के परिवहन में कौन देश सर्वाधिक उन्नत है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह काम बहुत से देश कर रहे हैं और उनमें इटली भी है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या नूनमती-बरौनी पाइप-लाइन कहीं कहीं पर पाकिस्तान की सीमा से पांच मील से भी कम दूरी पर है ? मैं उनसे आश्वासन लेना चाहता हूं कि . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल में कोई आश्वासन नहीं लिया जा सकता।

अगला प्रश्न।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्रश्न संख्या ६६१ और ६६७ का भी इसी के साथ उत्तर दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या ६८६, ६६१ और ६६७।

तेल के मूल्य

+

†*६८६. **श्री कोडियान** :
श्री वारियर :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गैर-सरकारी तेल समवायों के साथ हुए तदर्थ मूल्य करार की अवधि को पुनः बढ़ाने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी अवधि के लिये ; और

(ग) गैर-सरकारी तेल समवायों के साथ मूल्य करार करने के लिये बातचीत कब प्रारम्भ किये जाने की आशा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). गैर-सरकारी तेल समवायों के साथ हुआ सरकार का तदर्थ मूल्य करार ३०-६-१६६१ को समाप्त हो गया था। २-८-१६६० को सरकार ने उन सिद्धान्तों और तत्वों की जांच करने के लिए, जिनके अनुसार देश में पैट्रोलियम

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादों के मूल्य निर्धारित होने चाहियें, तेल-मूल्य जांच समिति (दामले समिति) नियुक्त की थी। समिति को १९-७-१९६१ को सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी। उसकी सिफारिशें १-१०-१९६१ से लागू कर दी गईं। अतिरिक्त-अप्राप्य शुल्क दामले समिति द्वारा प्रस्तावित मूल्य में कमी करने को पूरा करने के लिए लगाए गये। अतः मूल्यों के बारे में गैर-सरकारी तेल समवायों के साथ बातचीत करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के मूल्य

†*६९१. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बर्मा आयल कम्पनी ने पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मूल्य बढ़ा दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) हां, श्रीमान्।

(ख) १-१०-१९६० से विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के शुल्क-दरों को दशमिक प्रणाली में बदलने के फलस्वरूप इन में कुछ सीमान्त हेर-फेर करना आवश्यक हो गया। प्रत्येक उत्पाद की ठीक मात्रा निर्धारित करने के लिए तेल समवायों और सरकार सम्बन्धित विभिन्न विभागों के बीच चर्चा हुई। इन बातचीतों के समाप्त होने पर, सारे तेल समवायों [बरमा आयल कम्पनी (भारत व्यापार) लि० सहित] को १-१०-१९६१ से उत्पादों के उच्चतम विक्रय मूल्यों में हेर-फेर करने का अधिकार दिया गया। इस के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में बहुत कम वृद्धि हुई।

दामले समिति का मूल्य सूत्र

†*६९७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी तेल कम्पनियों के द्वारा दामले समिति के मूल्य सूत्र को मानने से इनकार किये जाने के बारे में क्या स्थिति है;

(ख) उन के प्रति प्रस्ताव क्या हैं; और

(ग) उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

१-१०-१९६१ से तेल मूल्य जांच समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने का सरकार के निश्चय के बाद तीन बड़ी तेल कम्पनियां, अर्थात् बरमा शेल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, स्टेंडर्ड वेक्वाम आयल कम्पनी एण्ड काल्टेक्स (इंडिया) लिमिटेड, ने सरकार से अभ्यावेदन किया था कि विदेशों में उन को माल भेजने वाले तेल मूल्य जांच समिति के सिफारिशशुदा घटे मूल्य पर अभाव वाले पेट्रोलियम उत्पाद भेजने में

---

†मूल अंग्रेजी में

असमर्थ हैं। सरकार के उपरोक्त निश्चय का एक या दो वर्ष बाद पुनरीक्षण होना था। इसलिए अभाव वाले पेट्रोलियम उत्पादों का आयात पूरे मूल्य पर ही किया जा सकता था। तेल समवायों ने अपने तेल शोधक कारखानों में अशोधित तेल का "थ्रू पुट" बढ़ाने का विचार है ताकि विद्यमान विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार हो। विस्तृत जांच के बाद, तेल समवायों को सूचित किया गया है कि :—

(१) दामले समिति द्वारा मूल्यों में कमी करने का प्रस्ताव का जो सरकार ने अतिरिक्त (अप्राप्य) शुल्क लगा कर लागू किया है, सभी पेट्रोलियम उत्पादों के लिए, जिन में आयात किये गये तथा स्वदेशीय उत्पाद सम्मिलित हैं, पालन अवश्य होना चाहिये;

(२) इस संभावना का ध्यान रखकर कि दामले समिति द्वारा निर्धारित कम मूल्य पर संभरण करने के प्रबन्ध में कम्पनियों को तत्काल कठिनाई हो सकती है, सरकार को चालू अर्ध-वर्ष, अर्थात् अक्टूबर, १९६१—मार्च, १९६२ के लिए निश्चित विदेशी मुद्रा का प्रयोग अधिकतम अनुकूल मूल्यों पर अपना माल खरीदने के लिए करने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये अनुकूल मूल्य उन्हें अपने पुराने साधनों या अन्य किसी साधन से प्राप्त हो सकते हैं;

(३) सरकार को विश्वास है कि इस ढील से समवाय अभाव वाले उत्पाद आशातीत मात्रा में प्राप्त कर सकेंगे; फिर भी, यदि किसी उत्पाद के अभाव की शंका है, तो समवाय इस बात की सूचना सरकार को समय पर देंगे ताकि इस स्थिति का सामना करने के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध करने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा सके;

(४) समवायों का अपने तेल शोधक कारखानों में "थ्रू पुट" बढ़ाने के प्रस्ताव से अन्य बहुत सी बातें पैदा होती हैं और यदि कोई अभाव होता है, तो उसे पूरा करने के संभावित अन्य विकल्पों के अलग विचार करने की आवश्यकता है।

२. उपरोक्त निश्चय के फलस्वरूप, दामले समिति ने मूल्य कम करने का जो प्रस्ताव किया है वह अभी तक लागू है। कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया है और समवायों ने कुछ मत प्रकट किये हैं। ये सब विचाराधीन हैं। इसी बीच, समवायों ने आश्वासन दिया है कि अभाव वाले उत्पादों के आयात में कोई रुकावट नहीं होगी। इस प्रकार उन्हें उपलब्ध की गई 'मुक्त' विदेशी मुद्रा से ही आयात होता रहेगा। अशोधित तेल का "थ्रू पुट" बढ़ाने पर अलग विचार हो रहा है।

†**श्री कोडियान** : क्या इस का यह अर्थ है कि तेल के मूल्यों का दामले समिति के सिद्धान्त को तेल समवायों ने बिना शर्त के मान लिया है या उन्होंने कोई शर्त रखी है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान सभा में अपने पिछले दिन के वक्तव्य की ओर आकर्षित करता हूं। इस में तेल के मूल्यों के बारे में सरकार ने निश्चय किया था और वह तेल कम्पनियों को बताया था। यह सुविदित है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों के प्रचलित मूल्य दामले समिति की सिफारिशों के अनुसार हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि अक्टूबर, १९६१ से मार्च, १९६२ तक तेल समवायों को अधिकतम अनुकूल मूल्यों पर पेट्रोलियम उत्पाद आयात करने की

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुमति दी जा रही है, कम मूल्य पर आयात करने की अनुमति नहीं दी जा रही। क्या हम यह समझें कि मार्च, १९६२ के बाद यह छूट भी वापस ले ली जायेगी? अभी तो लगता है कि यह रियायत है।

†**श्री के० दे० मालवीय**: हां, यदि हम इसे रियायत कहें तो यह कुल विदेशी मुद्रा के प्रयोग के बारे में रियायत ही है। सरकार ने इस सम्बन्ध में यह ढील दी है कि कुल विदेशी मुद्रा वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी उत्पाद को खरीदने में कर सकते हैं, बशर्ते कि उस उत्पाद के लिए आवंटित विदेशी मुद्रा से वह उत्पाद खरीदने में कोई कठिनाई हो। अतः सरकार ने यह किया है कि सारा धन एक जगह रख दिया है और उन्हें कह दिया है कि वे उस का किसी भी प्रकार प्रयोग कर सकते हैं।

†**श्री हेम बरुआ**: यदि दामले समिति की सिफारिशों को लागू करने में तेल समवाय आपति करें, तो क्या सरकार का विचार उन्हें रास्ते पर लाने के लिए अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के उपबन्धों का सहारा लेने का हैं?

†**श्री के० दे० मालवीय**: जो बात आज हमारे सामने नहीं है, उसे हम क्यों सोंचें? हमें अच्छी उम्मीद करनी चाहिये।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव**: श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के प्रश्न के उत्तर में लगाये गये विवरण के अन्तिम वाक्य में कहा गया है:

"कच्चे तेल के 'थ्रू पुट' बढ़ाने के प्रश्न पर अलग से विचार किया जा रहा हैं।"

क्या मैं यह समझूं कि इन विदेशी तेल शोधक कारखानों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

†**श्री के० दे० मालवीय**: तेल समवायों ने तेल शोधक कारखानों में "थ्रू पुट" बढ़ाने के प्रस्ताव दिये हैं, और सरकार ने सदैव वह विचार व्यक्त किया जिसे माननीय सदस्य भली भांति जानते हैं कि इस प्रश्न को अलग से लिया जाये। यदि ऐसा होता है, तो सरकार अवश्य ही उसकी विशेषताओं पर विचार करेगी।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव**: एक दिन माननीय मंत्री ने कहा था वे इन विदेशी तेल शोधक कारखानो की क्षमता नहीं बढ़ायेंगे। यह बात कैसे मिलती है?

†**श्री के० दे० मालवीय**: मैं ने कहा था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में विद्यमान क्षमताओं को हम ने निर्धारित कर दिया है। यदि कोई और प्रस्ताव हो, तो हम निश्चच ही उस पर विचार करेंगे।

†**श्री हेम बरुआ**: क्या सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों के संभरण के बारे में कोई शंका हैं और यह भी विचार है कि शोधित उत्पादों के लिए छूट न मिले? यदि हां, तो क्या सरकार तेल समवायों के तर्क से सन्तुष्ट है?

†**श्री के० दे० मालवीय**: श्रीमन् मैं उत्तर देने में असमर्थ हूं।

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नहरकटिया की प्राकृतिक गैस

†*६७७. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ४ सितम्बर, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार ने इस बीच उन परियोजनाओं पर निर्णय कर लिया है जिन की सिफारिश नहरकटिया को प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिये की गई है;

(ख) फर्नेस ब्लैक, पोलीथिलीन और सिस-४-पोलीब्यूटेडीन का निर्माण करने वाले कारखानों में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा; और

(ग) नहरकटिया तेल क्षेत्रों से सम्बद्ध (एसोसिएटेड) और नान-एसोसिएटेड (असम्बद्ध) गैस की क्या मात्रा है जो उपयोग न किये जाने के कारण बेकार जा रही है?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) नहरकटिया की प्राकृतिक गैस के उपयोग सम्बन्धी विशेष समिति की सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली थीं।

(ख) आशा है कि १६६२ के अन्त तक या १६६३ के आरम्भ में फर्नेस ब्लैक संयंत्र में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। पोलीथिलीन और सिस-४-पोलीब्यूटेडीन की पूर्ति की अभी कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती।

(ग) आयल इंडिया लिमिटेड के बनने से अर्थात् १८-२-१६५६ से सम्बद्ध और असम्बद्ध गैस की मात्रा निम्न है :—

		(लाख घन फुट में)	
	१६५६	१६६०	१६६१ (सितम्बर तक)
सम्बद्ध	८१०	१२३०	१६८०
असम्बद्ध	२	१७०	७०

स्कूल अध्यापकों के बच्चों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†*६७८. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री बं० च० मलिक :

क्या शिक्षा मंत्री ३० अगस्त, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां देने के बारे में राज्य सरकार से सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार दी गयी छात्रवृत्तियों का क्या ब्यौरा है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) हां, श्रीमान्, जम्मू तथा काश्मीर और राजस्थान राज्यों को छोड़ कर जिन्हें स्मरणपत्र भेज दिया गया है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८२]

तेल को साफ करने की लागत

†*६७६. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में तेल को साफ करने की लागत के बारे में कोई मूल्यांकन कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) अभी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बहरे तथा गूंगे व्यक्तियों को रोजगार

†*६८४. { श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा बहरे, लंगड़े और गूंगे व्यक्तियों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

दूसरी पंचवर्षीय योजना में, भारत सरकार ने शारीरिक अपाहिजों के लिये विशेष काम दिलाऊ दफ्तर खोलने की योजना आरम्भ की थी । ऐसे दफ्तर अभी बम्बई, दिल्ली और मद्रास में खोले गये हैं ।

इस के अतिरिक्त सामान्य काम दिलाऊ दफ्तरों को अनुदेश दे दिये गये हैं कि वे शारीरिक अपाहिजों की विशेष सहायता करें । ये भी अनुदेश दिये गये हैं कि ऐसे अपाहिजों की, जिन की शारीरिक अपाहिजों के विशेष काम दिलाऊ दफ्तर से सम्बद्ध चिकित्सा बोर्ड ने परीक्षा की हो, और स्वस्थ प्रमाणित किया हो, काम देने वाले विभागों द्वारा और चिकित्सा जांच नहीं होनी चाहिये ।

कानपुर का युद्ध सामग्री कारखाना

†*६९०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर के युद्ध सामग्री कारखाने के विस्तार के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विस्तार कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) १९६०–६१ में १९५९–६० को तुलना में कैसा उत्पादन रहा।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) कानपुर में आयुध कारखाने का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, धातुमिश्रित पदार्थ तथा विशेष इस्पात संयंत्र स्थापित करने की परियोजना रिपोर्ट, जिसे आयुध कारखानों के महा निदेशक ने तैयार किया है, अब प्राप्त हो गई है और सरकार के विचाराधीन है। यह एक अलग कारखाना होगा।

(ख) धातुमिश्रित पदार्थ और विशेष इस्पात की ५०,००० टन की वार्षिक क्षमता का संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) कानपुर के आयुद्ध कारखाने में १९६०–६१ में १९५९–६० की अपेक्षा लगभग ११ प्रतिशत उत्पादन बढ़ गया है।

कलकत्ता के निकट विमान दुर्घटना

†*६६२. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री अगाड़ी :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १२ अक्तूबर, १९६१ को भारतीय विमान बल का एक डकोटा विमान कलकत्ता के निकट महेश (सैरामपुर) के बोसपाड़ा क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितनी जन तथा सम्पत्ति की क्षत्ति हुई; और

(ग) इस दुर्घटना का कारण क्या था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). भारतीय विमान बल के ३ अधिकारी और दो स्थानीय व्यक्ति मारे गये। दुर्घटना की जांच के लिये एक जांच न्यायालय बनाया गया है। यदि दुर्घटना का कारण गवाही से नहीं निकलता है तो वह जांच के समाप्त होने पर ही ज्ञात होगा।

अंकलेश्वर का तेल

†*६६३. **श्री सुगन्धि** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंकलेश्वर खनिज तेलों का शोधन कार्य किस तिथि को आरम्भ किया गया था;

(ख) नवम्बर, १९६१ के अन्त तक विभिन्न प्रकार के उत्पादित ईंधन की मात्रा कितनी है; और

(ग) क्या अब तक की गई प्रगति पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) अंकलेश्वर के तेल का शोधन अभी आरम्भ नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

इस्पात उद्योग के लिये संगठन

†*६६४. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ६ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग के लिये स्थापित किये जाने वाले संगठन के स्वरूप से संबंधित मामले पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

शिक्षा विकास निधि में अंशदान

†*६६५. श्री प्र० गं० देब : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने यूनेस्को की शिक्षा विकास निधियों में कोई अंश दान किया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा इस निधि का प्रशासन क्यों नहीं किया जा रहा है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत सरकार ने १० लाख रुपये का स्वेच्छिक वित्तीय अंशदान देने का निश्चय कर लिया है सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि अफ्रीका में सदस्यों तथा सम्बद्ध सदस्यों को वित्तीय सहायता के लिये यूनेस्कों के आपातिकालीन प्रोग्राम के लिये पांच छात्रवृत्तियां (फैलोशिप) दी जायें । ये छात्रवृत्तियां १९६१--६३ के तीन वर्षों के लिय शिक्षा के विकास के लिये होंगी ।

(ख) सरकार ने संगठन द्वारा बनाये गये आपत्तिकालीन प्रोग्राम के लिये युनेस्को को स्वेच्छिक अंशदान दिया है, इस लिये अपने अंशदान का स्वयं प्रशासन करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । फिर भी, यूनेस्को इस अंश दान का प्रोग्राम सरकार के परामर्श से करगा ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में विद्युत संयंत्र

†*६६६. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने में एक और विद्युत यंत्र लगाने के लिये कनाडा की सहायता प्राप्त करने के लियं प्रार्थना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता मांगी गई है और उसके बारे में क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

ऋण दासता[1]

†*६९८. डा० सुशीला नायर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर में "जीठा" या ऋण दासता की प्रथा अभी भी प्रचलित है और ९ वर्ष या उससे ऊपर की आयु वाले बहुत से हरिजन तथा दूसरे बच्चे इस प्रकार को दासता के शिकार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस अवान्छनीय प्रथा को शीघ्र समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जाने का विचार किया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयोग को कुछ गैर सरकारी लोगों ने मैसूर राज्य में इस प्रथा के प्रचलन के बारे में सूचित किया था और आयोग ने जांच करने तथा आवश्यक कार्यवाही करने के लिये इस की सूचना राज्य सरकार को दी है। भारत सरकार ने राज्य सरकार से ब्योरा मांगा है।

भारत के लिये अमरीकी शिक्षा संघ[2]

†*६९९. श्रीमती रेणुका राय : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की सहायता करने के लिये अमरीका में, प्रधान मंत्री की यात्रा की स्मृति के तौर पर, एक अमरीकी शिक्षा संघ स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संगठन की कार्यवाहियां क्या हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी हां।

(ख) शिक्षा संघ भारतीय औद्योगकीय संस्था कानपुर की स्थापना में सहायता करेगा।

तेल और गैस के रक्षित भंडार

†*७००. { श्री याज्ञिक :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१ में आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा पूर्ण की गई सफल प्रयोग श्रृंखला की दृष्टि से, हाल में तेल और गैस के रक्षित भंडारों के अनुमानों का पुनर्विलोकन किया गया है ; और

(ख) रक्षित भंडारों के (प्रदेशवार) पुनर्रक्षित अनुमान क्या हैं ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Debt Bondage.

[2]U. S. Educational Consortium for India.

(ख) ३०–६–६१ को ग्रायल इंडिया लिमिटेड के क्षेत्रों अर्थात् आसाम में नाहर कटिया, हुगरीजन और मोरात में (प्रमाणित तथा संकेतिक) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैसों के रक्षित भंडारों का क्रमश: ४८१ लाख टन और ७४०, ४२८० लाख क्यूबिक फुट अनुमान लगाया गया था। आसाम आयल कम्पनी के क्षेत्रों में रक्षित भंडारों का अनुमान कच्चे तेल का २३.१० लाख टन से ३०.८लाख टन तक और प्राकृतिक गैस का ३००,००० लाख से ४००,००० लाख क्यूबिक फीट तक था। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्र के रक्षित भंडारों का अभी अनुमान लगाना है।

प्रबन्ध कर्मचारियों का प्रशिक्षण

†*७००-क. श्री अरविन्द घोषाल : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रबन्ध कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये कोई संस्था स्थापित करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और क्यों ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख). जी हां। प्रबन्ध सम्बन्धी उच्च प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिये कलकत्ता और अहमदाबाद में दो अखिल भारतीय संस्थायें स्थापित की जा रही हैं।

सरकारी कर्मचारियों का बीमा

†*७०१. श्री तंगामणि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा कराने के लिये सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की योजना है ;

(ग) क्या प्रीमियम वेतन से काट लेने की व्यवस्था की जायेगी ; और

(घ) क्या औद्योगिक कर्मचारियों के बीमे में ऐसी प्रथा प्रचलित है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सेना गोलाबारी अभ्यास द्वारा उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में दुर्घटना

†*७०२. श्री डा० एरिंग : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सेना द्वारा गोला बारी अभ्यास के कारण अभी हाल में उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में दारिजो में भारी दुर्घटना हुई थी और जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति तुरन्त मर गया और दो व्यक्ति बुरी तरह घायल हुये ;

(ख) यदि हां, तो क्या मृत व्यक्ति के परिवार तथा दो घायल व्यक्तियों को कोई क्षतिपूर्ति दी जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी रकम तक ; और

(घ) क्या भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें रोकने के लिये सावधानी की कोई कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) सरकार को सूचना मिली है कि दायोरिजो के समीप डोलम गांव में, आसाम राइफल्स के प्रशिक्षणार्थियों के गोलाबारी अभ्यास के दौरान, एक कारतूस गिरने के कारण, १० अक्तूबर, १६६१ को, तीन स्त्रियां घायल हो गई थीं। घायल व्यक्तियों को असैनिक अस्पताल, दायोरिजों में ले जाया गया, जहां एक स्त्री १३ अक्तूबर, १६६१ को मर गई और अन्य दो स्त्रियों को बाद में डिबरूगढ़ के असैनिक अस्पताल में भेज दिया गया।

जांच न्यायालय को आदेश दे दिया गया है और इसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग). मैदान में गोलाबारी के कारण व्यक्ति या सम्पत्ति को हुई क्षति का प्रतिकर प्रचालित प्रक्रियाओं के अनुसार और असैनिक राजस्व पदाधिकारियों की सिफारिश पर दिया जाता है। पता चला है कि सम्बद्ध व्यक्तियों के सहायतक राजनीतिक अधिकारी को दावा पेश कर दिया है।

(घ) गोलाबारी का अभ्यास करने वाली इकाइयों द्वारा रक्षा के जो उपाय किये जाने चाहिये उन के बारे में विस्तृत हिदायतें हैं और उनका हमेशा पालन किया जाता है।

खेल कूद जांच समिति

†७०३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **शिक्षा** मंत्री २२ अगस्त, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले ओलम्पिक खेलों में भारतीय असफलता व अन्य परिस्थितियों की जांच करने के बारे में जो समिति नियुक्ति की गयी थी, क्या उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) उसकी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) यदि रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है, तो इतनी देरी होने का क्या कारण है ; और

(ङ) उस समिति की रिपोर्ट के कब तक मिल जाने की आशा की जाती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जांच का जटिल स्वरूप और समिति अवैतनिक सदस्यों के अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण देरी हुई है।

(ङ) समिति के कार्य के लिये विस्तृत जांच आवश्यक है और इसमें समय लगेगा। आशा है कि १६६२ के मध्य तक समिति अपना कार्य समाप्त कर लेगी।

राष्ट्रीय जीव विज्ञान अनुसंधान संस्था

†७०४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री १४ अगस्त १६६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जीव विज्ञान अनुसंधान संस्था की स्थापना की योजना का ब्यौरा क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसकी स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). योजना का ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है, परन्तु जैनेटिक्स और बायोमेट्री सम्बन्धी अनुसंधान इकाई स्थापित कर दी गई है और प्रोफेसर जे० बी० एस० हाल्डेन इसके प्रमुख हैं।

'सामूहिक बीमा' योजना

†*७०५. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री दामानी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवनांकिकों तथा अन्य बीमा-विशेषज्ञों ने जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के सुझाव पर जिसमें 'सामूहिक बिजनेस' प्राप्त करने के लिए औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिये "सामूहिक बीमा" योजना की सिफारिश की गयी है, विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उसकी क्या राय है ;

(ग) क्या इस योजना का ठीक-ठीक रूप तैयार किया जा चुका है ; और

(घ) क्या इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). सभापति का सुझाव अभी जीवन बीमा निगम के विचाराधीन है।

(ग) इस समय सवाल नहीं उठता ।

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान

†७०६. **श्रीमती इला पाल चौधरी :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने अगले वर्ष (१९६२) में अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान में भाग लेने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने भारतीय जहाज भाग लेंगे, और

(ग) वे किस क्षेत्र में काम करेंगे ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) जी हां।

(ख) चार से छ: भारतीय जहाजों की भाग लेने की आशा है।

(ग) अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और जहां तक संभव हो भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर के कुछ क्षेत्र ।

†मूल अंग्रेजी में

कोयले का दिया जाना

†*७०७. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इस बात की ओर ध्यान देने के लिये कि उसके द्वारा तय किये गये नियतन के अनुसार ही कोयला दिया जाय, जो कार्यवाही की है उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ख) इन कार्यवाहियों में कहां तक सफलता मिली है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) कोयला भेजने में सुधार लाने के लिये निम्न उपाय किये गये हैं :—

(१) पिछली जुलाई से बंगाल बिहार क्षेत्रों से कोयले को लाने के लिये रेल परिवहन क्षमता में २०० वैगन प्रति दिन की वृद्धि कर दी गई है ।

(२) रेल द्वारा जो कुछ लाया जा सकता है उसके अतिरिक्त, देश के दक्षिण और पश्चिमी भागों को कोयला भेजने के लिये बरास्ता कलकत्ता पत्तन, रेल एवं समुद्र के मार्ग से व्यवस्था की गई है ।

(३) जिन उद्योगों की कम प्राथमिकता है, अर्थात भट्टे और अल्प स्तर उद्योग, उन के लिये ब्लाक रेकों में कोयला लाने का प्रबंध किया जा रहा है ।

(४) मध्य भारत के कोयला क्षेत्रों का तीसरी योजना में विकास किया जा रहा है ताकि पास के राज्यों को इन क्षेत्रों से अपना संभरण मिल सकें और बंगाल-बिहार के क्षेत्रों से लंबी दूर पर कोयला खेंचने की जरूरत नहीं होगी ।

(५) विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोग करने वाले केन्द्रों में कोयले के बड़े भंडार खोले जा रहे हैं ।

(६) सड़क द्वारा कोयला और सोफ्ट कोक लाने का काम बढ़ा दिया गया है ।

(७) कोयला लादने का दैनिक लक्ष्य १९६१ में ६५३५ वैगन था, जो अब बढ़ाकर १९६२ में ६९२५ वैगन किया जा रहा है ।

(ख) इन सब उपायों के परिणामस्वरूप, कोयले को ढोने का काम १९६० के पहले ९ महीनों में ३३९ लाख टन से बढ़ा कर के १९६१ के पहले नौ महीनों में ३७९ लाख टन कर दिया गया है ।

लोहा तथा इस्पात के मूल्य

†*७०८. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोहे तथा इस्पात के मूल्यों में कमी करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या भारत संसार में सब से सस्ता इस्पात उत्पादक की स्थिति बनाये हुए है और यदि नहीं, तो क्यों तथा इस स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) उत्पादन लागत के मामले में पुराने कारखानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) विदेशों के इस्पात निर्माण की लागत संबंधी सही सूचना प्राप्त नहीं है। विदेशों में कुछ किस्मों के इस्पात के दाम हमारे दामों से कम हैं। मूल्यों में उतार चढ़ाव रहता है।

(ग) प्रशुल्क आयोग इस समय पुरानी इकाइयों में इस्पात के उत्पादन की लागत का परीक्षण कर रहा है। उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

केरल में सोने के निक्षेप

†*७०९. **श्री कोडियान** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के वाइनाद क्षेत्र में सोने के निक्षेपों की मात्रा तथा किस्म का निर्धारण करने के लिये ब्यौरेवार भूतत्वीय सर्वेक्षण करने के लिये इस बीच कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ; और

(ग) सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री क० दे० मालवीय)** (क) से (ग). वीनाड स्वर्ण क्षेत्र का विस्तृत अनुसंधान कार्य तीसरी योजना में शामिल है। क्षेत्रीय कार्य शीघ्र ही मद्रास की ओर स्वर्ण क्षेत्रों में आरंभ किया जाएगा। तीसरी योजना के उत्तरार्ध में केरल की ओर यह काम किये जाने की आशा है। बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार, सर्वेक्षण तीसरी योजना में पूरा किया जाएगा।

गुजरात क्षेत्र में तेल की खोज

†*७१०. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात क्षेत्र में तेल की खोज के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस क्षेत्र की अशोधित तेल की उत्पादन क्षमता के अन्तिम अथवा अस्थाई अनुमानों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) अब तक कितने कुएं खोदे गये हैं और उनमें कितनों में (१) तेल मिला है, और कितनों में (२) गैस मिली है तथा कितने (३) सूखे मिले हैं ;

(घ) पिछले दोनों कुओं में मिले तेल से किये गये परीक्षणों के क्या परिणाम निकले हैं और

(ङ) क्या तेल का शोधन करने के लिये पर्याप्त सुविधायें और प्रबन्ध है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) से (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने लगभग १५५६६ वर्ग मील का ग्रैविटी/मैगनेटिक, सर्वेक्षण, लगभग २४०० वर्ग मील का विस्तृत भूतत्वीय मानचित्रण, लगभग ४३०० वर्ग मील का प्रादेशिक मानचित्रण, ७६६ लाइन मीलों का भूतत्वीय ट्रैवरसिस और १९६९ लाइन मीलों का भूकम्पीय सर्वेक्षण किया है तथा बहुत से कम गहरे स्ट्रक्चरल और गहरे सुराख खोदे हैं ।

(ख) गुजरात प्रदेश में कच्चा तेल कितना मिल सकेगा, इसका अनुमान अभी नहीं लगाया गया ।

(ग) ४३ गहरे कूंए खोदे गये हैं जिन में २२ तेल के कूंए हैं, ७ गैस के कूंए हैं, ६ सूखे हैं, ८ का या तो परीक्षण किया जा रहा है या किया जाएगा ।

(घ) अंकलेश्वर में सब से बाद में परीक्षित कूंए ने तेल दिया है और खंभात के अन्तिम कूंए ने केंडेंसेट (हल्का तेल) के साथ गैस दी है ।

(ङ) इस समय प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रोहतांग दर्रे पर हवाई रज्जुपथ[1]

†*७११. श्री हेम राज : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहतांग दर्रे पर 'हवाई रज्जुपथ' बनाने के लिये सीमा सड़कों के महानिदेशक द्वारा टेंडर मंगाये गये ह ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें से कोई स्वीकार किया गया है और काम कब तक आरम्भ हो जायेगा ;

(ग) इस रज्जुपथ की लागत क्या होगी ; और

(घ) वर्ष में यह कितने महीने काम करेगा ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) रोहतांग दर्रे के ऊपर एक हवाई रज्जुपथ बनाने के लिये टेंडर मंगवाये गये हैं ।

(ख) अन्तिम रूप में अभी तक कोई टेंडर स्वीकार नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ). इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता ।

बबीना और झांसी के लिये जल संभरण योजना

†*७१२. डा० सुशीला नायर : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बबीना और झांसी की सैनिक तथा असैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये संयुक्त जल संभरण योजना बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का प्राक्कलित व्यय क्या है और यह स्वतंत्र रूप से चालू की जाने वाली योजना के मुकाबले कहां तक मितव्ययी होगी ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Aerial Rope Way.

(ख) योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया। तथापि इस पर मोटे तौर पर २०२ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस समय, यह मालूम नहीं है कि प्रतिरक्षा सेवाओं को जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्वतंत्र रूप से आरंभ की जाने वाली योजना से यह किस मात्रा तक अधिक सस्ती पड़ेगी।

इस्पात उत्पादन

†*७१३. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले के अपर्याप्त संभरण के कारण इस्पात कारखानों में उत्पादन कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). मासिक उत्पादन आंकड़ों से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि उत्पादन गिर गया है। फिर भी सरकार इस्पात संयंत्रों को किस्म और मात्रा के बारे में कोयले के संभरण की समस्या पर लगातार ध्यान दे रही है।

चिकनाई वाले तेलों के निर्माण के लिये कारखाना

†*७२४. { **श्री विभूति मिश्र** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकनाई वाले तेलों के निर्माण के लिये एक कारखाना स्थापित करने के लिये स्टेनडैक लिमिटेड और सरकार के बीच एक समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं;

(ग) योजना की लागत क्या है; और

(घ) चिकनाई वाले तेलों के कारखाने की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता क्या है?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). सवाल पैदा नहीं होता।

पश्चिम बंगाल नगर पालिका क्षेत्रों में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा

†*७१५. { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री २३ नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों में कक्षा १ से ४ में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने की जिम्मेदारी नहीं ली है;

(ख) क्या यह सच है कि नगरपालिकायें निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने में असमर्थ है और इस प्रकार बहुत से विद्यार्थियों को यह लाभ नहीं मिल पायेगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्योंकि बहुत से कर्मचारी बेकार व्यक्ति तथा निम्न आयु वर्ग के लोग नगरपालिकाओं मे रहते हैं, केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है, जिस से पश्चिम बंगाल की नगरपालिकाओं में ग्यारह वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का लक्ष्य पूरा हो जाये ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). अपेक्षित सूचना पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) तीसरी योजना में, सभी राज्यों में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकतम विस्तार करने की दृष्टि से उपबन्ध किया गया है और भारत सरकार इस के लिये वित्तीय सहायता देती है। पश्चिम बंगाल के नगरपालिका क्षेत्रों के संबंध में आया कोई उपाय करने की जरूरत है, इस के बारे में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त होने पर ही विचार किया जा सकता है।

बैरकपुर छावनी क्षेत्र में से होकर कलकत्ते को पानी का मेन पाइप

†*७१६. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने, पाल्टा और कलकत्ता के बीच पानी का नया मेन पाइप डालने के बारे में बैरकपुर छावनी में निर्माण कार्य की स्वीकृति नहीं दी है;

(ख) क्या इस के फलस्वरूप पाइप लाइन डालने के कार्यक्रम में अत्याधिक देरी हो गई और कलकत्ता नगर में पीने के पानी के संभरण पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या आवश्यक स्वीकृति देने का विचार है अथवा नहीं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) पाइप लाइन बिछाने की अनुज्ञा दी जा चुकी है।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता।

राज भाषा

*७१७. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री विभूति मिश्र :
श्री कालिका सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९८० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजभाषा के सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने जो आदेश दिये थे उन में से प्रत्येक के बारे में क्या प्रगति हुई है और विभिन्न मंत्रालय ने उन पर कहां तक अमल किया है तथा उन विभिन्न आदेशों का सच्चाई, दृढ़ता व उत्साह के साथ पालन कराने के लिये कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये अवकाश गृह

†*७१८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा कर्मचारियों और जवानों के लिये पर्वतीय क्षेत्रों में अवकाश गृहों के निर्माण के लिये योजना बनाने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरमैया)** : गृह-कार्य मंत्रालय के द्वारा असैनिक कर्मचारियों के लिये उपलब्ध वर्तमान कल्याण व्यवस्था पर विचार करने के लिये स्थापित अफसरों की अन्तर्विभागीय समिति ने अभी अपना प्रतिवेदन पेश नहीं किया है। इसलिये प्रतिरक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों के बारे में इस संबंध में कोई प्रगति नहीं की जा सकी।

जहां तक जवानों का संबंध है, मामले पर विचार किया गया है और यह पाया गया है कि 'अवकाश गृह' उन में लोकप्रिय नहीं होंगे, क्योंकि वे उन में अपनी छुट्टियां बिताने की बजाये अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिये अपने घर जा कर छुट्टी बिताना अधिक पसंद करते हैं।

नौसेना का 'फ्लीट एयर आर्म बेस'

†*७२०. **श्री कोडियान :**
श्री वारियर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौसेना के 'फ्लीट एयर आर्म बेस' की स्थापना के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस काम के लिये कौनसा स्थान चुना गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) अभी तक नौसेना की "फ्लीट रिक्वायरमेंट यूनिट" की स्थापना के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

गुजरात में तेल के लिये छिद्रण

†*७२१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के तेल वाले क्षेत्रों में भूमि छिद्रण के तथा तेल निकालने के प्राक्कलित व्यय कुछ अलाभप्रद हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने तथा किस प्रकार; और

(ग) आसाम के इसी प्रकार के व्यय में इन से कितना अन्तर है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तेल निकालने के कार्य के हानि लाभ का अनुमान इस क्षेत्र में उपलब्ध तेल के रक्षित भंडारों का अनुमान लगाये जाने के पश्चात् ही लगाया

---

†मूल अंग्रेजी में

जा सकता है। अगले वर्ष के प्रारम्भ में प्रारम्भ किये जाने वाले अपेक्षित प्रयोगात्मक उत्पादन के परिणाम प्राप्त हो जाने पर ही यह अनुमान लगाया जा सकता है।

कुछ कुंओं के प्रारम्भिक प्रयोग से प्राप्त परिणामों के आधार पर तेल के काफी रक्षित भंडारों की संभावना काफी समझी गई है; और इसलिये ऐसी शंका करने की आवश्यकता नहीं कि इस काम से लाभ नहीं होगा।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता।

वरिष्ठ उप-महालेखापाल, डाक तथा तार, नागपुर के कार्यालय में गबन

†*७२२. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि वरिष्ठ उप-महालेखापाल, डाक तथा तार, नागपुर के कार्यालय के एक कर्मचारी द्वारा झूठे निवृत्ति वेतन भुगतान आदेशों पर लगभग ३ लाख रुपये की सरकारी रकम गबन करने के मामले का हाल में ही पता लगा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि संबंधित अधिकारी की मृत्यु के कुछ समय बाद इस गबन का पता लगा था;

(ग) यदि हां, तो इस गबन के तरीके, राशि और पता लगाने का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मामले के सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हां। तथापि कितना गबन हुआ है इस की अभी जांच की जा रही है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) मामले की जांच विभाग द्वारा और पुलिस के द्वारा की जा रही है। जब अनुसंधान पूरा हो जायेगा, तभी पूरा ब्यौरा मालम होगा। पूरा ब्यौरा प्राप्त होने पर ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

कपट विरोधी दस्ता[1]

†१५६६. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल से अक्तूबर १९६१ में कपट विरोधी दस्ते ने अपनी विधि संबंधी कितने मामलों का निबटारा किया है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : इस अवधि में अप्रैल १९६१ से अक्तूबर १९६१ की अवधि के बीच दर्ज पांच मामलों समेत अठारह मामलों का निबटारा किया गया।

विदेशियों को जारी किये गये वीसे[2]

†१५६७. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में अब तक कितने विदेशियों को भारत आने के लिये वीसे दिये गये; और

(ख) वे लोग किन देशों के थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ८४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Anti Fraud Squad

[2]Visas

अन्दमान में खेल-कूद

†१५६८. श्री वी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान द्वीपों को दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में खेल कूद का स्तर उठाने के लिये कोइ अनुदान दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) ६००० रुपये ।

रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

†१५६९. श्री वी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल से अक्तूबर, १९६१ तक की अवधि में रूरकेला और दुर्गापुर को खनन भट्टियां कितनी बार बन्द हुईं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : १ अप्रैल, १९५१ से ३१ अक्तूबर, १९६१ के बीच दुर्गापुर और रूरकेला दोनों में चार चार-बार ।

दिल्ली में पोलिटेक्निक

†१५७०. श्री वी० चं० शर्मा : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री १३ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में दो पोलीटेक्निक खोलने के बारे में आज तक क्या प्रगति की गई है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : ओखला में जी० ब० पंत पोलीटेक्निक ने १६ अगस्त, १९६१ से कार्य आरम्भ कर दिया है । पूसा में दूसरा पोलीटेक्निक खोलने का काम जुलाई, १९६३ तक के लिये स्थगित कर दिया गया है ।

बिक्री कर अपवंचकों का गिरोह

†१५७१. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या वित्त मंत्री ३० अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर अपवंचकों के एक गिरोह के द्वारा बिक्री कर अपवंचन के मामले की जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रादेशिक सेना के अफसर

†१५७२. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हेम राज : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री २५ अगस्त, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रादेशिक सेना के अफसरों के लिये निर्धारित की जाने वाली शर्तें और निबंधन अन्तिम रूप से तैयार करने के बारे में, जो भारतीय सेना अकादमी में प्रवेश के लिये प्रार्थना करते हैं, अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी नहीं। किन्तु यह मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय किये जाने की आशा है।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

त्रिपुरा के धर्मनगर खजाना का पोतदार

†१५७३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री ७ सितम्बर, १६६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि धर्मनगर खजाना, त्रिपुरा के पोतदार को निकालने के लिये की गई कार्रवाई का क्या परिणाम निकला है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : त्रिपुरा के जिला मैजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने श्री गणेश चन्द्र मजूमदार, पोतदार को निकालने के मामले में पूर्वी पाकिस्तान के संबद्ध जिला मैजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिंटेंडेंटों को कहा था। डिप्टी कमिश्नर, नोआखली ने नवम्बर, १६६१ में जिला मैजिस्ट्रेट त्रिपुरा को सूचना दी कि नोआखली जिले में पाकिस्तान (प्रवेश नियंत्रण) अधिनियम, १६५६ की धारा ४ के अन्तर्गत पोतदार के विरुद्ध अभियोग चलाया गया है, जो अभी चल रहा है।

काश्मीर में खनन परियोजनायें

†१५७४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ३० अगस्त, १६६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में तीसरी योजना अवधि में खनन परियोजनाओं सम्बन्धी योजनायें योजना आयोग द्वारा अनुमोदित हो चुकी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). योजना आयोग जम्मू और काश्मीर सरकार से उर्वरक संयंत्र सम्बन्धी उन के प्रस्ताव के बारे में कुछ और सांख्यिकी की प्रतीक्षा कर रहा है, जिन के ऊपर खनन परियोजनाओं (लिग्नाइट और जिप्सम) की कार्यान्विति निर्भर है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात संयंत्रों में विदेशी

१५७५. { श्री पांगरकर :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में तीन इस्पात संयंत्रों में विदेशी विशेषज्ञों और प्रविधिज्ञों की देशवार कुल कितनी संख्या है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८५]

महाराष्ट्र में भूतत्वीय सर्वेक्षण

†१५७६. श्री पांगरकर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार के समक्ष परभणी और नान्देड़ जिलों में भूतत्वीय सर्वेक्षण कराने की प्रार्थना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार की ओर से अगस्त, १९६१ में भारत भूतत्वीय सर्वेक्षण को एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी जिस में सिंचाई तथा घरेलू प्रयोग के लिये परभणी और नान्देड़ जिलों में चट्टानों वाले क्षेत्रों के भूमिगत जल-स्रोतों का सर्वेक्षण करने के लिये कहा गया था । इस प्रस्ताव की और जांच करने के लिये भारत भू-तत्वीय सर्वेक्षण ने राज्य सरकार से कुछ विस्तृत जानकारी मांगी है ।

नागपुर प्रदेश में कच्चे लोहे का कारखाना

†१५७७. श्री पांगरकर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर प्रदेश के खनिज विकास और वहां कच्चे लोहे के कारखाने के लिये केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

चलचित्र वित्त निगम द्वारा ऋण

†१५७८. श्री प्र० गं० देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्र वित्त निगम को चलचित्र उत्पादकों की ओर से ऋण के प्रार्थनापत्र मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितना ऋण स्वीकार किया गया है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां । ३१ अक्टूबर, १९६१ तक निगम को चलचित्र उत्पादकों से ऋण के लिये २३ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त तिथि तक तीन में से प्रत्येक मामले में ३ लाख ५० हजार रुपये, अन्य दो प्रार्थनाओं में से प्रत्येक को क्रमशः ५ लाख और २ लाख ५० हजार रुपये निगम द्वारा स्वीकार किये गये हैं।

शिवालिक क्षेत्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†१५७९. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवालिक क्षेत्र के भूतत्वीय सर्वेक्षण से कुछ परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी हां।

(ख) सन् १९४८ के पश्चात् पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के शिवालिक बेल्ट के कुछ भागों का विस्तृत भूतत्वीय सर्वेक्षण कराया गया है। ज्वालामुखी, चंगरतिल्लई, जनौरी और मोहनाद में तेल की संभावना से युक्त एण्टीक्लीनिकल स्थल प्राप्त हुए हैं। ज्वालामुखी के किनारे पर ही उस क्षेत्र में जोर पर गैस के लक्षण भी प्रकट हुए हैं।

जम्मू और काश्मीर में सुखजसद-बारागढ़ क्षेत्र के समीप शिवालिक में एण्टीक्लीनिकल स्थल मालूम हुआ है जिस के तटवर्ती भागों में गैस के लक्षण दिखाई देते हैं।

१९५८–५९ में उतरबैनी–पैरामण्डल में २.५४ सीएमस-मोटी बेन्टोनाइट की तह लोअर शिवालिक के निर्माण के नींव रूप भाग २५ किलोमीटर तक खोजी गई थी। इसकी रक्षित मात्रा ७१०० टन के लगभग बताई जाती है।

दिल्ली में सार्वजनिक पार्कों में शिल्पकारी की कृतियां

†१५८०. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सार्वजनिक पार्कों में शिल्पकारी की कृतियां स्थापित करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के लिये कुल कितनी रकम मंजूर की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). सार्वजनिक पार्कों में शिल्पकारी की कृतियां स्थापित करने का सम्बन्ध स्थानीय निकायों का है। दिल्ली नगर निगम और छावनी बोर्ड ने अभी इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है। नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी ने सिद्धान्त रूप में यह निर्णय कर लिया है कि नई दिल्ली के सार्वजनिक पार्कों में शिल्पकारी की प्रसिद्ध कृतियों के नमूने अथवा मूल कृतियां लगाई जायें। इस बारे में विस्तृत प्रस्तावों पर अभी कमेटी ने विचार नहीं किया और प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय कर उनकी अनुमानित लागत मालूम करने पर निधि का उपबंध किया जायेगा।

पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षा और संध्याकालीन कालेज

†१५८१. { **श्री चुनी लाल :**
श्री कोडियान :
श्री वारियर : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षा देने और संध्याकालीन कालेजों की स्थापना की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षा देने और संध्याकालीन कालेजों की स्थापना का ब्यौरा तैयार करने के लिये नियुक्त की गई समिति की डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में दिल्ली में दो बार बैठक हो चुकी है और उसमें योजना के विविध पहलुओं पर चर्चा की गई है। इस समिति की सिफारिशों पर दिल्ली विश्वविद्यालय में १९६२ में पत्र-व्यवहार पाठ्य-क्रम का संचालन करने का निर्णय किया गया है। विश्वविद्यालय इन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ कर सके इस प्रयोजन से दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिए लोक सभा में एक बिल पुरःस्थापित कर दिया गया है।

समवायों द्वारा पूंजी में वृद्धि

†१५८२. श्री प्र० गं० देव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर से नवम्बर, १९६१ के महीनों में कितने समवायों को और किस प्रयोजन के लिये अपनी पूंजी में वृद्धि करने की अनुमति दी गई है?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): सितम्बर से नवम्बर, १९६१ की अवधि में ४८ समवायों को पूंजी में वृद्धि करने की अनुमति दी गई थी। जिन उद्योग समवायों को अनुमति दी गई थी और प्रत्येक उद्योग से सम्बन्धित समवायों की संख्या बताने वाला विवरण सन्निहित है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८६]**

भूतपूर्व सैनिक

†१५८३. श्री अमजद अली: क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सन् १९६१ में (२२ अक्टूबर, १९६१ तक) सेना केन्द्रीय कल्याण निधि (फ्लावर डे फण्ड) से अनुदान के लिये कितने भूतपूर्व सैनिकों ने आवेदन पत्र दिये थे;

(ख) कितने व्यक्तियों को इस अवधि में अनुदान दिये गये थे;

(ग) कितने आवेदन पत्र जांच करने के हेतु विचारार्थ हैं; और

(घ) विचारार्थ मामलों को अन्तिम रूप देने में लगभग कितना समय लगेगा?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत में पश्चिम जर्मनी द्वारा पूंजी विनियोग

†१५८४. { श्री वी० चं० शर्मा:
श्री राम कृष्ण गुप्त:
सरदार इकबाल सिंह:

क्या वित्त मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम जर्मन सरकार की ओर से भारत में पूंजी विनियोग के बारे में उक्त देश से हुई बातचीत की क्या प्रगति है?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): बातचीत में और कोई प्रगति नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पैट्रोलियम इन्स्टीट्यूट देहरादून

†१५८५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहरादून में पैट्रोलियम इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिये स्थान का चुनाव करने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से देहरादून जिले में २५७·५७ एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई है जिसमें मोखमपुर (कुर्द) चाय बागान सम्मिलित है।

शासकीय रहस्य अधिनियम

†१५८६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त से नवम्बर, १९६१ तक शासकीय रहस्य अधिनियम उल्लंघन करने के कितने मामले रजिस्टर हुए अथवा पकड़े गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाबी भाषा के विकास के लिये अनुदान

†१५८७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाबी भाषा के विकास के लिये पंजाब सरकार ने १९६१–६२ में अभी तक कोई अनुदान मांगा है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना अनुदान दिया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी हां।

(ख) ४१,४२५ रुपये।

ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा भूमि का कटाव

†१५८८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों में ब्रह्मपुत्र नदी ने काफी भूमि का कटाव किया है जिससे बहुत से परिवार निराश्रित हो गये और लोगों में आतंक छा गया ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने परिवार फिर से बसाये गये ; और

(ग) उनके कल्याण के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा):** (क) हां, ब्रह्मपुत्र ने बाढ़ के कारण काफी कटाव किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८७]

बरेली में एक धोखेबाज व्यक्ति की गिरफ्तारी

†१५८६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री १६ अगस्त, १६६१ को लोक सभा में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बरेली में अपने आप को स्थल सेना सुरक्षा अधिकारी कहने वाले बन्दी बनाये गये धोखेबाज व्यक्ति के बारे में पूछताछ पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). उस व्यक्ति पर अभियोग चलाया गया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा १७० के अधीन १८ मास तथा धारा १७१ के अधीन ३ मास का कठोर कारावास दिया गया है। दोनों दंड सहगामी हैं। धारा ४१६/४२० के अधीन, उसके विरुद्ध एक और मामला चल रहा है और अन्य दो मुकदमों के बारे में छानबीन की जा रही है। जांच से पता चलता है कि उसका गुप्तचर कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं था।

उड़ीसा में राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा

†१५६०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बताया है कि उसने उड़ीसा में राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा में रियायत देने के लिये १६५६–६० और १६६०–६१ में कितना व्यय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार से कहा गया है कि वह इसमें अपना हिस्सा उड़ीसा सरकार को दे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां।

(ख)

वर्ष	खर्च की गई राशि
१६५६-६०	५,६७१ रुपये
१६६०–६१	२१,७६३ रुपये

(ग) जी हां।

उड़िया नाटक के लिये संगीत नाटक अकादमी द्वारा अनुदान

†१५६१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी ने १६६१–६२ में अब तक उड़िया नाटक विकास के लिये अनुदान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किसे और कितना ?

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख) अकादमी ने निम्नलिखित अनुदान स्वीकृत किये हैं :—

संस्था का नाम	अनुदान की राशि
१. उड़ीसा संगीत परिषद, पुरी	१००० रुपये
२. नेशनल म्यूजिक एसोसियेशन, कटक (नृत्य नाटक के लिये)	५००० रुपये

विदेशियों की मूर्तियां

१५९२. { श्री भक्त दर्शन :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५४३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १३ मई, १९५७ को प्रधान मंत्री जी ने विदेशियों की मूर्तियों को हटाने के बारे में जो नीति संबंधी घोषणा की थी उस के अनुसरण में दिल्ली व अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों में किन-किन विदेशियों की मूर्तियां हटायी जा चुकी हैं ;

(ख) दिल्ली व अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों में से प्रत्येक में अब भी विदेशियों की कितनी-कितनी मूर्तियां सार्वजनिक स्थानों पर विराजमान हैं ; और

(ग) उन सब के देर से देर कब तक सार्वजनिक स्थानों से हटा दिये जाने की आशा की जाती है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) दिल्ली में जैनरल जॉन निकल्स और जैनरल अलैक्जैंडर टेलर की तथा हिमाचल प्रदेश में क्वीन विक्टोरिया की दो मूर्तियां।

(ख) दिल्ली में ऐसी १० मूर्तियां हैं. और किसी संघ राज्य क्षेत्र में कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं है।

(ग) जैसे ही उन्हें रखने के लिये उचित स्थान का प्रबन्ध हो जायेगा ।

भूतपूर्व सैनिकों को पेंशनें

१९५३. { श्री भक्त दर्शन :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हेम राज :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री ३० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन की दरें बढ़ाने के बारे में जो निश्चय ३१ दिसम्बर, १९६० को किया गया था, उसे क्रियान्वित करने के की दशा में इस बीच और क्या प्रगति हुई और अबतक प्रत्येक राज्य में कितने भूतपूर्व सैनिकों को पेंशनों को बढ़ी हुई दरों का लाभ वास्तव में पहुंचाया जा चुका है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): ३१ अक्तूबर, १९६१ को समाप्त होने वाले त्रिमास, में, प्रतिरक्षा लेखा नियंत्रक (पेन्शन) इलाहाबाद ने, लगभग ३५,००० अलग अलग मामलों में,

†मूल अंग्रेजी में

पेन्शन में अस्थायी वृद्धियों में बढ़ोतरी की स्वीकृति दी है, । त्रिमास के अन्त में, ४८,००० अधिक अलग अलग मामले, उस कार्यालय में निरीक्षण के विभिन्न स्तरों पर थे । वास्तविक अदायगी, इन अलग अलग स्वीकृतियों, और पेन्शन के कुछ वर्गों से संबद्ध, प्रतिरक्षा लेखा नियंत्रक (पेन्शन) इलाहाबाद की, पहले जो जारी की गई, साधारण स्वीकृतियों के बल पर, पेन्शनों का भुगतान करने वाले अधिकारियों द्वारा देश भर में, की जा रही है, और की जाती रहेगी । इन स्वीकृतियों के प्रति, की गई वास्तविक अदायगियों की स्थिति, २३ नवम्बर, १९६१ को उत्तर दिये गये, अतारांकित प्रश्न संख्या ३४९ के उत्तर में दर्शाई गई थी ।

२. भूत पूर्व सैनिकों की पेन्शन में, अस्थायी वृद्धियों के दरों में, बढ़ोतरी के बारे में, सरकार के निर्णयों को लागू करने में, प्रगति के आंकड़े, अखिल भारतीय आधारों पर रखे जाते हैं, और इस बारे में, राज्यवार ब्योरे आंकड़े सहज सुलभ नहीं हैं ।

भारत में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

†१५९४. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् ने भारत में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बोर्ड ने उस के सब आरोपों को अस्वीकार किया और उस के काम में परिषद् द्वारा जांच के अधिकार को चुनौती दी ; और

(ग) इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी नहीं । , अखिल भारतीय खेल कुद परिषद् ने अपनी एक उपसमिति द्वारा भारत में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के विरुद्ध प्रेस तथा संसद् में लगाये गये आरोपों की जांच की । उस ने बोर्ड के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये ।

(ख) जी नहीं; । प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कोई आरोप नहीं लगाये गये हैं । फिर भी बोर्ड ने जांच समिति के विरुद्ध खेद प्रकट किया क्योंकि उस से उसकी स्वायत्तता में बाधा पड़ती है । तथापि बोर्ड के प्रतिनिधि समिति के सदस्यों से मिले और विभिन्न आरोपों के बारे में उन ने बोर्ड का दृष्टिकोण उन के आगे रखा ।

(ग) अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् बोर्ड का यह आश्वासन मान लिया है कि वह रचनात्मक सुझाव प्राप्त करना और उन्हें लागू करना चाहेगा ।

भिलाई का इस्पात कारखाना

†१५९५. श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने के एक विशेष श्रम संघ ने श्रमिकों की शिकायतों के बारे में एक विस्तृत ज्ञापन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या शिकायतें हैं ; और

(ग) उन्हें दूर करने के लिये क्या क़दम उठाये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां । भिलाई इस्पात कारखाने के एक अमान्यता प्राप्त संघ ने एक ज्ञापन भेजा था ।

(ख) और (ग). ज्ञापन में औद्योगिक विवाद अधिनियम के उल्लंघन तथा भिलाई में कार्य स्थिति के बारे में कुछ आरोप थे । अधिकांश आरोप बेबुनियादी थे ।

भारत में अमरीकी पूंजी का आना

†**१५६६. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अमरीकी पूंजी का कोई हिसाब लगाया गया है ;

(ख) १ अक्टूबर, १९६१ को यह पूंजी कुल कितनी थी ; और

(ग) लाभ के रूप में अमरीका को प्रति वर्ष कितना रुपया भेजा गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) जानकारी ३१ दिसम्बर, १९५९ तक प्राप्त की गई है । तब तक भारत में अमरीका की ८२ करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई थी ।

(ग) पहले चार वर्ष १९५६–५९ में अमरीका को औसतन २·६ करोड़ रुपया प्रति वर्ष भेजा गया ।

औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी

†**१५६७. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा संस्थान में औद्योगिक तथा अनौद्योगिक कर्मचारियों को स्थायी बनाने के आदेश लागू हो गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). प्रतिरक्षा संस्थान के औद्योगिक तथा अनौद्योगिक कर्मचारियों को स्थायी बनाने के आदेश अनेक मामलों में लागू हो गये हैं और शेष मामलों पर कार्यवाही की जा रही है ।

मध्यस्थ मंडल (नेगोशिएटिंग मशीनरी)

†**१५६८. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यस्थ मण्डल की बैठक अक्टूबर और नवम्बर, १९६१ में उच्च, मध्य और निम्न स्तर पर हुई थी ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अब यह बैठक किस तारीख को होने की आशा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). जुलाई १९६० में अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ के आम हड़ताल में भाग लेने पर मध्यस्थ मण्डल का समझौता रद्द कर दिया गया । अतः किसी भी स्तर पर उसकी बैठक करने का प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में पोलिटेकनिक

†१५९९. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अधिक पोलीटेकनिक स्थापित करने का प्रस्ताव **भारत सरकार के विचाराधीन** था;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) से (ग). ओखला और पूसा में पोलीटेकनिक के अतिरिक्त एक पोलीटेकनिक स्त्रियों के लिये खोलने का विचार है । इसके जुलाई १९६२ में चालू हो जाने की आशा है ।

सरकार द्वारा जारी किये गये दो ऋण

†१६००. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६१ में जारी किये गये दो ऋणों का निर्धारित लक्ष्य १९६१–६२ के लिये क्या था ;

(ख) अब तक कितनी राशि एकत्र की गई है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) १०० करोड़ पये । सरकार ने इस राशि से १० प्रतिशत चन्दा अधिक रखने का अधिकार रक्षित रखा ।

(ख) १०८.५७ करोड़ रुपये ।

(ग) भाग (क) और (ख) को देखते हुए, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंचायतों के द्वारा ग्राम्य जीवन बीमा

†१६०१. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दामानी :

क्या **वित्त** मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतनो की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंचायतों के जरिये ग्राम्य जीवन बीमा करने की प्रस्थापना पर इस बीच विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). जीवन बीमा निगम विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए, जिन्हों ने इस योजना के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है, इस विषय में अभी विचार कर रहा है ।

केन्द्रीय शिक्षा संस्था, दिल्ली

†१६०२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जिन वेतनक्रमों की सिफारिश की है वे केन्द्रीय शिक्षा संस्था, दिल्ली पर किस तिथि से लागू किये जायेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** मामला विचाराधीन है ।

बालापराधी सहायता कार्यालय'

†**१६०३. श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में बालापराधी सहयता कार्यालय खोलने की प्रस्थापना किस अवस्था में है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

सेना अधिनियम

†**१६०४. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री वी० चं० शर्मा :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सेना अधिनियम में संशोधन करने की प्रस्थापना पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) और (ख). जी हां । अभी यह निर्णय किया गया है कि जब तक सम्बन्धित उपबन्धों के नौसेना अधिनियम पर लागू होने का अनुभव प्राप्त हो जाने पर सेना अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्थापनाएं संसद् के समक्ष रखी जायेंगी ।

राष्ट्रीय महिला शिक्षा संस्था

†**१६६५. श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या शिक्षा मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला शिक्षा संस्था की स्थापना सम्बन्धी प्रस्थापना का ब्यौरा तैयार करने के लिये नियुक्त की गई विशेष समिति की रिपोर्ट पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). समिति की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

Juvenile Aid Bureau.

नालन्दा में विश्वविद्यालय

†१६०६. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बौद्ध देशों के विद्वानों ने एक संकल्प पारित कर के भारत सरकार से यह प्रार्थना की है बिहार में नालन्दा के स्थान पर जहां विश्व विख्यात नालन्दा विश्वविद्यालय था पुनः एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कलकत्ता के लिए मास्टर प्लान

†१६०७. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की मास्टर प्लान का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ;

(ख) फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा इस योजना के लिये स्वीकृत की गई ८००,००० डालर की राशि किस प्रकार, खर्च की गई है अथवा खर्च करने का विचार है ;

(ग) क्या इस योजना को पूरा करने के लिये किसी अन्य संगठन ने अनुदान देने का वायदा किया है ; और

(घ) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने योजना के लिये कोई राशि आवंटित की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी नहीं । कलकत्ता मैट्रोपालिटन प्लानिंग संगठन ब्यौरा तैयार कर रहा है ।

(ख) फोर्ड प्रतिष्ठान का ८००,००० डालर का अनुदान निम्नलिखित प्रकार से खर्च किया जायेगा:--

(एक) ५१०,००० डालर की राशि प्रतिष्ठान अपने पास रखेगा, ताकि संगठन को उपलब्ध किये जाने वाले मंत्रणाकारों तथा परामर्शदाताओं के आने जाने का खर्च आदि कर सके ।

(दो) ५५,००० डालर पश्चिमी बंगाल सरकार को उपकरण आदि खरीदने के लिये दिया जायेगा; और

(तीन) प्रोटोटाइप डिजाइन और योजनाओं सम्बन्धी अनुसन्धान के लिये वित्त व्यवस्था करने के हेतु न्यूयार्क की सरकारी प्रशासन सम्बन्धी संस्था को २३५,००० डालर दिये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) कलकत्ता प्रदेश में जल संभरण की व्यवस्था में सुधार करने के लिये निम्नलिखित अनुदान दिये गये हैं :—

(एक) संयुक्त राष्ट्र संगठन के विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा २१,५८० डालर; और

(दो) संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि द्वारा ३२४,००० डालर।

(घ) जी हां, १० करोड़ रुपये।

संयुक्त राष्ट्र संघटन का जनसंख्या आयोग

†१६०८. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से भारत संयुक्त राष्ट्र संगठन के जन संख्या आयोग का सदस्य निर्वाचित हुआ तब से भारतीय प्रतिनिधि ने किस प्रकार का कार्य किया और योगदान दिया ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** जब से भारत निर्वाचित हुआ तब से आयोग की कोई बैठक नहीं हुई। योगदान देने का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जब आयोग की बैठक होगी।

फिर भी इस बीच आयोग द्वारा परिचालित की जाने वाली सामग्री को भारतीय प्रतिनिधि पढ़ता है और जब कभी राय मांगी जाती है अपनी राय व्यक्त करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सन्था

†१६०९. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास सन्था ने भारत में नलकूप विस्तार के लिये कोई विकास ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ऋण दिया गया है ;

(ग) क्या उन्होंने इस विषय में कोई शर्तें तय की हैं ;

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(ङ) दिया गया ऋण किस प्रकार बांटा जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी हां।

(ख) २·८६ करोड़ रुपये (६० लाख डालर) ;

(ग) जी हां।

(घ) ऋण पर कोई व्याज नहीं लिया जाता परन्तु मूलधन पर एक प्रतिशत का तीन चौथाई वार्षिक सेवा भार के रूप में लिया जाता है। ऋण ५० वर्ष में लौटाया जाना है। ऋण की शर्तें ६ सितम्बर, १६६१ के ऋण करार में दी हुई है जिसकी प्रति सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ऋण भारत सरकार को दिया जायेगा। केन्द्रीय सरकार अपने तौर पर यह ऋण उत्तर प्रदेश सरकार को ऋण सम्बन्धी करार में उल्लिखित परियोजना को पूर्ण करने के लिये देगी ।

भारत में भारतीय भाषाओं के विदेशी छात्र

†१६१०. **श्री साधन गुप्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ से अब तक कितने विदेशी छात्रों को भारत में आधुनिक भारतीय भाषायें पढ़ने के लिये छात्रवृत्तियां दी गईं ;

(ख) प्रत्येक भाषा के लिये कितनी-कितनी छात्रवृत्तियां दी गई ;

(ग) निकट तथा सुदूर पूर्व के लिये इटेलियन इंस्टीच्यूट के प्रो० टुक्की ने यह इच्छा प्रकट की है कि उस संस्था को दी गई छात्रवृत्तियों में से एक बंगला भाषा के लिये होनी चाहिये ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह इच्छा स्वीकार कर ली गई ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) बीस ।

(ख) हिन्दी १८

उर्दू २

(ग) नहीं ;

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अमरीकन प्रकाशनों का मूल्य

†१६११. **श्री विभूति मिश्र :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक डालर मूल्य की पुस्तक के लिये कोई विक्रेता ५ रुपये लेता है तो कोई ६ रुपये; और

(ख) यदि हां, तो एक सा मूल्य निर्धारित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

न्यायाधीश

१६१२. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस साल अब तक उच्चतम न्यायालय के लिये और उच्च न्यायालयों के लिये कितने नये न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ये न्यायालय साल भर में कितने दिन काम करते हैं और कितने दिन की छुट्टी रहती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) १ जनवरी, १९६१ के पश्चात उच्चतम न्यायालय में किसी नये न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हुई । १ जनवरी, १९६१ से १ दिसम्बर, १९६१ की अवधि में १९ नये न्यायाधीशों की नियुक्ति विभिन्न उच्च न्यायालयों में हुई ।

(ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८८]**

जयाल का स्मारक

१९१३. { **श्री स० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

विगत वर्षों में नन्दागिरी आरोहण में श्री एन० डी० जयाल का, जिनका देहावसान हो गया था, कोई स्मारक बनाया जा रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले पर विचार करेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) मेजर एन० डी० जयाल का देहावसान नन्दागिरी नहीं, चौ० ओ०यु अभियान के दौरान में हुआ था। हिमालय पर्वतारोहण संस्था की कार्यकारिणी परिषद द्वारा लिए निर्णय के अनुसार, भूतपूर्व मेजर जयाल की स्मृति को बनाए रखने के लिए, निम्न काम किये गये हैं :—

१. हिमालय पर्वतारोहण संस्था के लेक्चर हाल का नाम "जयाल हाल" रखा गया है । हाल में भूतपूर्व मेजर जयाल के जाती वस्त्र और पर्वतारोहण सम्बन्धी बिल्ले एक शीशे के आवरण में रख कर प्रदर्शन किए जा रहे हैं ।

२. तैल रंगों में मेजर जयाल का एक चित्र संस्था के भूतपूर्व छात्रों द्वारा इकट्ठे किये चन्दे से बनवाया गया है । इस चित्र को प्रसिद्ध पर्वतारोहियों के चित्रों समेत हाल में लटकाया गया है ।

३. हिमालय पर्वतारोहण संस्था ने जयाल स्मारक निधि नाम से एक फंड जारी किया है । इस फंड का पर्वतारोहण उपयोगी साज सामान खरीदने में प्रयोग किया जाता है, जिसे भारतीय अभियानों को वाजबी दर पर किराये पर दिया जाता है ।

इस वर्ष में ही केवल, पांच अभियानों को, जिन में अन्नपूर्णा द्वितीया और नीलकण्ठ चोटियों के सफल अभियान भी सम्मिलित हैं, जयाल स्मारक स्टोर से, पर्याप्त सहायता मिली थी ।

४. भूतपूर्व मेजर जयाल की जीवनी और उनके लेखों पर सम्मिलित एक पुस्तक प्रकाशित करने का विचार है । इस पुस्तक की बिक्री से जितना लाभ होगा, वह जयाल स्मारक निधि में जायेगा ।

(ख') सरकार हिमालय पर्वतारोहण संस्था से सहमत है कि मेजर जयाल का श्रेष्ठ स्मारक जयाल स्मारक निधि स्टोर हैं, जो भारतीय अभियानों की, पर्वतारोहण उपयोगी साज-सामान से, सहायता करते है ।

दया याचिकायें

१६१४. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों द्वारा दंडित अपराधियों की ओर से इस वर्ष अभी तक कितनी दया याचिकायें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) कितनी दया याचिकायें स्वीकार की गईं ; और

(ग) कितने मामलों में मृत्यु दंड कम करने की दया के लिये अपील स्वीकार कर ली गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) प्रथम जनवरी से ३० नवम्बर, १९६१ की अवधि में २३८ दया याचिकाएं मृत्यु दण्ड प्राप्त अपराधियों से मिलीं और दण्ड कम करने के लिए १७ याचिकाएं अन्य कैदियों से प्राप्त हुईं ।

(ख) और (ग). ७६ कैदियों के विषय में मृत्यु दण्ड को कम करके आजीवन कैद में बदल दिया और अन्य पांच कैदियों की याचिकाएं स्वीकार की गईं तथा उनका दण्ड क्षमा कर दिया गया ।

दिल्ली को 'ए' श्रेणी का नगर घोषित करने से वेतन में वृद्धि

१६१५. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वित्त** मंत्री दिल्ली को "ए" श्रेणी का शहर घोषित करने से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में जो वृद्धि हुई है उसके बारे में निम्नलिखित व्यौरा बताने की कृपा करेंगे :

(एक) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(दो) पहली और दूसरी श्रेणी के अफसरों के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : दिल्ली के "ए" श्रेणी का शहर बना दिये जाने से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई । शायद माननीय सदस्य का मतलब शहर का दर्जा बढ़ जाने से दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले पूरक (शहर) [कम्पेन्सेटरी (सिटी)] और मकान किराया भत्तों में हुई वृद्धि से है । उपलब्धियों (इमाल्युमेंट्स) में होने वाली प्रतिशत वृद्धि, प्रत्येक कर्मचारी के वेतन के अनुसार अलग अलग है । शहर का दर्जा बढ़ने से पहले और उसके बाद दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले पूरक (शहर) और मकान किराया भत्तों की

---

†मूल अंग्रेजी में

दरों का विवरण इस उत्तर के साथ लगा है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८६]**। इस विवरण से विभिन्न वेतन-श्रेणियों में इन भत्तों की दरों में होने वाली वृद्धि का पता चलता है ।

संस्कृत का अनिवार्य अध्ययन

१६१६. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि हाई स्कूल अथवा हायर सैकेन्डरी स्कूल स्तर तक संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड ने उच्च स्कूल या उच्चतर माध्यमिक स्तर तक संस्कृत को एक अनिवार्य विषय बनाने की सिफारिश नहीं की है ; उसने यह सिफारिश की है कि संस्कृत के प्रसार की दृष्टि से यह अच्छा होगा कि :—

१. यदि राज्य सरकारें आवश्यक समझें तो वे तीन भाषा-सूत्र अर्थात् मातृ-भाषा या प्रादेशिक भाषा के साथ श्रेण्य भाषा के संयुक्त पाठ्यक्रम के (क) के अन्तर्गत विकल्प संख्या (४) और (५) की व्यवस्था करें और इन्हें प्रोत्साहित करें ;

२. संयुक्त पाठ्यक्रम के भाग के रूप में श्रेण्य भाषा में सफलता प्राप्त करना अनिवार्य होना चाहिए ; और

३. श्रेण्य भाषा के लिए ३० से ४० प्रतिशत तक अंकों की एक उचित प्रतिशतता निर्धारित करनी चाहिए ।

(ख) बोर्ड की सिफारिशें सभी राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रीय प्रशासनों और भारत में समस्त माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के सचिवों को भेज दी गई थीं ।

अन्देमान और निकोबार द्वीप समूह में बुनियादी शिक्षा

१६१७. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अन्देमान और निकोबार द्वीप समूहों में बुनियादी शिक्षा के लिये कितनी धन राशि नियत की गई है; और

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में वहां के लिये शिक्षा सम्बन्धी जो लक्ष्य रखा गया था उसे प्राप्त करने में कहां तक सफलता मिली ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). विवरण संलग्न हैं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९०]**

अनुसंधान के लिए छात्रवृत्तियां

१६१८. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसंधान कर्त्ताओं को १९५० में जो योजना शुरू की गई थी उसके अन्तर्गत इस साल अब तक कितनी संस्थाओं को छात्रवृत्तियां दी गईं ; और

(ख) इन संस्थाओं ने जो गवेषणा कार्य किया है उसका विवरण क्या है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) १९४९–५० में शुरू की गई रिसर्च ट्रेनिंग स्कालरशिप स्कीम के अधीन ६२ विभिन्न संस्थाओं/यूनिवर्सिटियों में ८०० छात्रवृत्तियां दी गई हैं ।

(ख) किये गये अनुसंधान कार्य का मंत्रालय में कोई ब्योरा नहीं रखा गया है क्योंकि इस योजना का खास मकसद यह है कि विज्ञान के डाक्टरेट स्तर के और इंजीनियरी और टैक्नोलाजी के पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के अनुसंधान कर्त्ताओं की मदद की जाये ।

लापता व्यक्तियों की सम्पत्ति

१६१९. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री नेक राम नेगी :
श्री बहादुर सिंह :
श्री हेम राज :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३१ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन व्यक्तियों के लापता हो जाने के फलस्वरूप दोनों में से किसी व्यक्ति की सम्पत्ति के बारे में झगड़ा उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो लापता होने वाले व्यक्तियों की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) एक लापता व्यक्ति के पुत्र से दिल्ली पुलिस को एक प्रार्थना पत्र मिला जिस में उसकी पंजाब में जिला कांगड़ा में स्थित सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद का उल्लेख किया गया । अन्य लापता व्यक्ति की सम्पत्ति के बारे में किसी विवाद का पता नहीं है ।

(ख) प्रार्थना पत्र की एक प्रति जिला कांगड़ा के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भेज दी गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजनीतिक पीड़ितों को आर्थिक सहायता

†१६२०. **श्री झूलन सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री १५ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रियों की विवेक निधि में से अनुदान पाने के लिये विदेशी राष्ट्रजन कैसे पात्र बने; और

(ख) ये राष्ट्र जन किस-किस देश के थे और इस वर्ग के लोगों की स्वीकृत की गई अधिकतम तथा न्यूनतम राशि ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने में कुछ विदेशी राष्ट्रजनों की सेवाओं को मान्यता देते हुए गृह-कार्य मंत्री ने अपनी विवेक निधि में से आर्थिक सहायता स्वीकृत की। उन में से एक वृद्ध भारतीय क्रांतिकारी बंगाल का है जो स्थायी तौर पर चीन में बस गया है उसे २५०० रुपये मंजूर किये गये। वह जापान में स्वर्गीय श्री राश बिहारी बोस के साथी थे और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिये भारत और विदेश में काफी तन्मयता से कार्य किया। दूसरे सज्जन जिन्होंने ५००० रुपये दिये गये नेपाल के थे। एक भारतीय नेता के जेल से भागने पर उन्हें आश्रय देने के कारण उन के पिता को काफी हानि पहुंची।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

१६२१. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थायी क्लर्कों की अर्जियां राज्य सरकारों के अधीन रोजगार प्राप्त करने के लिये भेजने से पहले सम्बन्धित क्लर्कों से यह लिखाया जाता है कि यदि वे चुन लिये गये तो उन्हें भारत सरकार के अधीन पद से त्याग-पत्र देना पड़ेगा।

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस प्रथा को बंद करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) से (ग). श्री दी० चं० शर्मा और चौ० रणबीर सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८०८ के उत्तर के संबंध में १ मई, १९६१ को सभा पटल पर रखे गये विवरण पत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। केन्द्रीय सचिवालय क्लैरिकल सेवा के सदस्यों के सम्बन्ध में भी स्थिति वैसी ही है।

न्यायाधीश

†१६२२. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष विभिन्न उच्च न्यायालयों में से कितने न्यायाधीश सेवा निवृत्त हुए; और

(ख) उन में से कितनों को विभिन्न अधिकरण और आयोगों में पुनः नियुक्त किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १ जनवरी, १९५० से १ दिसम्बर १९६१ तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में से ५१ न्यायाधीश सेवा निवृत्त हुए।

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयोग

†१६२३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दू धार्मिक धर्मस्वी सम्बन्धी और प्रतिवेदन करने के लिये नियुक्त किये गये आयोग ने अब तक क्या प्रगति की है?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : आयोग ने अभी तक निम्नलिखित राज्यों का दौरा किया है :–

मद्रास का कुछ भाग
केरल
मैसूर
आन्ध्र प्रदेश
महाराष्ट्र
गुजरात
उत्तर प्रदेश
पश्चिमी बंगाल
उड़ीसा
असम
बिहार और
राजस्थान का कुछ भाग

आयोग का दिसम्बर, में राजस्थान का दौरा पूर्ण करने और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर जाने का विचार है। इसके बाद पंजाब, मद्रास का कुछ भाग और मध्य प्रदेश का कुछ भाग बचेगा। आयोग का विचार है कि जनवरी, फरवरी, १९६२ में दिल्ली में रिपोर्ट के प्रारूप पर विचार करने के लिये बैठकें की जायें और साथ ही साथ शेष स्थानों का दौरा भी किया जाय। इसके पश्चात् आयोग अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सकेगा।

दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्यशाला

†१६२४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में राष्ट्रीय रंग मंच तैयार करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसके कब तक तयार होने की सम्भावना है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). नकशे तैयार करने सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य अभी जारी है ।

स्नातकोत्तर इंजीनियरी शिक्षा

†१६२५. { **श्री कोडियान :**
श्री वारियर :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २५ अगस्त, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्नातकोत्तर इंजीनियरी शिक्षा और अनुसंधान सम्बन्धी सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). सरकार अखिल भारतीय टैक्नीकल शिक्षा परिषद् की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है ।

फैरो मैंगनीज उद्योग

†१६२६. **श्री विद्या. चरण शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में फैरो मैंगनीज़ उद्योग के प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) समिति की रचना किस प्रकार की है ; और

(ग) इसे कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). दिनांक १७ नवम्बर, १६६१ के सरकारी संकल्प, जिस के अनुसार समिति नियुक्त की गई संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६१]** २८ फरवरी, १६६२ तक इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की आशा है ।

दिल्ली में बच्चों के अपहरण के मामले

†१६२७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बावजूद कड़ी कार्यवाही के करने के गत कुछ वर्षों में दिल्ली में बच्चों को उठा कर ले जाने की घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं की संख्या कम करने के लिये और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जनगणना, १९६१

१६२८. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वर्ष १९६१ की जनगणना के पूरे आंकड़े एकत्रित हो गये हैं;

(ख) क्या इन आंकड़ों में पंजाब के भाषा सम्बन्धी आंकड़े भी एकत्रित हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो पंजाब में पंजाबी और हिन्दी बोलने वाले व्यक्तियों की पृथक्-पृथक् संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) जी नहीं, स्त्री-पुरुषों की अलग अलग संख्या बताने वाले कुल जनसंख्या के अस्थायी आंकड़े ही प्राप्त हुई हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारत-सहायता क्लब[1] की सदस्यता

†**१६२९. श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छः सदस्यों वाले भारत-सहायता क्लब में शामिल होने के लिये कुछ और विदेशों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). इस समय इस संघ के सात सदस्य हैं—अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, जापान, कनाडा, फ्रांस और पुनर्निर्माण और विकास का अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और इससे सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास सन्था। इसके अतिरिक्त, इटली, नीदरलैण्ड, आस्ट्रिया, डेनमार्क, नार्वे और स्वीडन ने भी प्रेक्षक के रूप में संघ की बैठकों में हाल में भाग लिया है। इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि वे पूरे सदस्य कब बनेंगे।

मिनिकोय और लक्कदीव द्वीपसमूह में शिक्षा

†**१६३०. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन मिनिकोय और लक्कदीव द्वीपसमूह में शिक्षा के लिये क्या विशेष व्यवस्था की गई है ;

(ख) वहां अब तक कितने स्कूल और कालिज खोले जा चुके हैं ; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उस क्षेत्र में साक्षरता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) द्वितीय योजना-काल के अन्त में वहां पर १६ स्कूल थे जिनमें एक हाई स्कूल था। तृतीय योजना में अब तक तीन बालिका प्राथमिक स्कूल, एक एक-अध्यापकीय स्कूल और एक फीडर स्कूल खोले गये हैं। चार प्राथमिक स्कूलों को भी उच्च प्राथमिक स्कूल बनाया गया है।

---

[1]Aid India Club.

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जनगणना आंकड़ों के अनुसार साक्षरता की प्रतिशता १९५१ में १५.१ से बढ़ कर १९६१ में २३.३ हो गई है।

राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता आन्दोलन[1]

†१६३१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता आन्दोलन योजना में अब तक और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यह योजना कितने स्थानों पर चलाई गई और उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस योजना पर कुल कितना व्यय हुआ ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ? **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९२]**

कलकत्ता में---

कलकत्ता में केन्द्रीय शीशा तथा मिट्टी अनुसंधान संस्था

†१६३२. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में केन्द्रीय शीशा तथा मिट्टी अनुसंधान संस्था द्वारा अभ्रक, माईकानाइट और अन्य पतली परत वाली चादरों की किस्म निर्धारित करने के लिये एक नया यंत्र निकाला गया है; और

(ख) यदि हां, तो, इसकी वाणिज्यिक उपयोगिता क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी, हां।

(ख) दृश्य परीक्षणों द्वारा सामान्यतः रद्द किया गया धब्बे लगा हुआ और अथवा दाग लगा हुआ अभ्रक यंत्र द्वारा बिजली के काम के लिये अच्छा समझा जा सकता है और इस प्रकार उसका इस्तेमाल हो सकता है। उसी प्रकार, अभ्रक पास करने वाले दृश्य परीक्षण बिजली के लिये खराब समझे जाते हैं और वह रद्द किया जायेगा।

अनुसन्धान करने वाले छात्र

†१६३३. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-कार्य मंत्रालय के रिकार्ड अनुसंधान करने वाले छात्रों के लिये कब तक खुले रहते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसन्धान करने वाले छात्रों को राष्ट्रीय भय आन्दोलन के बारे में सभी रिकार्डों की जांच नहीं करने दी जाती; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) वर्ष १९२० तक।

(ख) जी, हां।

(ग) ये रिकार्ड गोपनीय हैं और इनका खुलना लोक-हित में नहीं है।

---

[1]National Physical Efficiency Drive.

†मूल अंग्रेजी में

नूनमती तेल शोधक कारखाना

†१६३४. { श्री प्र० चं० बरुग्रा :
　　　　 श्रीमती मफीदा ग्रहमद :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नूनमती तेल शोधक कारखाने के श्रमिकों ने सितम्बर के मध्य में की गई अपनी बैठक में तेल शोधक कारखाने के निर्माण-कार्य से छंटनी किये गये कर्मचारियों को पुनः रोजगार दिये जाने, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिये असैनिक सुविधाओं की व्यवस्था और रेलवे मार्शलिंग यार्ड के लिये अर्जित की गई भूमि के लिये क्षतिपूर्ति देने की मांग की; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन मांगों पर क्या कार्यवाही की है ?

†खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) जी, हां। परन्तु क्षतिपूर्ति देने का प्रश्न बैठक में नहीं उठाया गया था। और न ही यह भारतीय तेल शोधक कारखाना लिमिटेड से सम्बन्धित है।

(ख) छंटनी किये जाने वाले कर्मचारियों को बरौनी तेल शोधक कारखाने में या अन्य किसी स्थान पर, रोजगार प्राप्त करने के लिये, जहां तक हो सकता है, सहायता देने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा और पानी की सुविधायें दी गई हैं। अब तक लगभग १०० प्रमुख व्यक्तियों के आवास के लिये व्यवस्था की गई है।

तेल प्रविधिज्ञ

†१६३५. श्री प्र० चं० बरुग्रा : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तेल प्रविधिज्ञों की उपलब्धता और कमी क्या है ;

(ख) इस समय देश में कितने विदेशी तेल प्रविधिज्ञ नियोजित हैं ; और

(ग) तृटीय पंचवर्षीय योजना में अधिक भारतीय तेल प्रविधिज्ञ रखने की क्या योजना है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जब कि भूतत्वीय और भूभौतिकीय व्यक्ति उपलब्ध हैं, छिद्रण, इंजीयनिरिंग और परिष्करण सम्बन्धी व्यक्तियों की कमी है।

(ख) सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों में लगभग २००।

(ग) विदेशी व्यक्तियों के स्थान पर भारतीयों के लगाने के लिये भारत में और विदेशों में भारतीय प्रविधिज्ञों के प्रशिक्षण के लिये व्यवस्था की गई हैं।

स्कूलों में मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम

†१६३६. श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूलों में मध्याह्न भोजन के कार्यक्रम के लिये अमरीका से भारत को क्या सहायता मिलती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि 'केयर' (सब जगह अमरीका सहायता के लिये सहकारी समितियां) द्वारा बच्चों के लिये आश्वासित संभरण का वाणिज्यिक स्तर पर खुले बाजार में बिक्री द्वारा दुरुपयोग हो रहा है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी बिक्री को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) क्या सरकार को निर्धन बच्चों के लिये अमरीका से प्राप्त दूध के पाउडर और मक्खन के गलत इस्तेमाल के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) स्कूल के बच्चों को मध्याने भोजन के कार्यक्रम के लिये अमरीका सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती है ।

(ख) और (घ). 'केयर' से प्राप्त दूध के पाउडर और अन्य वस्तुओं के गलत इस्तेमाल के बारे में कोई शिकायतें नहीं मिली हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वैद्युदण्विकी (इलैक्ट्रोनिक्स) और विद्युत्-संचार इंजीनियरी में शिक्षा

†**१९३७. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न संस्थाओं में वैद्युदण्विकी (इलैक्ट्रोनिक्स) और विद्युत्-संचार इंजीनियरिंग क्षेत्र में इस समय पाठ्यक्रमों के प्रकारों के बारे में प्रविधिक और व्यावसायिक अर्हता निर्धारण बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) और (ख). जी, हां। बोर्ड ने सिफारिश की है कि विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य संगठनों में वैद्युदण्विकी और विद्युत्-संचार इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पदों को तीन श्रेणियों में रखा जाये और उनके लिये निर्धारित उपयुक्त अर्हतायें निम्न प्रकार हैं :

(१) पद जिनके लिये इंजीनियरिंग अर्हता आवश्यक है : इन पदों के लिये विद्युत्-संचार इंजीनियरिंग अथवा इसके समान की अर्हता को मान्यता दी जाये ।

(२) पद जिनके लिये इंजीनियरिंग के ज्ञान वाले वैज्ञानिक व्यक्तियों की आवश्यकता है : इन पदों के लिये इलैक्ट्रोनिक्स में एम० एस सी० (टेक्नीकल) अथवा इसके बराबर अर्हता को मान्यता दी जाये ।

(३) अन्य पद : इन पदों के लिये या तो विद्युत् संचार इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा इलैक्ट्रोनिक्स में एम० एस सी० (टेक्नीकल) अथवा इसके बराबर अर्हता को मान्यता दी जाये ।

(ग) ये सिफारिशें सभी सरकारी विभागों और अन्य संगठनों को क्रियान्विति के लिये भेज दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुजरात में तेल परियोजनायें

†१६३८. **श्री प्र० चं० बरुग्रा :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने राज्य में तेल परियोजनाओं में श्रमिकों और प्रविधिज्ञों के रोजगार के बारे में गुजरात के तेल वाले क्षेत्रों के स्थानीय लोगों के लिये अभ्यावेदन भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) गुजरात सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को कैम्बे तालुक के कुछ निवासियों का, जो भू-अर्जन के कारण भूमि-हीन हैं, एक अभ्यावेदन भेजा है जो उनको वैकल्पिक रोजगार और वैकल्पिक व्यापार करने का अवसर देने के बारे में है ।

(ख) ये व्यक्ति कैम्बे ; तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बस्ती में व्यापार करने और कैम्बे परियोजना में श्रमिकों के रूप में नौकरी पाने की सुविधाओं को बढ़वाना चाहते हैं ।

(ग) आयोग स्थानीय व्यक्तियों को, योग्य पाने पर, प्राथमिकता दे रहा है ।

दिल्ली में देशी शराब की बिक्री

†१६३९. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में देशी शराब की बिक्री में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)) :** (क) जी, नहीं । चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों में देशी शराब की बिक्री में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कमी हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैसूर में सैनिक स्कूल

†१६४०. { **श्री अगाड़ी :**
श्री रामपुरे :
श्री सुगन्धि : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने कर्णाटक में स्वतंत्रता आन्दोलन की अग्रणी, रानी चेन्नम्मा की स्मृति में मैसूर राज्य के बेलगांव जिले में किट्टूर किले में एक सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) अभी मैसूर सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नौ–बीमा¹ सम्बन्धी कानून

†१६४१. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नौ-बीमा सम्बन्धी संविधि की आवश्यकता अथवा अनावश्यकता के बारे में विधि आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि आयोग का यह विचार है कि एक पृथक कानून आवश्यक है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). रिपोर्ट छप रही है और सभा पटल पर रिपोर्ट की प्रतियां प्राप्त होने पर वित्त मंत्रालय इस मामले पर विचार करेगा।

जन्म और मृत्यु के पंजीयन के लिये कानून

†१६४२. **श्री हेमराज** : क्या गृह-कार्य मंत्री ४ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करने के लिये एक केन्द्रीय कानून बनाने में क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : जैसा प्रश्न संख्या ११५८ के उत्तर में बताया गया था, सिफारिशों की राज्य सरकारों के परामर्श से छान बीन की जा रही है। जब तक राज्य सरकारों के विचार एकत्र न कर लिये जायें और उन पर यदि आवश्यक हुआ तो विचार न कर लिया जाये, कोई ठीक प्रगति बताना संभव नहीं है । राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने में और केन्द्रीय सरकार द्वारा ठोस विवरण बनाने में समय लगेगा ।

पठानकोट में हवाशई अड्डा

†१६४३. { **श्रीमती मैमूना सुल्तान** :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पठानकोट में एक नया हवाई अड्डा बन रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की क्या लागत है ; और

(ग) अब तक योजना की क्रियान्विति में क्या प्रगति की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). वर्तमान हवाई अड्डे को पर्याप्त रूप से सेवा लायक बनाया जा रहा है। इस बारे में ब्यौरा बताना जन-हित में नहीं है ।

¹Marin Insurance.

†मूल अंग्रेजी में

प्रौढ़ शिक्षा

†१६४४. श्रीमती मैमना सुल्तान : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी एक व्यापक कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का क्या ब्यौरा है, और

(ग) योजना पर कितना अनुमानित व्यय होगा और केन्द्र तथा राज्य इसको किस प्रकार वहन करेंगे ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†१६४५. श्री कोडियान : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में अनुसूचित जातियों द्वारा की गयी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये सरकार का कोई उच्च शक्ति आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मतदान का नया तरीका

†१६४६. श्री मो० ब० ठाकुर : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने वर्ष १९६२ के सामान्य निर्वाचनों के लिये नये तरीके के अधीन मतदाना की प्रणाली का ब्यौरा अन्तिम रूप से तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ;

(ग) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने क्रमशः गुजरात में और महाराष्ट्र में विशेष रूप से चोरास और चावरीस नाम से मशहूर सरकारी विश्रामालयों और सरकारी इमारतों में मतदान केन्द्र बनाये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, हां ।

(ख) सभी राज्यों (जम्मू तथा काश्मीर को छोड़ कर) के मुख्य निर्वाचक पदाधिकारियों को निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक ४ अक्तूबर, १९६१ का सार, जिसमें आगामी सामान्य निर्वाचनो में मतदान की प्रक्रिया बतायी गयी है, पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६३ ।]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) मतदान केन्द्र सामान्यतया स्कूल की इमारतों और अन्य सार्वजनिक इमारतों में बनाये जाते हैं और कहीं कहीं किसी विशेष क्षेत्र में कोई उपयुक्त इमारत नहीं मिलती है, तो विश्रामालय (रेस्ट हाउस) अथवा चवाडो में मतदान केन्द्र बनाया जाता है ।

(घ) क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में मतदान केन्द्रों की कुल संख्या लगभग ३०,००० होगी, इन मतदान केन्द्रों का ब्यौरा एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

प्राकृतिक विज्ञान संस्थाएं

†१६४७. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में यूनेस्को की सहायता से प्राकृतिक विज्ञान संस्थाओं की स्थापना की जानी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने और कहां ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). सरकार को इस संबंध में अभी तक यूनेस्को से कोई सूचना नहीं मिली है ।

दिल्ली पुलिस

†१६४८. **श्री अरविन्द घोषाल** : : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस को जाड़ों की वरदी जाती दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). दिल्ली पुलिस के लोअर एवं अपर सबौरडिनेट्स[1] को जाड़े की वर्दी की निम्नलिखित चीजें दी जाती हैं :--

हैड कांस्टेबिल और कांस्टेबिल :

(१) ग्रेट कोट

(२) कार्डीगन जैकेट

(३) आधे मोजे

(४) पट्टियां (अर्ध ऊनी)

(५) होज टॉप्स ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Lower and upper subordinates.

असिस्टेंट सब-इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर :

(१) ग्रेट कोट

(२) पूरे मौजे

(३) होज़ टॉप्स

(४) पट्टियां (अर्ध ऊनी)

(५) कार्डीगन जैकेट (केवल दिल्ली के अपर-सबौरडिनेट्स के लिए क्योंकि उन्हें शारीरिक व्यायाम में भाग लेना पड़ता है ।)

(६) ऊनी सर्ज ट्यूनिक (केवल पायलट ड्यूटी में नियोजित अपर सबौरडिनेट्स के लिए) ।

पुलिस के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्टों और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को नियमानुसार वर्दी भत्ते दिए जाते हैं।

आयध कारखाना खमरिया और गनकैरिज फैक्टरी, जबलपुर

†१६४९. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खमरिया के युद्ध सामग्री कारखाने और जबलपुर की गन कैरिज फैक्टरी के कर्मचारियों को क्वार्टर दिए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत कर्मचारियों को कोई क्वार्टर आवण्टित नहीं किए गए हैं ; और

(ग) उनको क्वार्टर देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) युद्ध सामग्री कारखाना, खमरिया और गनकैरिज फैक्टरी, जबलपुर के लगभग ७० प्रतिशत कर्म चारियों को क्वार्टर दिए गए हैं।

(ख) लगभग ३० प्रतिशत। इस में वे कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जन्हें सरकारी क्वार्टर की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार १२०० नए क्वार्टर खमरिया में और ५०० क्वार्टर जबलपुर में बनाए जाने हैं।

कोयला खानें

†१६५०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि भारत में कोयला खानों की प्रति टन उत्पादन आय वर्ष १९५७ की औसत आय की अपेक्षा कम हो गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) आय में इस कमी के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) भारत की कोयला खानों की औसत आय का सहज निर्धारण करना संभव नहीं है। कोयले का मूल्य नियंत्रित है और समय समय पर समस्त संबंधित तत्वों पर विचार करके निश्चित किया जाता है। कोयला खानों दी जाने वाली संग्रह करने की सहायता और कठिन कार्य-स्थितियों से पीड़ित कोयला खानों को राजसहायता का दिया जाना आवश्यक प्रतिकर प्रदान करते हैं। मोटे तौर से यदि कोयला खानों का संचालन समुचित दक्षता से किया जाए तो उनसे संतोषजनक आय न होने का कोई कारण नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उपकुलपतियों का सम्मेलन

†१६५१. { **श्री तंगामणि :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार २९ अक्तूबर, १९६१ को दिल्ली में हुए उपकुलपतियों के सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के कदम उठाये गए हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) और (ख): अक्तूबर, १९६१ में हुए उपकुलपतियों के सम्मेलन की कार्यवाही का विवरण अभी अंतिम रूप से तैयार नहीं हुआ है। सम्मेलन के निष्कर्ष और सिफारिशें क्रियान्वयन हेतु के उपकुलपतियों तथा सम्मेलन के अन्य सहभागियों को भेज दिये जायेंगे।

तीसरे वित्त आयोग का प्रतिवेदन

†१६५२. { **श्री तंगामणि :**
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वित्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कब तक पेश किये जाने की आशा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) दिसम्बर, १९६१ के मध्य तक।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिवाजी और महाराणा प्रताप की मूर्तियां

१६५३. श्री बलराज मधोक : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजय चौक में छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप की प्रतिमायें लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं ।

(ख) व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा दिये गये दिल्ली में प्रतिमायें लगाने के उन प्रस्तावों पर जिन के लिये अपेक्षित धन का वचन दिया जाता है, परामर्शदात्री समिति जांच करती है जिसको स्थान की उपयुक्तता तथा दूसरे सम्बन्धित बातों पर विचार करना होता है ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

१६५४. { **श्री बलराज मधोक :**
श्री अरविंद घोषाल :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उप-कुलपति द्वारा अलीगढ़ विश्वविद्यालय में हुए दंगों की जांच के लिये नियुक्त की गई रिपोर्ट भारत सरकार के पास आ गई है; और

(ख) इस रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

बम्बई में निषिद्ध सोने का पकड़ा जाना

†१६५५. श्रीमती मफीदा अहमद : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में कस्टम अधिकारियों द्वारा २ नवम्बर, १९६१ को विक्टोरिया डॉक में एक जहाज से ७५,००० रुपये का निषिद्ध सोना पकड़ा गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). एम० एस० द्वारा बम्बई के विक्टोरिया डॉक में फारस की खाड़ी के पत्तनों से पहुंचा । २ नवम्बर, १९६१ को बम्बई के कस्टम अधिकारियों ने उस जहाज से चार सूती कपड़े के बोरे बरामद किए जो पाल के रस्से से बंधे हुये थे । इन बोरों में सोने की ६० छड़ें (६९९८ ग्राम की) पाई गईं जिन पर विदेशी चिह्न थे । ३ नवम्बर, १९६१ को तलाशी जारी रखी गई और एक अन्य सूती बोरा बरामद किया गया जिसमें ७२ तोले (८३९ ग्राम) की १२ सोने की चेनें और २ हाथ की घड़ियां पाई गईं । उसी दिन

†मूल अंग्रेजी में

जहाज़ के अन्य भाग से एक सूती पेटी बरामद की गई जिसमें सोने की ३० छड़ें (३४९९ ग्राम की) मिलीं। ४ नवम्बर, १९६१ को जहाज़ के चालक वृन्द का एक सदस्य पकड़ा गया और उसके बदन पर सोने की २ छड़ें (२२३ ग्राम) निकलीं। बाद में गार्ड ड्यूटी पर नियुक्त एक कस्टम अधिकारी ने चालक वृन्द के एक बिना शिनाख्त किए गये सदस्य को जहाज़ की साढ़ी के रेलिंग के शीर्ष पर एक बंडल छोड़ते हुए देखा। जांच किये जाने पर उस बंडल में सोने की १० छड़ें (११६६ ग्राम की) निकलीं।

बरामद और जब्त किए गए सोने की कुल मात्रा लगभग १२,७३५ ग्राम थी जिसका मूल्य लगभग १,५५,६७० रुपये होता है।

त्रिपुरा में भूमिधारण करने वाली आदिम जातियों की संख्या में कमी

†१६५६. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में आदिम जातीय किसानों, जो स्वयं भूमि के मालिक हैं, की संख्या पिछले १० वर्षों में कम होती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कमी का क्या कारण है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा में पेंशन के मामले

†१६५७. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में बहुत से पेन्शन के मामलों का अभी निपटारा किया जाना शेष है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके निपटारे में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और कितने मामलों का निपटारा किया जाना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां।

(ख) प्रशासन में ११८ पेन्शन के मामले निपटारे के लिये पड़े हुए हैं। आधे से अधिक मामले विलय के पूर्व के रिकार्ड न मिलने के कारण पड़े हुए हैं। इन मामलों में सामानान्तर साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की अर्हता प्राप्ति की सेवा का सत्यापन करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। कुछ संदिग्ध मामलों में उत्तराधिकारियों द्वारा लिये गये वेतनों का भी सत्यापन किया जाना है। कुछ देर पेन्शन के प्रार्थनापत्रों के देर से प्राप्त होने के कारण भी हुई है।

कमलपुर में खतीहरों की बेदखली

†१६५८. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में, और विशेषकर कमलपुर में, ऐसे अनेक व्यक्तियों को बेदखली के नोटिस दिए गए हैं जो उन भूमियों पर दस वर्ष से भी अधिक समय से रह रहे हैं और उस पर खेती कर रहे हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की उनको उचित ढंग से पुनर्वासित करने की कोई योजना है अथवा सरकार उन्हें उन भूमियों पर बसाने का विचार कर रही है जहां से उन्हें बेदखल किया जाने वाला है, यदि वे व्यक्ति ऐसे बन्दोबस्त की शर्तों और निबन्धनों का पालन करने के लिये तैयार हों ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) त्रिपुरा में सरकारी भूमियों पर अनधिकृत कब्जे के मामलों की संख्या बहुत अधिक है तथा उसका अभी सत्यापन किया जा रहा है। जिन मामलों में अनधिकृत कब्जा सिद्ध हो चुका है उनमें त्रिपुरा भू राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम, १९६० की धारा १५ के अन्तर्गत कार्यवाहियां प्रारम्भ की गई हैं। कमलपुर सबडिवीजन में ऐसे मामलों की संख्या १९६७ है जिन में कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

(ख) प्रशासन अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा काविज भूमि का बन्दोवस्त त्रिपुरा के लिये इस प्रयोजन के लिये गृह मंत्रालय की मंत्रणा समिति द्वारा अनुमोदित सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा। और (क) में निर्दिष्ठ मामलों में तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

सड़कों आदि के नाम

१६५६. श्री बलराज मधोक : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के स्वतंत्र होने के बाद किन-किन नेताओं के नाम पर दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में सड़कों, स्थानों एवं संस्थाओं आदि के नाम रखे गये हैं ;

(ख) क्या उनकी सूची तैयार की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में इस पर विचार करेगी; और

(घ) क्या सरकार का उन सड़कों आदि के नाम बदलने का विचार है जिन के नाम अब भी विदेशियों के नाम पर हैं ?

गृह-मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). १५ अगस्त, १९४७ के प्रश्चात् जिन नेताओं के नाम पर दिल्लो की सड़कों, स्थानों, संस्थाओं आदि के नाम रखे गये हैं उनकी सूची जो सरकार के पास प्राप्त सूचना के अनुसार तैयार की गई है, संलग्न है। **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९४]**

(घ) दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में सड़कों के नाम को रखना संबद्ध स्थानीय निकायों जैसे दिल्ली नगर-निगम, नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली केन्टोनमेण्ट बोर्ड का कार्य है। स्थानों और संस्थाओं के नाम रखने का उत्तरदायित्व उन अधिकारियों का है जो इनके स्वामी हैं सरकार का नहीं।

हिन्द महासागर में अनुसंधान

१६६०. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्द महासागर में वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिये ४० जहाजों का बेड़ा छैः वर्षीय योजना के अधीन कार्य करेगा, जिसमें १५ करोड़ डालर खर्च होने का अनुमान है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या भारत भी इस में सहयोग दे रहा है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) वर्तमान सूचना के अनुसार करीब २७ जहाज, १९६२ से १९६४ तक, लेकिन अनुमानित खर्चे का पता नहीं है ।

(ख) जी हां ।

मनीपुर में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति

†१६६१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में मनीपुर के केन्द्रीय प्रशासित राज्य क्षेत्र की विधि तथा व्यवस्था की स्थिति का पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पुनरीक्षण का क्या परिणाम निकला; और

(ग) क्या सरकार द्वारा स्थिति के हल के लिये कोई निर्णय किया गया है और वह क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). मनीपुर की विधि तथा व्यवस्था की स्थिति का निरन्तर पुनरीक्षण किया जा रहा है और पिछले तीन महीनों में स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है । मनीपुर घाटी में, जहां दो तिहाई आबादी रहती है, तो स्थिति सर्वथा सामान्य है परन्तु तामेंगलांग और उखरूल के सब-डिवीजन और पहाड़ी क्षेत्रों के माओ सब-डिवीजन का माओमरम सर्किल सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत उपद्रवग्रस्त घोषित किये गये हैं । सुरक्षा बल द्वारा कार्यवाही किये जाने के कारण इन क्षेत्रों की स्थिति नियंत्रण में आ गई है ।

विद्युत प्रजनन ऐकक

†१६६२. **श्री कालिका सिंह :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इजराइल की राष्ट्रीय एवं भौतिक-प्रयोगशाला ने हाल में आयोजित शक्ति के नये संसाधनों संबंधी राष्ट्र संघीय सम्मेलन में एक नये "पाकेट" सौर-शक्ति प्रजनन ऐकक का प्रदर्शन किया था जो पांच अमरीकी सेन्ट प्रति के० डब्लू० एच० की अनुमानित लागत पर २ से १० किलोवाट तक बिजली पैदा कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इजराइल के इस अनुसन्धान से भारत कोई लाभ उठायेगा;

(घ) क्या किसी भारतीय द्वारा भी इस प्रकार का कोई अनुसन्धान किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) से (ग). हां, श्रीमान्, एक प्रयोगात्मक सौर-शक्ति टरबाइन प्रदर्शित किया गया था जो एक रसायनिक द्रव्य से संचालित होता था तथा जिस में सौर-शक्ति एकत्रित करने के लिये लगभग १२ मीटर लम्बे और १½ मीटर व्यास के छः बड़े 'सिलेन्ड्रीकल इनफ्लेटेड प्लास्टिक' के शीशे लगे थे। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि वह सफल रहेगा या नहीं क्योंकि एक ५ अश्वशक्ति के एकक में लगभग २०,००० रुपये से २५,००० रुपये की लागत लगाने का अनुमान है और अनुसन्धान में अग्रेतर विकास की आवश्यकता है।

(घ) और (ङ) नहीं, श्रीमान्। केवल एक साधारण १/१० अश्व शक्ति का हाट एयर एंजिन नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में प्रयोग के तौर पर चलाया गया था तथा उसे कम कार्यक्षमता का पाया गया।

स्कूलों में दोपहर का भोजन

†१६६३. { श्री कालिका सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूल के बच्चों के लिये दोपहर के भोजन के उपबन्भ के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से क्या अग्रेतर सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) विभिन्न राज्यों में दोपहर के भोजन में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं;

(ग) संघ सरकार स्कूल के बच्चों के मामले में समान नीति के हेतु उचित अनुदान क्यों नहीं देती है; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश ने बच्चों के लिये दोपहर के भोजन के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार, जिस से सूचना प्रतीक्षित थी, ने सूचित किया है कि स्कूल के भोजन के लिये तीसरी योजना में पिछड़े क्षेत्रों के लिये ११.५० लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है।

(ख) सूचना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से मांगी गई है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) स्कूल के बच्चों के लिये दोपहर के भोजन की योजना पंच वर्षीय योजना के राज्य क्षेत्र में आती है : भारत सरकार द्वारा राज्य योजनाओं में सम्मिलित समस्त योजनाओं के लिये सहायता दी जा रही है।

(घ) नहीं, श्रीमान्।

---

†मूल अंग्रेजी में

जन संख्या वृद्धि

†१६६४. { **श्री कालिका सिंह :**
श्री राधामोहन सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ और १९६१ की जनणना के बीच पश्चिम और पूर्व पाकिस्तान को छूने वाले सीमान्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि की दरें क्या हैं;

(ख) भारत में इन १० वर्षों में उपरोक्त सीमान्त क्षेत्रों, जिन में वृद्धि की दर असामान्य है, से भिन्न क्षेत्रों की औसत वृद्धि दर क्या है और वह औसत दर इन सीमान्त राज्यों की तुलना में अलग अलग कैसी है जिन में वृद्धि की दरें अधिक हैं ;

(ग) क्या मंत्रालय को कुछ राज्यों और क्षेत्रों में असामान्य वृद्धि दर की व्याख्या करने वाले समस्त तथ्यों की जानकारी अभी प्राप्त है;

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस संबंध में एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखेंगे; और

(ङ) मंत्रालय ने उन क्षेत्रों में वृद्धि की दर के तथ्यों की जांच करने के लिये क्या तरीके अपनाये हैं ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) यह सूचना '१९६१ की जनगणना: अन्तर्कालीन जनसंख्या योग' नामक पुस्तिका की संघ तालिका १ और २ में सम्मिलित है जिस की प्रतियां सदस्यों को दी गई हैं। संबंधित वृद्धि की दरों को नीचे उद्धृत किया गया है :

१९५१–६१ की जनसंख्या वृद्धि की दरें :—

(१) पश्चिम पाकिस्तान सीमान्त पर स्थिति राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की

१. **जम्मू तथा काश्मीर :** अनुमान लगाया जाना है क्योंकि १९५१ में कोई जनगणना नहीं की गई थी। १९४१–६१ के आधार पर १९५१–६१ का औसत ९.७३ है।

२. पंजाब :	२५.८० ।
३. राजस्थान :	२६.१४ ।
४. गुजरात :	२६.८० ।

(२) पूर्व पाकिस्तान सीमान्त पर स्थित राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों की :

१. आसाम :	३४.३० ।
२. त्रिपुरा :	७८.६३ ।
३. बिहार :	१९.७८ ।
४. पश्चिम बंगाल :	३२.९४ ।

†मूल अंग्रेजी में

भारत की १९५१–६१ के दौरान औसत वृद्धि दर २१ ' ४९ रही है। अतः जम्मू तथा काश्मीर और बिहार की दर औसत से कम है।

(ख) जैसा कि संघ तालिका २ से ज्ञात होगा, १९५१–६१ के दौरान भारत के अधिकांश राज्य की वृद्धि की दरें सामान्य से ऊपर थीं यदि 'सामान्य' का तात्पर्य ऐसे अंक से हो जो १९०१–५१ की वृद्धि की दरों की लाइन में फिट बैठे। उपरोक्त राज्यों की १९५१–६१ की औसत वृद्धि दर एक साथ मिला कर २६ ' ०६ है जब कि शेष भारत, अर्थात् गैर-सीमान्त भारत की १९ ' ०२ है।

(ग) और (घ). जी, नहीं। जनगणना के आंकड़ों का अभी सारिणीकरण किया जा रहा है। प्रादेशिक एवं असाधारण वृद्धि का पूर्ण कारण तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि आयु, लिंग, विवाह संबंध, प्रव्रजन, पेशा, उद्योग, धर्म, भाषा, साक्षरता और राष्ट्रीयता संबंधी सारणियां उपलब्ध नहीं होतीं।

(ङ) जनणना के सामाजिक विश्लेषण का रजिस्ट्रार जरनल तथा अन्य अभिकरणों द्वारा की गई वृद्धि की दरों के विशेष सर्वेक्षण की जांच द्वारा पुष्टि होगी। सामाजिक विश्लेषण की समस्त प्रतिमान विधियों का प्रयोग किया जायेगा। इस के अतिरिक्त स्थानीय अधिकारियों और सार्वजनिक नेताओं से एकत्रित स्थानीय प्रशासकीय जानकारी का भी इन आंकड़ों पर असर पड़ेगा।

शिक्षा का माध्यम

†१९९५. { **श्री कालिका सिंह :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **शिक्षा** मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८२८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा हिन्दी को विभिन्न विश्वविद्यालयों में लागू करने की योजना को क्रियान्वित करने के लिये क्या वास्तविक कदम उठाये गये हैं;

(ख) स्वयं विश्वविद्यालयों और मंत्रालयों द्वारा हिन्दी और उसकी शब्दावलि का वैज्ञानिक एवं प्रविधिक पदावलि के क्षेत्र में विकास करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) विश्वविद्यालयों में अध्यापन हेतु हिन्दी में प्रतिमान प्रकाशन निकालने अथवा उन्हें प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) विभिन्न विश्वविद्यालयों ने सरकार की नीति निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये क्या फैसला किया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (घ). मुख्य मंत्रियों के १०, ११ और १२ अगस्त, १९६१ को हुए सम्मेलन में दिये गये वक्तव्य को २८ और २९ अक्तूबर, १९६१ को आयोजित उपकुलपतियों के सम्मेलन में उपकुलपतियों की सूचना में लाया गया था।

वैज्ञानिक एवं प्रविधिक विषयों के शब्द तैयार करने और उन का पुनरीक्षण एवं समन्वय करने के लिये एक स्थायी आयोग स्थापित किया गया है। अभी तक तैयार किये गये शब्दों की एक पारिभाषिक शब्दावली छापी जा रही है। शिक्षा मंत्रालयों ने विदेशी भाषाओं और हिन्दी से भिन्न भारतीय भाषाओं की उत्तम पुस्तकें तैयार करने और उन का हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने के लिये एक परियोजना प्रारम्भ की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

शीर्ष सहकारी बैंक

†१९९६. **श्री कालिका सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में शीर्ष सहकारी बैंकों के नाम व उनके पदाधिकारियों के पदनाम क्या क्या ह ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में एक से अधिक शीर्ष सहकारी बैंक हैं;

(ग) क्या राज्यों को शीर्ष सहकारी बकों का रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा किया गया निरीक्षण बताता है कि कुछ राज्यों में दोहरेपन के तथा अन्य दोष हैं;

(घ) विभिन्न राज्यों में वे किस प्रकार के राज्य सहकारी बैंक हैं, जो जिला सहकारी और अन्य बैंकों के लिए वित्त व्यवस्था करने में कठिनाइ उत्पन्न करते हैं;

(ङ) क्या रिजर्व बैंक प्रत्येक राज्य में एक शीर्ष सहकारी बैंक खोलने के पक्ष में है; और

(च) १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में मौसम खेती के काम और विपणन के लिये काम देने के लिये प्रत्येक राज्य में राज्य सहकारी बैंकों को कितना ऋण दिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) सहकारी बकों के नाम और उनके प्रभारी अधिकारियों के पद दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९५]**

(ख) आन्ध्र प्रदेश में दो शीर्ष सहकारी बैंक हैं और मिलाने का प्रश्न विचाराधीन है। अब अन्य प्रत्येक राज्य में एक राज्य सहकारी बैंक है।

(ग) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की निरीक्षण रिपोर्टों को गोपनीय माना जाता है। इसलि प्रत्येक या किसी एक बैंक की स्थिति बताना सम्भव नहीं है। फिर भी यह समझा जाता है कि पाई गई अनियमितता सम्बन्धित बैंकों को बताई जाती हैं।

(घ) यह मानने का कोई कारण नहीं है कि राज्यों में सहकारी बैंको की प्रकार से विभिन्न स्थितियो में सहकारी समिति ों को धन देने में कठिनाई हो गई है।

(ङ) हां।

(च) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९६]**

दिल्ली के स्कूलों में संस्कृत की अध्यापिकायें

१९९७, **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में ऐसे अनेक लड़कियों के स्कूल हैं जहां ११ वीं श्रेणी को संस्कृत पढ़ाने वाली ऐसी अध्यापिकायें हिन्दी में एम०ए० हैं पर संस्कृत में या तो बी० ए० तक प ी हैं अथवा जिन्होंने प्रभाकर आदि परीक्षाओं में केवल एच्छिक रूप से संस्कृत पढ़ी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि मैट्रिक-प्रभाकर अथवा बी० ए० प्रभाकर आदि को बी० ए० बी० टी० का ग्रेड मिल जाता है पर एम० ए० प्रभाकर अथवा एम० ए० शास्त्री को एम० ए० बी० टी० का ग्रेड प्रायः नहीं दिया जाता ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) दिल्ली प्रशासन से इस सम्बन्ध में पूछताछ की जा रही है ।

(ख) जी, नहीं ।

पुनर्वास मंत्रालय के छंटनी किए गये कर्मचारी

†१६६८. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास मन्त्रालय से छंटनी किये गये कर्मचारियों की पहिली सेवा प्रतिरक्षा मन्त्रालय के अतिरिक्त अन्य सभी मन्त्रालयों में लिये गये उन कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करके समय मान ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव का क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार इस दोष को दूर करने के लिये शीघ्र ही कोई कार्यवाही करेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली की महिला पुलिस

†१६६९. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में महिला पुलिस में कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या महिला पुलिस और पुरुष पुलिस के कामों और सेवा की शर्तों में कुछ अन्तर है ;

(ग) क्या यह सच है कि महिला पुलिस सिपाहियों को उनके मासिक धर्म के दिनों में भी परेड करने के लिये बाध्य किया जाता है और विभिन्न थानों में रात को उनकी अकेली की ड्यूटी लगाई जाती है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि महिला पुलिस कर्मचारी इस व्यवहार की शिकायत करती रही हैं ;

(ङ) यदि हां, तो उनकी कठिनाई दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(च) क्या बेवक्त महिला पुलिस कर्मचारियों को काम पर लाने और उन्हें वापस उनके घर पहुंचाने के लिये कोई प्रबन्ध है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) ६५ ।

(ख) सेवा की शर्तें समान हैं परन्तु महिला पुलिस को साधारणतया स्त्रियों और बच्चों सम्बन्धी काम दिया जाता है ।

(ग) नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(च) जब महिला पुलिस को बे वक्त काम पर बुलाया जाता है, तो उन्हें सरकारी सवारी और साथ लाने के लिये उच्च श्रेणी का कर्मचारी भेजा जाता है ।

राज्य विभाग

†१६७०. **श्री पहाड़िया :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन राज्यों में निम्नांकित विषयों के सरकारी सचिव और विभागाध्यक्ष भारतीय प्रशासन सेवा या राज्य असैनिक सेवा के व्यक्ति होते हैं :

१. शिक्षा

२. उद्योग और वाणिज्य

३. सहकारिता

४. कृषि

५. श्रम

६. उत्पादन शुल्क और कराधान ;

(ख) यदि दोनों ही पदों पर भारतीय प्रशासन सेवा या राज्य असैनिक सेवा के कर्मचारी हों, तो क्या सरकार इन विभागों को टैक्निकल नहीं मानती ; और

(ग) यदि हां, तो टैक्निकल विभाग कौन-कौन हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राजनीतिक पीड़ित

†१६७१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुत से राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन तथा अन्य सहायता न देने के क्या कारण हैं;

(ख) पश्चिमी बंगाल में कितनों को पेंशन दी गई है ;

(ग) इस राज्य के कितने व्यक्तियों को पेंशन नहीं दी गई है ;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य के लिये राज्य को कितना धन दिया है और क्या इसमें वृद्धि करने की राज्य की कोई मांग है ; और

(ङ) क्या पेंशनरों के मामलो का पुनरीक्षण करने की कोई मांग है ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) राजनीतिक पीड़ितों को सहायता देने का मुख्य काम राज्य सरकारों का है । उन्होंने ही पेंशन, नकद अनुदान, भूमि, पुनर्वास ऋण, आदि देने की योजनाओं बनाई थीं । राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन देने की भारत सरकार की कोई

†मूल अंग्रेजी में

योजना नहीं है। फिर भी, निजी कठिनाई के मामले में अनावर्तक नकद अनुदान गृह-कार्य मन्त्री के विवेक पर रखी गई निधि में से ऐच्छिक अनुदान के रूप में दिया जाता है।

(ख) और (ग). जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में कहा गया है, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन देने का काम राज्य सरकार का है। कितने लोगों को राज्य सरकार से पेंशन मिल है। और कितने लोगो को नहीं मिली इस बारे में तत्काल जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) राजनीतिक पीड़ितों को राज्य सरकारें अपनी ही निधि में से पेंशन देती हैं और इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार कोई धन नहीं देती।

(ङ) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

उद्योगों के लिए भूतपूर्व सैनिक

†१६७२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री ९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच विभिन्न उद्योगों में भूतपूर्व सैनिकों की बुद्धि व अनुभव का उपयोग करने के बारे में अध्ययन दल की सभी सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) अध्ययन दल की उपसमिति की सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मतदान केन्द्र

†१६७३. **श्री थर्मलिंगम :** क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मतदान केन्द्र किस आधार पर बनाये जाते हैं ;

(ख) वे किस आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान को बदले जाते हैं; और

(ग) क्या मतदान केन्द्र बनाने और उन्हें बदलने के बारे में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों से परामर्श करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) मतदान केन्द्र स्थापित करने में निम्न सिद्धान्तों का ध्यान रखा जाता है :

(१) किसी भी मतदमन केन्द्र पर १,००० से अधिक मतदाता नहीं रखे जाते ;

(२) नगर क्षेत्र में, एक ही इमारत में चार और ग्रामीण-क्षेत्र में दो से अधिक मतदान-केन्द्र नहीं रखे जाते। यह इसलिये किया जाता है कि भीड़ व भ्रम न हो और व्यव व्यवस्था बनी रहे ;

(३) जहां सर्वथा आवश्यक हो, वहां स्त्रियों व पुरुषों के लिये अलग-अलग मतदान केन्द्र बनाये जाते हैं ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(४) मतदाता को मतदान केन्द्र तक जाने के लिये अधिक नहीं चलना पड़े ;

(५) कोई भी मतदान केन्द्र धार्मिक स्थान में नहीं रखा जाता । जहां तक सम्भव हो मतदान केन्द्र स्कूलों व सरकारी इमारतों, विश्रामगृहों, निरीक्षण बंगलों आदि में रखे जाते हैं । जहां ये इमारतें न हों, वहां गैर-सरकारी इमारतें ली जाती हैं; अन्यथा अस्थायी इमारत बनाई जाती है ; और

(६) किसी उम्मीदवार या उसके किसी सहायक या किसी राजनीतिक दल के सुप्रसिद्ध या कार्यकारी सदस्य की इमारत में मतदान केन्द्र नहीं रखा जाता ।

(ख) मतदान केन्द्रों की नामावली का प्रारूप प्रकाशित होता है, जिससे जनता से आपत्ति तथा सुझाव मांगे जाते हैं । उसके बाद दलों के प्रतिनिधियों व विधायकों से नामावली को अन्तिम रूप देने से पहिले उन पर चर्चा होती है । अंतिम नामावली में परिवर्तन केवल सर्वथा आवश्यक होने पर किये जाते हैं जब कि वे लोक हित में भी हों ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

इस्पात का प्रतिधारण मूल्य

†१६७४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात का स्थिर मूल्य बढ़ा है ;

(ख) यदि हां, तो कितना बढ़ा है ;

(ग) क्या इससे मुख्य निर्यात उद्योगों को सहायता प्राप्त इस्पात का संभरण कम हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कितना कम हुआ है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख) इस्पात का स्थिर मूल्य समय-समय पर बढ़ता रहा है । इस्पात का औसत स्थिर मूल्य लगभग ४७४.५९ रु० था और यह मूल्य ३१-३-१९६० को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि में था । ५२० रु० प्रति टन का इस्पात का अस्थायी स्थिर मूल्य १-४-१९६० से ३१-३-१९६२ के लिये निर्धारित किया गया है । यह मूल्य प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट न आने तक है ।

(ग) और (घ) निर्यात करने वाले उद्योगों के लिये इस्पात का मूल्य नहीं बढ़ा है ।

मनीपुर के सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को सर्दी भत्ता

†१६७५. **श्री लं० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर की पहाड़ियों में सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को पहाड़ तथा सर्दी भत्ते दिये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें ये भत्ते कब दिये गये थे ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मनीपुर के अतिरिक्त सह-आयुक्तों की भर्ती

†१६७६. श्री ले० अचौ सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक सेवा संघ आयोग ने अपने स्पष्ट अनुदेशों के विरुद्ध मनीपुर प्रशासन द्वारा दो अतिरिकत सह-आयुक्तों की प्रत्यक्ष भर्ती किये जाने पर घोर आपत्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). सितम्बर, १९६० में अतिरिक्त सह-आयुक्तों के पद मंजूर किये गये। प्रशासन को इन लोगों की तत्काल आवश्यकता थी और उसने लोक संघ सेवा आयोग के अनुमोदन की आशा में उन पर अधिकारी नियुक्त कर लिये। संघ लोक सेवा आयोग ने यह भी बताया अल्प-काल के लिये भी विज्ञापन द्वारा भरती करने के लिये भी इसे बताने की आवश्यकता है। प्रशासन ने तदनुसार इन पदों के लिये नियमित भर्ती करने के लिये आयोग से मांग की है।

अनुसूचित आदिम जाति आयोग

†१६७७. श्री क० द० परमार : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग पर कुल कितना व्यय हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि आयोग धन के अभाव के कारण समय पर काम नहीं कर सका जिसके परिणाम स्वरूप अवधि दो बार बढ़ाई गई ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) ३१ अक्तूबर, १९६१ तक अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग पर ५,२५,३८६ रु० व्यय किये गये। आशा है कि आयोग का कार्यालय बन्द होने तक ७६,५०० रु० और व्यय होंगे।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विनिषिद्ध वस्तुयें ले जाने वाली कार से दुर्घटना

†१६७८. श्री अ० क० गोपालन : क्या वित्त मंत्री २५ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार का मलिक कौन है और उसमें कौन कौन-लोग बैठे थे ;

(ख) क्या सीमा-शुल्क विधान के अनुसार न्याय निर्णय करना समाप्त हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसा ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) कार का मालिक श्री काशी राम के पुत्र श्री लेखराज गुप्त हैं। कार का ड्राइवर श्री ओंकार नाथ उर्फ "कारी" था। कार में इनके अतिरिक्त सरदार मान सिंह जाट, साकिन गांव चक-अल्लाह बक्स के पुत्र श्री बाबा सिंह था।

(ख) नहीं, श्रीमान्। उपरोक्त तीन व्यक्तियों को 'कारण बताओ' विज्ञप्ति भेज दी गयीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा भूमि सीमा शुल्क क उप-समाहर्ता[1] का प्रादेशिक कार्यालय

†१६७९. **श्री बर्मन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बंगाल में जलपई गुड़ी में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा भूमि सीमा शुल्क के उप-समाहर्ता का प्रादेशिक कार्यालय कब से स्थापित हुआ है ;

(ख) उसके बाद अराजपत्रित श्रेणियों में भर्ती के लिये कितनी परीक्षायें हुई हैं और प्रतिबार कितने परीक्षार्थी बैठे ;

(ग) प्रतिबार कितने परीक्षार्थी अन्तिम रूप से रिक्त पदों पर या नये पदों पर नियुक्त हुये ;

(घ) नियुक्ति कर्ता अधिकारी कौन हैं ; और

(ङ) सफल परीक्षार्थियों में अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के कितने लोग हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा भूमि सीमा शुल्क के उप-कलक्टर का प्रादेशिक कार्यालय जलपाई गुरी में १ अप्रैल १९६०, से खुला है।

(ख) अराजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती के लिये पांच परीक्षायें हुई, अर्थात् अगस्त और दिसम्बर, १९६० में और सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर, १९६१ में। इन परीक्षाओं में क्रमानुसार ५४, ८३, ६४, ४८ और १३६ उम्मीदवारों ने भाग लिया।

(ग) अगस्त और दिसम्बर, १९६० तथा सितम्बर, १९६१ की परीक्षाओं के आधार पर क्रमानुसार १२, ११ और ५ उम्मीदवार अन्तिम रूप से नियुक्त किये गये। भर्ती परीक्षाओं के परिणाम, जो अक्टूबर व नवम्बर, १९६१ में हुई थीं, अभी निश्चित नहीं हुए। अतः अभी कोई नियुक्ति नहीं हुई है।

(घ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सहायक नियंत्रक का पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में मख्यालय नियुक्त कर्ता अधिकारी है।

(ङ) अनुसूचित जातियां—३

अनुसूचित आदिम जातियां—शून्य

उपरोक्त आंकड़ों में अक्टूबर तथा नवम्बर, १९६१ में हुई परीक्षाओं के परिणाम सम्मिलित नही हैं। ये अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Deputy Collector.

विदेशों में भारतीय राष्ट्रजन

†१६८०. **श्री कुन्हन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागरिकता अधिनियम की धारा ९(२) के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्धारण के अनुसार किसी विदेश में कितने भारतीय नागरिकों ने स्वेच्छा से वहां की नागरिकता अपनाई है ;

(ख) उपरोक्त मामलों में से कितने मामलों में कितने व्यक्तियों ने इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने विदेश की नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार की है ;

(ग) उपरोक्त मामलों में से कितने संबन्धित व्यक्तियों ने आपत्ति की थी कि उन्होने दबाव में या गलती से यह कार्य किया है ; और

(घ) क्या यह सच है कि ऐसे अनेक मामलों में आन्ध्र, गुजरात, और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों ने सरकार की कार्यवाही को अनुचित बताया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) ११४।

(ख) तमाम मामलों में ।

(ग) चार के अतिरिक्त सब मामलों में ।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर किसी भी उच्च न्यायालय ने आपत्ति नहीं की है। केवल एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार के आदेश की उपेक्षा की थी जिसमें नागरिकता अधिनियम, १९५५ की धारा ९ (२) के अन्तर्गत व्यक्ति की नागरिकता निर्धारित की गई थी ।

संघों तथा संस्थाओं को मान्यता देना

†१६८१. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री नाथ पाई :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन संघों तथा संस्थाओं को पुनः मान्यता देने के गृह-कार्य मंत्रालय के अनुदेशों को, जिन्होंने जुलाई, १९६० की आम हड़ताल में भाग लेकर मान्यता खो दी थी, अभी तक नियंत्रक तथा महालेखा निरीक्षक के कार्यालय में लागू नहीं किया गया है ;

(ख) क्या विभिन्न महालेखा पालों के अन्तर्गत उन संस्थाओं को अभी तक पुनः मान्यता नहीं दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाहीं की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तथा (ख). नहीं, श्रीमान् । भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों की सोलह संस्थाओं/संघों को पुनः मान्यता दे दी गई है। तीन और मामले विचाराधीन हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) आठ मामलों में मान्यता पुनः नहीं दी गई है क्योंकि केन्द्रीय असैनिक सेवा (सेवा संस्थाओं की मान्यता) नियम, १९५९ में निर्धारित शर्तें संबंधित संस्थाओं/संघों को अभी पूरी करनी है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्टेनोग्राफर

†१६८२. **श्री अमजद अली :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली/दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कितने स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या उन्हें विदित है कि हमारे देश में स्टेनोग्राफरों की बहुत कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो देश के अन्य भागों विशेषकर जहां स्टेनोग्राफरों की कमी है स्टेनोग्राफी की कला का प्रचार करने के क्या उपाय किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) गृह-कार्य मंत्रालय का केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना के अन्तर्गत स्टेनोग्राफरों की नियुक्ति से सम्बन्ध है। ऐसे स्टेनोग्राफर १८५६ हैं। इस योजना के अधीन काम कर रहे क्लर्कों की संख्या ४७३ है।

(ख) ऐसी कोई कमी नहीं पाई गई है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भूतपूर्व सैनिक

†१६८३. **श्री अमजद अली :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की विभिन्न श्रेणियों में कितने भूतपूर्व सैनिक नियुक्त हैं ;

(ख) क्या उन्हें उनकी सैनिक सेवाओं के कारण कोई अतिरिक्त लाभ दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) मांगी गई जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

(ख) और (ग). सम्बन्धित आदेशों में जिसकी प्रतियां सभा-पटल पर अतारांकित प्रश्न संख्या १७७५ के उत्तर में १५ मार्च, १९६१ को रखी गई थीं, में दी गई शर्तों के अनुसार जिन भूतपूर्व सैनिकों की सेवा युद्धकालीन सेवा के अन्तर्गत आती है उन्हें उस सीमा तक वेतन, वरिष्ठता और सेवा निवृत्ति में उस युद्धकालीन सेवा को जोड़ने का लाभ दिया जाता है ।

सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय

†१६८४. **श्री राम गरीब :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में क्या अन्तर होता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली सभी परीक्षाओं सम्बन्धी सभी रियायतें अधीनस्थ कार्यालय के कर्मचारियों को दी जाती हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) भारत सरकार के सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों का भेद 'सेंट्रल सेक्रेटेरियट मेनुअल आफ आफिस प्रोसीज्योर' की भूमि का के सातवें पैरा में बतलाया गया है जिसका उद्धरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ठ २, अनुबन्ध संख्या ६७]** केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और उपलब्धियों सम्बन्धी जांच आयोग ने अगस्त १९५९ में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों का वर्गीकरण करने में कृत्यों को आधार माना जाये :—

(एक) भारत सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों से निकट और प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाले उन कार्यालयों को सम्बद्ध कार्यालय माना जाये जो आवश्यक टैक्नीकल जानकारी और मंत्रणा देकर नीति निर्धारित करने में सहायता देते हैं और उस नीति को अमल में लाने और सरकार के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये विभागों आदि को निदेश देते हैं ।

(दो) नीति पर अमल करने वाले और सरकार के कार्यक्रम को पूरा करने वाले कार्यालयों को अधीनस्थ कार्यालय माना जाये ।

भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ।

(ख) और (ग). संघ लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद ३०९ के अन्तर्गत इन सेवाओं के लिये बनाये गये भर्ती सम्बन्धी नियमों का पालन करते हुए परीक्षाएं लेता है । यह भर्ती सम्बन्धी नियम संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करते हुए बनाये जाते हैं। नियम बनाते समय इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों को आयु सीमा सम्बन्धी कितनी छूट दी जाये । रियायतों के बारे में किसी विशेष वर्ग के बारे में जानकारी दी जा सकती है ।

सरकारी कर्मचारियों के अवकाश सम्बन्धी नियम

†**१६८५. श्री राम गरीब** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा नियम है कि डाक्टरी प्रमाण पत्र पर ली गई छुट्टी के साथ घोषित छुट्टियों को नहीं मिलाया जा सकता ;

(ख) यदि हां, तो वे नियम क्या हैं ;

(ग) डाक्टर द्वारा स्वस्थ घोषित करने के पूर्व और छुट्टी समाप्त होने के बाद की घोषित छुट्टी को किस में शामिल किया जाता है ; और

(घ) क्या इसे छुट्टी में ही शामिल किया जाता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). नहीं । अवकाश के साथ छुट्टियां मिलाई जा सकती हैं परन्तु अनुपूरक नियम २०९ में बताई गई शर्तें पूरी होनी चाहियें ।

(ग) और (घ). अनुपूरक नियम २११ जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी गई है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९८]** के अन्तर्गत आगे अथवा पीछे जोड़ी गई छुट्टी ड्यूटी में शामिल की

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जाती है। परन्तु यदि उसे छुट्टी के बाद की तिथि से स्वस्थ घोषित किया गया हो तो यह अवधि अवकाश में शामिल होती है।

दिल्ली के स्कूल

†१६८६. **श्री राम गरीब** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के बहुत से स्कूलों में अध्यापकों की बड़ी कमी है और कई कक्षाओं को दो अथवा तीन भागों में बांटा गया है जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों की पढ़ाई को बहुत हानि पहुंचती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

शिक्षा मंत्रालय म क्लर्क

†१६८७. **श्री बलराज मधोक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय में कितने अकाउंट्स क्लर्क पांच वर्ष से अथवा पांच से अधिक वर्षों से नौकरी में हैं ;

(ख) क्या दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार उनमें से ८० प्रतिशत को स्थायी बना दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नियमित रूप से अकाउंट्स क्लर्क के पद पांच वर्ष से अधिक समय के लिये स्वीकृत नहीं किये गये हैं परन्तु ११ व्यक्ति पांच वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं परन्तु इन पदों के नियमित रूप से जारी रहने की कोई संभावना नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि ८० प्रतिशत का सिद्धान्त नियमित पदों पर लागू होता है।

(ग) मंत्रालय में सामान्य कार्य के लिये स्वीकृत की गई नौकरियां तीन वर्ष से अधिक चलने के बाद उन्हें स्थायी पदों में परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

भारत सर्वेक्षण विभाग क चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†१६८८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय ने दिनांक २९ अगस्त, १९६० के आफिस मेमोरेंडम में यह इच्छा प्रकट की थी कि भारत के सर्वेक्षण विभाग, देहरादून के कर्मचारियों के अतिरिक्त वर्गों को वर्दियां देने सम्बन्धी क्लेमों का पुनरावलोकन किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो वहां के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी, हां।

(ख) चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न वर्गों के मामलों का पुनरावलोकन किया जा रहा है।

कोयला तथा कोक

†**१६८९. श्री राम गरीब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार (रेलवे बोर्ड) रेलवे मंत्रालय ने जून/जुलाई, १९६१ से कोयले और कोक पर लगभग ९० रुपये प्रति वैगन भाड़ा बढ़ा दिया है जब कि दिल्ली प्रशासन ने केवल ६० रुपये और वह भी सितम्बर, १९६१ से बढ़ाया है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने कोयला उपलब्ध करने वाले अभिकर्ताओं के साथ यह करार किया था कि वे अपनी कमीशन न लें और ये आदेश अगस्त, १९६१ से लागू किये जाने थे परन्तु उन अभिकरणों ने आदेश का उल्लंघन कर दिया और कमीशन लेते रहे ; और

(ग) क्या यह सच है कि सम्बन्धित विभाग आदेश को कार्यान्वित न कर पाया जिसके फल-स्वरूप परचून विक्रेताओं को ३० रुपये प्रति वैगन अधिक देना पड़ रहा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १ जुलाई, १९६१ से कोयले और कोक का रेल भाड़ा २०.१२ से बढ़ कर २३.७४ रुपये प्रति टन हो गया है। यह ७२ रुपये प्रति वैगन पड़ता है।

दिल्ली प्रशासन ने इस बात को और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए १ सितम्बर, १९६१ से कोयले और कोक की दरों का संलग्न विवरण के अनुसार पुनरीक्षण कर दिया।

(ख) ऐसा कोई आदेश अथवा लिखित करार नहीं था।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ब्यौरा	अधिकतम थोक भाव प्रति १०० किलोग्राम	अधिकतम परचून भाव प्रति १०० किलोग्राम १/२ जाली में से छने हुए कोयले और कोक का
	रु० नये पैसे	रु० नये पैसे
१. साफ्ट कोक . .	६.४०	७.६०
२. स्टीम कोयला (चुना हुआ ख)	५.६६	६.७५
३. स्टीम कोयला (ग्रेड १ और २)	५.२५	६.५५
४. स्टीम कोयला (ग्रेड ३ क)	५.२५	६.४५
५. स्टीम कोयला (ग्रेड ३)	५.१०	६.३०
६. स्टीम कोयला (कड़ाड़ा)	५.२५	६.४५
७. हार्ड कोक (ग्रेड १)	८.३०	९.५०
८. हार्ड कोक (ग्रेड २)	७.७५	८.८५
९. हार्ड कोक (अस्वीकृत) .	६.४०	७.६०

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में कोयला और कोक

†१९९०. **श्री राम गरीब :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने समाजवादी ढांचे को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कोयला और कोक इन दोनों वस्तुओं का मासिक कोटा ४ वैगन निर्धारित कर दिया है और मुख्य आयुक्त खुदरा बेचने वाले उन व्यापारियों का कोटा कम कर दिया है जिन्हें १९५६ में पदर्थ या किसी अन्य मद के अधीन ४ वैगन से अधिक कोटा मिला करता था; और

(ख) क्या यह सच है कि मुख्य आयुक्त द्वारा जारी किये गये आदेश के, उल्लंघन के मामले हुए हैं और एक-दो व्यापारियों का कोटा किसी न किसी बहाने से बढ़ा दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) कोयला परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के अनुसार खुदरा व्यापारियों के लिये ४ वैगन प्रति मास का अधिकतम कोटा निर्धारित किया गया है ।

(ख) एक मामले में कोटा ४ २/३ वैगन पाया गया था । उसे घटा कर अब ४ वैगन कर दिया गया है । अन्य व्यापारियों का कोटा ४ वैगन प्रति मास से अधिक नहीं बढ़ाया गया है ।

दिल्ली में कोयला और कोक

†१९९१. **श्री राम गरीब :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 'ब्लाक रेक सिस्टम' लागू किये जाने से पूर्व अर्थात् १९५७-५८ में (१) साफ्ट कोक (२) स्टीम कोल (३) हार्ड कोक (४) राजहरा कोयला का मासिक कोटा कितना था;

(ख) जनवरी, १९६१ में इनके आंकड़े क्या थे;

(ग) यह माल प्राप्त करने वाली एजेन्सियों को फरवरी से लेकर नवम्बर, १९६१ तक माल प्राप्त करने के लिये कितने वैगन दिये गये;

(घ) अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, १९६० और जनवरी, १९६१ में मंजूर की गई संख्या या तदर्थ आधार पर निश्चित संख्या की तुलना में क्रमशः कितने वैगन काम में लाये गये; और

(ङ) दिल्ली में ब्लाक रेक के अलावा अक्तूबर, १९६० से जनवरी, १९६१ तक मंजूर की गई संख्या की तुलना में कितने वैगन काम में लाये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) साफ्ट कोक (जिस में राजहरा कोयला, जिसका अलग कोटा नहीं है, शामिल है) : १००० वैगन प्रति मास ।

स्टीम कोल : १०० वैगन प्रति मास

हार्ड कोक : ५० वैगन प्रति मास

(ख) ऊपर दिये गये अनुसार ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १५०० वैगन प्रति मास ।

(घ) और (ङ).

	(काम में लाये गये वैगन)	
	नियमित	तदर्थ
अक्तूबर, १९६०	८३३	६५६
नवम्बर, १९६०	५९५	६६४
दिसम्बर, १९६०	४६२	१०४२
जनवरी, १९६१	१०५१	५४२

(इन वैगनों में से कुछ वैगन ब्लाक रेक के थे और कुछ अलग वैगन थे)

कोक और कोयला

†१९९२. **श्री राम गरीब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है माल प्राप्त करने वाली एजेन्सियों ने फरवरी, १९६१ से दिल्ली में जो कोक और कोयला आने वाला था उस में से साफ्ट कोक (सार्वजनिक खपत की मद) की अधिकांश वैगनें नहीं लीं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) 'एफ आर डी' के लिये निर्धारित कोटे के अतिरिक्त जो वैगन बच रहे थे उन्हें देने के लिये असैनिक संभरण निदेशालय ने क्या प्रक्रिया अपनायी;

(ग) क्या यह सच है कि स्टीम कोयला, हार्ड कोक और राजहरा कोयले के बचे हुए अधिकांश वैगन **रिजर्व स्टाक** के नाम पर काले बाजार में बेचे जाते थे और यह बात असैनिक संभरण विभाग के अधिकारियों की जानकारी में थी; और

(घ) क्या यह सच है कि व्यापारियों ने, जिन्हें वैगनों का गलत लदान करने के फलस्वरूप मान्यताप्राप्त कोटा होल्डरों की सूची से हटा दिया गया था, दिल्ली प्रशासन से हुए करार पर माल प्राप्त करने वाले एजेन्सियों के सभापति की ओर से हस्ताक्षर किये थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) बचे हुए वैगन रिजर्व स्टाक के तौर पर रखे गये थे ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) एक ऐसा व्यक्ति, जिस ने माल प्राप्त करने वाले संगठन की ओर से जनवरी, १९६१ में करार पर हस्ताक्षर किये थे, उन व्यक्तियों में से है जिन का 'एफ आर डी' कोटा जनवरी, १९६१ से पूर्व किये गये गलत लदान के फलस्वरूप मई/जून, १९६१ में रद्द किया गया था ।

दिल्ली में कोयला और कोक

†१९९३. **श्री राम गरीब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल प्राप्त करने वाली सभी एजेन्सियों ने दिल्ली में जाड़े के महीनों में माल का अभाव निर्माण करने और उस का भाव बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त और सितम्बर, १९६१ में ब्लाक रेक के ५५ वैगनों में से केवल १५ या ४० वैगन लिये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि मिनरल साइडिंग पर कोयला/कोक खुले आम बेचा जाता है और यह बात असैनिक संभरण अधिकारी और सहायक निदेशक की जानकारी में है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, नहीं । अगस्त और सितम्बर, १९६१ में वैगनों का आवंटन और काम में लाये गये वैगनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६६]**

आन्ध्र प्रदेश में विज्ञान मन्दिर

†१६६४. श्री ई० मधुसूदन राव : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश में तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में कितने विज्ञान मन्दिर खोले जाने वाले हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : इस बात का निर्णय राज्य सरकार के परामर्श से किया जायेगा जिसने विज्ञान मन्दिर खोलने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अपेक्षित योजनाबद्ध कार्यक्रम अभी तक तैयार नहीं किया है ।

आन्ध्र प्रदेश में पुरातत्वीय स्मारक

†१६६५. श्री ई० मधुसूदन राव : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ में आन्ध्र प्रदेश में पुरातत्वीय स्मारकों में से प्रत्येक की मरम्मत आदि पर कितना खर्च किया गया; और

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इन पर कितना खर्च किया जायगा ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) अक्तूबर, १९६१ तक किया गया खर्च निम्नलिखित है :

वार्षिक मरम्मत	२६,०७० रुपये
विशेष मरम्मत	५,४०४ रुपये

(ख) स्मारकों की मरम्मत आदि का काम योजना में शामिल नहीं किया जाता ।

आन्ध्र प्रदेश के विश्वविद्यालयों को अनुदान

†१६६६. श्री ई० मधुसूदन राव : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१-६२ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आन्ध्र प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालय को कितना अनुदान दिया गया ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : १९६१-६२ में आन्ध्र प्रदेश के विश्व विद्यालय

†मूल अंग्रेजी में

को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित अनुदान दिये हैं :—

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	दिया गया अनुदान
		प
(१)	आन्ध्र	६,५०,५३५.१०
(२)	उस्मानिया	१०,१३,२५१.२५
(३)	श्री वेंकटेश्वर	६,४८,१२६.४४

उपरोक्त विश्वविद्यालयों को १९६१–६२ की समाप्ति तक दिये जाने वाले अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत की गई विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति पर निर्भर करेंगे ।

भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षाओं के लिये विस्थापित उम्मीदवारों के लिये उम्र की रियायत

†१६६७. **श्री रा० चं० माझी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षाओं में विस्थापित उम्मीदवारों को दी जाने वाली आयु सीमा में १९६१ के पश्चात् रियायत देने का सरकार ने निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो किस वर्ष तक रियायत दी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

रिज रोड दिल्ली में वायरलेस प्रतिष्ठान

†१६६८. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिज रोड, दिल्ली के प्रतिरक्षा वायरलैस प्रतिष्ठान का इतना विस्तार किया जा रहा है कि दसधरा गांव का कुछ भाग भी उस की बाढ़ के घेरे में सम्मिलित हो जायेगा ।

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्रामवासियों ने इस घेरे के विस्तार के विरुद्ध विरोध किया है;

(ग) इस घेरे को तत्काल बढ़ाने का क्या कारण है; और

(घ) इस के समीप ही खुली हुई और खाली जगह उपलब्ध होने पर ग्रामवासियों की बाढ़ के घेरे को न बढ़ाने की प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं की जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) हाल ही में चार अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पेंशनों का भुगतान

†१६९९. **श्री तंगामणि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों की ओर से, उन के संगठन की मार्फत जिस के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश हैं; अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) जो व्यक्ति वेतन आयोग की अवधि से पूर्व सेवा निवृत्त हो गये थे उन की पेंशन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) अभ्यावेदन में उठाई गई सब बातों पर सरकार ने ध्यानपूर्वक विचार किया है । उन्हें स्वीकार करना असंभव प्रतीत हुआ है ।

(ग) जी नहीं ।

वयस्क अंधों क प्रशिक्षण केन्द्र के लिये अंधे कार्यकर्ता

†१७००. { **श्री तंगामणि** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरादून में राजपुर रोड के वयस्क अंधों के प्रशिक्षण केन्द्र में अंधे कार्यकर्ता विगत लगभग आठ वर्ष से नौकरी कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सेवा की शर्तें और अवस्थायें क्या क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान नियमों की प्रति संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—३४४४/६१]**

वयस्क अंधों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र और ब्रेल प्रेस कार्यालय, देहरादून

†१७०१. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वयस्क अंधों के प्रशिक्षण केन्द्र और ब्रेल प्रेस कार्यालय, राजपुर रोड, देहरादून को मिलाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). वयस्क अंधों के लिये प्रशिक्षण क्षेत्र सेन्ट्रल ब्रेल प्रेस, अंधे बालकों के लिये माडल स्कूल और नेशनल ब्रैल लाइब्रेरी को मिलाते हुए अंधों के लिये एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी राष्ट्रजन

†१७०२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त से नवम्बर १९६१ की अवधि में अवांछनीय कार्यवाहियों में संलग्न कितने विदेशी राष्ट्रजन पकड़े गये;

(ख) वे किन किन देशों से सम्बन्धित थे; और

(ग) उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार में बाढ़

†१७०३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में १९६१ की बाढ़ों में बाढ़ पीड़ितों की तत्काल सहायता के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय से प्रार्थना की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें दी गई सहायता का क्या स्वरूप है; और

(ग) बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों सेना ने क्या कार्य किया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). उबारण स्टाक के ५९,००० कंबल बाढ़ ग्रस्त व्यक्तियों को सप्लाई करने के लिये रियायती मूल्य पर दिये गये थे । तिरपाल भी दिये गये थे किन्तु उन से, राज्य की आवश्यकता पूर्ति नहीं होती थी और उन्होंने तिरपाल स्वीकार नहीं किये ।

राज्य सरकार ने एक हैलीकोप्टर और कुछ इंजीनियर मांगे थे । यह शीघ्र उपलब्ध नहीं थे । राज्य सरकार ने संतोषजनक वैकल्पिक व्यवस्था कर ली और बाद में अपनी प्रार्थना वापस ले ली ।

हिन्दी कवि "निराला"

†१७०५. **श्री प्र० गं० देव :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी कवि सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला" के लिये स्वीकृत मासिक भत्ता विगत कई महीनों से उन्हें नहीं दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी हां ।

(ख) श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला" की ओर से भत्ता प्राप्त कर उसे कवि अथवा कवि की देखभाल करने वाले व्यक्ति को देने का अधिकार इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया था । उन्होंने १९६१–६२ में भत्ते की रकम नहीं निकाली क्योंकि विगत वर्षों में ली गई रकम का पर्याप्त अंश पहले ही बचा हुआ था ।

---

† मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से विस्थापित व्यक्ति

†१७०६. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तथाकथित आजाद काश्मीर के शरणार्थी वृहद् संख्या में युद्ध विराम रेखा पार कर भारत आ गये हैं अथवा आने का प्रयत्न कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यावाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से अनेक व्यक्ति युद्ध विराम रेखा पार कर आ रहे हैं किन्तु उन की संख्या ने चिंताजनक रूप धारण नहीं किया है ।

(ख) किन्तु भारत सरकार और राज्य सरकार स्थिति के प्रति सजग हैं और इस प्रकार घुस कर आने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावजनक कदम उठाये गये हैं ।

आल इंडिया कांग्रेस कमेटी को दिया गया सामान

†१७०७. **श्री कुन्हन :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ७ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया कांग्रेस कमेटी को रामपुर अधिवेशन के लिये दिये गये सामान के किराये की रकम १०३४३ रुपये ५६ नये पैसे वसूल हो गई है ।

(ख) यदि हां, तो कब वसूल हुई थी; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो यह रकम वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग). ४५५४ रुपये की रकम अभी बाकी है और इस विषय पर भिलाई इस्पात परियोजना अधिकारियों तथा मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रधान के बीच पत्र व्यवहार हो रहा है ।

इंजीनियरी संस्थाओं में विस्थापित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

†१७०८. **श्री बलराज मधोक :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपने निवास के बाहर राज्यों में विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने वाले विस्थापित विद्यार्थियों सम्बन्धित राज्य सरकारों की ओर से छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं;

(ख) क्या इस प्रकार की छात्रवृत्तियां दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के विस्थापित विद्यार्थियों को अब नहीं दी जा रही हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या जोधपुर इंजीनियरिंग कालिज तथा अन्यत्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने अपना अध्ययन जारी रखने के लिये छात्रवृत्तियां अथवा ऋण की प्रार्थना दी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). यह जानकारी मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सीधे दी जाती है ।

केन्द्रीय शिक्षा विभाग संघ

†१७०९. { **श्री स० मो० बनर्जी**
श्री तंगामणि : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा मंत्रालय ने राजपुर रोड, देहरादून के वयस्क अंधों के ट्रेनिंग केन्द्र और ब्रेली प्रेस के कार्यकर्ता और कर्मचारियों की संस्था "केन्द्रीय शिक्षा विभाग संघ को अवैध घोषित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और किन नियमों और अधिनियमों के अधीन उपरोक्त संस्था को अवैध घोषित किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). केन्द्रीय शिक्षा विभाग को 'सर्विस एसोसियेशन" के रूप में मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि इस ने केन्द्रीय सिविल सर्विस (सर्विस ऐसोसियेशन को मान्यता) नियम, १९५९ की अनुपूर्ति नहीं की है ।

नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी के दिल्ली डिवीजन क मैनेजर की गिरफ्तारी

†१७१०. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के दिल्ली डिवीजन के मैनेजर २ अक्तूबर, १९६१ को पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन द्वारा गिरफ्तार किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उन के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये गये हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि गैर कानूनी रूप से इंश्योरेंस दस्तावेज लेने के लिये मैनेजर पर दबाव डाला जा रहा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की नई दिल्ली ब्रांच के मैनेजर को दिल्ली पुलिस द्वारा २ अक्तूबर को भारतीय दंड संहिता धारा ४०८/३८०/४६७ के अन्तर्गत एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की अभी जांच हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

†१७११. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के कार्य संचालन और व्यवस्था के बारे में सरकार को शिकायतें और याचिकायें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या याचिकाओं में लिखित शिकायतों की जांच की गई है ;

(घ) यदि नहीं, तो इन आरोपों की पुष्टि के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ङ) क्या यह सच है कि शिकायत कर्ता सब आरोपों को प्रमाणित करने के लिये प्रस्तुत हैं; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने शिकायतकर्ता से मूल दस्तावेज देने के लिये कहा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी हां।

(ख) से (च). कन्ट्रोलर आफ इंश्योरेंस ने, जिन के समक्ष शिकायत की गई है, शिकायतकर्ता से कहा है कि उस के अधिकार में जो दस्तावेजी सबूत है उस के आधार पर लगाये गये आरोपों पिभिन्न आरोपों की सत्यता सिद्ध करे। जो सामग्री दी जायेगी उस के आधार पर यह जांच की जायेगी कि क्या कम्पनी के विरुद्ध प्रत्यक्ष मामला बनता है।

आम हड़ताल में आय-व्ययक और लेखा कार्यालयों के कर्मचारियों को दण्ड

†१७१२. **श्री याज्ञिक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आय-व्यय और लेखा विभाग के कर्मचारियों की संख्या जिन को बरखास्तगी पदोन्नति, विवश सेवानिवृत्ति अथवा किसी अन्य प्रकार से गत वर्ष आम हड़ताल से सम्बन्धित होनें के कारण दण्डित किया गया है; और

(ख) क्या इन कर्मचारियों की यूनियन को मान्यता देने के पश्चात उन के मामलों पर पुनर्विचार किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कुल संख्या ६८७ है। इन में ४२६ मामले भर्त्सना के हैं और अनिवार्य सेवा निवृत्ति, बर्खास्तगी और नौकरी से हटाने के २३ मामले इन में सम्मिलित हैं।

(ख) सरकारी कर्मचारियों की यूनियनों को पुनः मान्यता देने का अनुशासन के मामलों पर पुनः विचार करने से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने स्वतः ही इस प्रकार के मामलों की पुनरीक्षा की है और १८१ मामलों में दण्ड घटा दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर नागा परिषद्

†१७१३. **श्री ल० अचौ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर नागा कौंसिल ने हाल ही में गठित नये नागा लैण्ड के साथ मनीपुर के नागा क्षेत्र के विलीनीकरण के लिये भारत सरकार के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया है और यह भ्रम हो रहा है कि यदि उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया तो वे आगामी आम चुनावों का बायकाट करेंगे;

(ख) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने मनीपुर में एक संसद सदस्य को लिखा है कि मनीपुर और नागा लैंड में सीमा परिवर्तन करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है; और

(ग) मनीपुर की पहाड़ियों में आपात काल में विद्रोही नागाओं की विस्फोटक कार्यवाहियों का प्रतिरोध करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) मनीपुर नागा कौंसिल से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिस में मनीपुर के नागा क्षेत्रों का नागा लैंड के साथ विलीनीकरण का सुझाव दिया गया है। कौंसिल ने गत अक्तूबर में एक संकल्प भी पारित किया था जिसकी प्रति संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १००]**

(ख) जी हां ।

(ग) मनीपुर में नागाओं के विद्रोही कार्यवाहियों को रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

दिल्ली में कोयला और कोक

†१७१४. **श्री राम गरीब :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ राजदूतालय और बड़े-बड़े होटल अपने नियत परमिट के अन्तर्गत असैनिक संभरण विभाग से कोयला/कोक का कोटा ले रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उनके कुछ ठेकेदार परमिट का दुरुपयोग कर दोहरा सम्भरण प्राप्त कर रहे हैं वे एक ओर तो १९६० में जारी किये परमिट जो जनवरी, १९६१ से दिसम्बर, १९६१ तक वैध करा कर डिपुटी कोयला नियंत्रण कार्यालय से ले रहे हैं और दूसरी ओर विभाग द्वारा पहले के परमिट को रद्द कर पुनरीक्षित नीति के अन्तर्गत फरवरी, १९६१ से जारी किये गये कोटा कार्डों से प्राप्त कर रहे हैं और इस प्रकार स्टीम कोयले का अतिरिक्त कोटा चोर बाजार में बेच रहे हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि गर्मियों में होटलों और राजदूतालयों की ईंधन सम्बन्धी आवश्यकता में पर्याप्त कमी हो जाती है जब कि ठेकेदारों ने कोटा आदेश के अन्तर्गत वैगनों के अतिरिक्त अधिकतम संख्या में वैगन प्राप्त कर लिये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) जी हां। कुछ बड़े होटलों और राजदूतालयों को अक्तूबर, १९६० में १९६१ के दिसम्बर तक समाप्त होने वाले वर्ष के लिये, स्टीम कोयला और लकड़ी का कोयला सीधे प्राप्त करने के लिये वार्षिक परमिट की मंजूरी दी गई थी ।

(ख) और (ग). दिल्ली प्रशासन की जानकारी में परमिट के दुरुपयोग का उदाहरण नहीं आया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाधिवक्ता, महावादेक्षक और सहायक महावादेक्षक की नियुक्ति

†१७१५. **श्री शि० न० रामौल :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाधिवक्ता, महावादेक्षक और सहायक महावादेक्षक की नियुक्ति किन-किन शर्तों और अवस्थाओं के अनुसार की गई है;

(ख) महाधिवक्ता कितनी अवधि के लिये नियुक्ति किये गये थे और क्या कोई अवधि निर्धारित की गई थी और इस अवधि में किस प्रकार वृद्धि की जाती है; और

(ग) क्या सरकारी मामले सुप्रीम कोर्ट की किसी बैंच के समक्ष विचाराधीन होने की स्थिति में महाधिवक्ता अथवा महावादेक्षक प्रायवेट पार्टियों की ओर से पैरवी करते हैं ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) नवीनतम नियमों की प्रति, अर्थात, विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें और अवस्थायें) नियम, १९६१, जिन में महाधिवक्ता, महावादेक्षक और अतिरिक्त महावादेक्षक की नियुक्ति की शर्तें और अवस्थायें दी गई हैं, लोक-सभा के पटल पर रखी जाती हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०१]**

(ख) महाधिवक्ता की प्रारम्भिक नियुक्ति के समय उनकी पादावधि न तो निर्दिष्ट की गई थी और न वह निर्णीत थी। उनकी पदावधि अब ३१ दिसम्बर, १९६२ को समाप्त होगी।

(ग) जी हां। १९६१ के नियमों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में प्रायवेट पार्टी और भारत सरकार के बीच मुकदमे की स्थिति में विधि अधिकारी भारत सरकार के मामले को प्राथमिकता देंगे।

स्थगन प्रस्ताव

(१) पूर्व जर्मनी में चीन के गलत नक्शों का कथित प्रकाशन

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे तीन स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उन में से एक इस प्रकार है कि पूर्व जर्मनी में चीन के नक्शे, जिन में भारतीय राज्यक्षेत्र को चीन का भाग दिखाया गया है तथा भूटान और सिक्किम स्वतन्त्र राज्य बताये गये हैं, प्रकाशित हुए हैं। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति क्या है ?

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : चीन विदेशों में हमारे विरुद्ध प्रचार कर रहा है। पिछली बार भी पूर्व जर्मनी ने ऐसे नक्शों का प्रकाशन किया था जिन में भारतीय क्षेत्रों को चीन में दिखाया गया था। अब पुनः इन नक्शों का प्रकाशन किया जा रहा है। और उनका प्रयोग स्कूलों में किया जायेगा।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** प्रधान मंत्री राजकीय अतिथियों का स्वागत करने को पालम गये हैं। अतः मैं उनकी ओर से सभा का क्षमा प्रार्थी हूं। इन नक्शों के सम्बन्ध में वह मुझे यह बताने को कह गये हैं कि पूर्वी जर्मनी में उक्त नक्शे किसी प्रैस से स्वतन्त्र रूप से प्रकाशित हुए प्रतीत होते हैं। सरकार को इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं है। इस की ओर ध्यान दिलाने पर सरकार ने इस ओर जांच आरम्भ की है। हम ने पूर्व जर्मन सरकार से इन नक्शों का प्रकाशन रोकने को कहा है। इस सम्बन्ध में प्राप्त होने पर अग्रेतर जानकारी भी सभा पटल पर रख दी जायेगी। यदि सभा चाहेगी तो वह इस संबंध में चर्चा कर सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि इन नक्शों का प्रकाशन रोक दिया जाय। इस दिशा में प्रयत्न किया जा रहा है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

(२) दिल्ली पुलिस द्वारा मामलों का कथित वर्णन किया जाना

†अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री स० मो० बनर्जी और श्री प्रभातकार से निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है।

> "८-१२-६१ के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित दिल्ली पुलिस द्वारा ६५ प्रतिशत मामलों के दर्ज न करने के भयावह समाचार पर चर्चा करने की तत्काल आवश्यकता।"

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जांच दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार विरोधी विभाग ने की थी। उसका कथन है कि केन्द्रीय पुलिस वृत्त अपराधों को छिपाने के मामले में सबसे गिरा हुआ है। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि जस्टिस मुल्ला द्वारा उत्तर प्रदेश की स्थिति के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है यहां की स्थिति उससे भी खराब है।

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): सरकार ने यह सम्वाद देखा है। और उपरि दृष्टि से यह सम्वाद बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। सरकार इसकी जांच कर रही है। और यह शिकायत प्राप्त होने पर कि कोई मामला तत्काल दर्ज नहीं किया गया है, तत्काल कार्यवाही की जायेगी। वास्तव में प्रकाशित आंकड़े बिल्कुल सही नहीं हैं। तथापि जैसे ही यह जानकारी प्रकाशित हुई सरकार ने मामले दर्ज न करने की शिकायतों पर उचित जांच का आदेश दे दिया है।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : मैं पुलिस के बारे में कहता हूं कि मेरे घर से चोरी हो गयी थी, मेरी घड़ियां वगैरह चली गयी थीं और मेरे फ्लैट का ताला तोड़ा गया था। मेरे यहां पुलिस फौरन आयी और रात के १२ बजे तक पूछताछ करती रही और दूसरे और तीसरे दिन भी आयी। तो मैं तो पुलिस की तारीफ करता हूं . . . .

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री ने यह आश्वासन दिया हैं कि वे इस बात का प्रयत्न करेंगे कि सभी मामले दर्ज किये जायें तथा ऐसा न करने पर उचित कार्यवाही की जाये। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस स्थगन प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं देता हूं।

(३) दामोदर घाटी निगम से कलकत्ता को बिजली का कथित न दिया जाना

†अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री प्रभातकार और श्री स० मो० बनर्जी से निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है :

> "दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली न दिये जाने से कलकत्ता और उसके उपनगरों में बिजली न होने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति इत्यादि।"

†श्री प्रभातकार (हुगली): पिछले वर्ष भी हमने दामोदर घाटी निगम से विद्युत् संभरण पर चर्चा की थी। उस समय यह कहा गया था कि पुनः इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होने पावेगी। तथापि पुनः २ घंटे के लिये कलकत्ता और हावड़ा में बिजली बन्द होने से अंधकार हो गया। जिसके फलस्वरूप कलकत्ता, हावड़ा और सियालदा की समस्त गाड़ियां बन्द हो गईं। इस प्रकार की स्थिति

---

†मूल अंग्रेजी में

की पुनरावृत्ति होने से जनता को और अधिक असुविधा होने की सम्भावना है। अतः यह मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण है :

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : कलकत्ता में विद्युत् की कमी की जाच करने के लिये हमने एक समिति नियुक्त की है। उसने सुझाव दिया है कि इस कमी को पूरा करने के लिये अतिरिक्त सम्भरण की व्यवस्था की जाये। समिति कलकत्ता और दुर्गापुर के बिजलीघरों में हुई दुर्घटनाओं पर भी गौर कर रही है। हाल में बिजली के बन्द होने का यह कारण था कि बोकारो और दुर्गापुर के सैटों को मरम्मत के लिये बन्द कर दिया गया। इसी बीच बोकारो और दुर्गापुर के एक एक संयंत्र को ट्यूबों के गर्म हो जाने के कारण बन्द कर देना पड़ा। एक सैट की मरम्मत ६ दिसम्बर की शाम तक हो चुकी थी और वह कल से चालू कर दिया गया है। दूसरा भी बहुत शीघ्र चालू हो जायेगा। तब बिजली आली पुनः आरम्भ हो जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैं इस स्थगन प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं देता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(१) अगरतला में अग्निकांड से कथित मृत्यु और सम्पत्ति की हानि

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा) : मैं नियम १९७ के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न-विषय की ओर गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

'त्रिपुरा के अगरतला नगर के महाराजगंज बाजार में अभी हाल में हुआ भीषण अग्निकाण्ड जिसके फलस्वरूप चार व्यक्ति मर गये और १ लाख रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई।'

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री अपना वक्तव्य सभा पटल पर रख दें।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ३४२०/६१]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : आज इस सत्र में लोक-सभा का अन्तिम दिन है अतः सभा के कार्य में एक से अधिक, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाया गया है। स्वास्थ्य तथा इस्पात खान और ईंधन मन्त्री तत्सम्बन्धी विवरणों को सभा पटल पर रख देंगे।

(२) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल

†**डा० मेलकोटे** : मैं नियम १९७ के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज और अस्पताल के ३०० से अधिक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--३४२१/६१]

(३) कोयम्बटूर में इंजीनियरिंग के कारखानों को कम कोयला देना

†श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : मैं नियम १९७ के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"कोयम्बटूर में इंजीनियरिंग के कारखानों को कोयला सम्भरण में कमी से उत्पन्न स्थिति।"

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं सभा पटल पर एक विवरण रखता हूं।

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०६]

†डा० मेलकोटे : (रायचूर) अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली अपनी सूचना के सम्बन्ध में मैं कुछ जानकारी चाहता हूं क्या यह सच है कि १९५६ में शराब के नशे में चूर कुछ अमेरिकन सिपाहियों द्वारा लेडी हार्डिंग अस्पताल के कर्मचारियों को पीटे जाने पर यह समझौता किया गया था कि अमेरिकी दूतावास उन्हें ८०० रु० हर्जाने के रूप में देगा यह राशि अभी तक नहीं दी गई है ?

क्या संघ के अहाते के भीतर जब कुछ कर्मचारी गांधी राष्ट्रीय स्मृति कोष के लिये चन्दा एकत्र कर रहे थे तो उनमें से १० कर्मचारियों को केवल इस कारण नौकरी से हटा दिया गया कि उन्होंने प्रिंसिपल से अनुमति नहीं ली थी ?

क्या यह सच है कि आज से दस वर्ष पूर्व लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज की लेडी प्रिंसिपल ने राष्ट्रीय ध्वज को उतार कर पैरों तले रौंद दिया था ?

क्या यह भी सच है कि विशेषत : दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों को उच्चाधिकारियों द्वारा बहुत परेशान किया जाता है तथा उनकी शिकायतों की कहीं भी सुनवाई नहीं होती है।

†स्वास्थ्य मंत्री श्री करमरकर : हमें जो सूचना मिली है उसमें झण्डे की घटना का उल्लेख नहीं है।

इस मामले में मेरा निवेदन है कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज और अस्पताल के कर्मचारियों की कई मांगें थीं। मन्त्रालय ने इन मांगों की जांच की। श्रम मन्त्रालय का एक जिम्मेदार अधिकारी भी उपस्थित था। इस जांच के फलस्वरूप एक समझौता हुआ जिसे श्रम समझौता अधिकारी, या जो भी वह रहा हो, ने लेखबद्ध किया हैं। उभय पक्षों ने हस्ताक्षर कर दिये हैं। अन्य सभी मांगें मान ली गयी हैं।

इस मामले में तथ्य यह है कि कर्मचारियों ने केवल दो बातों को लेकर हड़ताल की है। एक तो यह है कि वे कालिज के प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व चाहते हैं। केवल चार महीने पहले यह जो समझौता

†मूल अंग्रेजी में

किया गया था तब यह शर्त स्वीकार नहीं की गयी थी । दूसरा मुख्य विषय कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति का है न कि राष्ट्रीय झण्डे की घटना का है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह आरोप लगाया गया है कि एक व्यक्ति को इस लिये नौकरी से हटा दिया गया कि उसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था और यह भी कहा गया है कि प्रिंसिपल ने झण्डे को उतार कर पैरों से कुचल दिया । यह गम्भीर आरोप है । इससे उस समझौते का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

सूचना का विषय

सामान्य निर्वाचन

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मैं यह चाहती हूं कि चुनावों के दिन पूरी सवेतन मजदूरों और कर्मचारियों को छुट्टी दी जाये ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन):** सरकार ने तो उस दिन सभी राज्य सरकारों को छुट्टी करने के लिए कह दिया है । जिस दिन मतदान होगा उस दिन मुख्य चुनाव आयुक्त दिन नियुक्त कर देंगे । उस दिन इस उद्देश्य के लिये छुट्टी होगी इसके अतिरिक्त हम किसी को छुट्टी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते । ये आदेश दे दिया गया है कि कर्मचारियों और श्रमिकों को मतदान की पूरी सुविधायें दी जायें और इस समय का उनका वेतन न काटा जाय । यदि कोई ऐसी बात हो तो उसे मेरे अथवा मुख्य चुनाव आयुक्त के नोटिस में लाया जाये । इसका पूरी तरह उपचार किया जायेगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड तथा त्रावनकोर मिनरल्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन

†**प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़):** मैं श्री जवाहरलाल नेहरू की ओर से कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्न-लिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) वर्ष १९६०-६१ के लिये इंडियन रेयर अर्थस् लिमिटेड, बम्बई के वार्षिक प्रतिवेदन लेखे परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) वर्ष १९६०-६१ के लिए त्रावनकोर मिनरल्स लिमिटेड, क्विलोन के वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० ३४२४/६१]

---

†**मूल अंग्रेजी में**

अप्रत्यक्ष कराधान के सम्बन्ध में अध्ययन प्रतिवेदन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से अप्रत्यक्ष करापात के सम्बन्ध में अध्ययन प्रतिवेदन (१९५८–५९) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० ३४२५/६१]

हिन्दुस्तान स्टील लि० का वार्षिक प्रतिवेदन

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची के वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेख और उस पर नियंत्रक महालेखा की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उपरोक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० ३४२६/६१]

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : मैं श्री कृष्ण मेनन की ओर से समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिए भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० ३४२७/५ ६१]

संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, १९६१

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं दो-सदस्य-निर्वाचन क्षेत्र (समापन) एक्ट, १९६१ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० ३४२८/६१]

विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले विवरण

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : मैं श्री सत्यनारायण सिंह की ओर से दूसरी लोक-सभा के विभिन्न अधिवेशनों में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या २ चौदहवां अधिवेशन, १९६१

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०२]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ९ तेरहवां अधिवेशन, १९६१

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०३]

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुरामया]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १० बारहवां अधिवेशन, १९६०
[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०४]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १८ दसवां अधिवेशन, १९६०
[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०५]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

†**विधि उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उपरोक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० ३४२९/६१]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम और औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ के अधीन अधिसूचनायें

†**श्री ब० रा० भगत** : (१) मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(क) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३६२ :

(ख) दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३९४ में जिस में दिनांक २० मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६९५ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० ३४३८/६१]

(२) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(क) दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३९५ ।

(ख) दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३९६ ।

(ग) दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३९७ ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० ३४३९/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९८ में प्रकाशित औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) चौथा संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० ३४४०/६१]

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदन

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा १५ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत वर्ष १९५८-५९ के लिये इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वार्षिक लेखे और उस पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) एयर इंडिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन के वर्ष १९५९-६० के वार्षिक लेखे और तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन का, जो ६ सितम्बर, १९६१ को पटल पर रखा गया था, शुद्धिपत्र ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ३४१०/६१ और ३४३१/६१]

राजखरसवां-बड़ा जायदह लाइन को दोहरा बनाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : दक्षिण पूर्व रेलवे की राजखरसवां-बड़ा जायदह लाइन को दोहरा करने में लगे हुए ठेकेदारों को किये गये कुछ अधिक भुगतानों के बारे में २१ अगस्त, १९६१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७३४ के उत्तर के सम्बन्ध में आपने आदेश दिया था कि विशेष पुलिस स्थापना का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाये। अतः प्रतिवेदन का सारांश मैं सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रख दिया गया, देखिये संख्या एल० टी० ३४४१/६१]**

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : (खम्मम्) : हम चाहते हैं कि प्रतिवेदन का सारांश नहीं बल्कि पूरा प्रतिवेदन ही सभा पटल पर रखा जाये ताकि हम उस पर चर्चा कर सकें और न्यायिक जांच समिति की मांग कर सकें क्योंकि इस मामले में काफी धन का गोलमाल है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे रेलवे मंत्री अथवा रेलवे उपमंत्री श्री सें० वें० रामस्वामी से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि विभागीय जांच समिति के प्रतिवेदन सामान्यतः सभा पटल पर नहीं रखे जाते । अतः मैंने सुझाव दिया था कि वह महत्वपूर्ण बातें बताने वाला विवरण सभा पटल पर रख दें । यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि वह पूरी बात की जानकारी नहीं देता तो मैं और विस्तृत जानकारी देने के लिये उनसे कहूंगा ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : विशेष पुलिस संस्थान तो गृहकार्य मंत्रालय के अधीन है हमने उनसे लिखा पढ़ी की थी और उन्होंने यह सुझाव दिया है कि पूरा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखना ठीक नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही-सारांश

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार): मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के पन्द्रहवें अधिवेशन में हुई बाईसवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

कार्यवाही-सारांश

†**श्री हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की पन्द्रहवें अधिवेशन में हुई बैठकों (पैंतीसवीं और छतीसवीं) के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : मैं संसद की दोनों सभाओ द्वारा पारित और ४ दिसम्बर, १९६१ को सभा में दिये गय अन्तिम प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त वेतन में स्वेच्छा से कटौती (करारोपण से विमुक्ति) विधेयक, १९६१ सभा पटल पर रखता हूं।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति तेरहवा प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति

एक-सौ तैंतालीसवां, एक-सौ पैंतालीसवां और एक-सौ सैंतालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री थानु पिल्ले** (तिरुनलवेली) : श्री दासप्पा की ओर से मैं प्राक्कलन समिति के निम्न-लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(१) भूतपूर्व शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय—भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार आदि के बारे में प्राक्कलन समिति की सोलहवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में एक-सौ तैंतालीसवां प्रतिवेदन।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) स्वास्थ्य मंत्रालय--सार्वजनिक स्वास्थ्य--भाग २ के बारे में प्राक्कलन समिति की चवालीसवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में एक-सौ पैंतालीसवां प्रतिवेदन ।

(३) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के बारे में प्राक्कलन समिति की चौरानवेंवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में एक-सौ सैंतालीसवां प्रतिवेदन ।

तारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के उत्तर में शुद्धि

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : ३० नवम्बर, १९६१ को लोक-सभा में तारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के उत्तर में यह कहा गया था कि "यद्यपि पहले इन निर्वाचन क्षेत्रों में (अर्थात् कांगड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और नूरपुर, धर्मशाला, कांगड़ा पालमपुर और डेरा के विधान सभा के चुनाव क्षेत्रों) मतदान की तिथियां देश के अन्य भागों के साथ फरवरी में होंगी, वास्तविक मतदान अप्रैल, २७, २८ और २९ को होगा, जब तक मतदान उठा रखा जायेगा ।" सही स्थिति यह है कि कुलू विधान सभा चुनाव क्षेत्र में और इस क्षेत्र में आने वाले कांगड़ा के संसदीय चुनाव क्षेत्र में मतदान २७, २८ और २९ अप्रैल में होगा । कांगड़ा संसदीय चुनाव क्षेत्र के शेष भाग में और उक्त पांच विधान सभा चुनाव क्षेत्र में मतदान देश के शेष भागों के साथ फरवरी, १९६२ में होगा ।

व्यापार मंत्रियों की बैठक में सम्मिलित होने के लिये जेनेवा यात्रा के संम्बन्ध में वक्तव्य

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं एक वक्तव्य पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ३४२२/६१]

कैनेडा की एक फर्म द्वारा मोटरों के पर्जों के सम्भरण सम्बन्धी सचिवों की एक विशेष समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : जैसा कि सदन को ज्ञात है, यांत्रिक परिवहन पुर्जों के संभरण के लिये एक कैनेडियन फर्म के साथ किये गये ठेके की विस्तार से जांच करने के लिये भारत सरकार ने सचिवों की विशेष समिति नियुक्त की थी जिस की ओर लोक लेखा समिति के २८वें प्रतिवेदन में किया गया है । विशेष समिति का प्रतिवेदन १९ मई, १९६१ को सरकार के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था । इस बीच प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों और व्यक्त विचारों की जांच की जा रही थी । मैं विशेष समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति समिति की सिफ़ारिशों/विचारों पर सरकार की राय के एक टिप्पण सहित सभा पटल पर रखता हूं ।

बडी-बडी रेल दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन २ दिसम्बर, १९६१ को श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगा अर्थात्

> "कि यह सभा हाल में हुए बड़ी-बड़ी रेल दुर्घटनाओं के बारे में रेलवे मंत्री द्वारा २० नवम्बर, १९६१ को सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : माननीय मंत्री के वक्तव्य की चर्चा के समय मैं सदन को न केवल वर्तमान दुर्घटनाओं को बल्कि पिछली दुर्घटनाओं की भी याद दिलाना चाहती हूं, क्योंकि रेलवे को कार्य संचालन नीति असफल रही है। देश को आशा थी कि महबूबनगर और अरियालर दुर्घटनाओं के बाद स्थिति में सुधार हो जायेगा, किन्तु यह आशा पूरी नहीं हो सकी। इस समय जो स्थिति है, उसे देखते हुए निष्क्रिय रहने को गुंजाइश नहीं है और न ही इस से जनता में विश्वास पैदा हो सकता है।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

अरियालुर दुर्घटना की जांच के दौरान रेलवे कर्मचारियों ने अपने उत्तरदायित्व से बचने का यत्न किया था और उन्होंने अपनी नीति को बदलने की कोशिश नहीं की।

घटशिला को दुर्घटना में बहुत से व्यक्ति मर गये थे। किन्तु हमें बताया गया है कि यह तोड़ फोड़ की कार्यवाही के फलस्वरूप हुई थी। ऐसा कह कर रेलवे बोर्ड अपनी जिम्मेदारी को टाल नहीं सकता। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि रेलवे बोर्ड या रेलवे मंत्रालय रेलवे की देखभाल की जिम्मेदारी नहीं लेता। ऐसी स्थिति को सहन नहीं किया जा सकता। दुर्घटनाओं के बाद और प्रत्येक बजट सत्र में रेलवे मंत्री सदा यह आश्वासन देते हैं कि कार्य-संचालन में सुधार किया जा रहा है और अपने कर्तव्य में लापरवाही करने वालों को कड़ी सज़ा दी जाती है। नीचे वाले आदमी को तो पकड़ लिया जाता है किन्तु बड़े-बड़े अधिकारी साफ़ बच जाते हैं। घटशिला दुर्घटना में न्यायिक जांच होनी चाहिए। समझ नहीं आता कि रेलवे मंत्री ऐसी जांच से क्यों कतराते हैं। इन के बिना दुर्घटनाओं के वास्तविक कारण नहीं मालूम हो सकते। न्यायिक जांच के अतिरिक्त रेलवे और रेलवे बोर्ड के कार्य की जांच के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का तुरन्त नियुक्त किया जाना आवश्यक है।

रेलवे के कारखानों से जो सामान, मशीनरी आदि मांगी जाती है, वह कई कई मासों तक नहीं दी जाती। इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्यवाही करना अब एक राष्ट्रीय कार्य हो गया है। यह जानने के लिए कि रेलवे में कार्य अक्षमता क्यों बढ़ती जा रही है, उस उच्च शक्ति प्राप्त समिति का नियुक्त किया जाना आवश्यक है।

यह बात भी स्पष्ट करनी चाहिए कि इन दुर्घटनाओं के बावजूद पदाधिकारियों की सेवा की अवधि बढ़ाई क्यों जा रही है? इस विषय की भी उस समिति को जांच करनी चाहिए।

माननीय उपमंत्री ने बताया है कि १ अक्तूबर, १९६१ से आज तक अर्थात् एक महीने में १७१ दुर्घटनाएं हुई हैं, जिन में ८१ व्यक्ति मरे हैं। क्या इन के परिवारों को प्रतिकर देने से उन को संतुष्टि हो जायेगी। यदि उचित जांच की जाये, तो उन परिवारों को सहानुभूति दी जा सकती है।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : बताया गया है कि "रांची एक्सप्रेस" की बड़ी दुर्घटना में ५१ व्यक्ति मारे गये थे, ११ को गहरी चोटें आई थीं और १८९ को साधारण चोटें आई थीं। यह दुर्घटना ड्राइवर या किसी अन्य व्यक्ति की गलती के कारण नहीं हुई थी। इसलिए कहा गया है कि यह तोड़ फोड़ की कार्यवाही के कारण हुई थी, जो कि सत्य नहीं है। मेरी

†मूल अंग्रेजी में

जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना इंजन के खराब होने के कारण हुई थी । रेलवे इस तथ्य को छुपानी चाहती है । इसलिए उस ने दुर्घटना की न्यायिक जांच करवाने से इन्कार कर दिया है । इंजन में त्रुटि होने के कारण, ब्रेक खराब होगई थी और ड्राइवर कोशिश के बावजूद रफतार पर नियंत्रण नहीं कर सका ।

लाइन के साथ छेड़छाड़ किये जाने का तर्क बेतुका है क्योंकि दुर्घटना से १५ मिनट पहले उसी लाइन पर डाउन रांची एक्सप्रैस गई थी । विशेषज्ञों की राय के अनुसार पटरी आदि को उखाड़ने में कम से कम आधा घंटा लगता है ।

इस दुर्घटना में हताहत होने वाले व्यक्तियों की संख्या सरकार ने बहुत कम बताई है । गाड़ी खचाखच भरी हुई थी और कम से कम ५०० व्यक्ति दुर्घटना में हताहत हुए थे, जो कि सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों से कहीं अधिक है ।

पहली सहायता रेलगाड़ी दुर्घटना के ४ या ५ घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची थी । यदि सहायता कार्य पहले शुरू कर दिया जाता तो संभव है कई और लोग बच जाते ।

इन परिस्थितियों में विभागीय जांच का कोई महत्व नहीं है । यह आवश्यक है कि रांची एक्सप्रैस दुर्घटना की न्यायिक जांच कराई जाये, क्योंकि इस के बिना जनता के मन में विश्वास नहीं पैदा किया जा सकता

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : रेलवे में दुर्घटनायें बढ़ रही हैं यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से इस दिशा में बहुत अधिक वृद्धि हुई है । हमें याद रखना चाहिए कि रेलवे हमारे संचार साधनों की नाड़ियां हैं और इन साधनों को अधिक से अधिक मजबूत बनाया जाना ही चाहिए । यह दुर्भाग्य की बात है कि १९४८--१९५८ के बीच जितनी दुर्घटनायें हुई वह पहिले के दशकों से कहीं अधिक हैं । हमें इस बारे में जागरूक होना चाहिए । रेलवे के कार्य उपेक्षा करने से राष्ट्र को काफी हानि पहुंच सकती है ।

दुर्घटनाओं के उल्लेख में मेरा यह निवेदन है कि दुर्घटनाओं में जिन कई व्यक्तियों की जानें गयी हैं उन में हमारे एक प्रख्यात नृत्यशास्त्री डा० बी० एस० गुहा भी हैं । सहायता समय पर न हो सकने से कीमती जानों को बचाया नहीं जा सका । मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार उन लोगों के परिवारों को अवश्य कुछ मुआवजा दे जो कि इन दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं । इस संदर्भ में मुझे एक बात बहुत ही खेदजनक लगी कि कई दुर्घटना स्थलों पर उपस्थित गवाहों का कहना है कि सहायता समय पर नहीं पहुंची । इन बातों के फलस्वरूप जनता का रेलवे पर से विश्वास उठता जा रहा है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस विषय की जांच कराई जाय ।

दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में प्रशासन की ओर से हमेशा यह कहा जाता है कि ये सब तोड़ फोड़ का परिणाम हैं । मेरा निवेदन है कि यह युक्ति देना कि दुर्घटना तोड़ फोड़ के कारण हुई, रेलवे प्रशासन के लिए कतई श्रेयकर नहीं हो सकती । विशेष रूप से उस हालत में यह बात तो कभी भी नहीं करनी चाहिए जब दुर्घटना की जांच हो रही हो । और सही कारण देश के समक्ष आने वाले हों । ऐसा करने से जनता में काफी भ्रम फैल जाता है । मेरा तो यही मत है कि इस बारे में जांच कराई जानी चाहिए । और यह जांच न्यायिक होनी चाहिए । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए लाइनों और इंजनों की उचित देखभाल होनी चाहिए। आशा करता हूं मंत्री महोदय मेरी कही हुई बातों पर कुछ गम्भीरता से विचार करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वि० दास गुप्त** (पुरुलिया) : दुर्घटनाओं की जांच के रास्ते में क्या रुकावट है इस बारे में मंत्री महोदय को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए । "रांची एक्सप्रेस" जैसी भयंकर दुर्घटना पिछले कुछ वर्षों में नहीं हुई है । मेरा विचार यह है कि यह दुर्घटना किसी व्यक्ति विशेष की गलती से नहीं हुई बल्कि सच तो यह है कि अधिकांश दुर्घटनायें खराब इंजनों, लाइनों आदि के कारण से होती हैं । कहा जाता है कि उस अभागे इंजन ड्राइवर ने इंजन ले जाने से इन्कार किया था किन्तु उसे वही इंजन ले जाने के लिये बाध्य किया गया । इन सब बातों के कारण इस मामले की न्यायिक जांच कराना आवश्यक हो गया है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रेलवे प्रशासन अपने कर्मचारियों को सन्तुष्ट रखने के लिए प्रयत्न करे । दुर्घटनाओं से बचने के लिए इंजनों, रेल मार्गों आदि की उचित देखभाल की जाये ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : रेलवे दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में हो रही जांच के बारे में कुछ भ्रांतियां चल रही है । इस बारे में निवेदन है कि रेलवे दुर्घटनाओं की जांच रेलवे के मुख्य निरीक्षक तथा उसके अधीनस्था कर्मचारियों द्वारा की जाती है जिनका रेलवे मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है । सरकार ने रेलवे निरीक्षक-कार्यालय को रेलवे मंत्रालय से अलग कर दिया है । बात यह है कि सरकार प्रत्येक दुर्घटना के बारे में एक स्वतंत्र जांच चाहती है । निरीक्षकों को रेलवे में से लिया जाता है क्योंकि उनका प्राविधिक होना बड़ा जरूरी होता है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हाल में हुई दुर्घटनाओं के बारे में न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं है ; यह बात सदन को समझ लेनी चाहिये कि यदि रेलवे मंत्री को ऐसा पता चलता कि तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है तो वह निश्चय ही एक न्यायिक जांच का आदेश दे देते । मैं यह भ्रांति दूर कर देना चाहता हूं कि दुर्घटनाओं की संख्या में कोई वृद्धि हुई है । यदि आंकड़ों का भली भांति अध्ययन किया जाये तो पता चलेगा कि दुर्घटनाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है । वास्तविकता यह है कि प्रति वर्ष उनकी संख्या कम होती जा रही है ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, जैसी कि आशा की जा सकती थी अभी यातायात मंत्री महोदय ने भी इस बात तरह की बात कह दी कि किसी न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं है ।

मैं समझता हूं कि यहां पर जो बहस हुई है और अभी मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है वह इस बात को जोरदार शब्दों में प्रकट करता है कि न्यायिक जांच के हुये बिना इस सदन को और देश को व पूरे तथ्य नहीं मिल सकेंगे जिनके कारण ये दुर्घटनायें हुईं ।

अभी मंत्री महोदय ने एक बात कह दी कि यह जो मैनपुरी फर्रुखाबाद गाड़ी की दुर्घटना हुई इसको ३० मील प्रति घंटा से अधिक की स्पीड से नहीं चलना चाहिये था और चूंकि इससे अधिक स्पीड से वह गाड़ी चलाई गयी इसलिये यह दुर्घटना हुई । इस दुर्घटना के सम्बन्ध में मुझे कुछ अधिक ज्ञान है क्यों कि दुर्घटना के तुरन्त बाद मुझे वहां जाने का अवसर मिला था । मैनपुरी से दूसरा स्टेशन भोगांव आता है । इनके बीच में जितना टाइम लगना चाहिये उतना वह गाड़ी उस समय तक ले चुकी थी जब कि वह दुर्घटना-स्थल पर पहुंची थी । यह रेलवे मंत्री महोदय जरा अपने रेकार्ड से देखने की कोशिश करें कि क्या यह सही नहीं है कि जब मैनपुरी से यह ट्रेन चली थी तो ठीक समय पर चल रही थी और उसे भोगांव जिस वक्त पहुंचना था वह वक्त वहीं तक पूरा हो चुका था जहां कि भोगांव से २ मील पहले यह दुर्घटना हो गई थी । फिर यह कैसे कहा जाता है कि इस ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी और स्पीड ज्यादा होने की वजह से यह दुर्घटना हो गई ? मैं आप से यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहना कि

†मूल अंग्रेजी में

गवर्नमेंट इसपेक्टर आफ रेलवेज़ क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के मातहत है और एडीशनल कमिश्नर आफ रेलवेज सेफ्टी इसके मातहत हैं इसलिये वह जांच निष्पक्ष होगी यह बिल्कुल ही तथ्यों के परे है। यह बात जाननी चाहिये और मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय यह बात जानें कि क्या यह सही नहीं हैं कि जो एडिशनल कमिश्नर आफ रेलवेज़ सेफ्टी जांच करते हैं, गवर्नमेंट इसपेक्टर आफ रेलवेज़ जांच करते हैं तो क्या उन्हीं के ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह यह भी देखें कि ट्रैक ठीक है या नहीं ? ट्रैक ठीक होने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। वह इस बात का सर्टीफिकेट देते हैं कि ट्रैक ठीक है। अब सभापति महोदय, आप देख सकते हैं कि जब ट्रैक ठीक नहीं था और ट्रैक ठीक न होने की वजह से कोई दुर्घटना हो जाये तो ऐसे अधिकारी से जिसकी कि जिम्मेदारी ट्रैक को ठीक रखनेकी है उसी अधिकारी पर इस बात की जांच करने का भार डाला जाय तो वह कदापि इस बात को नहीं कहेगा कि ट्रैक ठीक नहीं था और उसमें गड़बड़ी की वजह से यह दुर्घटना हो गई।

मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि यह टूंडला फर्रुखाबाद पैसेंजर की ट्रेन दुर्घटना जिसमें कि १८लंका के नागरिक जो कि यहां के धार्मिक स्थानों का दर्शन करने आये थे, मारे गये, उसमें जो ट्रेन ड्राइवर मर गया वह टूंडला का रहने वाला था। उस ड्राइवर ने इस दुर्घटना से पहिले कम से कम तीन बार यह रिपोर्ट दी थी कि ट्रैक ठीक नहीं है, वह हिलता है और गाड़ी हिलती है। अब हमारे मंत्री महोदय अपना सिर हिला रहे हैं। मैं जानता हूं कि अलावा सिर हिलाने के उन के पास अन्य कोई साधन नहीं हैं। मैं जानता हूं कि वह इसके जवाब में यही कहेंगे कि हमारे पास कोई कागज नहीं हैं लेकिन मैं उनको बतलाना चाहूंगा कि उन कागजों को गायब किया गया है। दुर्घटना के सम्बन्ध में उस मृत ड्राइवर ने यह रिपोर्ट्स भेजी थीं कि ट्रैक ठीक नहीं है। क्या यह सही नहीं है कि वह रेल जहां पर यह ए० डब्ल्यू० इंजन चल रहा है जो चलना चाहिये भारी रेल पर शायद ११० पौंड या ८७ पौंड की रेल पर वह ७५ पौंड की रेल पर चल रहा है ? क्या मैनपुरी फर्रुखाबाद पैसेंजर की जो दुर्घटना हुई उस में जो रेल थी वह ७५ पौंड की नहीं थी ? क्या उसमें जो इंजन चल रहा है वह इंजन उस रेल पर चल सकता है और क्या पहले से इस बात की शिकायत कीगई थी या नहीं? मुझे तो लगता है कि मेरे पास जो इस सम्बन्ध में सूचना मौजूद है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मालूम होता है क्योंकि मुझे टूंडला के लोगों से जो कि उस मृत ड्राइवर के पास रहने वाले हैं उनसे यह सूचना मिली है। उनका कहना है कि मृत ड्राइवर ने ट्रैक में गड़बड़ी होने के बारे में तीन बार रिपोर्ट की थी। अब गवर्नमेंट इंसपैक्टर आफ रेलवेज जिन पर कि इस बात की जिम्मेदारी है कि ट्रैक को ठीक रखें वह लाइन देखने का काम ठीक प्रकार नहीं करते हैं और उसकी कोई देखभाल नहीं करते हैं। उसके परिणाम स्वरूप जब दुर्घटना हो जाती है और गवर्नमेंट इंसपैक्टर आफ रेलवेज़ जांच पड़ताल करते हैं और जब यह कहा जाता है कि हां उस ने इस तरह की शिकायत की तो मेरी सूचना तो यहां तक है कि शिकोहाबाद के डाक बंगले में बैठ कर जहां पर कि यह एडिशनल कमिश्नर आफ रेलवेज़ सेफ्टी जांच कर रहे थे वहां पर एक गार्ड का बयान बदलवाया गया सिर्फ इसलिये कि उसमें वह खुद फंस जाते हैं। उनका अपना विभाग फंसता है। अब जाहिर है कि जहां उन का अपना विभाग फंसता हो वहां यह कैसे मंजूर कर सकते हैं कि इस तरह का बयान दिया जाय खैर मेरी कुछ शंका है जो कि मैंने रख दी। अगर वह गलत हो तो रेलवे मंत्री महोदय कह दें कि वह सही नहीं हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि इसके बारे में वह यही कहेंगे कि यह अफसर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के मातहत हैं और इस बारे में वह मिनिस्ट्री जाने।

अक्सर यहां पर कह दिया जाता है कि इससे दो मंत्री संबंधित हैं कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद इस मुल्क में दो नहीं बल्कि कई सरकारें काम कर रही हैं। एक मंत्री दूसरे की बात जान नहीं सकता। क्योंकि दूसरे मंत्री के मातहत लोगों ने जांच कराई है, इसलिये वह एक न्यायिक जांच हो जायेगी मैं इसे ठीक नहीं मानता। सरकार का यह आर्गुमेंट कि न्यायिक जांच की अब जरूरत नहीं रही ठीक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने न्यायिक जांच के लिये पहले भी सहमति दी है और आपने

[श्री ब्रजराज सिंह]

मंजूर किया कि न्यायिक जांच होनी चाहिये। सिकन्दराबाद-द्रोणाचलम पैसेन्जर की दुर्घटना २-९-५६ को हुई थी। उस रेल दुर्घटना के फलस्वरूप १२१ व्यक्ति मारे गये थे। उसमें आपने न्यायिक जांच का आदेश दिया था। न्यायिक जांच कमीशन ने क्या कहा और वह किस नतीजे पर पहुंचा वह मैं आपके सामने पढ़े देता हूं :—

"इस तरह आयोग के परिणाम सरकारी निरीक्षक के परिणाम से बिल्कुल भिन्न हैं। इस घटना के लिये कोई व्यक्ति भी उत्तरदायी नहीं है"

जो कमिशन बनाया गया था उसने कहा कि सेन्ट्रल रेलवेज के कुछ सीनियर इंजीनियर्स उसके लिये जिम्मेदार हैं। सभापति महोदय, मेरी शंका है और हमारे अधिकांश नागरिकों की शंका है कि जब भी कोई रेल दुर्घटना होती है तो वह रेलवे के कुछ अधिकारियों की गलती और लापरवाही के कारण होती है। रेलवे अधिकारियों की लापरवाही के बिना कोई दुर्घटना नहीं हो सकती।

मंत्री महोदय का इस तरह की दलील देना कि चूंकि पहले से अधिक यात्री यात्रा करने लगे हैं इसलिये मरने वालों की संख्या भी अधिक होनी चाहिये और दुर्घनाओं की संख्या भी ज्यादा होनी चाहिये, मैं समझता हूं कि यह कोई उचित दलील नहीं है खास तौर से सन् १९६१ में ऐसे मंत्री द्वारा जिनसे कि आशा की जाती है कि वह सब चीजों को बिना इस बात का ख्याल रक्खे हुये कि उन्हें अपनी मिनिस्ट्री को डिफेंड करना है भले ही वह गलती पर क्यों न हों, उनसे हम आशा करते हैं कि वह निष्पक्षता से काम लेंगे। लेकिन मुझे दुःख के साथ यह स्वीकार करना पड़ता है कि निष्पक्षता से काम नहीं लिया जाता। अब इस तरह की दलीलें देना कि चूंकि पहले से लोग अधिक यात्रा करने लगें हैं इस लिये दुर्घटनाओं की संख्या अधिक बढ़ गयी है, रेलवे के अधिकारियों द्वारा दी जा सकती है। मंत्री महोदय का ऐसी दलील देना उचित नहीं लगता।

अभी हमारे सामने जो वक्तव्य है उसके अनुसार पिछले दो सालों के अन्दर ज्यादा दुर्घटनायें नहीं हुई हैं। सिर्फ ४ आदमी मरे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या मंत्री महोदय इसके लिये यह कहेंगे कि जिन दो सालो में दुर्घटनायें कम हुई उन दो सालों के अन्दर यात्री कम चले? अब ऐसी बात तो है नहीं। जब यह बात नहीं है तब कैसे कह सकते हैं कि चूंकि यात्री ज्यादा चलने लगे हैं इस लिये दुर्घटनायें ज्यादा होने लगीं हैं .

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैंने यह कभी नहीं कहा कि यात्री ज्यादा चलने लगे हैं इसलिये दुर्घनायें ज्यादा हो गयी हैं। अब अगर यह बात मेरे मुंह में रखी जाती है तो गलत बात की जाती है।

श्री ब्रजराज सिंह : आप ने अभी श्री हेम बरुआ को इंटरप्ट करते हुये जो बात कही थी मुझे उससे ऐसा लगा कि शायद उससे यह बात निकलती है कि यात्री पहले से ज्यादा चलने लगे हैं इस लिये दुर्घनाओं में वृद्धि असम्भव नहीं . .

श्री जगजीवन राम : जो आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा था।

श्री ब्रजराज सिंह : उससे यह मतलब तो निकल ही सकता है कि रेलों पर भार ज्यादा पड़ रहा है, वह ओवर वर्क्ड हैं और दुर्घटनायें हो जाती हैं। यह कोई दलील नहीं हो सकती।

टूंडला फर्रुखाबाद पैसेंजर पर हुई दुर्घटना के फलस्वरूप १८ लंका यात्री मारे गये। वे यहां पर धार्मिक कृत्य के लिये आये हुये थे। यह एक बड़ी दुखपूर्ण बात है कि हमारे देश में आये हुए लंका के नागरिक इस तरह से ट्रेन दुर्घटना के फलस्वरूप मारे गये। उनके शव को लंका में भेजा गया यह ठीक ही किया गया लेकिन उसी के साथ साथ हमें यह देखना चाहिये कि क्या कोई इस तरीके का कायदा नहीं बनाया जा सकता और कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया जा सकता जिससे कि हम इन रेलवे दुर्घटनाओं को कम कर सकें और समाप्त कर सकें। अब इस तरह के कदमों को अगर उठाना है तो मैं इस सम्बन्ध में बिल्कुल आश्वस्त हूं कि जब तक पूरी रेलवेज की कार्यविधि पर कि किस तरीके से काम चल रहा है उस सारी व्यवस्था की हम अच्छे तरीके से खोजबीन नहीं करेंगे तब तक हम अपने प्रयास में सफल नहीं होने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि रेल मंत्री महोदय आज अथवा कुछ दिन बाद इस बात के लिये तैयार हों कि वह पार्लियामेंट के कुछ सदस्यों की एक कमेटी बनायें जो कि रेलवेज की सारी व्यवस्था के बारे में पू ी तरह से जांच पड़ताल करे।

आज वहां पर कफी गड़बड़ चलती है। मेरे पास सूचना है कि आपके बड़े बड़े अफसर, करीब क ीब ४०, ५० होंगे और जिनकी कि सूची मेरे पास है उनको चार महीने बाद सदर्न रेलवे से नार्दर्न रेलवे में भेज दिया जाता है, और ईस्टर्न रेलवे से वेस्टर्न रेलवे में भेज दिया जाता है। आखिर पता लगाना चाहिये कि यह क्या बात है और ऐसा क्यों होता है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है लेकिन मैं मन्त्री महोदय से यह अवश्य चाहूंगा कि वह इस पर गम्भीरता-पूर्वक ध्यान दें और जैसा मैंने उनसे मांग की है पार्लियामेंट के मेम्बरों की एक कमेटी बनायें जो कि इस बात की जांच करे कि रेलवे की व्यवस्था कैसी है और उसके परिचालन व्यवस्था में कोई गड़बड़ी तो नहीं पैदा हो गई है, कोई खामी और कोई कमी तो नहीं पैदा हो गई है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे रेलवे मन्त्री महोदय से यही कहना है कि कम से कम वे टूंडला-फर्रुखाबाद पैसेंजर सम्बन्धी दुर्घटना की न्यायिक जांच के लिये राजी हो जायं क्योंकि उसमें हताहत होने वाले व्यक्ति इस देश के नागरिक नहीं थे बल्कि विदेशी नागरिक थे। मेरी समझ में एक दूसरे देश की सरकार को यह विश्वास दिलाने के लिये कि इस दुर्घटना के बारे में जो हमारी सरकार कहती है वही चीज हाईकोर्ट के जज भी कहते हैं, न्यायिक जांच करा लेनी चाहिए। अगर आप यह मानते हैं कि गवर्नमेंट इंसपैक्टर आफ रेलवेज ने इस दुर्घटना के बारे में जो रिपोर्ट दी है वह सही है तब आपको इसको न्यायिक जांच के सिपुर्द करने से इंकार नहीं करना चाहिये। अगर हाईकोर्ट का जज भी वही चीज कहे जो कि सरकारी रिपोर्ट कहती है तो विदेशी गवर्नमेंट को पूरा विश्वास हो जायगा कि यह दुर्घटना रेलवे व्यवस्था की कमी अथवा लापरवाही की वजह से नहीं हुई थी।

मैं निवेदन करूंगा कि मुल्क की जनता में तब तक विश्वास पैदा नहीं हो सकता जब तक कि आप इन दुर्घटनाओं की न्यायिक जांच के लिए तैयार नहीं होंगे। अब वक्त आ गया है जब रेलवे मन्त्री महोदय को अपने सारे कर्मचारियों को हिलाने डुलाने और जगाने के लिये तैयार हो जाना चाहिए उन को न्यायिक जांच कराने के लिये तैयार हो जाना चाहिये और उसके फलस्वरूप जो तथ्य आयें वे सारी जनता के सामने रखें और न्यायिक जांच के आधार पर जनता को बतलायें कि हमारी गलती नहीं है। आज लोगों के दिलों में जो यह शंका है कि कर्मचारियों की ओर से गलतियां और लापरवाही हुई है उनको दूर किया जाना चाहिये।

†**श्री जगजीवन राम** : कठिनाई यह है कि इस प्रकार के विवाद में खास कर इन रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में चर्चा करना बड़ा ही कठिन है। बहुत सी दुर्घटनाओं का तो प्रश्न ही नहीं है एक ही दुर्घटना की छानबीन करना कठिन हो जाता है। मानव जीवन की प्रत्येक कीमत पर रक्षा की ही जानी चाहिये

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगजीवन राम]

एक जीवन के समाप्त होने से कई जीवन खतरे में पड़ जाते हैं। इस विषय पर आंकड़ों के आधार पर भी कुछ कहना कठिन है। मैं स्वीकार करता हूं कि गत दो तीन महीनों में कुछ दुर्घटनायें हुई हैं इसलिये उनकी संख्या असाधारण रूप से अधिक दिखाई देती है। परन्तु मेरा निवेदन है कि यदि भारतीय रेलों पर गत पांच वर्षों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या का अध्ययन किया जाये तो देखा जायेगा कि इनमें कमी की ओर वृत्ति है। इस पर भी मैं रेलवे प्रशासन के पक्ष की बात नहीं करता। मैं यह निवेदन करता हूं कि रेलवे प्रशासन इसी कारणमात्र से लापरवाह न होगा तथा दुर्घटनाओं की संख्या को और कम करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, और आगे भी इस दिशा में पूरा ध्यान रखा जायेगा।

अब मैं जांच की ओर आता हूं। छोटी मोटी दुर्घटना के बारे में तो जांच रेलवे अधिकारियों द्वारा ही कर ली जाती है। बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में यह जांच रेलवे के निरीक्षक कार्यालय द्वारा की जाती है। यह निरीक्षक परिवहन मन्त्रालय के अधीन है। यह भी इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि लगभग सभी मामलों में रेलवे के निरीक्षक-कार्यालय के निष्कर्षों को न्यायिक जांच पड़ताल द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से ठीक करार दिया गया है। अतः यह विचार है कि इनके द्वारा की गयी जांच लगभग निष्पक्ष ही होती है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कि रेलवे निरीक्षक-कार्यालय को लाइन की जांच पड़ताल का काम नहीं सौंपा गया है। उसके लिये पूर्णरूप से रेलवे प्रशासन ही उत्तरदायी है। लाइन की अवस्था को समय समय पर मशीनों द्वारा जांचा जाता है तथा घटाशिला और फर्रुखाबाद के सम्बन्ध में मशीन का अभिलेख यह दर्शाता है कि लाइन की अवस्था ठीक थी। यह व्यवस्था काफी देर से सन्तोषजनक ढंग से चल रही है।

मैं सदन को यह आश्वासन देने को तयार हूं कि सरकार प्रत्येक उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जो किसी चालक को खराब इंजन को ही ले जाने के लिये विवश करेगा। इसी संदर्भ में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम ऐसे चालकों को इनाम देते हैं जो समय-बद्धता के अन्तर्गत रहते हैं। हम उन्हें यह अनुमति नहीं देते कि वे रफ्तार को बढ़ायें। घटशिला के रेल दुर्घटना के सम्बन्ध में भी मेरा कहना है कि हताहत लोगों की यथाशीघ्र सहायता के लिये रेलवे प्रशासन ने यथा सम्भव उपाय किये थे। मैं निवेदन करूंगा कि यह कहना ठीक नहीं है कि रेलवे प्रशासन ने प्राथमिकता लाइन को ठीक करने को दी थी तथा सहायता के काम को नहीं। जो लोग मरे अथवा घायल हुए उन व्यक्तियों के मामले में क्षतिपूर्ति का निर्धारित करने के लिये दावा आयुक्त नियुक्त किया जा रहा है।

सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि रेलवे पर हो रही दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के सम्बन्ध में सुझावों को देने के लिये एक समिति नियुक्त की जाय। इस समिति में प्रमुख व्यक्तियों तथा संसद् सदस्यों को लिया जायेगा।

मैं भी घटनास्थल पर प्रातः पहुंचा। यह दुर्घटना रात्रि को लगभग १ बजे हुई थी। सबसे पहले वह घटसिला के कुछ व्यक्ति जिनमें पुलिस, कुछ रेलवे पदाधिकारी, स्टेशन मास्टर, रेलवे कर्मचारी तथा घटशिला स्थित फायर कारपोरेशन के पदाधिकारी थे। इनके साथ कुछ डाक्टर एवं नर्सें आदि भी थीं। जो लोग रात में पहुंचे वे भी सहायता कार्य अधिक न कर सके क्योंकि वहां घोर अंधकार था। ऐसे घायल व्यक्तियों को, जो चल फिर सकते थे, अस्पताल पहुंचाया गया। प्रातः सहायता गाड़ी पहुंची। जमशेदपुर से पदाधिकारी तथा गैर-पदाधिकारी वहां पहुंचे। मने सहायता कार्य का निरीक्षण किया, अस्पताल भी गया।

समाचार पत्रों तथा कुछ माननीय सदस्यों ने यहां यह आरोप लगाया है कि रेलवे प्राधिकारियों ने सहायता कार्य की अपेक्षा रेलवे लाइन को ठीक करने के काम को प्राथमिकता दी। लेकिन शायद लोग यह भूल जाते हैं कि मलवे के नीचे लोग दबे हुए थे और यह आवश्यक था कि उनको पहले निकाला जाये और उनको निकालने का एकमात्र उपाय यही था कि वहां क्रेन को लाया जाता। क्रेन लाने के लिये यह आवश्यक था कि रेलवे लाइन की पहले सफाई की जाती। १२ बजे तक सभी मृत व्यक्तियों को तथा और सभी व्यक्तियों को मलवे से निकाल लिया गया। इस काम में कुछ देर इसलिये भी हुई कि पुलिस तथा रेलवे निरीक्षक ने घटनास्थल की जांच की और जब तक उन्होंने अपनी जांच पूरी नहीं कर ली तब तक कुछ भी वहां से हटाना ठीक नहीं था। बिहार पुलिस को सफाई आदेश जारी करने थे। कुछ पदाधिकारी रांची तथा पटना से आये। इस काम में कुल मिला कर दो घंटे की देरी हुई। लेकिन इस देरी के कारण किसी घायल व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। १२ बजे तक व्यक्तियों को निकाल कर निकटवर्ती अस्पताल जमशेदपुर, खड़गपुर तथा घटशिला भेज दिया गया था।

हम पर यह भी आरोप लगाया गया है कि मृत व्यक्तियों की सूची प्रकाशित करने में हमने देर की। यह ठीक है लेकिन हमारी भी कठिनाई थी और वह कठिनाई यह थी कि मृत व्यक्तियों को पहचानने में देरी हुई। और जैसे ही उनकी पहचान हुई वैसे वैसे ही हम उनकी सूची प्रकाशित करते गये। इन घायल एवं मृत व्यक्तियों के रिश्तेदारों को घटनास्थल एवं अस्पतालों तक आने के लिये निःशुल्क पास जारी किये गये। इसके अतिरिक्त इन रिश्तेदारों को और भी सहायता दी गई।

जहां तक प्रतिकर देने की बात है दावा आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है। वह मृत अथवा घायल व्यक्ति के बारे में प्रतिकर निश्चित करेंगे. मैं यह ध्यान रखूंगा कि दावा आयुक्त द्वारा नियुक्त राशि से मृत एवं घायल व्यक्तियों के रिश्तेदारों को अधिक ही दिया जाये।

जहां तक इस प्रकार की दुर्घटनाओं में देखभाल की आवश्यकता है हम सब वही कर रहे हैं जो कि हमें करना चाहिये। लाखों रेलवे कर्मचारी अपना कार्य बड़ी ही कुशलता, निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। और यही कारण है कि भारतीय रेलवे इतनी कुशलता से अपना कार्य कर रही है। यह बात मैं ही नहीं कह रहा हूं बल्कि विश्व बैंक के प्राधिकारियों ने भी भारतीय रेलों को ऋण देने से पूर्व उसकी जांच करने के बाद कहा था। उनके अनुसार हमारे यहां की रेलें विश्व को अन्य रेलों की तुलना कुशलता स कर सकती हैं।

रेलों पर दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये सरकार विख्यात व्यक्तियों को, जिनमें संसद सदस्या भी होंगे, एक समिति नियुक्ति करने के सवाल पर विचार कर रही है मेरा विचार ह कि ऐसा करने में रेलवे कर्मचारियों का भी लाभ होगा। हमारा सदैव ही यह प्रयत्न रहा है कि रेलवे यात्रियों की अधिक से अधिक सुरक्षा हो।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर): मैनपुरी दुर्घटना के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि जब गाड़ी लेट नहीं थी तो फिर भी यह तीस मील प्रति घंटा की चाल से अधिक क्यों जा रही थी? जब इंजन में चाल मापक यंत्र नहीं था तो रेलवे मंत्रालय इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा कि गाड़ी अधिक तेज चाल से जा रही थी।

†**श्री जगजीवन राम**: रेलवे मंत्रालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा बल्कि रेलवे निरीक्षक का यह निष्कर्ष है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसीरहाट): मैं चाहती हूं कि सिलीगुड़ी तथा घटसिला रेलवे दुर्घटनाओं के जांच प्रदिवेदन सभापटल पर रखे जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** : प्रतिवेदन मिलते ही सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : माननीय रेलवे मंत्री ने जो उत्तर दिया है वह बहुत निराशाजनक है । मेरा निवेदन है कि रेलवे दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में एक न्यायिक जांच की नितांत आवश्यकता है । मेरा एक सुझाव है कि सरकार एक प्रतिक्रिया अपनाये और वह प्रक्रिया यह है कि ज्यों ही कोई दुर्घटना हो तो स्थानीय मजिस्ट्रेट को मामले की न्यायिक जांच के लिये कहा जाये । इसके लिये उसे आवश्यक अधिकार भी दिये जायें । और उसका प्रतिवेदन सर्वप्रथम संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाये । मेरा निवेदन है कि जब तक यह नहीं किया जायेगा तब तक इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा । मुझे बताया गया है कि रेलवे बोर्ड इस सम्बन्ध में रेलवे कर्मचारियों का सहयोग बिल्कुल नहीं ले रहा है । अंत में मेरा निवेदन है कि रेलवे बोर्ड कर्मचारियों तथा प्रशासन के बीच सम्यक् सहयोग के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये अखिल भारतीय रेलवे फेडरेशन के सदस्यों को चर्चा के लिये आमंत्रित करे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस प्रस्ताव के बारे में श्री बाजपेई का एक संशोधन है । क्या मैं इसे मतदान के लिये रखूं ।

†**श्री बाजपेयी** : जी हां ।

†उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया और लोक-सभा में विभाजन हुआ । पक्ष में ३५ और विपक्ष में १३७ मत आये । संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा हाल में हुई बड़ी बड़ी रेल दुर्घटनाओं के बारे में रेलवे मंत्री द्वारा २० नवम्बर, १९६१ को सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभा का कार्य

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य सहयोग दें तो गैर-सरकारी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व हम लौह अयस्क खानें श्रमिक कल्याण उपकार विधेयक पर विचार कर लें क्योंकि इसको पारित करना अत्यंत आवश्यक है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : हमें तो बताया गया था कि सरकार के पास और कोई कार्य नहीं है । अब तीन बज गये हैं और यह समय गैर-सरकारी कार्यों के लिये है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य सहमत हों तो हम इस पर विचार कर सकते हैं । मेरा विचार है कि वे विचार करने के लिये सहमत होंगे । आशा है कि उपमंत्री महोदय संक्षेप में इसकी चर्चा शुरू करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लौह-अयस्क की खानें श्रमिक कल्याण उपकर विधेयक

†योजना, श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लौह-अयस्क के खनन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण को बढ़ाने की कार्यवाहियों की वित्त व्यवस्था के लिये लौह-अयस्क पर उपकर लगाने और उसकी वसूली का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

लोह-अयस्क खान उद्योग में काफी मजदूर काम करते हैं। १९६० में १०.७० लाख टन अयस्क निकालने के लिये लगभग ५० हजार व्यक्ति काम पर लगाये गये थे जबकि १९५२ में ४० लाख टन लौह-अयस्क निकालने के लिये २६ हजार व्यक्ति काम करते थे। तीसरी योजना का लक्ष्य १९६५-६६ में लगभग ३२० लाख टन (२२० लाख टन देश में खपत के लिये और १०० लाख टन निर्यात के लिये) रखा गया है। इसके लिये और मजूर लगाने होंगे। इस बात को कहने की जरूरत नहीं है कि इस उद्योग में मजदूरों को खुश रखना कितना जरूरी है।

सरकार स्वेच्छा से ही इन मजदूरों की हालत सुधारने के निरन्तर प्रयत्न करती रही है परन्तु इस का उत्साहजनक परिणाम नहीं निकला है। १९५६ में इस काम के लिये एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया था। उसमें मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होने इन खानों का सर्वक्षण करके जो रिपोर्ट दी उसमें यह लिखा था कि छोटे-छोटे मालिकों के सामने अपनी कठिनाइयां हैं किन्तु बड़े-बड़े मालिकों में भी कुछ उदासीनता दिखाई देती है। इस दल का यह भी कहना है कि इन लोगों के लिये मकानों की समस्या इतनी बड़ी है कि वह सरकार के हस्तक्षेप के बिना हल नहीं हो सकती। इस लिये उस दल ने यह सिफारिश की कि कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि अथवा अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि के नमूने पर एक कल्याण निधि खोला जाये, जिसमे एक विशेष उपकर द्वारा पैसा लगाया जाये। इस सिफारिश का कोयले के अतिरिक्त अन्य खानों सम्बन्धी तृदलीय उद्योग समिति ने भी समर्थन किया है। वर्तमान विधेयक इसी सिफारिश को पूरा करने के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस विधेयक में ८ खंड हैं। खंड २ में लौह-अयस्क पर एक उपकर लगाने की व्यवस्था की गई है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाने वाली दर से लगाया जायेगा। और ५० नये पैसे प्रति मैट्रिक टन से अधिक नहीं होगा। यह आशा है कि गत तीन वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर ५० नये पैसे की अधिकतम दर से लगभग ४० लाख वार्षिक की आय होगी।

यह उपकर जिन कल्याण सम्बन्धी कार्यवाहियों के लिये प्रयोग किया जायेगा, उनका उल्लेख खंड ३ में किया गया है। यह इरादा नहीं है कि कर्मचारियों की भलाई के लिये सुविधायों का सारा उतरदायित्व अपने ऊपर ले लिया जाये। इसकी मुख्य जिम्मेदारी मालिकों पर रहेगी और रहनी चाहिये। इस खंड में स्वीकृत कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के लिये और उन मालिकों को जो निर्धारित स्तर की सुविधाएं अपनी खानों में दें, सहायतानुदान देने की भी व्यवस्था की गई है।

खंड ४ और ५ प्रशासनिक पहलुओं के बारे में हैं। खंड ४ के अन्तर्गत लोह-अयस्क का उत्पादन करने वाले बड़-बड़े राज्यों में तृपक्षीय सलाहकार समितियां बनाई जायेंगी जिनके परामर्श से उपकर की अन्य सुविधाएं देने के लिये खर्च की जायेगी। खंड ६ महत्वपूर्ण है। इसके अन्तर्गत सरकार को किसी ऐसे राज्य या उसके किसी भाग को इस विधान से मुक्त करने का अधिकार दिया गया है। यदि उस राज्य में लौह-अयस्क का काम करने वाले मजदूरों के कल्याण की व्यवस्था के लिये वहां पर्याप्त उपबन्ध हो।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ल० ना० मिश्र]

खंड ७ में जो-जो कल्याण सम्बन्धी कार्य किये जायें, उनका और तत्सम्बधी-लेखे को प्रकाशित करने का उपबन्ध किया गया है ।

खंड ८ में छोटे-छोटे कानूनों का जिक्र किया गया है और यह बताया गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत किस किस प्रयोजन के लिये नियम बनाये जा सकते हैं। यह खंड प्रक्रिया अथवा ब्यौरे सम्बन्धी विषयों तक सीमित है ।

यह विधेयक सीधा सादा विधेयक है और इसका एक मात्र उद्देश्य लौह अयस्क खानों में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिये एक निधि खोलना है । जो सदस्य मजदूरों में काम करते हैं, उन्हें मालूम है कि इन लोगों की दशा सुधारने की कितनी आवश्यकता है । मुझे आशा है कि सभा इस विषय को अविलम्बनीयता को समझेगी और इस विधेयक को यथा शीघ्र कानून का रूप दे देगी ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । यद्यपि कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि जैसे संगठनों से हम ने जो अनुभव प्राप्त किया है उसका इस विधेयक के बनाने में प्रयोग नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में सरकार ने इस विधेयक को इसी सत्र में पारित करने की जो उत्सुकता दिखाई है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं ।

इस उद्योग के मालिक बड़े-बड़े मुनाफे कमा रहे हैं । परन्तु मजदूरों के रहने के लिए मकान भी नहीं हैं । सरकारी क्षेत्र की धल्ली राझड़ा लोह अयस्क खानों में भी यह हालत है । मुझे उम्मीद है कि इनकी कल्याण सम्बन्धी कार्यवाहियों को शीघ्र आरम्भ किया जायेगा ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं । इस विधि को इस तरह से काम में लाया जाये जिससे कि कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि के काम में जो त्रुटियां रह गई हैं, वह दूर हो जायें । मुख्य चीज तो मकान, यातायात, और कम से कम चिकित्सा सुविधाएं देना है । इस उद्योग में जो लोग काम करते हैं, उन्हें कम से कम पीने का साफ पानी तो देना चाहिए ।

चिरैया में कोई एम्बूलैंस नहीं है । वहां केवल एक हाथगाड़ी है । वहां के अस्पताल में भी उचित व्यवस्था नहीं है । और अन्त में पौष्टिक पदार्थों का प्रश्न हैं और यह न्यूनतम मजूरी पर निर्भर करता है । इसलिए न्यूनतम मजूरी को इन खानों में लागू किया जाये ।

†श्री काशी नाथ पांडे (हाता) : यह विधेयक लोह-अयस्क खान कर्मचारियों की दशा सुधारन के लिए बहुत आवश्यक है । श्रम मंत्रालय इसके लिये धन्यवाद का पात्र है ।

मेरा एक ही प्रश्न है और वह यह कि श्रमिकों के कल्याण की जिम्मेदारी राज्य या केन्द्रीय सरकारों की है या मालिकों की भी इसके प्रति कोई उत्तरदायित्व है । मालिक इन खानों से बहुत मुनाफा कमा रहे हैं । किन्तु वे श्रमिकों के कल्याण के लिये क्या कर रहे हैं । उनकी प्रवृत्ति है कि क्योंकि सरकार कल्याण उपायों की व्यवस्था अपने पर ले रही है, उन्हें स्वयं कुछ नहीं करना चाहिए । इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकना होगा । । उन्हें श्रमिकों के हित के लिये कार्यवाही करने के लिये बाध्य करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मैं माननीय सदस्यों के समर्थन के लिये उनका आभारी हूं। उन्होंने श्रमिकों की असन्तोषजनक दशा की ओर ध्यान दिलाया है। इसमें सुधार करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

मैं बताना चाहूंगा कि लौह-अयस्क खान कर्मचारियों के मामले में पहले ही न्यूनतम मजूरी अधिनियम को लागू करने के लिये राज्य सरकारों से कह दिया गया है।

मालिकों ने श्रमिकों के प्रति अपना दायित्व पूरा नहीं किया। फिर भी उनसे आशा की जाती है कि वे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था करें।

यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की खानों में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। किन्तु फिर भी अन्य खानों से अच्छी है। हम कह सकते हैं कि कार्य की शर्तें, आवास सम्बन्धी स्थिति, सफाई की स्थिति गैर-सरकारी क्षेत्र की खानों की तुलना में बहुत अच्छी है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि लौह-अयस्क के खनन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण को बढ़ाने की कार्यवाहियों की वित्त व्यवस्था के लिये लौह-अयस्क पर उप-कर लगाने और उसकी वसूली का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ८ तक, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ से ८ तक, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक ना जोड़ दिये गये।"

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम गैर-सरकारी कार्य आरम्भ करते हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

इक्यानवेवां प्रतिवेदन

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इक्यानवेवें प्रतिवेदन से, जो ६ दिसम्बर, १९६१ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इक्यानवेवें प्रतिवेदन से जो ६ दिसम्बर, १९६१ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गौवा, दमन और दीव से पुर्तगालियों का हटाने के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सदन श्री स० मो० बनर्जी द्वारा २४ नवम्बर, १९६१ को प्रस्तावित, निम्न संकल्प पर अग्रेतर विचार आरम्भ करेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : विदेशी मामलों की चर्चा में प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बाद मेरे विचार में इस संकल्प पर सविस्तार बहस करने की आवश्यकता नहीं रह जाती । प्रतिरक्षा मंत्री ने भी गोआ के बारे में कुछ बातें कही थीं ।

जहां तक गोआ का सम्बन्ध है, हम उसको पुर्तगालियों से खाली करवाने के लिए समय समय पर कार्यवाही करते रहे हैं । पुर्तगाल से राजनयिक सम्बन्ध तोड़ लिये गये हैं । विश्व न्यायालय का निर्णय हमारे पक्ष में था । सब से बड़ी बात दादरा और नगर हवेली का भारत में विलीनीकरण है ।

पुर्तगालियों का शासन दमन का शासन रहा है । उन्होंने गोआ की आजादी के लिए लड़ने वालों को कैद किया है । पुर्तगाल के विदेश मंत्री का यह बयान गलत है कि गोआ के लोग पुर्तगाल के शासन में प्रसन्न हैं । पुर्तगालियों ने न केवल गोआ में बल्कि अंगोला और मोजाम्बिक में भी बहुत दमन किया है ।

भारत सरकार पुर्तगाली शासन को हटाने के लिये पर्याप्त कार्यवाही कर रही है और वह दिन दूर नहीं, जब गोआ आजाद हो जायेगा इसलिये मुझे विश्वास है कि प्रस्तावक अपने संकल्प को वापस ले लेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी): कुछ भी हो एक बात तो मैं कहूंगा कि सरकार ने गोआ में कार्यवाही करने का जो निर्णय किया है उसके लिये वह बधाई का पात्र है । इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिये कि गोआ शीघ्र ही आजाद हो जाय । वैसे गोआ की सीमा पर हमारी सेनाओं का जो जमाव हुआ है उससे यह पता लगता है कि गोआ अब शीघ्र ही मुक्त हो जायेगा । इस बार शायद जनता को निराश न होना पड़े ।

पुर्तगाली विदेश मंत्री ने बहुत सी गलत बातें कही हैं । उन्होंने कहा है कि गोआ भारत का पुर्तगाली राज्य है, परन्तु ऐसा लगता है कि उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा । ऐसा कहना ऐतिहासिक तथ्यों के सर्वथा विपरीत हैं । मैं अपनी सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वह गोआ को शीघ्रातिशीघ्र मुक्त कराने के लिए सैनिक कार्यवाही करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं गोआ के बारे में काफी कुछ कह चुका हूं, इस बारे में कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं। यह संकल्प, जिसमें सरकार से पुर्तगालियों को "अल्टीमेटम" देन के लिए कहा गया है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका एक कारण यह है कि संकल्प पेश किये जाने के बाद कई घटनायें हुई हैं। अल्टीमेटम उचित तरीका नहीं है।

यह बात तो सबको बता दी गई है कि गोआ भारत का अंग है। यह जानकारी पुर्तगालियों को अत्यन्त स्पष्ट रूप से उसी दिन दे दी गयी थी जिस दिन हम स्वतंत्र हुए थे। राष्ट्रसंघ में सभी उपनिवेशों के बारे में, जिनमें गोआ भी शामिल है, एक संकल्प पारित किया जा चुका है और पुर्तगालियों द्वारा तथ्यों के खंडन के लिये प्रस्तुत तर्क स्वीकार नहीं किये जा सकते। पुर्तगाली बस्तियों में जो कुछ हुआ है उसके फलस्वरूप उनके साम्राज्यवादी शासन की समाप्ति का दिन निकट आ गया है।

गत १४ वर्षों से हम देखते आये हैं। जहां तक पुर्तगालियों का सम्बन्ध है यह कहना बहुत कठिन है कि शान्तिपूर्ण उपायों से सफलता प्राप्त होगी। वार्त्ता अथवा परस्पर बातचीत के द्वार बन्द कर दिये गये हैं, परन्तु हमारी ओर से यह बन्द नहीं हैं। परन्तु ऐसा लगता है कि बातचीत के द्वारा मामला हल करने के पुतगाली पक्ष में दिखाई नहीं देते। इस दिशा में हम कार्यवाही करने पर बाध्य हुये हैं, परन्तु हमें अब भी आशा है कि पुर्तगाली सरकार गोआ की औपनिवेशिक स्थिति को समाप्त कर शान्ति और मैत्री के साथ यहां से चली जायेगी।

एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गोआ के भारतीय संघ के एक अंग बन जाने के बाद सरकार का उसके पृथक अस्तित्व को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है। उसे एक पृथक इकाई के रूप में रखा जायेगा। यदि वहां की जनता की इच्छा हो तो उसे केन्द्रीय सरकार के अन्तगत रखा जायेगा। जो भी परिवर्तन वहां किये जायेंगे, वहां के लोगों की राय से किये जायेंगे। शीघ्र ही हमारा भविष्य वर्तमान बनने वाला है।

ऐसी स्थिति में मेरे लिये इस संकल्प को स्वीकार करना सम्भव नहीं, अतः माननीय सदस्य को इसे वापिस ले लेना चाहिए।

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैंने प्रधान मंत्री जी के भाषण बड़े ध्यान से सुन हैं। मेरा निवेदन है कि सकल्प में जिस 'अल्टीमेटम' शब्द का प्रयोग किया गया है वह गोआ की जनता की भावनाओं को व्यक्त करता है। मेरे विचार में यह सन्तोष का विषय है कि इस समस्या को हल करने के लिए हमारी सरकार शीघ्र ही कदम उठाने जा रही है।

जिन लोगों को गोआ के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के औचित्य के बारे में सन्देह है उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत द्वारा गोआ को मुक्त कराने से राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र का उल्लंघन नहीं किया जा रहा। मैंने प्रधान मंत्री जी के भाषण को सुना है। मैं चाहता हूं कि गोआ के प्रति सरकार का दृष्टिकोण अनिश्चित सा न रहे। सरकार यह सुनिश्चित करे कि २६ जनवरी, १९६२ तक हमारा झंडा गोआ पर लहराने लगे। इन शब्दों से मैं अपने संकल्प को वापिस लेने की सभा से अनुमति चाहता हूं।

†उपाध्यक्ष महोदय : पहले संशोधन लिया जाय।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री वाजपेयी (बलरामपुर) . मैं अपने संशोधनों को वापिस लेने की सभा से अनुमति चाहता हूं ।

†उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं माननीय सदस्य को अपने संशोधन वापिस लेने की सभा की अनुमति है ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिये गये

†उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय प्रस्तावक को संकल्प वापिस लेने की सभा की अनुमति है ।

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस ले लिया गया ।

लोक सभा के सदस्यों की वेश-भूषा के बारे में संकल्प

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वैल्लोर) : मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

> "कि इस सभा की यह राय है कि लोक सभा के सब सदस्यों से यह आग्रह किया जाये कि वे सभा में सम्मिलित होते समय किसी सर्वमान्य वेशभूषा को धारण करने सम्बन्धी नियमों का पालन करें ।"

मेरा मत है कि लोक-सभा के पहिरावे में एकरूपता होनी चाहिये । माननीय सदस्यों से आग्रह किया जाय कि जिस समय वे सभा में उपस्थित हों उस समय उन्हें किसी सर्वमान्य वेशभूषा धारण करने के नियमों का पालन करना चाहिये । किसी विशिष्ट वेशभूषा पर जोर देने अथवा अनुरोध करने का प्रयत्न उत्पन्न नहीं होता । संकल्प में यह स्पष्ट है और सर्वमान्य वेशभूषा की आवश्यकता पर जोर दिया गया है । अच्छा होगा कि संसद् कार्य मन्त्री इस प्रश्न की जांच करने के लिये एक छोटी सी समिति का संगठन करे । यदि ऐसा करना सम्भव नहीं तो यह मामला राष्ट्रीय एकता परिषद् को सौंप दिया जाय ।

यह तो है ही कि विभिन्न राज्यों की वेशभूषा में अन्तर है, अच्छा होगा कि कम से कम सदस्यों के लिये किस सीमा तक सर्वमान्य वेशभूषा निर्धारित कर ली जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : इस संकल्प के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सदस्यों के लिये क्रिकेट के खिलाड़ियों की पोशाक रहे । मन्त्री गण पहिचाने जा सकें इसलिये उनके लिये यदि शिरस्त्राण पहिनना ठीक समझा जाये तो अच्छा रहेगा । यह मेरा सुझाव है आशा है कि इस पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : विभिन्नता में जीवन और एकरूपता में मौत मानता हूं । मेरा मत है कि संकल्प पारित न किया जाय । यदि कोई सर्वमान्य वेशभूषा विहित की ही जाये तो वह धोती और कुर्ता रहे तो अच्छा है । मैं संकल्प का विरोध करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रक्खा है मैं उसका विरोध करता हूं, इसलिये कि हिन्दुस्तान पहले से ही कई हिस्सों में बंटा हुआ है। अगर हम किसी आदमी को यहां देख लें जो दाढ़ी वाला हो, तो पता चल जाता है कि वह मुसलमान है।

उपाध्यक्ष महोदय : दाढ़ी वाला मुसलमान ही हो सकता है, सिख नहीं हो सकता ?

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : ब्राह्मण भी हो सकता है।

श्री रामसेवक यादव : कोई चोटी वाला होता है तो पता चल जाता है कि वह हिन्दू है, अगर कोई सर और दाढ़ी दोनों बाल रक्खे हुए होता है तो पता चल जाता है कि वह सिख है। इस तरह की सूरतों को देख कर ही हमें पता चल जाता है कि हम कई हिस्सों में बंटे हुए हैं।

श्री नाथ पाई : (राजापुर) : मूछ वाला क्या होता है ?

श्री रामसेवक यादव : आप अपनी बात करें, दूसरों की बात क्यों करते हैं ? बिना मूछ वाले मूछवालों की बात करते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। इस तरह से हम कई हिस्सों में बंटे हुए हैं और कोई सूरत नजर नहीं आती कि अगर माननीय सदस्य का प्रस्ताव मान लिया जाय कि पार्लियामेंट के मेम्बरों के लिये कोई पोशाक हो तो क्या होगा। अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाय तो फिर हम को यह सोचना होगा कि पार्लियामेंट और विधान सभाओं के सदस्यों के बीच में फर्क होना चाहिये। उनकी कोई और ड्रेस हो। इसके अलावा जिला परिषद् और गांव पंचायत के मेम्बरों की ड्रेस में फर्क होना चाहिये। इस तरह से पोशाक के नाम पर आपस में फर्क पड़ता चला जायेगा। अगर कोई भी अपनी पोशाक में आयेगा तो हम को खट से पता चल जायेगा कि वह कौन है। हम जान जायेंगे कि यह पार्लियामेंट का सदस्य है या यह विधान सभा अथवा परिषद् का सदस्य है। इससे यह होगा कि आम जनता के जो लोग होंगे उनकी इज्जत और उनके प्रिविलेजेज में फर्क आयेगा। तो इस तरह की बात करने से कि पार्लियामेंट मेम्बरों के लिये कोई ड्रेस हो, कोई अच्छाई नहीं निकलेगी, बुराई ही निकलेगी। मेम्बर्स को देखने से ही यह पता लगना चाहिये कि यह जनसाधारण में से ही है। आज हम देखते हैं कि जो हमारे अधिकारी लोग हैं, वे एक खास तरह की ड्रेस पहनते हैं और जो हमारे नेता लोग हैं वे भी एक खास प्रकार की ड्रेस पहनते हैं। नतीजा यह होता है कि जब वे समाज में जाते हैं तो उनकी इज्जत ज्यादा होती है। साधारण आदमी जो धोती कुर्ता और पायजामा में आता है उसकी इज्जत ज्यादा नहीं होती, इस लिये कि वह साधारण आदमी की पोशाक पहने हुए है। अगर माननीय सदस्य का सुझाव मान लिया जाय तो फिर लोगों की इज्जत में फर्क पड़ जायेगा और यह बात ठीक नहीं है।

लोकसभा और विधान सभाओं में जनता के प्रतिनिधि केवल इसलिये जाते हैं कि वे जनता की चीज को सामने रख सकें, जनता के सुख दुःख और पीड़ा का आइना इस लोकसभा को बना सकें। वे यहां इसलिये नहीं आये हैं कि तहजीब सीखें।

उपाध्यक्ष महोदय : उनको तहजीब बाहर छोड़ आनी चाहिये ?

श्री रामसेवक यादव : अगर तहजीब का यह मतलब है कि हम को पोशाक, डीसेन्सी या डिकोरम के आगे ही सिर झुकाना है, आम जनता की बातों का आइना नहीं बनना है तो उस तहजीब या तमद्दुन का लाभ क्या होता है? लोक-सभा की तहजीब और तमद्दुन तो वही होगा कि हम सारे देश की आकांक्षाओं को, जनता की इच्छाओं का आइना बनें। अगर ऐसा नहीं होता तो इससे क्या फायदा निकलेगा ? इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री वि० दास गुप्त (पुरुलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ड्रेस के बारे में मैं राष्ट्रीय भाषा में ही कहना चाहता हूं। जो प्रस्ताव मेरे दोस्त ने रक्खा है उसको इतनी लाइटली लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। यह एक सीरियस चीज है जो कि हिन्दुस्तान के लिये सोची जा रही है। हम लोग हिन्दुस्तान के लिये एक भाषा रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से एक ड्रेस के लिये भी कोशिश होनी चाहिये। इसीलिये मैं कहता हूं कि यह जो प्रस्ताव है, हमें उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

इस ड्रेस रखने के बारे में बहुत दिनों से रिसर्च चल रही है। हमारे बंगाल में तो कम से कम टैगोर के जमाने से ही इस ड्रेस के मामले में रिसर्च चल रही है। वह बहुत मशहूर आदमी थे और उन्होंने सोचा कि हिन्दुस्तान की नेशनल ड्रेस क्या होनी चाहिये। उन्होंने इस के लिये ट्राउजर, धोती और लुंगी तीनों का कम्बिनेशन बनाने की कोशिश की।

उपाध्यक्ष महोदय : कम्बिनेशन कर के तीनों को एक किया या तीनों को एक दूसरे पर कर दिया ?

श्री वि० दास गुप्त : इस ड्रेस के एक्सपेरीमेंट के लिये वह रास्ते में निकले। जब वह यह लिबास पहन कर निकले तो रास्ते के लोग उन पर दौड़ पड़े।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि ड्रेस के बारे में फैसला करने के लिये हर स्टेट से कम से कम एक आदमी लेकर एक कमेटी बनाई जानी चाहिये। जब एक राष्ट्रभाषा के सवाल को लेकर हम लोगों में बहुत झगड़ा चल रहा है तो ड्रेस के मामले को लेकर तो और भी झगड़ा पैदा होगा कि पार्लियामेंट के मेम्बरों की ड्रेस क्या हो। एक जगह के आदमी इस बात को सोच नहीं सकते इसलिये हर एक स्टेट से आदमियों को लेकर कमेटी बनाई जाय जो कि इस का फैसला करें। साथ ही इस प्रस्ताव को सर्कुलेट किया जाय ताकि पब्लिक ओपीनियन एलिसिट हो सके। इस कमेटी की चेयरमैनशिप के लिये मेरा यह प्रपोजल है कि जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रक्खा है, उनको ही रक्खा जाय और उसके द्वारा देश की नैशनल ड्रेस का फैसला किया जाय ताकि कोई झगड़ा इस सम्बन्ध में पैदा न हो।

†**श्री अन्सार हरवानी** (फतेहपुर) : इस संकल्प को गम्भीरता से लिया जाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि सदस्यों के लिये कोई सर्वमान्य वेशभूषा विहित की जाय, इससे वेशभूषा का अन्तर कम होने में सहायता मिलेगी। इस देश में इतनी विभिन्नता है, अच्छा है कि इसकी राष्ट्रीय वेशभूषा में एकरूपता आ जाये।

श्री विभूति मिश्र (बगहा) : उपाध्यक्ष महोदय मैं अपने मित्र मुनिस्वामी जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। जब हमारा विधान बनाया गया तो विभिन्न रीजन्स के लिये विभिन्न भाषाएं कायम की गयीं, स्टेट फंकक्शन्स के लिये ड्रेस कायम किया गया, लेकिन लोक सभा के सदस्यों के लिये कोई खास ड्रेस नहीं निश्चित किया गया। हम लोगों का एक ड्रेस कैसे हो सकता है क्योंकि हमारा भिन्न भिन्न कल्चर है और हम भिन्न भिन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे मद्रास के भाइयों का कुछ ड्रेस है, बंगाल के भाइयों का कुछ और ड्रेस है, बिहार के भाइयों का कुछ और ड्रेस है और दूसरे राज्यों के भाइयों का अपना अपना ड्रेस है। हम सब सिविल लाइफ में रहते हैं या फौजी लाइफ में रहते हैं जो हमारे लिये कोई खास ड्रेस रखा जाए। अगर हमारे भाई को एक ही प्रकार का ड्रेस पहनना है तो वह फौज में भरती हो सकते हैं, वहां सब एक तरह का ड्रेस पहनते हैं। हमारे भाई तो आगे आने वाले नहीं हैं, वह जाते जाते हमारे ऊपर एक ड्रेस लाद जाना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब आप ही बताइए कि हमारे सिख भाई टरबन पहनते हैं, लेकिन सब तो नहीं पहनते। तो वह कहते हैं कि टरबन ड्रेस में नहीं आता। लेकिन ड्रेस के मानी हैं कि जो कुछ सिर से पैर तक पहना जाए वही ड्रेस है। जब हमारे भाई का सिखों की तरफ ध्यान गया तो उन्होंने कह दिया कि टरबन ड्रेस में नहीं है। कोई गांधी टोपी पहनता है तो सब के लिये एक-सा ड्रेस निश्चित करने का यह विचार बड़ा विचित्र है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका मतलब यह हुआ कि यूनीफार्म इस तरह की हो कि न कोई कुछ सिर पर पहने और न कुछ पैर में पहने।

श्री विभूति मिश्र : जी हां यह भी हो सकता है कि हम दिगम्बरी हो जाएं। दिगम्बरी उसे कहते हैं जो कोई कपड़ा न पहने। यह नेचुरल ड्रेस है। लेकिन अगर ऐसा ड्रेस कर दिया जाए तो लोग हमको जंगली कहेंगे। जिस प्रकार का प्रस्ताव हमारे भाई एक सी ड्रेस का लाए हैं ऐसा नियम दुनिया कीकिसी पार्लियामेंट में नहीं है। यह एक बेकार का प्रस्ताव है और मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

वह कहते हैं कि हमारे ड्रेस के लिये कोई रेग्युलेशन होना चाहिये। यह तै करना बड़ा कठिन है कि क्या ड्रेस पहना जाए। कोई चुस्त पाजामा पहनता है कोई ढीला पहनता है, कोई कोट पहता है, कोई कुरता पहनता है, तो कोई शेरवानी पहनता है। देश के भिन्न भिन्न भागों का भिन्न भिन्न पहनावा है। पहाड़ी इलाकों के जो सदस्य यहां आते हैं उनका अलग ही पहनावा है। अभी हमारे एक भाई ने कहा कि टैगोर साहब ने कोई खास ड्रेस बनाया था तो लोगों ने उसकी हंसी की।

श्री बि० दासगुप्त : टैगोर का मैंने नहीं कहा, वह तो किसी और की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह किसी और का जिक्र था।

श्री विभूति मिश्र : तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सिविल लाइफ में रहते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों का यहां प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा ड्रेस जैसा है वैसा ही रहने दिया जाना चाहिये।

श्री राधारमण (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे कई मित्रों ने श्री मुनिस्वामी जी के इस प्रस्ताव पर अपने अपने विचार रखे हैं। इस विषय में मैं कहना चाहता हूं इस पर शायद गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया गया। उनके प्रस्ताव में यह बात कतई नहीं है कि जो भी सदन के सदस्य हैं उनको बाध्य किया जाये कि वह हर समय के लिये कोई खास ड्रेस स्वीकार करें। उनके प्रस्ताव का सीमित उद्देश्य यह है कि जब सदस्य सदन में आवें तो अच्छा हो अगर वह एक ही किस्म के ड्रेस में आवें।

एक माननीय सदस्य : यह फासिस्टों का तरीका है।

श्री राधारमण : उनके ख्याल में ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारा तो ख्याल ऐसा नहीं है। हमारे देश में अनेक आपत्तियां हैं, ड्रेस की, खान पान की और जबान की। और हम इन आपत्तियों को हल करने की सदा कोशिश करते रहते हैं। अगर हमारे अन्दर खान पान की और जबान की एकता नहीं आ सकती, तो इसके मानी यह तो नहीं हो सकते कि हम ड्रेस के मामले में भी एकता लाने का प्रयत्न न करें।

आप देखते हैं कि हमारे स्कूलों में एक सी ड्रेस रखने का प्रयत्न किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम किसी संस्था के सदस्य बनते हैं तो उस संस्था की भी अपनी एक ड्रेस होती है। यह बात में मानता हूं कि अगर हम कोई यूनीफार्म स्वीकार करें यह जरूरी नहीं है कि वह सर पैर तक एक सी ही हो। हो सकता है कि हम सिर और पैर में चाहें जो कुछ पहनें लेकिन बाकी ड्रेस हमारी एक हो। यह निहायत अच्छी बात होगी कि सदन में सब सदस्य एक

ही ड्रेस में आवें। इसका प्रभाव पड़ेगा और इससे फायदा होगा। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करना चाहता लेकिन यह जरूरी है कि उस पर विचार करने के लिए कोई कमेटी बनायी जाए जो इस पर गौर करे तो ठीक होगा।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन)** : मैं माननीय सदस्य की भावना का आदर करता हूं। परन्तु आज हम जिस स्थिति में हैं उस में वेशभूषा के सम्बन्ध में कोई सर्वमान्यता नहीं हो सकती, सदस्य अपनी इच्छानुसार कोई भी वेशभूषा अपना सकते है। मैं अपन माननीय मित्र श्री मुनिस्वामी से अनुरोध करता हूं कि वह संकल्प वापिस ले लें।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : सरकार ने स्थिति को महसूस किया है इस से मुझे काफी प्रसन्नता है। मैं सकल्प को वापिस लेने को तैयार हूं परन्तु मेरा अनुरोध है कि सभा की प्रतिष्ठा के अनुरूप किसी वेशभूषा के बारे में एक प्रथा बनाई जाये।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया।

अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में संकल्प

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि देश में कालेजों और स्कूलों के १५ वर्ष से अधिक आयु के सब विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य सैनिक शिक्षा आरम्भ की जाये।"

आज देश की सुरक्षा और एकता को कई क्षेत्रों से खतरा पैदा हो गया है। हमारी सारी उत्तरी सीमा को चीन से खतरा है और उन्होंने १४००० वर्ग मील पर कब्जा कर लिया है।

पाकिस्तान ने जम्मू और काश्मीर में एक बड़े क्षेत्र पर अवैध कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तानी अवैध तरीके से अब भी भारत में घुसते जा रहे हैं यदि हमारी प्रतिरक्षा सेनायें इस सम्बंध में सतर्क नहीं रहेंगी तो देश को खतरा पैदा हो सकता है।

पुर्तगाल शताब्दियों से भारत के एक अंश पर कब्जा किये हुए है। यह हमारे सिर पर लटकती तलवार के समान है। अतः यह उचित समय है कि हम देश की अपनी सीमाओं की रक्षा के लिये तैयार करें।

सदा तैयार रहने की दृष्टि से सैनिक शिक्षा आवश्यक है। हमें केवल आपातकाल के लिये ही नहीं वरन् निरन्तर तैयार रहना चाहिये।

सैनिक शिक्षा के लिये एन० सी० सी० व ए० सी० सी० में भर्ती होने की प्रणाली से हमारे अधिकांश युवक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते और इस का परिणाम यह होता है कि वे आपातकाल में स्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि आपात कालीन स्थिति का सामना करने के लिये हमारे पास पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित व्यक्ति हो।

इस से यह कदापि नहीं समझना चाहिये कि इस से युद्ध की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। इस के विरुद्ध इस से अनुशासन की भावना उत्पन्न होगी।

मैं ने इस संकल्प का क्षेत्र सीमित रखा है कि स्कूल व कालिजों में १५ वर्ष से ऊपर की आयु के छात्रों को ही सनिक शिक्षादी जाये। निस्संदेह इस में पर्याप्त व्यय होने की संभावना है तथापि देश को होने वाले खतरे को देखते हुए इस ओर निश्चित कदम उठाना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : सकल्प प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, साधारण परिस्थितियों में संभवतः भारत में इस प्रकार के प्रस्ताव को सदन के सामने लाने की आवश्यकता न होती, लेकिन पिछले कुछ सालों से हिन्दुस्तान की जो परिस्थिति बनती जा रही है और जब हमारी सभी सीमाओं पर--चाहे वह पूर्वी सीमा हो, चाहे पश्चिमी, चाहे उत्तरी सीमा हो और चाहे दक्षिणी--इस देश के लिये खतरा पैदा हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि इस तरह का प्रस्ताव हिन्दुस्तान की जनता को जनाने के लिये बहुत ही आवश्यक है ।

हिन्दुस्तान की अपनी कुछ परम्परायें रही हैं । हम हमेशा से शान्तिवादी रहे हैं और अपने सारे इतिहास में हम ने कभी भी किसी दूसरे राष्ट्र और उसकी भूमि की तरफ आंख उठा कर नहीं देखा है । हमारे समाज में कुछ लोग ईश्वर का भजन करने वाले रहे हैं, जो कि सदा शान्ति की बात करते रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हिन्दुओं के वर्णाश्रम धर्म के अनुसार एक वर्ण ऐसा भी रहा है, जो हमेशा लड़ाई के लिये प्रस्तुत रहा और जिस की जिम्मेदारी रही कि वह देश की सुरक्षा की गारण्टी करेगा, देश की सुरक्षा के लिये अपनी जान भी होम देगा ।

उपाध्यक्ष महोदय हम में से आप सब से अधिक जानते हैं कि हिन्दुस्तान के इतिहास में एक ऐसा समय आया कि हिन्दुओं में से कुछ लोगों को अपने में से एक नई कौम को, सिख धर्म को जन्म देने के लिये तैयार होना पड़ा । वह कौम ऐसे समय में उत्पन्न हुई, जब कि देश की सुरक्षा को खतरा था । उस समय कहा गया कि एक एक सिख देश की सुरक्षा के लिये कुर्बानी देगा ।

मेरा तात्पर्य यह है कि इस देश में हमारी यह परम्परा रही है कि एक तरफ तो हम में से कुछ लोग शान्तिवादी रहे हैं, ईश्वर-भजन में लीन रहे हैं, दार्शनिक, साहित्यिक और कवि रहे हैं, वहां दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी रहा है, जिस पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी रही है । आज, जब कि हम अपनी सरकार--एक राष्ट्रीय सरकार और आजादी की सरकार--चला रहे हैं और ऐसी सूरत में, जब कि चारों तरफ से देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है, हमें अपनी उन पुरानी परम्पराओं को जाग्रत करना चाहिये और उन के अनुसार चलना चाहिये । पहले हमारे यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ग थे, जिन के अपने अपने कर्तव्य और धर्म निश्चित थे । क्षत्रियों का धर्म देश की सुरक्षा के लिये तत्पर रहना था । हम ने एक ऐसी कौम पैदा की, जिस का एक एक बालक देश की सुरक्षा में अपनी कुर्बानी देने के लिये तैयार था ।

आज फिर हमें इस बात की आवश्यकता पड़ी है कि हम अपनी उन भावनाओं को जगायें । आज जब हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि उत्तरी सीमा पर जो खतरा है, वह एक दो या दस बीस सालों में नहीं जाने वाला है, वह पचासो सालों तक रहने वाला है और चीन के साथ हमारे सम्बन्ध हैं, उन को दृष्टि में रखते हुए हमें एक दो पीढ़ी तक उस का सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये, तब इस तरह के प्रस्ताव को लाने की और आवश्यकता पड़ गई है । इस तरह के प्रस्ताव को पास करने से, इस तरह के प्रस्ताव पर चर्चा करने से यह नहीं समझा जाना चाहिये कि हिन्दुस्तान अपनी शान्तिवादी परम्परा को छोड़ रहा है । कतई इसका मंशा यह नहीं है कि हम अपनी शान्तिवादी नीति को छोड़ना चाहते हैं । हम अपनी तरफ से किसी के साथ लड़ना नहीं चाहते हैं । लेकिन हम अपनी परम्पराओं के साथ विश्वासघात करेंगे यदि हम इसके लिये तैयार न हों कि हम पर जो आक्रमण करे, जो हमारी सीमा का अतिक्रमण करे, उसका हम मुकाबला न करें । जो भी कोई ऐसा दुस्साहस करता है उसका मुकाबला करन के लिये हमें तैयार रहना है मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की आज की ४४ करोड़ जनता में, जो कि अगले पांच सालों में शायद ५० करोड़ हो जायेगी, हमें यह भावना जगानी है

[श्री ब्रजराज सिंह]

कि हम अपने देश की सुरक्षा को कैसे कायम रख सकते हैं, कैसे अपनी आजादी को कायम रख सकते हैं। ऐसी भावना को इस के अन्दर जागृत करने के लिये इस तरह के प्रस्ताव पर चर्चा करना अनिवार्य हो गया है और सरकार को चाहिये कि वह निश्चय करे कि एक वर्ग के लोग जो ऐसे लोग हैं जिन के शरीर में शक्ति है, जिनका शरीर काम करने लायक है, उनको फौजी शिक्षा दी जायेगी ताकि जब कभी भी आवश्यकता हो उनको देश की सुरक्षा के लिये बुलाया जा सके।

मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव का केवल इतना ही मंशा है। इसका यह मंशा कतई नहीं है कि लड़ाई की भावना अपने देश या विदेशों में फैलाई जाये। यदि हिन्दुस्तान की चले तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान का बच्चा बच्चा इसके लिये तैयार होगा और चाहेगा कि दुनिया से सशस्त्र सेनाओं को खत्म कर दिया जाये, हिन्दुस्तान का बच्चा बच्चा सब से पहले यह गारंटी देने को तैयार होगा कि दुनिया में कभी लड़ाई न हो और कम से कम हम अपनी तरफ से पहले लड़ाई कभी नहीं करेंगे। हमारी परम्परा, हमारा इतिहास, हमारा साहित्य, हमारे धर्म शास्त्र और हमारी सारी की सारी पृष्ठभूमि इस बात की साक्षी है हम शान्तिवादी हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम कभी भी अपनी तरफ से लड़ाई नहीं छेड़ते हैं।

लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि जब दूसरी की तरफ से कभी खतरा पैदा किया जाता है, तो क्या उस खतरे का मुकाबला करने के लिये हम तैयार हैं या नहीं हैं, और कोई ऐसी स्थिति पैदा कर देता है जिस से हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है तो उस खतरे का सामना करने की हमारे में शक्ति है या नहीं है? मैं समझता हूं कि सारी परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि सरकार इस पर निश्चय ले कि लोगों के शरीर में शक्ति है और जो देश की रक्षा करने में सहायक हो सकते हैं उनको फौजी शिक्षा दी जाये। फौजी दृष्टि से उनको तैयार किया जाये ताकि अगर कोई संकट पैदा हो जाये तो उस संकट का वे सामना कर सकें और देश की रक्षा कर सकें।

मैं उन सब बातों को दुहराना नहीं चाहता जिन पर पिछले कई दिनों से इस सदन में चर्चा होती आ रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि पृष्ठ भूमि तैयार है। सारे कारण मौजूद हैं इस प्रस्ताव को मंजूर करने के लिये। चाहे गोवा का सवाल हो, पाकिस्तान का सवाल हो या चीन का सवाल हो, सारी चीजें मौजूद हैं जिनके आधार पर देश को तैयार होने की जरूरत है। किसी भी खतरे का सामना करने के लिये।

मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि इस प्रस्ताव का कतई यह मंशा या अर्थ नहीं है और न ही इस का यह अर्थ लिया जाना चाहिये इस मुल्क में या इस मुल्क के बाहर कि हिन्दुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो यह चाहते हैं कि लड़ाई की भावना पैदा हो या यह चाहते हैं कि किसी पर हमला बोल दिया जाये, या दुनिया में वार साइकोसिस पैदा करना चाहते हैं। ऐसी बात हरगिज नहीं है। लेकिन यह बात जरूर है कि हमें अपनी शक्ति कायम रखनी है, हमें किसी से डरना नहीं है। हमें इस भावना को पैदा करना है कि हम किसी पर हमला बोलने वाले नहीं हैं लेकिन इसके साथ साथ यह बात भी जरूर है कि हम किसी से डरने वाले भी नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है अभी प्रारम्भिक स्टेज पर तो यह केवल उन विद्यार्थियों पर लागू हो जो कि कालेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं और जिन की उम्र १५ साल से ऊपर है। लेकिन आगे चल कर, भविष्य में चल कर, हमें इसको "उन लोगों पर भी लागू कर देना" चाहिये जो किसी कठिनाई की वजह से कालेजों में नहीं जा सकते हैं और उन सभी पर लागू कर देना चाहिये जिनके शरीर "इस लायक हैं कि वे फौजी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उन को भी फौजी शिक्षा दी जानी चाहिये।

सारी परिस्थितियों को देखते हुए और सीमाओं पर जो संकट पैदा हो गया है, उस को देखते हुए भी तथा अपनी स्थिति को साफ करने के लिये देश में और बाहर भी, यह अनिवार्य हो गया है कि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले और मुल्क में यह भावना पैदा करे कि कुछ भी हो हमारे देश में कितनी भी मत-विभिन्नता हो, राजनीतिक उद्देश्यों में विभिन्नता हो, जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की सीमाओं पर किसी खतरे का सवाल है, उसका सामना करने के लिये इस देश का एक एक बच्चा तैयार है, देश की रक्षा करने के लिये अपने खून की आखिरी बूंद बहाने के लिये तैयार है और तैयार रहेगा। मैं समझता हूं इस तरह की भावना पैदा करने के लिये इस प्रस्ताव को सरकार की ओर से स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: आठ मिनट माननीय सदस्य बोले हैं जिसमें से एक मिनट उन्होंने रिपोर्ट करने में लिया। इसलिये मैं समझता हूं सात मिनट स्पीच देने के लिये काफी होंगे और सभी माननीय सदस्य सात मिनट से अधिक न लें।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी): वर्तमान परिस्थितियों में सभी स्वस्थ्य व्यक्तियों को सैनिक शिक्षा देने का प्रस्ताव उचित है।

सैनिक शिक्षा से राष्ट्रीय और भावात्मक एकता आती है। इसका ही यह फल है कि प्रतिरक्षा सेनाओं में क्षेत्रीय तथा जातीय विभेद नहीं रहते हैं। उन का एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा करना होता है। अतः जब देश के युवकों को सैनिक शिक्षा मिलेगी तो न केवल उससे अनुशासन की भावना आयेगी अपितु राष्ट्रीय एकता की भावना तथा देश के लिये आवश्यकता पड़ने पर मर-मिटने की भावना को बल मिलेगा।

आज हमारे समक्ष जो स्थिति है उसमें हमें पुर्तगाल, पाकिस्तान और चीन से खतरा है। हमें अपनी सैनिक शक्ति बढ़ानी चाहिये।

सैनिक शिक्षा के परिणाम स्वरूप हमारे युवक न केवल अनुशासन प्रिय होंगे अपितु उनमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण की वृद्धि होगी।

श्री मोहन स्वरूप (पिलोभीत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं डा० राम सुभग सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह प्रस्ताव एक ऐसे अवसर पर आया है जब कि देश में संकट है और जरूरत इस बात की है कि देश को सुरक्षा के लिये तैयार किया जाय। अंग्रेजों के आने से पहले हिन्दुस्तान एक मार्शल रेस था और हर वक्त तैयार रहता था। इतिहास कहता है कि हिन्दुस्तान की तलवार मशहूर थी दुनियां भर के लोग इसका लोहा मानते थे। अंग्रेजों के आने के बाद से हिन्दुस्तान की जो मार्शल स्पिरिट थी उसको कुचलने की इन्तहाई कोशिश की गई और उन लोगों ने इस कौम को एक ऐसी कौम में परिवर्तित कर दिया जिस में से मार्शल स्पिरिट जाती रही। आज आवश्यकता है कि बहादुरी का जज्बा कौम के लोगों में पैदा किया जाय। आज जरूरत इस बात की है कि हिन्दुस्तान के सामने जो खतरा है उसको उस से बचाने के लिये लोग तैयार हों। आज जरूरत इस बात की है कि मुल्क पर मरने वालों की तादाद ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाये।

जहां तक लड़ाई का ताल्लुक है, लड़ाई के दो ऐस्पेक्ट्स होते हैं। जब फौजें फ्रंट्स पर होती हैं और लड़ाई करती रहती हैं तो मुल्क में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सैबोटाज करते हैं। सब लोग जानते हैं कि इस मुल्क में भी सैबोटाज करने वालों की कमी नहीं है और वक्तन फवक्तन गड़बड़ी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोहन स्वरूप]

वह करते रहते हैं । इसलिये आज और जरूरत आ पड़ी है कि लोग तैयार हों और जो प्रस्ताव डा० राम सुभग सिंह ने यहां पर रखा है उस पर गवर्नमेंट विचार करे । मैं इससे भी आगे बढ़ कर एक सुझाव देना चाहता हूं । मुल्क भर में डिफेन्स सोसायटीज तैयार हों और उनके जरिये से जो ताकतवर लोग, तन्दुरुस्त लोग गांवों में रहते हैं उन को फौजी ट्रेनिंग दो जाय ताकि गांवों में जहां पर फौजें नहीं रहती हैं, रिमोट जगहों पर जहां पुलिस नहीं पहुंच सकती है, वहां सुरक्षा की भावना पैदा हो और लोग संगठित हो सकें । मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे । बड़ी खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह की चर्चा शुरू हुई है और मेरठ और कुछ और जिलों में ऐसे कुछ संगठन शुरू किये गये हैं । मैं चाहता हूं कि देश भर में गांवों में भी इस तरह के सुरक्षा संगठन शुरू किये जायें । जब आर्म्स के मुताल्लिक वहां बिल पेश हुआ था तो सेलेक्ट कमेटी में मैंने सजेशन दिया था कि जो बन्दूक के लाइसेंस देने के तरीके हैं उन में कुछ परिवर्तन किया जाय । मैं ने सुझाव दिया था कि जिन लोगों को लाइसेंस दिये जाते हैं उनको लाइसेंस देने से पहले मिलिटरी ट्रेनिंग दी जाय । एक महीने के बाद दो महीनों के बाद, लोगों के चाल चलन का अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करने के बाद उन को लाइसेंस दे दिये जायें । इस तरह से लाइसेंस पाने वाले जो संगठन या जमातें होंगी वह वक्त पर देश के काम आ सकती हैं । जहां तक चीन का ताल्लुक है, आप जानते हैं, सारी दुनियां जानती है कि वहां पर वालेंटियर्स की एक बहुत बड़ी फोर्स है जो कि हर तरीके से शिक्षित है, ट्रेन्ड है और उनको आवश्यक हथियार दे कर मैदान में लाया जा सकता है । रिजर्व फोर्सेज के अलावा वालेंटियर्स का भी एक संगठन होना चाहिये इस तरह की मांग ब्रिटेन में की गई थी, यह मैंने पढ़ा है । इसी तरह से अब समय आ गया है कि हमारे देश में भी जो स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाले लड़के हैं, जो तन्दुरुस्त आदमी हैं, जिन में देश की सेवा की भावना है, उनको संगठित किया जाय और उन को फौजी शिक्षा दी जाय । फौजी शिक्षा देने का यह मतलब नहीं, जैसा कि कुछ मित्रों ने यहां पर कहा, कि हम लड़ाई की तैयारियां कर रहे हैं । हम लड़ाई की तैयारियां नहीं करना चाहते, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अहिंसा की बात करना, पंचशील की बात करना बन्द करें क्योंकि इन का कोई महत्व दुनियां में नहीं रह गया है, इन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। यह ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे देश को पतन की ओर ले जाने वाली हैं ।

मैं ज्यादा न कह कर यही अर्ज करूंगा कि डा० राम सुभग सिंह का जो प्रस्ताव है उसके अनुसार स्कूलों और कालेजों में और दूसरे देहाती इलाकों में इस तरह के संगठन बनाकर के लोगों को फौजी ट्रेनिंग हासिल करने का हम मौका दें ।

†**श्री म० रं० कृष्ण** (कृष्णनगर---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : मैं श्री राम सुभग सिंह के संकल्प से पूरी तरह सहमत हूं तथापि वर्तमान परिस्थिति में सरकार को चाहिये कि वे देश के संसाधनों को बहुत सावधानी से व्यय करें । मेरा विचार है कि देश की नागरिक जनता को सैनिक शिक्षा देने से यह कहीं अच्छा है कि हम अपने देश की सेनाओं में वृद्धि करें । कठिनाई के समय हमारी सेनायें हमारे सीमांत की रक्षा अधिक अच्छी तरह करने में समर्थ होंगी ।

गैर-सरकारी व्यवसायिक फर्मों को चाहिये कि वे आपतंकाल में अपने व्यय से अपने कर्मचारियों को सैनिक शिक्षा देवें इस से देश के संसाधनों का अनुचित व्यय नहीं होगा ।

†मूल अंग्रेजी में

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा): मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं। कारण यह है कि समय बदल गया है। जब बारिश हो रही हो तब हम किसी से कहते हैं कि छाता लगा लो लेकिन जब श्रीमान् जी कमरे में पधार रहे हों उस वक्त भी वह अगर कोई छाता लगा कर आये तो लोग इस बात पर हसेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जमाना बदल गया है। में तो ऐसा शख्स था जो हमेशा यह कहता रहा कि मैं महात्मा गांधी जी की अहिंसा को नहीं मानता। मैं ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा यह कहता रहा कि अगर कोई ईमान्दार हिन्दू है तो उसे गीता को मानना होगा, और अगर वह गीता को मानता है तो उसे धर्म युद्ध की बात को मानना होगा। मैं ऐसा आदमी था कि जो यह कहता था कि अगर कोई ईमान्दार मुसलमान है तो उस को जिहाद को मानना होगा और तलवार हाथ में लेनी होगी, अगर कोई ईमान्दार सिख है तो उसे गुरु गोविन्द सिंह को मानना होगा और धर्म के लिये लड़ना होगा, दुनियां के लिये, मुल्क के लिये लड़ना होगा। मगर आज जमाना बदल गया है। मुझे यह कहना है कि इस समय हम को हरगिज अपने मदरसों और विद्यालयों में छोटे-छोटे बालकों को फौजी तालीम नहीं देनी चाहिए। क्या मालूम कि इन छोटे-छोटे बालकों में से कौन-कौन ऋषि मुनि होने वाले हैं, कौन-कौन विज्ञान सिखाने वाले होने वाले हैं। हम क्यों उन को एक तरफ हांक दें और उन को फौजी बना दें।

जब मैं चीन में था तो मैं ने कहा कि यह बड़ा गलत तरीका है कि छोटे-छोटे बालकों को लामा या साधू बना दिया जाये। हमारे बुद्ध भगवान २९ वर्ष की उम्र में दुनिया को छोड़ कर गये थे। ज्यादा उम्र होने पर यह पता चल सकता है कि कौन फौजी हो सकता है और कौन फौजी नहीं हो सकता, कौन धार्मिक हो सकता है और कौन धार्मिक नहीं हो सकता। तो मेरे कहने का मलतब यह है कि यह हमारी संस्कृति है और यह हमारी सभ्यता है कि हम सब को फौजी न बनायें। हम तो खास तौर से कुछ लोगों को तैयार करते थे इसलिए कि वह लड़ेंगे, मरेंगे और देश की रक्षा करेंगे। यह हमारी सभ्यता है। हमारे ब्राह्मणों ने यह बात निकाली थी। अंग्रेजों ने तो कुत्तों, घोड़ों और गधों तक के लिए यह बात निकाली कि उन की नस्ल बनायी जैसे कोई दौड़ने वाला घोड़ा तो कोई गाड़ी में चलने वाला घोड़ा। लेकिन हमारे ब्राह्मणों ने इन्सानों की नसलें बनायी थीं। उन के अनुसार ब्राह्मण पोथी वाला होता था, क्षत्री तलवार चलाने वाला होता था, वैश्य व्यापार आदि करने वाला होता था और कुछ लोग टोकरी और फावड़े वाले होते थे। उन्होंने ये नस्लें बनायीं। उन्होंने सब को फौजी नहीं बनाया और न हम सब को फौजी बना सकते हैं।

मेरे कहने का मतलब यह है कि अब तो सिर्फ संसार संघ का राज्य ही सारे मुल्कों की रक्षा कर सकता है। अब तो हम सब को लग कर इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि समस्त संसार में हो एक राज, समस्त संसार की बने एक फौज, समस्त संसार की हो एक कचहरी ताकि मुल्क आपस में लड़ न सकें। हम चाहे फौजी तालीम देकर अपने बच्चों को फौजी बना लें, लेकिन इस तरह से मुल्क की रक्षा कभी नहीं हो सकती।

मेरा ६० लाख फौज बनाने का विचार जरूर था। मगर मैं चाहता था कि छावनियों में कारखाने लगें, खेत लगें, बाग लगें, और हमारे सिपाही दिन में ३ घंटे तो फौज का काम करें और पांच घंटे मेहनत कर के आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करें। तो मेरा यह विचार उन को काम में लगाने का था, वह है पुरानी बात। इस समय मैं इस प्रस्ताव की मुखालिफत करता हूं।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र डा० राम सुभग सिंह के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि १५ साल से ऊपर की उम्र के बच्चों को लाजिमी तौर पर फौजी शिक्षा दी जाये। लेकिन मैं इस का समर्थन इस कारण नहीं करता, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, कि देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मुझे तो आज देश के अन्दर या देश के चारों

[चौ० रणवीर सिंह]

तरफ कोई बड़ा संकट नहीं दिखायी देता। यों तो सारे संसार में कुछ न कुछ संकट रहता है और हमारा देश भी उस संसार का एक हिस्सा है।

जैसा कि राजा साहब ने कहा कि हमारे देश के अन्दर जो पहले समाज था उसका एक अजीब ढांचा था। उसको चार वर्णों में बांटा गया था। जो भाई पढ़ने लिखने का काम करते थे वह अपने को ब्राह्मण मानते थे, कुछ भाई क्षत्रिय समझे जाते थे जो कि देश की रक्षा के लिए लड़ने को अपना धर्म समझते थे। इसी तरह से जो भाई व्यापार या खेती करते थे उन को वैश्य समझा जाता था और जो भाई सब की सेवा करते थे उन को शूद्र कहा जाता था और नीच समझा जाता था। वह जमाना बदल गया। उस जमाने में जो शिक्षा दी जाती थी उसका एक खास असर देश के अन्दर था और उस का मैं सबूत दे सकता हूं। हमारे राजा साहब भी दिल्ली के पास के रहने वाले हैं और मैं भी दिल्ली के करीब का रहने वाला हूं। हम लोग दिल्ली के चारों तरफ रहते थे लेकिन हमने कभी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वह हमारा काम नहीं था। दिल्ली में अनेकों राज आये और चले गये लेकिन हम किसी की लड़ाई में भाग नहीं लिया। मुसलमान आये लेकिन उन्होंने हम को मुसलमान नहीं बनाया क्योंकि हम लड़ने का काम नहीं करते थे। उन्होंने दूर दराज के लोगों को जो लड़ने का काम करते थे मुसलमान बनाया। तो इस का नतीजा यह हुआ कि हम लोगों को जो दिल्ली के चारों ओर रहते थे इससे कोई मतलब नहीं रहा कि कौन राजा आया और कौन चला गया।

लेकिन आज देश स्वतंत्र हो गया है और पुराने हालात बदल गये हैं। आज कोई मारशल रेसेज नहीं हैं। सभी देशवासी देश की रक्षा में भाग ले सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को लाजिमी तौर पर फौजी शिक्षा दें। लेकिन उस शिक्षा का यह मकसद नहीं है कि इन बच्चों को देश की रक्षा के लिए यह शिक्षा देना लाजिमी है। इस प्रस्ताव का खास मकसद यह है कि इस तरह से बच्चों को अनुशासन की शिक्षा दी जाये। जहां तक देशों की रक्षा का सवाल है, आजकल यह अवस्था है कि एटम बम ने जापान की सारी फौजी शिक्षा को और हथियारों को नष्ट कर दिया था। तो आज के जमाने में फौजी शिक्षा इसलिए जरूरी है कि देश के अन्दर बच्चों में अनुशासन पैदा हो।

आज देश को आजाद हुए १४–१५ साल हो गये और देश ने बहुत तरक्की की है, लेकिन उसके साथ यह भी मानना होगा कि जहां तक अनुशासन का सवाल है वह कम हुआ है। हम ने अनुशासन की तरफ ध्यान नहीं दिया और उसी का नतीजा है कि देश में अनुशासनहीनता बढ़ गयी है। और यह खास तौर से देश की तरक्की में रोड़ा बनेगी। अगर हम चाहते हैं कि तीसरी पंचसाला योजना में, चौथी पंचसाला योजना में और पांचवीं पंचसाला योजना में देश आगे बढ़े तो हम को यह जरूरी है कि हम अपने १५ साल से ऊपर की उम्र के बच्चों को फौजी शिक्षा दें।

मैं यह जानता हूं कि जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से एन० सी० सी० और ए० सी० सी० के अन्दर लाखों बच्चों को फौजी तालीम दी जा चुकी है और इस दिशा में हम काफी आगे बढ़े हैं लेकिन मैं समझता हूं कि हम को इस तरफ और आगे बढ़ना है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र श्री राम सुभग सिंह जी ने जो यह संकल्प उपस्थित किया है वह बिल्कुल इस समय के अनुकूल है।

प्राचीन काल में सैनिक शिक्षा क्षत्रियों को दी जाती थी क्योंकि उस समय जन्मना वर्ण माने जाते थे। उस समय कर्मणा वर्ण नहीं माने जाते थे बल्कि जन्मना वर्ण माने जाते थे। तो उस समय क्षत्रियों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी और उनको मारशल रेसेज समझा जाता था। लेकिन अब जमाना बदल गया है और हिन्दुस्तान के सभी नागरिक मारशल रेसेज के माने जाते हैं और सभी देश की रक्षा में योग दे सकते हैं। लिहाजा इस समय जन्मना वर्ण का कोई महत्व नहीं है। अब तो कर्मणा वर्ण का महत्व है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि सैनिक शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि केवल स्थल की सैनिक शिक्षा दी जाये, उसका अर्थ यह भी है कि नैवल पर भी जोर दिया जाये। नैवल शिक्षा पर मैं इसलिए जोर देता हूं कि आज हमारे देश का दूसरे देशों से सम्बन्ध जहाजों के द्वारा ही हो सकता है और तरह नहीं। आप देखें कि आज हमारे ओशन में पुर्तगाल के चार फ्रिगेड मौजूद हैं और ओशन से भारत पर आक्रमण होने का खतरा हो सकता है। आप भारतवर्ष के नक्शे को देखें। दो तरफ की सीमाएं पाकिस्तान से मिली हैं। उस ओर से हमारे सम्बन्ध दूसरे देशों से स्थल मार्ग द्वारा नहीं हो सकते। आज पाकिस्तान हमारे वायु मार्ग को भी अगर अपने यहां से हो कर न जाने दे तो हिन्दुस्तान के हवाई जहाजों को ओशन पर ही हो कर दूसरे देशों को जाना होगा। इसलिए आज नैवी का जितना महत्व है उतना पहले कभी नहीं हुआ।

आप देखेंगे कि हमारी जो जल की सीमा है वह करीब तीन हजार मील की है। इस तीन हजार मील की सीमा की रक्षा हम तभी कर सकते हैं जब हमारी नौ सेना शक्तिशाली हो। आप देखें कि जो हमारे मरचेंट नैवी के जहाज हैं उन को चलाने के लिए आज भी १५,००० पाकिस्तानी काम करते हैं और उन को अभी तक हम हिन्दुस्तानियों से रिप्लेस नहीं कर सके हैं। और आप जानते हैं कि युद्ध के समय मरचेंट नैवी सैकिंड लाइन आफ डिफेंस होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस प्रकार आप को स्थल की सैनिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए, उसी प्रकार नैवल शिक्षा पर भी जोर देना चाहिए और आप को अपने युवकों को नैवी की शिक्षा देनी चाहिए। उस के बाद वह चाहें तो नैवी में जा सकते हैं या मरचेंट नैवी में भी जा सकते हैं। अब आज हालत यह है कि १५,००० पाकिस्तानी हमारी मरचेंट नैवी में काम कर रहे हैं। अगर आज हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ जाये तो हमारी क्या अवस्था होगी? हमारे हर एक जहाज में पाकिस्तानी मौजूद हैं। हमें चाहिए कि हम अपने देश के नागरिकों को नैवल शिक्षा दिलायें ताकि वह उन की जगह ले सकें। टैरीटोरियल आर्मी और एन० सी० सी० की तरह हम अपने देश के नवयुवकों को नैवल शिक्षा दिलायें। आज के जमाने में नैवल शिक्षा पर जोर देना अत्यन्त आवश्यक है और मैं चाहता हूं कि इस के बारे में सरकार गम्भीरता से विचार करे और आवश्यक कदम उठाये।

अन्त में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से प्राचीन काल में हमारे वहां लोग दुर्गा और चंडी की पूजा करते थे, क्षत्री और सिक्ख लोग शस्त्रों की पूजा करते थे उसी तरह से आज हर एक हिन्दुस्तानी को शस्त्र पूजा करनी चाहिए। आज देश के हर एक नागरिक का पवित्र कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर उस के हेतु शस्त्र भी उठाये। मैं इस विचार से बिलकुल सहमत हूं कि केवल पंचशील के नारे या शांति के नारे से ही देश की रक्षा नहीं होगी। उस के साथ बल भी होना चाहिए। हमारी वैदेशिक नीति तभी कामयाब हो सकती है जब उस के पीछे कोई सैंक्शन या शक्ति हो। अब अगर उस के पीछे कोई शक्ति नहीं है और खाली ढोल पीटा करते हैं तो इस तरह के ढोल के अन्दर पोल ही होगी।

मैं और अधिक न कहते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह नैवल शिक्षा पर भी जोर दे।

†श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह (रायपुर): मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। यदि प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है तो मेरा विचार है कि इस में कोई कठिनाई नहीं होगी। एन० सी० सी० तथा सैनिक स्कूलों में विद्यार्थी जाते जरूर हैं लेकिन वहां अनिवार्यता नहीं है। जो चाहते हैं वे ही जाते हैं। उन विद्यार्थियों की रुचि भी इसलिये नहीं होती कि वे प्रशिक्षण लेना चाहते हैं बल्कि वे तो आनन्द मनाने के ध्येय से ही जाते हैं।

मेरा एक सुझाव है कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति को अर्थात् १५ से ४५ वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों को सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य कर दे। ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रत्येक विश्वविद्यालय में यह आदेश भी जारी किये जायें कि वहां प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम छः महीने या एक साल का प्रशिक्षण एन० सी० सी० में लेना होगा। यदि यह प्रतिबंध लगा दिया जाये स्नातक अथवा कोई दूसरी परीक्षा पास करने से पहले एन० सी० सी० का प्रशिक्षण लेना आवश्यक है तो अच्छा होगा और ऐसा करने में मैं समझता हूं कि कोई कठिनाई भी नहीं होगी। इस कार्य के लिये सरकार अवकाश प्राप्त सैनिक पदाधिकारियों की सेवाएं ले सकती हैं।

जहां तक नौ सेना में लड़कों तथा अन्य लोगों को प्रशिक्षण देने की बात है वह भी मद्रास, बम्बई, गुजरात तथा उड़ीसा में दिया जा सकता है। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति ने इस संकल्प का समर्थन किया है। मेरा विचार है कि यदि सरकार इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र एक समिति की नियुक्ति कर दे तो और विस्तृत बातों का भी पता चल सकता है। यदि १५ वर्ष से अधिक आयु वालों के लिये प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाये तो उन में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ेगी और अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। भावनात्मक एकता बढ़ाने के लिये भी यह कदम सहायक होगा। अन्त में मेरा यही निवेदन है कि मैं इस संकल्प का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र डा० रामसुभग सिंह जो प्रस्ताव लाये हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। आज के जमाने में उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि हमारे देश के ऊपर चारों ओर से आफत आती हुई दिखाई दे रही है और हम सब भारतवासियों का यह परम धर्म हो जाता है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिये देश के नवयुवकों को फौजी शिक्षा दें।

आज चारों ओर से देश पर आफत आती हुई दिखाई दे रही है। एक ओर चीन मुंह बाये खड़ा है तो दूसरी ओर पुर्तगाल खड़ा है। इनके अलावा कोई और भी उधर खड़ा है। वे सब मन में बुरा इरादा लिये हमारी ओर देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हिन्दुस्तान हर प्रकार से कमजोर है।

आज देश में यह गलत भावना घर कर गई मालूम पड़ती है कि चूंकि हम लोग अहिंसक हैं इसलिये हम लोगों को मिलेट्री ट्रेनिंग लेना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को लोग अच्छे तरीके से नहीं समझ पाये हैं और इसीलिये उनका ऐसा ख्याल बना हुआ है। हमारे यहां अभी थोड़े दिन हुये शांति सेना के निर्माण की आवाज उठी थी लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि जब तक मिलिटरी ट्रेनिंग के जरिये लोगों में अपने देश और अपनी स्वतंत्रता को बचाने की ताकत नहीं होगी तब तक हमारे लिये पंचशील, शांति और अहिंसा की बात करना इम्पोटेंसी है। हम लोग सही मानों में तभी अहिंसक हो सकते हैं जब हम लोग हर तरीके से मजबूत और ताकतवर हों। गांधी जी की अहिंसा बुजदिलों की अहिंसा नहीं थी। अब चूंकि हम बुजदिल हैं और कमजोर हैं और उस कारण से हम अहिंसक बनते हैं तो उससे बढ़ कर खराब बात दूसरी नहीं है। महात्मा गांधी का तो यह कहना था कि अहिंसा का बल आत्मबल है। कमजोर और बुजदिलों

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिये अहिंसा नहीं है। देश की सुरक्षा को यदि आंच आती है और अहिंसा की आड़ लेकर बुजदिल होकर यदि हम चुपचाप बैठ जाते हैं और आक्रमणकारी का मुकाबिला नहीं करते हैं तो वह अहिंसा नहीं हुई। गांधी जी की अहिंसा का कदापि यह तात्पर्य नहीं था।

जैसे हमारे भाई डा० राम सुभग सिंह ने बतलाया है यह बहुत जरूरी है कि सरकार देश में १५ वर्ष से ऊपर के नवयुवक विद्यार्थियों के लिये फौजी शिक्षा अनिवार्य कर दे। हमारे विद्यार्थियों को हर प्रकार की फौजी शिक्षा दिलाई जाये। मैं तो इस से एक कदम आगे बढ़ कर यह मांग करूंगा कि खाली स्कूल और कालिजेज के विद्यार्थियों को ही नहीं अपितु हर एक देशवासी को जो कि इस प्रकार की फौजी शिक्षा ले सकने में समर्थ हो, दिलाई जाये और उनके वास्ते भी फौजी शिक्षा अनिवार्य कर दी जाये। जब तक यह नहीं होगा तब तक हम लोग बुजदिल ही बनते रहेंगे और अपने को अहिंसक मानने का ढोंग रच कर घर में चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन वास्तव में वैसा करके न तो हम पंचशील में विश्वास करेंगे और न ही सच्चे मानों में अहिंसक बनेंगे। अहिंसक वही हो सकता है जिसमें कि शारीरिक बल हो और उसी में आत्मबल आ सकता है जो कि अहिंसा सिखलाती है। बस मैं और अधिक न कहते हुये डा० राम सुभग सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डा० राम सुभग सिंह को यह सुन्दर प्रस्ताव पेश करने के लिये बधाई देता हूं। इस बात में कोई तथ्य नहीं है कि चूंकि चाइना हमारी सीमा पर खड़ा है, इस लिये हम इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। हमें गोआ में पार्टुगीज से कोई खतरा नहीं है, हमें उनका डर नहीं है। अपनी फौज पर हम को पूरा यकीन है। अगर कोई विदेशी ताकत हमारे देश की सीमा का अतिक्रमण करती है, तो उसका मुकाबिला करने का बल हम में है। किसी तत्कालिक भय से आतंकित हो कर हम इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस प्रस्ताव का हम इस लिये समर्थन करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि इस देश के नौजवानों का निर्माण करने की दृष्टि से, उनका सर्वांगीण विकास करने की दृष्टि से इस देश की शिक्षा-प्रणाली में यह आमूल परिवर्तन बहुत लाजिमी है। निरी बौद्धिक शिक्षा मनुष्य को पंगु बना रही है। वह शिक्षा जिन्दगी के हर क्षेत्र में एक अनुशासित और सुव्यवस्थित रूप से काम करने की क्षमता पैदा नहीं करती है।

चाहे मकान बनाने का काम हो, चाहे बाढ़ के वक्त काम करने का अवसर हो और चाहे युद्ध के मैदान में शत्रुओं का मुकाबिला करने की योग्यता का प्रश्न हो, हम देखते हैं कि हमारे देश के सैनिकों ने हर मैदान में बहुत डिसिप्लिन से, बहुत जवांमर्दी से काम किया है। हजारों आदमी बाढ़ में काम करते रहे, लेकिन वह सफलता नहीं पा सके, जो कि हमारी मिलिटरी के चन्द आदमी पा सके, जब उनको वह काम सौंपा गया। इसी प्रकार हजारों आदमी निर्माण के काम में लगे और उन्होंने मकान बनाने की कोशिशें कीं, लेकिन मकान जल्दी से नहीं बन सके, क्योंकि उन लोगों में और कारीगरों में डिसिप्लिन नहीं था। लेकिन जब इस देश की मिलिटरी के आदमियों ने, जो कि डिसिप्लिन्ड थे, इस काम को उठाया, तो उसको अत्यंत सुन्दरता और खूबसूरती से करके दिखाया। उन्होंने महीनों का काम दिनों में और दिनों का काम घंटों में कर दिखाया। यही नहीं, खेतों में भी उन लोगों ने अपने जौहर दिखाये। मिलिटरी के रिटायर्ड आदमियों ने रेगिस्तान के स्थलों में इतने ऊंचे गेहूं के खेत तैयार किये। हमारे इलाके में मिलिटरी के लोग जाकर बसे। उन में डिसिप्लिन था, उनमें आंधी और पानी में अपनी रगों का पसीना बहाने की क्षमता थी, इसलिये वे अपने काम में सफल हुये।

मैं मिलिटरी ट्रेनिंग को इस लिये आवश्यक समझता हूं क्योंकि उस से आदमी में डिसिप्लिन पैदा होता है, अपने संकल्प और इरादे के लिये मर मिटने की ताकत आती है। हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि विदेशी हुकूमत ने हमारी शिक्षा पद्धति को जिस ढर्रे में डाला, वह उस में बहुत वर्षों तक

[पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी]

पड़ी रही। इस देश में शौर्य और जवांमर्दी न जगने पाये, डिसिप्लिन पैदा न हो, काम करने की क्षमता न हो, ऐसा डर विदेशी शासकों ने शिक्षा के क्षेत्र में डाला। दुनिया बदल गई और यह देश बदल गया। इसलिये यह जरूरी है कि हम शिक्षा में एक आमूल परिवर्तन करें। हमारी शिक्षा संस्थाओं में जो इनडिसिप्लिन आ गया है, उसका इलाज करने की दृष्टि से भी मैं यह आवश्यक समझता हूं कि इस देश में मिलिटरी ट्रेनिंग को कम्पलसरिली आरम्भ किया जाये। यह एक बहुत अच्छा और सुन्दर ख्याल है।

इस सम्बन्ध में प्रश्न यह है कि आखिर इस व्यवस्था को केवल विद्यार्थियों तक ही क्यों सीमित किया जाये। जिन लड़कों और नौजवानों को कालेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका नहीं मिला, वे भी तो देश के नागरिक हैं, उनकी रगों में भी खून है और उन पर भी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आती है, उनको भी हर एक क्षेत्र में एक डिसिप्लिन्ड तरीके से देश का काम करने का अवसर देना आवश्यक है। उनको भी इस योजना का लाभ पहुंचाना चाहिये। आज हमारे देश में डाकुओं और चोरों के उपद्रव होते हैं और अशिक्षित आदमी उन का मुकाबिला करने में अक्षम हैं। इस कारण हमको पुलिस की बड़ी बड़ी प्लैटून्स रखनी पड़ रही हैं। अगर गांव के आदमी डिसिप्लिन्ड हों, अगर हम ने उनको मिल कर काम करने की शिक्षा दी हो, तो वे सरलता से इस समस्या का सामना कर सकते हैं।

इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुये मैं यह जरूरी समझता हूं कि इस दिशा में जल्दी से जल्दी कदम उठाया जाये। केवल स्कूलों में ही नहीं, बल्कि जिन्दगी के हर एक क्षेत्र में, देश के कोने कोने में मिलिटरी ट्रेनिंग का कम्पलसरी किया जाये। यह कोई रेजिमेंटेशन की तरफ जाने की बात नहीं है। हम शांति के उपासक हैं। अगर युद्ध के दानव को ताबूत में बन्द करने के लिये कीलों की जरूरत हो, तो हम हर वक्त अपनी हड्डियां देने के लिये तैयार हैं। युद्ध बंद होने चाहियें, इस बारे में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन युद्ध केवल बातों से समाप्त नहीं हो सकते। युद्ध को रोकने के लिये यह जरूरी होता है कि देश के नौजवानों में, नयी पीढ़ी में मजबूती के साथ जांनिसारी का भाव जागे। वह जांनिसारी का भाव, वह मिल कर अनुशासित रूप से काम करने का ख्याल मिलिटरी ट्रेनिंग से आ सकता है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री नलदुर्गकर (उस्मानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, डा० राम सुभग सिंह ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इससे पहले भी मैंने एक भाषण में कांस्क्रिप्शन की सिफारिश की थी। यह प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस पर गम्भीरतापूर्वक सोचेगी।

पुराण और सदियों का इतिहास पढ़ने से यह अनुभव और तजुर्बा हासिल होता है कि एक हिंसावादी राष्ट्र किसी अहिंसावादी राष्ट्र को कभी भी अमन से नहीं रहने देता। जिस तरह हिंसा की भावना या वार लाइक स्पिरिट अच्छा नहीं है, उसी तरह अहिंसा का माद्दा इन्तहाई हद तक जाना भी अच्छा नहीं है। उन दोनों का समन्वय होना चाहिये। इस दृष्टि से मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। अगर यह प्रस्ताव अमल में लाया जायेगा, तो उन विद्यार्थियों में, जिन में आज-कल एक तरह की इनडिसिप्लिन पैदा हो रही है, एक अनुशासन का माद्दा और ओबीडियेंस की भावना पैदा हो जायेगी तथा उनमें डिसिप्लिन आ जायेगी। जब वे विद्यार्थी पूरा मिलिटरी शिक्षण ले कर हाई स्कूल या कालेज से बाहर निकलेंगे, तो उन में न सिर्फ शख्सी तौर पर, व्यक्तिगत रूप से सैल्फ-कान्फिडेंस पैदा होगा, बल्कि उन के द्वारा पूरे देश में आत्म विश्वास पैदा हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि अगर विद्यार्थियों को उन सब बातों का शिक्षण दिया जायेगा, जिनकी मैदाने जंग में, युद्ध के क्षेत्र में, आवश्यकता होती है, अर्थात् हवाई जहाज, टक और जहाज आदि चलाना, तो उसका फायदा यह होगा कि देश पर कोई विपत्ति या आफत आने पर कई लाख नौजवान एक दम मोबिलाइज़ हो जायेंगे और वक्त पर अपने देश के लिये खून बहाने के लिये तैयार हो जायेंगे। इस तरह हमें उस लांछनास्पद परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा कि हम किसी बात के लिये तैयार नहीं हैं।

जब देश को स्वातंत्र्य मिल जाता है और उसमें डेमोक्रेसी आ जाती है, तो ऐसी सूरत में यह कहना बेकार है कि इस शिक्षण से देश में वार साइकासिस पैदा हो जायेगा। हमारे साधु-सन्तों ने हम को जो अध्यात्मिकता का उपदेश दिया है, उस को मद्देनजर रखते हुये हिन्दुस्तान में वार साइकासिस कभी भी नहीं पैदा होगा। प्रदेश विस्तार की भी हमारी आकांक्षा नहीं है। ऐसी सूरत में डा० राम सुभग सिंह ने यह प्रस्ताव ऐसे वक्त पर पेश किया है, जब कि राष्ट्र को उसकी बहुत जरूरत है और इस लिये मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। आज हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां बड़े बड़े राष्ट्रों में आगे बढ़ने के लिये होड़ लग रही है। वे चाहते हैं कि विश्व की राजनीति तथा उसकी प्रगति पर उनका अधिकार हो। प्रत्येक देश सैनिक दृष्टि से इस प्रकार उन्नति करना चाहता है कि दूसरे देशों की प्रगति में वह बाधक सिद्ध हो सके।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम देख रहे हैं कि जिन देशों के बारे में हमने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि वे हमारे शत्रु हो सकते हैं आज वही देश हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिये उतारू हैं। सब मिलाकर भारत की स्थिति ऐसी है जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हम अब ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं कि जब तक हम अपने सीमान्त की सुरक्षा नहीं करेंगे तब तक हमारे राष्ट्र की एकता बनी रहना खतरे में है। अतः ऐसी स्थिति में हमें केवल सेना पर ही निर्भर नहीं करना है अपितु अपने आपको भी तैयार करना है। ताकि आवश्यकता पड़ने पर देश की सुरक्षा कर सकें। अतः आवश्यकता इस बात की है किसी न किसी स्थिति पर सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाये।

यह ठीक है कि हमारे यहां क्षेत्रीय सेना है, एन० सी० सी० है लेकिन इनके द्वारा होने वाली प्रगति सीमित है क्योंकि उसके लिये अनिवार्यता नहीं है। यदि सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया तो हमारे यहां लाखों व्यक्ति तैयार हो जायेंगे और क्षणिक सूचना पर उन्हें देश की सुरक्षा के लिये बुलाया जा सकता है।

मेरा विचार है कि सैनिक प्रशिक्षण के बिना मनुष्य अधूरा है। आज देश में दो बातों की बड़ी आवश्यकता है। एक तो है औद्योगीकरण और दूसरी बात है प्रतिरक्षा। इन दोनों बातों की उचित रूप से प्रगति होनी चाहिये। प्रत्येक भारतीय के अन्दर यह भावना होनी चाहिये कि वह देश की सेवा कर रहा है। और इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि उसे उचित प्रशिक्षण दिया जाये। उचित प्रशिक्षण सैनिक प्रशिक्षण ही है। अतः प्रत्येक नागरिक को यह प्रशिक्षण लेना चाहिये।

अतः प्रत्येक नवयुवक को सामान्य शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी देनी चाहिये। हमारा नारा यह होना चाहिये कि यदि हम जीत जाते हैं तो हमें देश की स्वतंत्रता मिलती है और यदि हार जायेंगे तो हमें नरक मिलेगा। इसी भावना से हमें नवयुवकों को प्रशिक्षण देना चाहिये। अतः मेरा विचार है कि यह संकल्प स्वीकार कर लिया गया तो इस दिशा में अच्छी प्रगति हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प० ला० बारूपाल (बीकानेर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव मेरे माननीय मित्र श्री राम सुभग सिंह ने पेश किया है इसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि किसी भी देश की सुदृढ़ता का जो आधार होता है वहां के लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य होता है। जब मनुष्य की अच्छी शिक्षा होती है और उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो वह किसी भी काम को करे––वह गलती नहीं करता है और हर काम को अच्छा करता है। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि मुझे इसका तजुर्बा है। मिलिटरी की जो शिक्षा है वह मैं समझता हूं हमारे स्कूलों में प्रत्येक विद्यार्थी को दी जानी चाहिये। जो आदमी एक बार ऐसी शिक्षा प्राप्त कर लेता है वह कभी आलसी नहीं बनता, उसके अन्दर चुस्ती आती है, अनुशासन आता है। लेकिन आजकल जो शिक्षा दी जाती है, उसमें ये चीजें नहीं आती हैं। मैं देखता हूं कि बी० ए० और एम० ए० में पढ़ने वाले लोग सुस्ती से काम करते हैं। उनकी चालढाल को आप देखिये,आप पायेंगे कि वे चुस्त नहीं हैं। वे सुबह दस-दस बजे तक सोते रहते हैं। माता पिता कहते हैं कि बच्चा रात को पढ़ता रहा है, इसको सोने दिया जाये, इसको जगाना नहीं चाहिये। यह सही नीति नहीं है। मैं यह सब इसलिये कह रहा हूं कि मैं एक गरीब घराने से आता हूं और अपने जीवन में पहले मैं भी आलसी था। मैं इतना आलसी हो गया था कि पांच वर्ष तक मैं भिखारी की तरह साधू बन कर घूमता रहा।

१९४२ में जब गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों के साथ असहयोग का बरताव करना चाहिये और मिलिटरी में नहीं जाना चाहिये तो मैंने सोचा कि वह ऐसा करके क्या कर लेंगे और मैं जाकर मिलिटरी में भरती हो गया। मिलिटरी में जाकर मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या क्या काम मैंने किये, उनका मैं यहां वर्णन नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि आज मेरी ४९ साल की उम्र है और कोई भी भारतीय या कोई भी २५ साल का स्टुडेंट मेरे मुकाबले में आ जाए, मेरे साथ कम्पीटीशन में आ जाए, मैं उसको आगे जाने नहीं दूंगा। मैं आपको सही बता रहा हूं और यह बात में केवल उदाहरण के ही तौर पर कह रहा हूं। मेरे पास कोई मोटर नहीं है, साइकिल नहीं है और मैं हमेशा पैदल चलता हूं। मुझे किसी भी तरह की कोई थकान महसूस नहीं होती है और मैं काफी तेज चलता हूं। मेरे घर का जो धंधा है, छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक मैं खुद करता हूं। बूट पालिस तक मैं खुद करता हूं ––

उपाध्यक्ष महोदय : डिफेंस मिनिस्टर साहब से बात कर लीजिये और कह दीजिये कि पीपल्ज़ कार का वह खयाल कर लें।

श्री प० ला० बारूपाल: मैं यह कहना चाहता हूं कि एक मिलिटरीमैन जो होता है वह किसी के भरोसे नहीं रहता है। किसी के आसरे नहीं रहता है। बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी वह अपने आपको संभाले रखता है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम वह खुद कर सकता है। इसलिये पहले हमारे मुल्क के अन्दर इस बात की आवश्यकता है कि हर मनुष्य हर एक काम करे और हर मुसीबत को सहने के लिये तैयार रहे।

इस बात को कहते हुए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं कि हर स्कूल के अन्दर ऐसी शिक्षा होनी चाहिये जो कि हमारे देश को हर मुसीबत और हर आपत्ति को सहन करने के लिये तैयार करे, और चूंकि बहुत से लोग यहां पर बोलने वाले हैं, इसलिये अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब समय बहुत कम है और बोलने वाले बहुत हैं इसलिये इस प्रस्ताव पर बहस फिर होगी।

———

*मूल अंग्रेजी में

ईसाई धर्म प्रचारक

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा के इस अन्तिम अधिवेशन की समाप्ति पर, जब यह राजनीतिक यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है, मैं आपके द्वारा इस सदन का और विशेष रूप से इस भारत सरकार का ध्यान एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकर्षित करता हूं, जिसे यदि देर तक उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया तो यह इस देश के लिये बड़ा भयावह होगा ।

आप मुझे इन शब्दों को कहने की आज्ञा दीजिये कि जहां भारत की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा करने में यह सरकार असमर्थ रही, वहां देश के ऊपर जो धार्मिक आक्रमण हो रहे हैं, उनसे देश की रक्षा करने में भी वह सर्वथा असमर्थ रही है । भारत में धर्म परिवर्तन और ईसाई बनाने के षड्यंत्र आज के नये नहीं हैं । अब से वर्षों पूर्व अमरीका में बैठ कर स प्रकार बहुत सी योजनायें बनाई गईं और उसके आधार पर बड़ी बड़ी पुस्तकें लिपिबद्ध की गईं । "क्रिश्चियन मिशन्स इन रूरल इंडिया" तथा "क्रिश्चियन मास मूवमेंट इन इंडिया" इसी प्रकार की पुस्तकें हैं जिनमें यह तमाम योजनायें हैं । उनमें यह बतलाया गया था कि: "भारत देशमें जो ५ लाख गांव हैं उनमें कम्यूनिज्म और आर्थिक औद्योगिकरण की शक्तियों को पराभूत करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है कि उन लोगों को ईसाई धर्म की दीक्षा दी जाय ।" जिस समय ब्रिटिश भारत था उस समय यह बात हमारे लिये इतनी अधिक आपत्तिजनक नहीं थी । हम यह कल्पना करते थे कि यह देश जिन हाथों में है उनका बादशाही मजहब एक तरह से क्रिश्चैनिटी है । परन्तु स्वतंत्र होने के पश्चात् यह संभावना धीरे धीरे समाप्त हो जानी चाहिये । पर दुःख की बात है कि पिछले १४ वर्षों में यह बात और बढ़ गई है ।

पिछले १४ वर्षों में इस देश में ईसाइयत के प्रचार के नाम पर जो अपार धन विदेशों से आया है और जिसके आंकड़े सरकार ने समय समय पर इन प्रश्नो के उत्तर के रूप में इस हाउस में दिये हैं, मैं उन को संक्षेप में आप के सामने देना चाहता हूं । जनवरी, १९५० से जून १९५४ तक इस देश में २९ करोड़ २७ लाख ३९ हज़ार रुपया आया, सन् १९५५ के आंकड़े मुझे उपलब्ध नहीं हो सके, और सन् १९५६ के जनवरी से अप्रैल तक के पहले चार महीनो में ३ करोड़ ७० लाख, २ हज़ार रु० आया । जनवरी १९५७ से जनवरी १९५९ तक ३९ करोड़, ६३ लाख रु० आया और जनवरी सन् १९५९ से जुलाई १९६१ तक जिसे उस प्रश्न के उत्तर में, जिसकी चर्चा इस समय हो रही है, माननीय गृह मंत्री जी ने बतलाया, १७ करोड़ ८३ लाख रु० आया । इसी प्रकार इन पिछले दस वर्षों में आने वाली कुल राशि ९० करोड़, ६५ लाख और ४१, हज़ार रु० की बैठती है । इसमें वे चार वर्ष सम्मिलित नहीं हैं जिनके आंकड़े मुझे उपलब्ध नहीं हो सके, जो कि सन् १९४७ से सन् १९५० तक के मध्य के वर्ष हैं । लेकिन अगर इसी अनुपात से इन चार वर्षों के आंकड़े भी जोड़ दिये जायें तो हम देखेंगे कि स्वतंत्र होने के पश्चात् के पहले १४ वर्षों में इस देश में विदेशों से ईसाइयत के प्रचार के लिये लगभग १ अरब और ३५ करोड़ रुपया आया है ।

मैं आपके सामने यह बात विशेष रूप से इसलिये रख रहा हूं कि यह रु० वह है जो केवल धन के रूप में आया है । लेकिन कुछ इस प्रकार की चीजें हैं जो उपहार की शक्ल में भारत सरकार स्वीकार करती है, जैसे कि दवायें हैं, अस्पतालों के उपकरण हैं, दूध का चूर्ण है, घी है, अनाज है । एक बार मैंने कृषि मंत्री जी से जानना चाहा था कि क्या यह सही है कि यह केवल उन्हीं संस्थाओं को दिया जाता है जो ईसाई धर्म का प्रचार करती हैं । उन्होंने कहा कि सन् १९५१ में अमरीका के साथ एक करार हुआ था, और उस करार में यह शर्त तय पाई गई थी कि उपहार स्वरूप जो इस प्रकार के पदार्थ प्राप्त होंगे उनके बारे में भेजने वाले देशों को अधिकार होगा कि वे जिन हाथों में उसे चाहें उनसे उनका वितरण करावें । इसमें राज्य सरकारें या केन्द्रीय सरकार किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगा सकतीं ।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

यदि मैं बहुत बढ़ा चढ़ा भाषा में न कहूं तो पिछले वर्षों में जो सामग्री बाहर से आई है और जो नकद रुपया आया है, उसकी राशि कम से कम ढाई अरब रुपया इस देश में पहुंची है। ढाई अरब की जैसी भयंकर राशि धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र के अन्दर आने की छूट दी जा रही है। इसी के साथ साथ गृह मंत्री श्री दातार ने जो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है उसमें यह भी लिखा है कि वह जितनी राशियां देश के अन्दर आई हैं उनके सम्बन्ध में भारत सरकार अधिकृत रूप से यह जानकारी नहीं दे सकती कि सारी की सारी राशियां केवल ईसाई धर्म के प्रचार के लिये ही व्यय हुई हैं। मैं सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि इन राशियों के द्वारा न केवल धर्म का प्रचार किया जा रहा है अपितु मैं महात्मा गांधी के शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन को "क्रिश्चियन मास मूवमेंट इन इंडिया" की भूमिका के लेखक मि० मार्ट ने उद्धृत किया है कि जब यह राशियां इसी प्रकार से ब्रिटिश भारत के समय में आती थीं तो यह केवल आध्यात्मिक प्रचार के लिये नहीं आती थीं। इसीलिये महात्मा गांधी ने इन शब्दो का प्रयोग किया कि अमरीका से कुबेर भारत में भेजा गया है लेकिन भगवान भारत में नहीं भेजा गया।

इसी प्रकार से सन १९३७ में "यंग इंडिया" में गांधी जी ने एक लेख लिखा था कि जो लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं उनकी राष्ट्रीयता में परिवर्तन आ जाता है। अपने देश की अपेक्षा योरप और दूसरे देशों से उन की आत्मीयता और निष्ठा में वृद्धि हो जाती है। अपने इन शब्दो को दृढ़तापूर्वक कहने के लिये आप मुझे उस कमीशन की रिपोर्ट के उद्धरण देने की भी आज्ञा दीजिये जिसे मध्य प्रदेश की सरकार ने नियोगी कमीशन के नाम से बनाया था। उसने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दी थी जिस पर न मध्य प्रदेश सरकार ही कोई अमल कर पाई है और न केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को कोई निदेश दिये हैं। इस अपार धनराशि का दुष्परिणाम क्या हो रहा है?

इस का दुष्परिणाम यह है कि हमारे देश में बड़ी भयंकरता के साथ धर्म परिवर्तन किया जा रहा है मैं इस के भी कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। सन् १९५१ में इस देश के अन्दर ईसाइयों की संख्या ८१ लाख ५७ हजार और कुछ सौ के लगभग थी। लेकिन सन् १९६१ में जो गणना हुई है उस के अधिकृत आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं जो कि मैं उपस्थित कर सकें, लेकिन जैसी मेरी अपनी जानकारी है उस के अनुसार यह संख्या बढ़ कर १९६१ में १ करोड़ १७ लाख के लगभग पहुंच गई है। जिस अनुपात में दूसरे प्रदेशों में ईसाइयों की वृद्धि हुई है उस के अनुपात से यह संख्या केवल १ करोड़ २ लाख तक पहुंच जानी चाहिये थी। लेकिन यहां इतनी भयंकर वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के संदर्भ में आप नागालैंड को देखिये। ३ लाख ६९ हजार में से ९३ हजार आदमी वहां पर क्रिश्चियन बनाये गये। सरगुजा रियासत के राजा ने अभी एक वक्तव्य दिया था कि स्वतन्त्र होने से पहले मैं ने कानूनन अपने राज्य में ईसाइयों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ था, लेकिन पिछले १४ सालों में मेरे राज्य में इतनी तेज़ी से धर्म परिवर्तन हुए हैं कि करीब करीब १ लाख व्यक्ति वहां पर ईसाई बनाये जा चुके हैं। अगर यह धर्म परिवर्तन आध्यात्मिक कारणों से किये जायें तो इस में किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन इस के पीछे आज एक राजनीतिक दृष्टिकोण छिपा हुआ है। और वह राजनीतिक दृष्टिकोण भी ऐसा दृष्टिकोण जो किसी समय भी आगे चल कर भारत को भयंकर हानि के द्वार पर ले जा कर खड़ा कर सकता है। मैं संकेत रूप में केवल इतना कहना चाहूंगा कि इस राजनीतिक पृष्ठभूमि का परिणाम हमारे देश में नागालैंड का निर्माण है। इस पृथकतावादी मनोवृत्ति का परिणाम झारखंड की मांग है, इस राजनीतिक पृथकता-वादी मनोवृत्ति का परिणाम हमारे देश में आगे चल कर ईसाइस्तान की मांग बनने जा रही है। अगर इस बात को तेज़ी के साथ और सावधानी के साथ भारत सरकार ने नहीं सम्भाला तो मेरा अपना अनुमान है कि यह परिणाम इतना भयंकर होगा कि जिस का ठिकाना नहीं

है। इतिहास के पृष्ठ इस बात की गवाही देते हैं कि सन् १८५७ में जब हम स्वातन्त्र्य युद्ध लड़ रहे थे तो जिन कोलों का क्रिश्चियन मिश्नरीज ने धर्म परिवर्तन कर लिया था उन्होंने वाइसराय को लिखा था कि १०,००० सशस्त्र सैनिक इन कोलों को हम आप की सहायता के लिये भेजेंगे जो कि ईसाई धर्म में दीक्षित हो गये हैं। असम और बरमा की करेन जाति के लोगों जो ईसाई धर्म में दीक्षित हो गये थे उनके सम्बन्ध में भी वहां एक पादरी डा० गैसन ने वाइसराय को लिखा था कि अगर आवश्यकता हो तो हम भारतीयों के स्वातन्त्र्य युद्ध को दबाने के लिये उन करेन जाति के लोगों को भेज सकते हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है।

ऐसे समय में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह भयंकर धन राशि जो ढ़ाई अरब रुपये की पिछले १४ वर्षों में बाहर से इस देश के अंदर आई है, जिसके द्वारा भयंकर रूप से एक धार्मिक आक्रमण किया जा रहा है और जो देश के विभाजन के लिये धीरे धीरे एक पृथकतावादी मनोवृत्ति की बुनियाद डालती जा रही है. उस के लिये भारत सरकार यदि और कुछ न करे तो कम से कम इतना अवश्य करे कि जो अपार धनराशि विदेशों से आ रही है वह सीधे मिशनरीज के पास न पहुंचने पाये, बल्कि वह अपार धन राशि भारत सरकार के द्वारा आये ताकि सरकार को पता रहे कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिये उस का उपयोग किया गया या नहीं।

मैं समझता हूं कि शायद गृह-मंत्री महोदय मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेंगे इस चर्चा के सम्बन्ध में कि यह जो धनराशि विदेशों से आ रही है उस अपार धनराशि को भेजने वाले जिनके पास उसे भेजते हैं उन से क्या कोई शर्तें भी तय करते हैं कि वे किस प्रयोजन के लिये वह धनराशि भेजते हैं। क्या भारत सरकार ने कभी इस बात का पता लगाने का यत्न किया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां तक मेरी जानकारी है, इस के पीछे एक बड़ा प्रयोजन होता है और इस धनराशि के साथ साथ सामग्रियों के सम्बन्ध में भी यही किया जाता है। दूध का पाउडर आता है, गेहूं आता है, घी आता है, दवायें आती हैं, अस्पतालों के उपकरण आते हैं। मेरे हाथ में इस प्रकार के कार्ड हैं जिन से पता चलता है कि चर्च वर्ल्ड मिशन आफ अमेरीका जो है वह इस प्रकार की चीज़ें भारी मात्रा में हमारे देश को सप्लाई करता है। दिल्ली के अन्दर कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज, रूम नं० ९०, सेसिल होटल, दिल्ली-८ है, उसके पास इस प्रकार की चीज़ें भारी मात्रा में आती हैं जो कि विदेशों से भेजी जाती हैं। मेरे पास जो कार्ड हैं वे उस होटल के मालिक के पास में आये थे कि कैसे ६,००० गेहूं के बोरे भेजे गये हैं कर्नाटक में और कैसे ३,००० दूध पाउडर के टीन केरल के अन्दर भेजे गये। अब चूंकि वह होटल खत्म हो गया है इसलिये वह कार्ड वहां के किसी व्यक्ति ने मुझे ला कर दिया। मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि यह सामग्री भी इसी प्रकार इस देश में धर्म परिवर्तन के कार्य में उपयोग में लाई जा रही है।

आज जब हम इस लोक सभा के अधिवेशन को समाप्त करने जा रहे हैं और इस राजनीतिक यज्ञ की पूर्ण आहुति हो रही है, तो मैं गम्भीर चेतावनी के साथ आप से कहना चाहता हूं कि अगर आप ने समय रहते हुए इस देश को न सम्भाला तो पाकिस्तान की तरह इस देश में ईसाइस्तान की मांग की बुनियाद आप डालेंगे और आने वाली पीढ़ी जो है वह आप के इस अपराध के लिये आप को क्षमा नहीं कर सकेगी।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। मेरा विचार है कि यह बिल्कुल गलत है। यदि बाहर से धन आता है तो इस में हानि क्या है। यदि हम में आत्मबल है तो हम इस धन का उपयोग जनता की भलाई के लिये करेंगे। यहां जो कुछ प्रस्ताव किया गया है वह हिन्दू धर्म के विपरीत है। मेरा निवेदन है कि हमें देश का और अधिक विभाजन नहीं करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[राजा महेन्द्र प्रताप]

यदि हम ईसाई मत का विरोध करते हैं तो हम आपस में लोगों का विभाजन कर रहे हैं। मेरा धर्म लोगों को प्रेम सिखाना है, और मैं इस का प्रचार सारे विश्व में करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सब धर्मों में एकता हो। मैं सम्पूर्ण विश्व में एकता चाहता हूं।

†**श्री मणियंगाडन** (कोट्टयम) : यह कहा जाता है कि विदेशी धर्म प्रचारकों द्वारा काफी धन यहां खर्च किया जाता है। हो सकता है कि यह बात ठीक हो लेकिन ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा जो भी यहां खर्च किया जता है वह पिछली कई शताब्दियों से खर्च किया जा रहा है तथा वह सब यहां की जनता की भलाई पर खर्च हो रहा है।

मेरा निवेदन यह है कि जो भी राशि बाहर से आती है उस का वितरण यहां पर रहने वाले ईसाई ही करते हैं और वह सब राशि यहां की जनता की भलाई के लिये खर्च की जाती है। यह ठीक है कि अमरीका से दुग्ध-चूर्ण, गेहूं आदि आता है किन्तु इस का वितरण यहां की निर्धन जनता में बिना किसी भेदभाव के ही किया जाता है।

यह आरोप लगाया गया है कि कहीं ऐसा न हो कि ईसाई भी एक दिन ईसाइस्तान बनाने के लिये न कहें। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि ईसाई धर्म विश्व व्यापी है अतः इस प्रकार की मांग करना इस धर्म के विपरीत है। हां ईसाई धर्म अवश्य है जिस का विश्वास इस के अपने प्रचार में है और दूसरे लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित भी करता है। यह आरोप बिल्कुल गलत है कि ईसाई बनाने के लिये अवांछित तरीके अपनाये गये हैं।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : यह विवाद २३ नवम्बर १९६१ को मेरे द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या २४४ के उत्तर के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। उसी के आधार पर माननीय सदस्य ने कुछ धारणायें बना ली हैं। मैं ने यही कहा था कि यहां काम करने वाले विदेशी धर्म प्रचारकों के नाम बहुत से उपहार आते हैं जिन का उपयोग धार्मिक एवं मानवीय हित के लिये किया जाता है। लेकिन ये उपहार भी आयात एवं विदेशी विनिमय के सामान्य नियमों के अन्तर्गत आते हैं। माननीय सदस्य ने यह शिकायत की है कि जो भी राशि विदेशों से आई उस का उपयोग ईसाई धर्म के प्रचार के लिये किया गया है। जहां तक किसी धर्म के प्रचार की बात है संविधान के अनुसार वह प्रचार सीमित बन्धनों में खूब किया जा सकता है। जहां तक बलात् धर्म परिवर्तन की बात है सरकार उस में जांच कर सकती है। और सरकार भी जांच के बाद इस निर्णय पर पहुंचती है कि बलात् धर्म परिवर्तन किया गया है तो फिर उस की अच्छी छानबीन की जा जाती है। बलात् धर्म परिवर्तन की जो भी शिकायतें यहां अथवा अन्यत्र की गई थी सरकार ने उन की जांच की और इस निर्णय पर पहुंची कि सभी शिकायतें निराधार थीं। अतः माननीय सदस्य की यह शिकायत गलत है कि बलात् धर्म परिवर्तन कराया गया है और विदेशों से मिले धन को इस के लिये उपयोग में लाया गया है। फिर भी उनको कहीं से यदि ऐसे समाचार मिलें तो वे मुझे बतायें और मैं उन की जांच करूंगा।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा किये गये समितियों के प्रतिवेदनों के उल्लेख की बात है। ये समितियां भूत पूर्व मध्य भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त की गई थीं और दोनों के प्रतिवेदन जनता के सामने हैं इन प्रतिवेदनों में कुछ शिकायतों का उल्लेख है। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि दोनों ही सरकारों में से किसी भी सरकार ने इन प्रतिवेदनों के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं मंत्री महोदय से बड़ी नम्रतापूर्वक यह जानना चाहता था कि जैसे आप ने नियोगी कमिशन की रिपोर्ट और रैगे कमिशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में कहा है तो मध्य भारत या मध्य प्रदेश की सरकार ने उस रिपोर्ट पर जो कि इतने परिश्रम के बाद तैयार हुई थी, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की और उसे कोल्ड स्टोरेज में रख दिया है, इस पर उन्होंने अथवा केन्द्रीय सरकार ने कोई जानकारी ली कि उस पर क्यों कार्यवाही नहीं की गई ?

†**श्री दातार** : ये रिपोर्टें मध्य भारत और मध्य प्रदेश की भूतपूर्व सरकारों ने प्राप्त की थीं। जब उन राज्यों ने ही कोई कार्यवाही नहीं की जिन्होंने इन आयोगों को नियुक्त किया था तब केन्द्रीय सरकार को इस में हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता थी। इन परिस्थितियों में मैं यह बता देना चाहता हूं कि जब यह सिद्ध न हो जाये कि बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया गया और ऐसा करते समय शक्ति को प्रयोग में लाया गया तब तक केन्द्रीय सरकार तो दर किनार कोई राज्य सरकार भी इस में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

जब कभी कोई शिकायत मिलती है कि बलपूर्वक धर्म परिवर्तन किया गया है तो सरकार उसकी पूरी तरह जांच करती है। परन्तु प्रमाण के आधार पर न कि कल्पना के आधार पर।

माननीय सदस्य ने कहा कि बलपूर्वक धर्म परिवर्तन किया जा रहा है परन्तु साथ ही वह यह कहते हैं कि यह धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर हो रहा है तो इस प्रकार उनकी एक तर्क दूसरी के प्रतिकूल है।

दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये ईसाई धर्म प्रचारक शिक्षा तथा चिकित्सा का कार्य करते हैं। चिकित्सा के लिये धन की आवश्यकता होती है तो क्या यह उचित होगा कि हम उन्हें धन प्राप्त करने की अनुमति न दें ? दूसरे पहलू की ओर भी तो ध्यान दिया जाना चाहिये।

गत पांच छः वर्ष में इस विषय में कई वाद विवाद हुए हैं। माननीय सदस्य ने ईसाई धर्म-प्रचारकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिये एक संकल्प भी पेश किया था जिस पर सविस्तार चर्चा हुई थी परन्तु आखिर वह संकल्प अस्वीकृत हुआ था। वास्तव में जब तक कोई ठोस प्रमाण न हो तब तक सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। अतः मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि जब तक कोई ठोस प्रमाण न हो तब तक यह स्वीकार करना सही नहीं होगा कि जो धन इन ईसाई धर्म प्रचारकों को प्राप्त होता है वह बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करने के लिये ही प्राप्त होता है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि मैं ने उन से एक प्रश्न पूछा था और मैं चाहूंगा कि लगे हाथों वे उसका भी उत्तर दे दें।

मैं ने मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछा था। उन्होंने उस प्रश्न के उत्तर में जिस पर यह चर्चा उठाई गई है बताया है कि इस अपार धनराशि का ईसाई धर्म के प्रचार में व्यय हो रहा है, इस सम्बन्ध में सरकार कोई अधिकृत जानकारी नहीं दे सकती।

इसी प्रकार का एक और प्रश्न १७ फरवरी सन् १९६१ को भी मैं ने पूछा था जिस के कि उत्तर में भी मंत्री महोदय ने यही बात कही थी।

मैंने साथ ही यह भी पूछा है कि यह धनराशि जो विदेशों से भारत में आ रही है उस के साथ कुछ शर्तें भी होती हैं अथवा किन प्रयोजनों के लिए वह भारत में आ रही है इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कोई जानकारी प्राप्त की अथवा भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई सावधानी रखी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : जब तक कोई ऐसा प्रमाण न हो जिस के आधार पर शिकायत की गई हो तब तक प्राप्त धन के बारे में पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। धन और चिकित्सा सामग्री प्राप्त होती है। इस बारे में सरकार कोई पूछताछ करना आवश्यक नहीं समझती।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब यह अधिवेशन समाप्त होता है। यह अधिवेशन थोड़ा समय ही चला परन्तु इसका महत्व कम नहीं था। वैदेशिक नीति, सीमा सम्बन्धी विवादों और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हुई। हम ने यह भी देखा कि संसद् सदस्यों की राय का सरकार पर कितना प्रभाव पड़ता है।

इस संसद् का यह आखरी अधिवेशन तो नहीं है। कुछ दिन के लिये हम पुनः मिलेंगे और उसके पश्चात् हम अपने आप को जनमत के सुपुर्द कर देंगे और आशा है कि आप में से अधिकतर माननीय सदस्य और भी बड़ी जिम्मेदारियां संभालने के लिये पुनः निर्वाचित होंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

(शुक्रवार, ८ दिसम्बर, १९६१)
(१७ अग्रहायण, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१९१३–३७
तारांकित प्रश्न संख्या		
६७४	सैन्ट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर	१९१३–१४
६७५	केन्द्रीय मद्य निषेध समिति	१९१४–१५
६८१	मद्य-निषेध	१९१५
७१९	मद्य-निषेध	१९१५–१६
६७६	पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश	१९१६–२१
६८०	प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक	१९२१–२३
६८२	कोयला-उद्योग के लिये पोलैंड का सहयोग	१९२३–२४
७८३	सफेद चिकनी मिट्टी के निक्षेप	१९२४–२५
६८५	खम्भात तथा अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों से गैस	१९२६–२८
६८६	शस्त्रों सम्बन्धी नियम	१९२८–३१
६८७	उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा	१९३१–३३
६८८	तेल की पाइप लाइनें	१९३३–३४
६८९	तेल के मूल्य	१९३४–३५
६९१	पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के मूल्य	१९३५
६९७	दामले समिति का मूल्य सूत्र	१९३५–३७
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१९३८–२०१४
तारांकित प्रश्न संख्या		
६७७	नहरकटिया की प्राकृतिक गैस	१९३८
६७८	स्कूल अध्यापकों के बच्चों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां	१९३८–३९
६७९	तेल के साफ करने की लागत	१९३९

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

६८४	बहरे तथा गूंगे व्यक्तियों को रोजगार	१९३९
६९०	कानपुर का युद्ध सामग्री कारखाना	१९३९–४०
६९२	कलकत्ता के निकट विमान दुर्घटना	१९४०
६९३	अंकलेश्वर का तेल	१९४०–४१
६९४	इस्पात उद्योग के लिए संगठन	१९४१
६९५	शिक्षा विकास निधि में अंशदान	१९४१
६९६	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में विद्युत संयंत्र	१९४१–४२
६९८	ऋण दासता	१९४२
६९९	भारत के लिये अमरीकी शिक्षा संघ	१९४२
७००	तेल और गैस के रक्षित भंडार	१९४२–४३
७००-क	प्रबन्ध कर्मचारियों का प्रशिक्षण	१९४३
७०१	सरकारी कर्मचारियों का बीमा	१९४३
७०२	सेना गोलाबारी अभ्यास द्वारा उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में दुर्घटना	१९४३–४४
७०३	खेल कूद जांच समिति	१९४४
७०४	राष्ट्रीय जीव विज्ञान अनुसन्धान संस्था	१९४४–४५
७०५	"सामूहिक बीमा" योजना	१९४५
७०६	अंतर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान	१९४५
७०७	कोयले का दिया जाना	१९४६
७०८	लोहा तथा इस्पात के मूल्य	१९४६–४७
७०९	केरल में सोने के निक्षेप	१९४७
७१०	गुजरात क्षेत्र में तेल की खोज	१९४७–४८
७११	रोहतांग दर्रे पर हवाई रज्जुपथ	१९४८
७१२	बबीना और झांसी के लिये जल सम्भरण योजना	१९४८–४९
७१३	इस्पात उत्पादन	१९४९
७१४	चिनाई वाले तेलों के निर्माण के लिये कारखाना	१९४९
७१५	पश्चिम बंगाल नगरपालिका क्षेत्रों में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा	१९४९–५०
७१६	बैरकपुर छावनी क्षेत्र में से होकर कलकत्ते को पानी का मेन पाइप	१९५०
७१७	राजभाषा	१९५०

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

७१८	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये अवकाश गृह	१९५१
७२०	नौसेना का फ्लीट एयर आर्म बेस	१९५१
७२१	गुजरात में तेल के लिये छिद्रण	१९५१–५२
७२२	वरिष्ठ उप-महालेखापाल, डाक तथा तार नागपुर के कार्यालय में गबन	१९५२

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१५६६	कपट विरोधी दस्ता	१९५२
१५६७	विदेशियों को जारी किये गये वीज़े	१९५२
१५६८	अन्दमान में खेल-कूद	१९५३
१५६९	रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	१९५३
१५७०	दिल्ली में पोलीटैक्निक	१९५३
१५७१	बिक्री कर अपवंचकों का गिरोह	१९५३
१५७२	प्रादेशिक सेना के अफसर	१९५४
१५७३	त्रिपुरा के धर्मनगर खजाना का पोतदार	१९५४
१५७४	काश्मीर में खनन परियोजनायें	१९५४
१५७५	इस्पात संयंत्रों में विदेशी	१९५५
१५७६	महाराष्ट्र में भूतत्वीय सर्वेक्षण	१९५५
१५७७	नागपुर प्रदेश में कच्चे लोहे का कारखाना	१९५५
१५७८	चलचित्र वित्त निगम द्वारा ऋण	१९५५–५६
१५७९	शिवालिक क्षेत्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण	१९५६
१५८०	दिल्ली में सार्वजनिक पार्कों में शिल्पकारी की कृतियां	१९५६
१५८१	पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षा और संध्याकालीन कालिज	१९५६–५७
१५८२	समवायों द्वारा पूंजी में वृद्धि	१९५७
१५८३	भूतपूर्व सैनिक	१९५७
१५८४	भारत में पश्चिम जर्मनी द्वारा पूंजी विनियोग	१९५९
१५८५	पैट्रोलियम इंस्टीट्यूट, देहरादून	१९५८
१५८६	शासकीय रहस्य अधिनियम	१९५८
१५८७	पंजाबी भाषा के विकास के लिये अनुदान	१९५८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१५८८	ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा भूमि का कटाव	१६५८–५९
१५८९	बरेली में एक धोखेबाज व्यक्ति की गिरफ्तारी	१६५९
१५९०	उड़ीसा में राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा	१६५९
१५९१	उड़िया नाटक के लिये संगीत नाटक अकादमी	१६५९–६०
१५९२	विदेशियों की मूर्तियां	१६६०
१५९३	भूतपूर्व सैनिकों की पेंशनें	१६६०–६१
१५९४	भारत में क्रिकेट नियंत्र बोर्ड	१६६१
१५९५	भिलाई का इस्पात कारखाना	१६६१–६२
१५९६	भारत में अमरीकी पूंजी का आना	१६६२
१५९७	औद्योगिक और गैर-औद्यिक कर्मचारी	१६७१
१५९८	मध्यस्थ मण्डल (नेगोशियेटिंग मशीनरी)	१६६२
१५९९	दिल्ली में पोलीटेक्निक	१६६३
१६००	सरकार द्वारा जारी किये गये दो ऋण	१६६३
१६०१	पंचायतों के द्वारा ग्राम्य जीवन बीमा	१६६३
१६०२	केन्द्रीय शिक्षा संस्था, दिल्ली	१६६३–६४
१६०३	बालापराधी सहायता कार्यालय	१६६४
१६०४	सेना अधिनियम	१६६४
१६०५	राष्ट्रीय महिला शिक्षा संस्था	१६६४
१६०६	नालन्दा में विश्वविद्यालय	१६६५
१६०७	कलकत्ता के लिये मास्टर प्लान	१६६५–६६
१६०८	संयुक्त राष्ट्र संगठन का जनसंख्या आयोग	१६६६
१६०९	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था	१६६६–६७
१६१०	भारत में भारतीय भाषाओं के विदेशी छात्र	१६६७
१६११	अमरीकन प्रकाशनों का मूल्य	१६६७
१६१२	न्यायाधीश	१६६७–६८
१६१३	जयाल का स्मारक	१६६८–६९
१६१४	दया याचिकायें	१६६९
१६१५	दिल्ली को 'ए' श्रेणी का नगर घोषित करने से वेतन में वृद्धि	१६६९–७०
१६१६	संस्कृत का अनिवार्य अध्ययन	१६७०

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६१७	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में बुनियादी शिक्षा	१६७०
१६१८	अनुसंधान के लिये छात्रवृत्तियां	१६७१
१६१६	लापता व्यक्तियों की सम्पत्ति	१६७१
१६२०	राजनीतिक पीड़ितों की आर्थिक सहायता	१६७२
१६२१	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	१६७२
१६२२	न्यायाधीश	१६७२–७३
१६२३	हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयोग	१६७३
१६२४	दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्यशाला	१६७३–७४
१६२५	स्नातकोत्तर इंजीयनियरी शिक्षा	१६७४
१६२६	फरो मैंगनीज़ उद्योग	१६७४
१६२७	दिल्ली में बच्चों के अपहरण के मामले	१६७४–७५
१६२८	जनगणना १६६१	१६७५
१६२६	भारत सहायता क्लब की सदस्यता	१६७५
१६३०	मिनिकोय और लक्कदीप द्वीपसमूह में शिक्षा	१६७५–७६
१६३१	राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अन्दोलन	१६७६
१६३२	कलकत्ता में केन्द्रीय शीशा तथा मिट्टी अनुसंधान संस्था	१६७६
१६३३	अनुसंधान करने वाले छात्र	१६७६
१६३४	नूनमती तेलशोधक कारखाना	१६७७
१६३५	तेल प्रविधिज्ञ	१६७७
१६३६	स्कूलों में मध्यान्ह भोजन का कार्यक्रम	१६७७–७८
१६३७	वैद्युदीण्विकी (इलैक्ट्रोनिक्स) और विद्युत संचार इंजीनियरी में शिक्षा	१६७८
१६३८	गुजरात में तेल परियोजनाये	१६७६
१६३६	दिल्ली में देशी शराब की बिक्री	१६७६
१६४०	मैसूर में सैनिक स्कूल	१६७६–८०
१६४१	नौ-बीमा सम्बन्धी स्कूल	१६८०
१६४२	जन्म और मृत्यु के पंजीयन के लिये कानून	१६८०
१६४३	पठानकोट में हवाई-अड्डा	१६८०
१६४४	प्रौढ़ शिक्षा	१६८१

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६४५	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां . .	१६८१
१६४६	मतदान का नया तरीका . . .	१६८१–८२
१६४७	प्राकृतिक विज्ञान संस्थायें	१६८२
१६४८	दिल्ली पुलिस	१६८२–८३
१६४९	आयुध कारखाना, खमरिया और गनकैरिज फैक्टरी, जबलपुर .	१६८३
१६५०	कोयला खानें	१६८३–८४
१६५१	उपकुलपतियों का सम्मेलन . . .	१६८४
१६५२	तीसरे वित्त आयोग का प्रतिवेदन . .	१६८४
१६५३	शिवाजी और महाराणा प्रताप की मूर्तियां . .	१६८५
१६५४	अली गढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय . .	१६८५
१६५५	बम्बई में निषिद्ध सोने का पकड़ा जाना . .	१६८५–८६
१६५६	त्रिपुरा में भूमि धारण करने वाली आदिम-जातियों की संख्या में कमी	१६८६
१६५७	त्रिपुरा में पेंशन के मामले . .	१६८६
१६५८	कमलपुर में खेतिहरों की बेदखली . .	१६८६–८७
१६५९	सड़कों आदि के नाम . . .	१६८७
१६६०	हिन्द महासागर में अनुसंधान	१६८७–८८
१६६१	मनीपुर में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति .	१६८८
१६६२	विद्युत प्रजनन एकक	१६८८–८९
१६६३	स्कूलों में दोपहर का भोजन . . .	१६८९
१६६४	जनसंख्या वृद्धि	१६९०–९१
१६६५	शिक्षा का माध्यम	१६९१
१६६६	शीर्ष सहकारी बैंक	१६९२
१६६७	दिल्ली के स्कूलों में संस्कृति की अध्यापिकायें .	१६९२–९३
१६६८	पुनर्वास मंत्रालय के छटनी किये गये कर्मचारी . .	१६९३
१६६९	दिल्ली की महिला पुलिस . . .	१६९३–९४
१६७०	राज्य विभाग	१६९४
१६७१	राजनीतिक पीड़ित	१६९४–९५
१६७२	उद्योगों के लिये भूतपूर्व सैनिक . . .	१६९५

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६७३	मतदान केन्द्र	१९९५–९६
१६७४	इस्पात का प्रतिधारण मूल्य	१९९६
१६७५	मनीपुर के सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को सर्दी भत्ता	१९९६–९७
१६७६	मनीपुर के अतिरिक्त सह-आयुक्तों की भर्ती	१९९७
१६७७	अनुसूचित आदिम जाति आयोग	१९९७
१६७८	विनिषिद्ध वस्तुयें ले जानी वाली कार से दुर्घटना	१९९७–९८
१६७९	केन्द्रीय-उत्पादन-शुल्क तथा भूमि सीमा शुल्क के उप-समाहर्ता का प्रादेशिक कार्यालय	१९९८
१६८०	विदेशों में भारतीय राष्ट्रजन	१९९९
१६८१	संघों तथा संस्थाओं को मान्यता देना	१९९९–२०००
१६८२	स्टैनोग्राफर	२०००
१६८३	भूतपूर्व सैनिक	२०००
१६८४	सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय	२०००–०१
१६८५	सहकारी कर्मचारियों के अवकाश सम्बन्धी नियम	२००१–०२
१६८६	दिल्ली के स्कूल	२००२
१६८७	शिक्षा मंत्रालय में क्लर्क	२००२
१६८८	भारत सर्वेक्षण विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	२००२–०३
१६८९	कोयला तथा कोक	२००३
१६९०	दिल्ली में कोयला और कोक	२००४
१६९१	दिल्ली में कोयला और कोक	२००४–०५
१६९२	कोक और कोयला	२००५
१६९३	दिल्ली में कोयला और कोक	२००५–०६
१६९४	आन्ध्र प्रदेश में विज्ञान मन्दिर	२००६
१६९५	आन्ध्र प्रदेश में पुरातत्वीय स्मारक	२००६
१६९६	आन्ध्र प्रदेश के विश्वविद्यालयों को अनुदान	२००६–०७
१६९७	भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षाओं के लिये विस्थापित उम्मीदवारों के लिये उम्र की रियायत	२००७
१६९८	रिंग रोड दिल्ली में वायरलैस प्रतिष्ठान	२००७
१६९९	पेंशनों का भुगतान	२००८
१७००	वयस्क अन्धों के प्रशिक्षण केन्द्र के लिये अन्ध कार्यकर्ता	२००८

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
१७०१ वयस्क अन्धों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र और ब्रेल प्रेस कार्यालय, देहरादून	२००८
१७०२ विदेशी राष्ट्रजन . . .	२००९
१७०३ बिहार में बाढ़ . .	२००९
१७०५ हिन्दी कवि "निराला" . . .	२००९
१७०६ पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से विस्थापित व्यक्ति .	२०१०
१७०७ आल इंडिया कांग्रेस कमेटी को दिया गया सामान . .	२०१०
१७०८ इंजीनियरी संस्थाओं में विस्थापित व्यक्तियों को छात्रवृत्ति	२०१०—११
१७०९ केन्द्रीय शिक्षा विभाग संघ	२०११
१७१० नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी के दिल्ली डिवीजन के मैनेजर की गिरफ्तारी	२०११
१७११ नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड . . .	२०१२
१७१२ आम हड़ताल में आय-व्ययक और लेखा कार्यालयों के कर्मचारियों को दण्ड .	२०१२
१७१३ मनीपुर नागा परिषद्	२०१३
१७१४ दिल्ली में कोयला और कोक	२०१३
१७१५ महाधिवक्ता, महावादेक्षक और सहायक महावादेक्षक की नियुक्ति	२०१४
स्थगन प्रस्ताव	२०१४—१६

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना प्रत्येक के सामने बताये गये सदस्यों ने दी थी, पेश करने की अनुमति नहीं दी :—

(१)	पूर्व जर्मनी में भारत के कुछ राज्य क्षेत्रों को चीन का भाग दिखाने वाले नक्शों का प्रकाशन।	श्री हेम बरुआ।
(२)	दिल्ली पुलिस द्वारा ६५ प्रतिशत अपराध के मामलों के दर्ज न किये जाने की सूचना।	सर्व श्री एस० एम० बनर्जी और प्रभात कार।
(३)	दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता और उसके उप-नगरों को बिजली का न दिया जाना।	सर्वश्री प्रभात कार और एस० एम० बनर्जी।

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २०१६-१८

श्री दशरथ देव ने त्रिपुरा में अगरतला के महाराजगंज बाजार में हाल के अग्निकांड की ओर, जिस के फलस्वरूप चार व्यक्तियों की मत्यु हो गई और लगभग एक लाख रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई, गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य टेबल पर रखा।

अन्य दो ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के सम्बन्ध में, जिनका उल्लेख नीचे सम्बन्धित सदस्यों के सामने किया गया है, सम्बन्धित मंत्रियों ने वक्तव्य टेबल पर रखे :—

(१) डा० मेलकोटे — लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और हस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के और सफाई करने वाले ३०० से अधिक कर्मचारियों की हड़ताल।

(२) श्रीमती पार्वती कृष्णन् — कोयमबटूर में इंजीनियरिंग के कारखानों को कम कोयला देने से उत्पन्न स्थिति।

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०१८-२

(१) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित रिपोर्टों की एक-एक प्रति :—

(एक) वर्ष १९६०-६१ के लिये इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड, बम्बई की वार्षिक प्रतिवेदन लेख परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) वर्ष १९६०-६१ के लिये त्रावन्कोर मिनरल्स लिमिटेड, क्विलोन का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(२) अप्रत्यक्ष करापात के सम्बन्ध में अध्ययन प्रतिवेदन (१९५८-५९) की एक प्रति।

(३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०-६१ के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखें और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(४) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०-६१ के लिये भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड,

विषय

सभा पटल पर रखे गए पत्र––(क्रमशः)

बंगलौर, का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(५) द्वि-सदस्य-निर्वाचन क्षेत्र (समापन) अधिनियम, १९६१ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत संसदीय और विधान सभा निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, १९६१ की एक प्रति।

(६) दूसरी लोक सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई, कार्यवाही बताने वाला निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या	२	चौदहवां सत्र, १९६१
(२) अनुपूरक विवरण संख्या	९	तेरहवां सत्र, १९६१
(३) अनुपूरक विवरण संख्या	१०	बारहवां सत्र, १९६०
(४) अनुपूरक विवरण संख्या	१८	दसवां सत्र, १९६०

(७) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उपरोक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(८) समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३९२।

(ख) दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३९४ में जिस में दिनांक २० मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६९५ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(९) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३९५

(ख) दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३९६

(ग) दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३९७

(१०) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९८ में प्रकाशित औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) चौथा संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी **विषय** **पृष्ठ**

(११) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा १५ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत वर्ष १९५८–५९ के लिये इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वार्षिक लेखे और उस पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन के वर्ष १९५९–६० के वार्षिक लेखे और तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का, जो ६ सितम्बर, १९६१ को सभा पटल पर रखे गये थे, शुद्धि-पत्र।

संसदीय समितियों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखे गये . . २०२२

(एक) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के कार्यवाही सारांश।

(दो) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी (पैंतीसवीं और छत्तीसवीं) के कार्यवाही–सारांश।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २०२२

सचिव ने संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और ४ दिसम्बर, १९६१ को सभा को दी गई अन्तिम प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त वेतन में स्वेच्छा से कटौती (करारोपण से विमुक्ति) विधेयक, १९६१ सभा पटल पर रखा।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . २०२२–२३

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित २०२३

एक सौ तेतालीसवां, एक सौ पेंतालीसवां और एक सौ सैंतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किये गये।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य . . . .

(एक) रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) ने दक्षिण-पूर्व रेलवे की राजखरसवां–बड़ाजामदह लाइन को दोहरा करने में लगे हुए ठेकेदारों को किये गये कुछ अधिक भुगतानों के बारे में २१ अगस्त, १९६१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७३४ के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया और दक्षिण-पूर्व रेलवे के राजखरसवां–बड़ाजामदह सेक्शन पर मिट्टी के काम के गलत वर्गीकरण के सम्बन्ध में विशेष पुलिस स्थापना संख्या ५ की दिनांक २७ अप्रैल, १९६१ के प्रतिवेदन का सारांश भी सभा पटल पर रखा।

(दो) विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) ने पंजाब में सामान्य चुनावों के सम्बन्ध में श्री हेम राज द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के ३० नवम्बर, १९६१ को दिये गये उतर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य--जारी **विषय** **पृष्ठ**

(तीन) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) ने व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार करने वाले देशों के उन्नीसवें अधिवेशन के तत्वावधान में की गई व्यापार मंत्रियों की बैठक में सम्मिलित होने के लिये अपनी हाल की जेनेवा यात्रा के सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा ।

(चार) प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) ने कैनेडा की मेसर्स लेवी ग्रोटो पार्ट्स नामक फर्म के साथ यांत्रिक परिवहन के पुर्जों के सम्भरण के लिये किये गये संविदा की जांच करने के लिये नियुक्त की गई सचिवों की विशेष समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया और रिपोर्ट की एक प्रति सरकार की उस पर टिप्पणियों के एक नोट के साथ टेबल पर भी रखी ।

बड़ी रेल दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव . . . २०२३-३३

श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा २-१२-६१ को प्रस्तुत किये गये हाल में हुई बड़ी बड़ी रेल दुर्घटनाओं के बारे में रेलवे मंत्री द्वारा २०-११-६१ को दिये गये वक्तव्य तथा उस पर श्री वाजपेयी द्वारा दिये गये संशोधन पर अग्रेतर विचार समाप्त हुआ । संशोधन पर सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में ३५ और विपक्ष में १३७ । मूल प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित २०३३-३५

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) ने प्रस्ताव किया कि लौह अयस्क की खाने श्रमिक कल्याण उपकर विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन . २०३५-३६

इक्यानवेवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प वापस लिये गये . . . २०३६-४२

(१) श्री स० मो० बनर्जी द्वारा २४-११-६१ को प्रस्तुत पुर्तगाल को गोआ, दमन और दीव से हट जाने के बारे में संकल्प और उसके संशोधनों पर अग्रेतर चर्चा पुनः आरम्भ हुई । संकल्प तथा संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

(२) श्री न० रा० मुनिस्वामी ने लोक सभा के सदस्यों के लिये सर्वमान्य वेषभूषा के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया। उन्होंने वाद-विवाद का उत्तर दिया, संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

विषय पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प विचाराधीन २०४२–५४

डा० राम सुभग सिंह ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि देश में सभी कालेजों और स्कूलों के १५ वर्ष से अधिक आयु के सब विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य सैनिक शिक्षा आरम्भ की जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधे घंटे की चर्चा २०५५–६०

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने ईसाई धर्म प्रचारकों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या २४४ के २३ नवम्बर, १९६१ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठायी।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने चर्चा का उत्तर दिया।

लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई।

दूसरी लोक सभा के पन्द्रहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप

१. सत्र की अवधि	२० नवम्बर से ८ दिसम्बर, १९६१ /२९ कार्तिक से १७ अग्रहायण, १८८३ (शक)
२. बैठकों की संख्या . . .	१९
३. बैठकों के कुल घंटों की संख्या	९५ घंटे १ मिनट।
४. मत विभाजनों की संख्या . . .	६
५. सरकारी विधेयक—	
(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन .	१५
(२) पुरस्थापित किये गये . . .	१३
(३) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखे गये	२
(४) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन	१
(५) पारित किये गये . . .	१८
(६) राज्य सभा द्वारा बिना संशोधन के वापस किये गये	२
(७) राज्य सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाये गये	कोई नहीं।
(८) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन	१२
६. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	
(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन .	१२८
(२) पुरस्थापित किये गये	५
(३) जिन पर चर्चा हुई	

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधयक—जारी	
(४) वापिस लिये गये	२
(५) अस्वीकृत हुये	१
(६) पारित किया गया	कोई नहीं।
(७) जिन पर अंशतः चर्चा हुई ?	१
(८) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन	१३०
७. नियम १९३ के अन्तर्गत की गई चर्चायें	
(अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय)	
(१) पूर्व सूचनायें प्राप्त हुईं	८
(२) जिन पर चर्चा हुई	३
८. नियम १९७ के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य	
(अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना)	
(१) पूर्व सूचनायें प्राप्त हुईं	७२
(२) मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य	१०
९. आधे घंटे की चर्चायें	३
१०. संविहित संकल्प	
(१) प्रस्तुत किये गये	२ (एक सरकारी संकल्प सहित)
(२) अस्वीकृत हुआ	१
(३) स्वीकृत	१
११. गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	
(१) प्राप्त हुये	१०७६
(२) गृहीत किये गये	७४२
(३) जिन पर चर्चा हुई	४
(४) वापिस लिये गये	३
(५) अस्वीकृत हुये	कोई नहीं।
(६) स्वीकृत	कोई नहीं।
(७) जिन पर अंशतः चर्चा हुई	१
१२. सरकारी प्रस्ताव	
(१) प्रस्तुत किये गये	३
(२) स्वीकृत	२
१३. गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव	
(१) प्राप्त हुये	८०
(२) गृहीत किये गये	७०
(३) प्रस्तुत किये गये	५
(४) स्वीकृत	३

विषय	पृष्ठ
· स्थगन प्रस्ताव	
(१) सदन में लाये गये	४०
(२) गृहीत किये गये	कोई नहीं।
(३) जिन पर अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी . .	४०
५. पूछे गये प्रश्न	
(१) तारांकित	७३९
(२) अतारांकित (उन तारांकित प्रश्नों समेत जिन्हें अतारांकित बना दिया गया)	१७४६
(३) अल्प-सूचना प्रश्न . .	कोई नहीं।
६. संसदीय समितियों के प्रतिवेदन उपस्थापित	
(१) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति . .	२
(२) कार्य मंत्रणा समिति . . .	१
(३) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति .	१
(४) लोक लेखा समिति .	१
(५) प्राक्कलन समिति .	६
(६) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	१
(७) याचिका समिति . .	१
(८) प्रत्यावर्तन विधेयक पर संयुक्त समिति	१

———

	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के उत्तर में शुद्धि . . .	२०२३
व्यापार मंत्रियों की बैठक में सम्मिलित होने के लिये जेनेवा यात्रा के बारे में वक्तव्य—	
श्री क० च० रेड्डी	२०२३
कनाडा की एक फर्म के द्वारा मोटरों के पुर्जों के संभरण संबंधी सचिवों की एक विशेष समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य—	
श्री रघुरमैया .	२०२३
बड़ी बड़ी रेल दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव—	२०२३–३२
श्रीमती पार्वती कृष्णन्	२०२४
श्री अरविंद घोषाल	२०२४–२५
श्री हेम बरुआ	२०२५
श्री वि० दासगुप्त	२०२६
डा० प० सुब्बरायन	२०२६
श्री ब्रजराज सिंह	२०२६–२९
श्री जगजीवन राम	२०२९–३१
श्री राजेन्द्र सिंह	२०३२
सभा का कार्य .	२०३२
लोह अयस्क की खानें श्रमिक कल्याण उप-कर विधेयक—	२०३३–३५
विचार करने का प्रस्ताव—	
श्री ल० ना० मिश्र	२०३३–३४
श्री त० ब० विट्ठल राव	२०३४
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	२०३४
श्री काशीनाथ पांडे	२०३४
खंड २ से ८ और १	२०३५
पारित करने का प्रस्ताव—	
श्री ल० ना० मिश्र . . .	२०३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
इक्यानव्वेवां प्रतिवेदन . .	२०३५–३६
गोआ, दमन और दीव से पुर्तगालियों को हटाने के बारे में संकल्प—वापस लिया गया	२०३६–३८
श्री दी० चं० शर्मा	२०३६
श्री हेम बरुआ .	२०३६
श्री जवाहरलाल नेहरू	२०३७
श्री स० मो० बनर्जी	२०३७
लोक सभा के सदस्यों की वेष भूषा के बारे में संकल्प—वापस लिया गया—	
श्री न० रा० मुनिस्वामी	२०३८–४२
श्री स० मो० बनर्जी	२०३८
श्री हेम बरुआ	२०३८
श्री राम सेवक यादव	२०३८
श्री वि० दास गुप्त	२०३९
श्री अंसार हरवानी	२०४०

विषय-सूची—जारी

	पृष्ठ
श्री विभूति मिश्र	२०४०–४१
श्री राधा रमण	२०४१–४२
डा० सुब्बरायन	२०४२
अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में संकल्प—	२०४२–५४
डा० राम सुभग सिंह	२०४२
श्री ब्रजराज सिंह	२०४३–४५
श्री हेम बरुआ	२०४५
श्री मोहन स्वरूप	२०४५–४६
श्री म० रं० कृष्ण	२०४६
राजा महेन्द्र प्रताप	२०४७
चौ० रणबीर सिंह	२०४७–४८
श्री रघुनाथ सिंह	२०४८–४९
श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह जी	२०५०
श्री झुनझुनवाला	२०५०–५१
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	२०५१–५२
श्री नलदुर्गकर	२०५२–५३
श्री मा० श्री अणे	२०५३
श्री बारुपाल	२०५४
ईसाई धर्म प्रचारकों के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	२०५५–६०
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	२०५५–५७
राजा महेन्द्र प्रताप	२०५७–५८
श्री मणियंगाडन	२०५८
श्री दातार	२०५८–६०
दैनिक संक्षेपिका	२०६१–७३
पन्द्रहवें सत्र का कार्यवाही संक्षेप	२०७३–७५
समेकित विषय सूची [२ से ८ दिसम्बर १९६१/११ से १७ अग्रहायण, १८८३ (शक)]	१–८

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।